माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तक

अनिवार्य व विशेष हिन्दी हेतु

हिन्दी

व्याकरण एवं रचना-बोध

सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी कक्षाओं के लिए

लेखक

डॉ० स्वर्णलता अग्रवाल

भू. पू. प्राचार्या

सरस्वती महिला महाविद्यालय, चरखी दादरी

डॉ० देवी प्रसाद गुप्त

प्राध्यापक-हिन्दी विभाग

डूंगर कॉलेज, बीकानेर

डॉ० पुष्कर दत्त शर्मा

अध्यक्ष-संस्कृत विभाग

डूंगर कॉलेज, बीकानेर

संशोधित संस्करण, १९७९

अजमेरा बुक कम्पनी

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-२ मूल्य ५.२५

सरचार्ज: 7 पैसे

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक की रचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी कक्षाओं हेतु स्वीकृत नवीन पाठ्यक्रमानुसार की गई है। इसमें बोर्ड द्वारा निर्धारित हिन्दी व्याकरण, निबन्ध तथा रचना के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया गया है।

इस पुस्तक को दो प्रकरणों में विभक्त किया गया है। व्याकरण एवं भाषा-ज्ञान से सम्बन्धित ये आठ अध्याय है—शब्द-ज्ञान, पदान्वय, शब्द-रचना, वाक्य-विश्लेषण, विराम-चिह्न, शब्द-भेद, लोकोक्तियाँ और मुहावरे तथा अशुद्धि-संशोधन।

द्वितीय अर्थात् रचना-बोध प्रकरण के अन्तर्गत पत्र-लेखन, तार-लेखन, निबन्ध-लेखन, अपठित संचय तथा संक्षिप्तीकरण शीर्षक पाँच अध्याय हैं। इस तरह निबन्ध तथा रचना से सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्री इस प्रकरण में है।

व्याकरण से सम्बन्धित सामग्री अधिकाधिक उदाहरणों सहित प्रस्तुत की गई है, ताकि विद्यार्थी सरलता से उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रत्येक अध्याय के अन्त में नवीन शैली की विस्तृत अभ्यास-मालाएँ दी गई हैं। वस्तुनिष्ठ एवं लघूत्तरात्मक प्रश्नों का अधिकाधिक समावेश करने का प्रयास किया गया है।

पत्र-लेखन में दैनिक पत्र-व्यवहार से सम्बन्धित सभी पत्रों को सम्मिलित किया गया है। विविध विषयों के अनेक रुचिपूर्ण निबन्ध भी नयी शैली से लिखे गये हैं। अपठित संचय तथा संक्षिप्तीकरण शीर्षक अध्याय अनेक उदाहरणों तथा अभ्यास हेतु अवतरण सहित दिये गये हैं।

आशा है, प्रस्तुत पुस्तक से विद्यार्थियों की रचना-सम्बन्धी अभिव्यक्ति, मौलिकता एवं सर्जनात्मक लेखन-वृत्ति को निखरने का अवसर मिलेगा। हमारे परिश्रम की सफलता इसी में निहित है।

लेखक-द्वय

यह पुस्तक राजस्थान राज्य स्तरीय कागज आवंटन समिति, जयपुर की मार्फत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सस्ते मूल्य के कागज पर मुद्रित की गई है।

मुद्रित पुस्तकें १५,०००

विषय-सूची

प्रथम प्रकरण

व्याकरण एवं भाषा-ज्ञान

अध्याय १

शब्द-ज्ञान

अध्याय २

पदान्वय

अध्याय ७

लोकोक्तियाँ और मुहावरे

अध्याय ८

अशुद्धि संशोधन (शुद्ध-रचना)

द्वितीय प्रकरण

रचना-बोध

अध्याय ९

पत्र-लेखन

अध्याय १०

तार-लेखन

अध्याय ११

निबन्ध-लेखन

इसी प्रकार जिनके उच्चारण में स्वर-तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कम्पन होता है, उन्हें सघोष-व्यंजन कहते हैं। जैसे—ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ।

प्रयत्न-भेद और व्यंजनों का वर्गीकरण

प्रयत्न-भेद की दृष्टि से भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे—

१. स्पर्श व्यंजन—जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा द्वारा विभिन्न स्थानों का स्पर्श किया जाता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे—क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रथम चारों व्यंजन।

२. संघर्ष व्यंजन—जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय सीटी की सी ध्वनि निकलती है, वे संघर्ष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे—श, ष, स, ह।

३. स्पर्श संघर्ष व्यंजन—जिन व्यजनों के उच्चारण करने में स्पर्श और संघर्ष दोनों हों, उन्हे स्पर्श संघर्ष व्यंजन कहा जाता है। जैसे च, छ, ज और झ।

४. अनुनासिक—नासिका द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे—ङ, ञ, ण, न, म।

५. अर्द्ध स्वर—जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर का सा आभास मिले, उन्हें अर्द्धस्वर व्यंजन कहते हैं। जैसे—य और व। इन ध्वनियों में 'अ' के साथ क्रमशः 'इ' और 'उ' का संयोग होता है।

६. लुंठित—जिस व्यजन के उच्चारण में जिह्वा को वेलन की तरह कुछ चक्कर खाना पड़ता है, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे—र। पहले इसे अर्द्ध स्वर मानते थे, क्योंकि 'ऋ' और 'अ' के मेल से इसका उद्गम होता है।

७. पार्श्विक—जिस व्यजन के उच्चारण में वायु जीभ के अगल-बगल से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे—ल। इसे भी पहले अर्द्धस्वर माना जाता था, क्योंकि इसका उद्गम 'लृ' और 'अ' के संयोग से हुआ था।

८. उत्क्षिप्त—जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मूर्द्धा को जोर से टक्कर मारकर एकदम वापिस लौट आती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे—ड़ और ढ़।

अभ्यास

१. वर्ण से क्या तात्पर्य है ?

२. स्वर और व्यंजन की परिभाषा देते हुए उनका अन्तर बताइए।

३ क्ष, त्र, ज्ञ किन वर्णो के संयोग से बने है ?

४. निम्नलिखित वर्णो का उच्चारण-स्थल बताओ—
अ, इ, ऋ, ख, घ, च, ङ, प, ल, ह, य, र, म।

५. निम्नलिखित व्यंजनों में से अल्पप्राण और सघोष व्यंजन बताइए—
ग, ज्ञ, घ, फ, श, ह, भ, व।

२. शब्द-विवेचन

शब्द की परिभाषा—एक या अनेक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शब्द की तीन विशेषता है—

१. शब्द एक या एक से अधिक वर्णो का समूह होता है।

२. शब्द अर्थवान होता है।

३. शब्द स्वतन्त्र इकाई होता है।

टिप्पणी—अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते है—सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वस्तुतः सार्थक शब्द ही महत्त्वपूर्ण हैं और उन्हीं का व्याकरण में विवेचन किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सार्थक शब्द को ही पद कहते है।

शब्द-भेद—रूप परिवर्तन एवं वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं—

१. **विकारी शब्द**—वे शब्द या पद जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार विकार उत्पन्न होता है, अर्थात् जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन तथा काल के अनुसार बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते है—

(१) संज्ञा (२) सर्वनाम (३) विशेषण (४) क्रिया

२. अविकारी शब्द—जिन शब्दों में वचन, लिंग और काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें 'अव्यय' भी कहते है। अव्यय चार प्रकार के होते हैं—(१) क्रिया-विशेषण (२) समुच्चय बोधक (३) सम्बन्धबोधक (४) विस्मयादिबोधक।

३. संज्ञा

किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, गुण या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे—कमल, पुस्तक, हरीश, सीला, दूध, पानी, लम्बाई, सुन्दरता, बीकानेर, भारतवर्ष आदि। संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं—

१. व्यक्तिवाचक संज्ञा—जिस संज्ञा से एक जाति की एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—रमेश, सीता, हिमालय, गंगा, अजमेर, भारतवर्ष, अकबर, कमल आदि।

विशेष—ऊपर जो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में दिए गए हैं वे सब एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। रमेश किसी विशेष व्यक्ति, हिमालय किसी विशेष पर्वत, अजमेर किसी विशेष नगर और कमल किसी विशेष फूल का नाम है। इसीलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं।

२. जातिवाचक संज्ञा—जिस संज्ञा से एक जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—लड़का, पर्वत, नदी, नगर, देश, राजा, फूल, पक्षी आदि।

विशेष—जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण-स्वरूप दिए गए सभी शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु-विशेष का बोध न करा कर, उस जाति या वर्ग के समस्त व्यक्तियों, वस्तुओं एवं पदार्थों का बोध कराते हैं। जैसे—हिमालय शब्द जहाँ किसी विशेष पर्वत का बोध कराता है, वहाँ 'पर्वत' शब्द उन सम्पूर्ण पर्वतों का बोध कराता है, जिनकी गणना पर्वत वर्ग में की जाती है। यही बात अन्य शब्दों के बारे में भी लागू होती है।

३. भाववाचक संज्ञा—जिस संज्ञा द्वारा किसी पदार्थ के गुण, दशा, व्यापार, धर्म आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—मिठास, बुढ़ापा, लिखावट, बचपन, प्रसन्नता, दुःख, भय, भलाई आदि।

विशेष—भाववाचक संज्ञाएँ तीन प्रकार से बनती हैं—

(१) जातिवाचक संज्ञा से—'लड़का' से लड़कपन, 'मनुष्य' से मनुष्यता 'मित्र' से मित्रता आदि।

(२) विशेषण शब्द से—'सुन्दर' से सुन्दरता, 'मीठा' से मिठास, 'चौड़ा' से चौड़ाई आदि।

(३) क्रिया शब्दों से—'मिलना' से मिलन, 'पढ़ना' से पढ़ाई, 'चलना' से चाल, 'हँसना' से हँसी आदि।

अभ्यास

१. 'सम' शब्द की भाववाचक संज्ञा कौनसी है ?

(क) समान (ख) समता (ग) समानता

(घ) समताई (ङ) समकक्ष ( )

२. निम्नांकित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौनसा शब्द है ?

(क) सामर्थ्यता

(ख) सामर्थ्य

(ग) समर्थ

(घ) सामर्थ्यशाली

(ङ) सामर्थ्यवान् ( )

३. निम्नांकित वाक्यों में काले टाइप वाले शब्द संज्ञा-शब्द हैं। उनके सामने कोष्ठक में यह लिखो कि किस प्रकार की संज्ञा है ?

१—**हिमालय** हमारे देश का गौरव है। (व्यक्ति)

२—**बचपन** में अच्छी बातें सीखनी चाहिए। (जाति)

३—**देशभक्ति** हमारा परम कर्तव्य है। (")

४—चलो **बाग** में टहल आयें। (")

५—**स्वाधीनता** हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। (जाति)

६—रामचरितमानस के रचयिता **तुलसीदास** थे। (व्यक्ति)

७—अन्ततः **सत्य** की विजय होती है। (भाव)

४. निम्नलिखित कथनों में जो शुद्ध हैं उनके आगे सही (✓) का निशान लगाओ और जो अशुद्ध हैं उनके आगे अशुद्धि (×) का निशान अंकित करो।

१—महात्मा गांधी की जन्म-शताब्दी सम्पूर्ण संसार मना रहा था—महात्मा गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। (✓)

२—गन्ने की मिठास ही उसका गुण है—यहां मिठास भाववाचक संज्ञा है। (✓)

३—मेरी लिखावट अच्छी है—यहां लिखावट शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। ×

४—भारतवर्ष हमारा देश है—यहां देश शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ( )

५—मेले से खिलौने खरीद लाना—यहां खिलौने शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ( )

६—व्यापार में लाभ और हानि दोनों होते है—यहां व्यापार शब्द भाववाचक संज्ञा है। (✓)

७—राष्ट्रीयता की भावना सबमे होनी चाहिए—यहां राष्ट्रीयता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ( )

५. नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर उनके आगे लिखो—

१—देशवासियों मे देश-प्रेम का होना आवश्यक है। ( )

२—पुस्तकें हमारी अभिन्न मित्र हैं। ( )

३—सफलता के लिए श्रम आवश्यक है। ( )

४—रमेश सच बोलता है। ( )

५—गंगा पवित्र नदी है। ( )

६. नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञाएँ बनाओ—

पढ़ना	= पढ़ाई		लम्बा	=
मोटा	= मोटापा		कमाना	=
मनुष्य	= मनुष्यता		मित्र	=
चलना	= चाल		पुरुष	=
चतुर	= चतुराई		सफल	=

४. सर्वनाम

संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे—मैं, तुम, वह आदि।

विशेष—सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है–सब का नाम। अर्थात् वे शब्द जो सबके नाम हों, सर्वनाम कहलाता है। जैसे—सुरेश किसी के लिए कह सकता है कि 'वह स्कूल जायेगा' और हरीश भी किसी के लिए कह सकता है कि 'वह स्कूल जायेगा'। अन्य कोई भी किसी के लिए कह सकता है कि 'वह स्कूल जायेगा'। इस प्रकार 'वह' शब्द का प्रयोग सबके लिए हो सकता है, अतः 'वह' सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग पुनरुक्ति को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे—'मोहन ने कहा कि मोहन पढेगा।' इस वाक्य में 'मोहन शब्द की पुनरुक्ति हुई है। यदि इसे यों कहा जाय कि 'मोहन ने कहा कि वह पढ़ेगा' तो 'मोहन' शब्द की पुनरुक्ति नही होती है और कहने में भी वाक्य ठीक लगता है। इसीलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है।

सर्वनाम के भेद—सर्वनाम छः प्रकार के होते हैं—

१. **पुरुषवाचक सर्वनाम**—जिन सर्वनामों का प्रयोग पुरुष के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके सम्बन्ध में कहा जाय, उसके लिए होता है। जैसे—मैं, हम, तू, तुम वह, वे।

पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष के आधार पर पुनः तीन भेद किये जाते है। वे हैं—

(१) **उत्तम पुरुष**—बोलने वाले के नाम के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है, उसे उत्तम पुरुष कहते है। जैसे—मैं, हम।

(२) **मध्यम पुरुष**—सुनने वाले के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे—तू, तुम।

(३) **अन्य पुरुष**—जिसके सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है, उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे—वह, वे, उन।

२. सम्बन्धवाचक सर्वनाम—जिन सर्वनामों के द्वारा वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध प्रगट होता है, उन्हें सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—जो बोयेगा सो काटेगा। जो करेगा सो भरेगा। जिनका का खाते हो उनका काम भी करो। इन वाक्यों में काले टाइप वाले शब्द सम्बन्धवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि ये दो वाक्यों में सम्बन्ध प्रगट करते हैं।

३. निश्चयवाचक सर्वनाम—जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु व व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—आपकी पुस्तक वह है। मेरा स्कूल यह है। इन वाक्यों में वह और यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हैं क्योंकि इनके द्वारा पुस्तक और स्कूल का निश्चित बोध होता है।

४. अनिश्चयवाचक सर्वनाम—जिस सर्वनाम के द्वारा संकेत तो किया जाता है, किन्तु किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—कोई पढ़ रहा है। कुछ सुनाई दे रहा है। यहाँ कुछ पड़ा हुआ है। इन वाक्यों में कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम ।

५. प्रश्नवाचक सर्वनाम—जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते है, जैसे— घर में कौन जा रहा है ? यहाँ क्या हो रहा है ? यहाँ क्या रखा है ? इन वाक्यों में कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ भी स्मरणीय कि कौन शब्द मनुष्य या प्राणियों के लिए, क्या शब्द वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है।

६. निजवाचक सर्वनाम—जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य के कर्त्ता के लिए होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सामान्यतः आप और अपना शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। जैसे—वह अपने आप परेशान रहता है। मैं अपने आप पढ़ता हूँ। यहाँ आप और अपने शब्दों का प्रयोग निज के लिए किया गया है, इसीलिए ये शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं।

विशेष—हिन्दी में सर्वनाम शब्दों का लिंग संज्ञा के अनुसार होता है। सामान्यतः क्रिया के प्रयोग से सर्वनाम के लिंग का बोध हो जाता है। जैसे—मैं गया। मैं गयी। वह गया। वह गयी। यहाँ प्रथम और तृतीय

वाक्य में प्रयुक्त मैं और वह पुल्लिग है और शेष दोनों वाक्यों के मैं और वह स्त्रीलिंग हैं ।

अभ्यास

१. सम्बन्धवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ?
   (क) जैसा बोयेगा वैसा काटेगा ।
   (ख) तुम अध्ययन करोगे तो विद्वान् बनोगे ।
   (ग) वह परसों आया था और चला गया ।
   (घ) वह क्या है और यह क्या है ?
   (ङ) कोई यहाँ कल आया होगा ? ( )

२. "यह कहाँ से आता है ?" इस वाक्य में 'यह' शब्द कौन सा सर्वनाम है ?
   (क) प्रश्नवाचक (ख) निश्चयवाचक
   (ग) सम्बन्धवाचक (घ) पुरुषवाचक
   (ङ) अनिश्चयवाचक ( )

३. नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करो—
   १—तुम कोई भी हो मुझे इसकी परवाह नहीं है ।
   २—आपने इतना कष्ट क्यों किया ?
   ३—मैं अपने आप से ही यह प्रश्न करता हूँ कि मैं कौन हूँ ?
   ४—वहाँ कौन जायेगा ?
   ५—वह पुस्तक किसने पढ़ी है ?

४. नीचे लिखे वाक्यों में काले टाइप वाले शब्द सर्वनाम हैं । प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में सर्वनाम का भेद लिखिए—
   १—**मैं** भारत का निवासी हूँ । ( )
   २—सत्य से **कौन** मुँह मोड़ेगा । ( )
   ३—**वह** पुस्तक मेरी है । ( )
   ४—**जो** करेगा सो भरेगा । ( )
   ५—शीला **अपने** घर गयी । ( )

५. वे, हम, तुम, मैं, हमारी, तू, वह, उनको, उन्हें-पुरुषवाचक सर्वनाम हैं । इनमें से उत्तम, मध्यम एवं अन्य पुरुष सर्वनाम अलग-अलग छाँट कर नीचे लिखो—

उत्तम पुरुष	मध्यम पुरुष	अन्य पुरुष
१..............	१..............	१..............
२..............	२..............	२..............
३..............	३..............	३..............

६. निम्नांकित कथनों में जो ठीक हैं उनके सामने सही (√) का तथा जो गलत है, उनके आगे अशुद्ध (×) का चिह्न अंकित कीजिए—

१—मैं स्कूल जाता हूँ। इस वाक्य में मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। ( )

२—वह अपने आप को धोखा दे रहा है। इस वाक्य में अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। ( )

३—कोई यहाँ आया होगा। इस वाक्य में कोई सम्बन्धवाचक सर्वनाम है। ( )

४—जो पढ़ेगा सो पास होगा। इस वाक्य में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ( )

५—हमारी गाय यह नहीं है। यह शब्द इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ( )

६—देशभक्ति करना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है। इस वाक्य में हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ( )

७—तुम्हे कहाँ जाना है ? इस वाक्य में तुम्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ( )

७. निम्नांकित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति सर्वनाम शब्दों द्वारा करो—

१—क्या..............नहीं आयेंगे ?

२—तुम..............पुस्तक से पढ़ लिया करो।

३—मुझे..............पर भरोसा नहीं है।

४—..............आया था।

५—जो परिश्रमी है..............सफल होगा।

५. विशेषण

जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे—यह सुन्दर कलम है। यह पीली साड़ी है। महेश मोटा लड़का है।

हनीफ थोड़ा दूध लाओ। इन वाक्यों में सुन्दर, पीली, मोटा, थोड़ा शब्द विशेषण हैं। ये जिनके विशेषण हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे—मैं लाल गुलाब पसन्द करता हूँ। इस वाक्य में लाल विशेषण है और गुलाब विशेष्य है।

विशेषण के भेद—विशेषण छः प्रकार के होते हैं—

१. **गुणवाचक विशेषण**—जो शब्द किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के रूप रंग या गुण सम्बन्धी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह सुन्दर गाय है। यह लाल फूल है। उमाकान्त चतुर विद्यार्थी है। इन वाक्यों में सुन्दर, लाल, और चतुर शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। इस प्रकार लम्बा, चौड़ा, मोटा, काला, हरा, बुरा, भला, अच्छा आदि सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं।

२. **संख्यावाचक विशेषण**—जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—पाँच आदमी, छठी पुस्तक, अनेक मनुष्य, सब लोग आदि। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं—

(१) **निश्चित संख्यावाचक विशेषण**—जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पाँच सात, पहला, दूसरा आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के चार भेद होते हैं।

(i) गुणवाचक—जिसमें गणना का बोध होता है। जैसे—एक, दो, चार, पाँच आदि।

(ii) क्रम वाचक—जिससे क्रम का बोध हो। जैसे—पहला, दूसरा, पाँचवाँ, आठवाँ आदि।

(iii) आवृत्तिवाचक—जिससे यह पता लगता है कि विशेष्य (संज्ञा या सर्वनाम) कितने गुना है। जैसे—दूना, चौगना आदि।

(iv) समुदायवाचक—जिससे संज्ञा के समूह का बोध हो। जैसे—दोनों, तीनों, पाँचों आदि।

२. **अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण**—जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराये उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि।

३ परिमाणवाचक विशेषण— जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल सम्बन्धी विशेषताओं का ज्ञान होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— थोड़ा दूध, पाव भर चीनी, गज भर कपड़ा आदि। परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद होते है—

(१) निश्चित परिमाणवाचक विशेषण—जिसमें निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—पाँच सेर, दो गज, तीन तोला, चालीस फुट, सात मीटर आदि।

(२) अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण–जिससे अनिश्चित परिमाण का बोध हो। थोड़ा दूध, बहुत पानी, जरा सा नमक आदि।

४. संकेतवाचक विशेषण—इसे सार्वनामक विशेषण भी कहते हैं। वस्तुतः ये सर्वनाम शब्द होते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते है। जैसे— यह पुस्तक मेरी है। वह मकान तुम्हारा है। वे दिन बीत गये। इस गेंद को मत छुओ। इन वाक्यों में यह, वह, वे, इस शब्द क्रमशः पुस्तक, मकान, दिन और गेंद नामक संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं। इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण हैं।

५. व्यक्तिवाचक विशेषण—जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते है, उन्हे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—जापानी गुड़िया, बीकानेरी भुजिया, अमृतसरी शाल, कश्मीरी सेब, भारतीय दर्शन आदि।

६. भिन्नतावाचक विशेषण—भिन्नता को प्रकट करते हुए संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण को भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— इस कक्षा के प्रत्येक बालक को बुलाओ। हमारे स्कूल का हर एक विद्यार्थी अनुशासन प्रिय है। इन वाक्यों में प्रत्येक और हर एक शब्द भिन्नतावाचक विशेषण है।

विशेषण की तीन अवस्थाएं—विशेषण की तीन अवस्थाएँ (Degrees) होती है, जिनका बोध तुलना द्वारा होता है। तुलना का अर्थ है—विभिन्न वस्तुओं के गुणों का मिलान। जैसे—प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। लघु, लघुतर और लघुतम। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुओं के गुणों की तुलना

तीन अवस्थाओं में की जाती है । इन्हीं को विशेषण की तीन अवस्थाएँ कहते हैं । वे ये हैं—

(१) मूलावस्था (Positive Degree)—विशेषण शब्द की मूल दशा को जिसमें वह सामान्य रूप में रहता है, मूलावस्था कहते हैं । जैसे—लघु, प्रिय, श्रेष्ठ आदि शब्द ।

(२) उत्तरावस्था (Comparative Degree)—जहाँ दो वस्तुओं या या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है । जैसे—लघुत्तर प्रियतर, श्रेष्ठतर । अथवा यों कहा जाय कि—पिताजी सुरेश को रमेश से प्रियतर समझते हैं । बकरी गाय से श्रेष्ठतर पशु है ।

(३) उत्तमावस्था (Superlative Degree)—यह विशेषण की वह अवस्था है जिसमें अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ या कम बताया जाता है । जैसे—लघूत्तम, प्रियतम, श्रेष्ठतम । अथवा यों कहा जाये कि—*अपने सभी पुत्रों में शीलभद्र को पिताजी प्रियतम मानते हैं ।* सभी पशुओं में गाय श्रेष्ठतम पशु है ।

विशेष—यहाँ यह स्मरणीय है कि विशेषण की अवस्थाएँ केवल गुणवाचक विशेषण में ही होती हैं क्योंकि तुलना गुणों की ही होती है ।

अभ्यास

१. 'गोरखपुर' शब्द का व्यक्तिवाचक विशेषण कौनसा है ?
(क) गोरखपुरी (ख) गोरखपुर का
(ग) गोरखपूरी (घ) गोरखपुर की
(ङ) गोरखपुर के ( )

२. किसी वाक्य में 'कुछ' शब्द का प्रयोग विशेषण की भाँति हुआ है ?
(क) वह कुछ खाता है । (ख) उसने कुछ सेब खाये ।
(ग) मैंने कुछ खो लिया है । (घ) वहाँ कुछ पड़ा हुआ है ।
(ङ) वह कुछ न कुछ बोलेगा । ( )

३. 'सब शब्द किसी वाक्य मे संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है ?

(क) सब लोग आ गये हैं।　　(ख) सब दूध पी जाओ।
(ग) सब पानी बह गया।　　(घ) सब चावल पकाओ।
(ङ) सब लड्डू खा लिए हैं।　　(　　)

४. भागना शब्द क्रिया है। उससे भगोड़ा विशेषण बनाया गया है। इसी प्रकार क्रिया से विशेषण बने हुए अन्य चार उदाहरण बताओ।

५. निम्नांकित वाक्यों में मोटे टाइप में छपे हुए शब्द विशेषण हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में विशेषण का नाम (भेद) लिखो—

१—मुझे जापानी खिलौने पसन्द हैं।　　(　　)
२—इस गाय को शहर ले जाओ।　　(　　)
३—कक्षा के प्रत्येक बालक को बुलाओ।　　(　　)
४—पके आम किसे पसन्द नहीं आयेंगे ?　　(　　)
५—काला गुलाब भी अच्छा लगता है।　　(　　)

६. निम्नलिखित कथनों में जो सही है, उनके आगे (√) का निशान और गलत के आगे गलती (×) का निशान लगाओ—

१—यह काला घोड़ा है। यहाँ काला गुणवाचक विशेषण है।　　(　　)
२—मेरे पास थोड़ी सी पुस्तकें हैं। यहाँ थोड़ी सी संख्यावाचक विशेषण है।　　(　　)
३—तुमसे चौथा लड़का आगे-आगे चलेगा। इस वाक्य में चौथा संख्यावाचक विशेषण है।　　(　　)
४—बीकानेरी भुजिये बड़े स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ बीकानेरी गुणवाचक विशेषण है।　　(　　)
५—वह निर्धन व्यक्ति है। यहाँ निर्धन भिन्नतावाचक विशेषण है।　　(　　)
६—सैकड़ों छात्रों ने परेड में भाग लिया। यहाँ सैकड़ों संख्यावाचक विशेषण है।　　(　　)
७—समारोह में अधिकतर बालक ही उपस्थित थे। यहाँ अधिकतर संख्यावाचक विशेषण है।　　(　　)

७. नीचे कुछ विशेषण शब्द दिये जा रहे हैं। इनमें से जो जिस वर्ग का विशेषण है, उसके सामने लिखो—

सुन्दर, बुरा, अधिक, जयपुरी, पाँचवाँ, लाल, थोड़ा, यह कुछ, प्रत्येक, विलायती, पाँच गुना।

१—गुणवाचक विशेषण : सुन्दर
२—संख्यावाचक विशेषण :
३—परिमाणवाचक विशेषण :
४—संकेतवाचक विशेषण :
५—व्यक्तिवाचक विशेषण :
६—भिन्नतावाचक विशेषण :

८. नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनमें प्रयुक्त गुणवाचक विशेषण की अवस्था कोष्ठक में लिखो—

१—गुरुजी सुरेश को प्रिय शिष्य मानते हैं। (मूलावस्था)
२—यह फूल उस फूल से कम सुगन्धित है। ( )
३—तुलसी की श्रेष्ठतम रचना 'मानस' है। ( )
४—मुझको यह जटिल प्रश्न मत समझाओ। ( )
५—काली बिल्ली रास्ता काट गई। ( )
६—विमला सबसे चतुर लड़की है। ( )
७—यह घोड़ा तेज चाल में चलता है। ( )

६. क्रिया

जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाय, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ। तुम पढ़ते हो। वह सोता है। इन वाक्यों में 'खाता हूँ', 'पढ़ते हो', 'सोता है', नामक शब्दों से खाने, पढ़ने तथा सोने का कार्य होना ज्ञात है, अतः ये क्रिया शब्द हैं।

क्रिया का गठन—क्रिया-पद 'धातु' से बनता है। 'धातु' का अर्थ है वह मूल शब्द जिससे क्रिया का गठन होता है। जैसे—खाना, पीना, पढ़ना, बुझना, टूटना आदि। क्रिया शब्दों में क्रमशः खा, पी, पढ़, बुझ, टूट आदि धातुएँ हैं। हिन्दी के सभी क्रिया शब्दों के अन्त में 'ना' 'प्रत्यय' होता है।

'ना' प्रत्यय को हटाकर देखा जाय तो क्रियाओं का मूल धातु रूप स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है।

क्रिया के भेद—क्रिया के दो प्रमुख भेद हैं—

१. सकर्मक क्रिया—जैसा कि नाम से प्रकट है, सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य होता है। दूसरे शब्दों में वे क्रियाएँ जिनके कर्ता के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हे सकर्मक क्रिया कहते हैं जैसे—उमाकान्त पुस्तक पढ़ता है, यहाँ 'पढ़ता है' क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ता है। पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक कर्म है, इसलिए 'पढ़ता है' सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार देखना, सुनना, खेलना, बुलाना, गाना, सीखना, आना, जाना, पीटना, बेचना आदि सकर्मक क्रियाएँ हैं।

२ अकर्मक क्रिया—अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, क्योंकि इसके द्वारा किसी कार्य का केवल होना ही ज्ञात होता है। इस क्रिया का व्यापार और फल केवल कर्ता तक ही सीमित रहता है। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संक्षेप में जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे—प्रहलाद सोता है। यहाँ 'सोना' क्रिया का व्यापार प्रहलाद (कर्ता) करता है और 'सोना' क्रिया का फल भी उसी पर पड़ता है। इसी प्रकार लगना, हँसना, रोना, गिरना, टूटना एव बिछुड़ना आदि अकर्मक क्रियाएँ है।

विशेष—सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहिचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि क्रिया के पहिले 'क्या' अथवा 'किसको' लगाकर देखा जाय। यदि उत्तर में कुछ आये, तो क्रिया 'सकर्मक' होगी और यदि उत्तर में कुछ न आये तो क्रिया 'अकर्मक' होगी। जैसे—'शीला रोती है।' इस वाक्य में क्या रोती है ? का उत्तर नकारात्मक है। अतः यहाँ 'रोती है' क्रिया अकर्मक है। एक अन्य वाक्य में—'शीला दूध पीती है।' इस वाक्य में 'पीती है' क्रिया है। क्या पीती है ? 'दूध' पीती है। अतः यहाँ 'पीती' सकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक के अतिरिक्त क्रियाओं के निम्नांकित भेद और हैं—

द्विकर्मक क्रिया—ऐसी क्रियाएँ जिनमें दो कर्म पाये जाते हैं, द्विकर्मक क्रियाएँ कहलाती हैं, ऐसी क्रियाओं में मुख्य और गौण दो कर्म होते हैं।

जैसे गुरुजी ने मुझे काव्य पढाया। इस वाक्य में 'पढ़ाया' क्रिया के दो कर्म हैं—मुझे और काव्य। यहाँ मुख्य कर्म 'काव्य' और गौण कर्म 'मुझे' है। यहाँ 'पढ़ाया' द्विकर्मक क्रिया है।

संयुक्त क्रिया—जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते है। जैसे—मोहन ने दूध पी लिया होगा। इस वाक्य मे 'पी लिया होगा' संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यह 'पीना', 'लेना' और 'होना' नामक भिन्नार्थक क्रिआओं के योग से बनी है।

प्रेरणार्थक क्रिया—जहाँ कर्त्ता स्वय कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा अन्य किसी से करता है, वहाँ प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे—गणेश अपने पत्र पोस्टमैन से पढ़वाता है। इस वाक्य में 'पढ़वाता है' क्रिया यद्यपि पोस्टमैन करता है किन्तु वह ऐसा गणेश की प्रेरणा से करता है, अतः यहाँ 'पढ़वाता' प्रेरणार्थक क्रिया है।

नामधातु क्रिया—जो क्रियाएँ संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनायी जाती है, उन्हें नामधातु क्रियाएँ कहते है। जैसे—हाथ, दुःख, झूँठ, लात फिल्म आदि शब्दों मे क्रमशः हथियाना, दुखाना, झुठलाना, लतियाना फिल्माना आदि नामधातु क्रियाएँ बनती हैं।

पूर्वकालिक क्रिया—जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद फिर एक दूसरी क्रिया का होना पाया जाय तथा जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते है। जैसे—मैं दूध पीकर सोऊँगा। इस वाक्य में 'पीने' के बाद ही 'सोने' का कार्य होता है, अतः यहाँ 'पीकर' पूर्वकालिक क्रिया है। सामान्यतः क्रिया की धातु के अन्त में 'के' या 'कर' के प्रयोग से पूर्वकालिक क्रियाएँ बनती है। जैसे—जाके, आके, सोके, सोकर, गाकर, पढ़कर, देखकर आदि।

सजातीय क्रिया—जहाँ कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हों वहाँ सजातीय क्रिया होती है। जैसे—भारतीय सेनाओं ने चीनियों से भयंकर लड़ाई लड़ी। प्रभात पाँच सौ मीटर की दौड़ दौड़ा। इन वाक्यों मे 'लड़ी' और 'दौड़ा' क्रियाएँ सजातीय क्रियाएँ है।

क्रिया का काल

'काल' का अर्थ है—समय। जिस समय जो क्रिया सम्पन्न होती है, वही उसका 'काल' कहलाता है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, उसे 'काल' कहते हैं।

काल के भेद—काल के तीन भेद होते हैं। प्रत्यक्ष समय को वर्तमान काल, बीते हुए समय को भूतकाल और आने वाले समय को भविष्यत् काल कहते हैं।

वर्तमान काल—क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाय, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे—मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा होऊँगा। वर्तमान काल के चार भेद होते हैं—

१. सामान्य वर्तमान—क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाय, किन्तु किसी निश्चित समय का बोध न हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे—मैं पढ़ता हूँ।

२. अपूर्ण वर्तमान—क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे—मैं पढ़ रहा हूँ।

३. संदिग्ध वर्तमान—क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में सम्पन्न होने में सन्देह प्रकट होता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे—मैं पढ़ रहा होऊँगा।

४. सम्भाव्य वर्तमान—जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की सम्भावना बनी रहती है, उसे सम्भाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे—मैं शायद पढ़ रहा होऊँ।

भूतकाल—क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के छः भेद होते हैं—

१. सामान्य भूत—क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः बीते हुए समय का पता चलता है, उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे—मैंने पढ़ा।

२. आसन्न भूत—क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी-अभी सम्पन्न हुआ है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे—मैंने पढ़ा है।

३. पूर्ण भूत—क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, उसे कहते हैं। जैसे—मैं पढ़ चुका था।

४. अपूर्ण भूत—क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि कार्य भूत काल में प्रारम्भ किया गया था, किन्तु समाप्त नही हुआ, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे—मैंने पढना शुरू किया था।

५. संदिग्ध भूत—क्रिया के जिस रूप से यह संदेह प्रकट हो कि कोई कार्य बीते हुए समय में (भूतकाल में) पूर्ण हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे—पढ़ा होगा।

६. हेतुहेतुमद् भूत—क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, किन्तु हुआ नही, उसे हेतुहेतुमद्भूत कहते हैं। जैसे—मैं पढ़ता। अथवा—यदि पुस्तक मिल जाती तो मैं पढ़ लेता।

भविष्यत् काल—क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में सम्पन्न होगा, उसे भविष्यत्‌काल कहते हैं। भविष्यत् काल के दो भेद होते हैं—

१. सामान्य भविष्यत्—क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः भविष्य म होगा, उसे सामान्य भविष्यत् काल कहते हैं। जैसे—मैं पढ़ूँगा।

२. सम्भाव्य भविष्यत्—क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के होने की सम्भावना प्रकट हो, उसे सम्भाव्य भविष्यत् कहते हैं। जैसे—शायद मैं कल पढ़ूँ।

क्रिया के वाच्य

वाक्यों में क्रिया का सम्बन्ध उसके कर्त्ता से होता है। कभी-कभी क्रिया का सीधा सम्बन्ध कर्त्ता से न होकर कर्म के साथ अथवा किसी भाव-विशेष के साथ भी जोड़ दिया जाता है। जिस प्रक्रिया से क्रिया के सम्बन्ध का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चले कि क्रिया वाक्य में कर्त्ता, कर्म, और भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं।

वाच्य के भेद—क्रिया का सम्बन्ध चूंकि कर्ता, कर्म अथवा भाव से होता है अत. वाच्य भी तीन प्रकार के होते है—

१ कर्तृवाच्य—क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, अर्थात् क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, उसे कर्तृवाच्य कहते है। जैसे—मै पुस्तक पढ़ता हूँ।

२ कर्मवाच्य—क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे—मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है।

३ भाववाच्य—क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के कार्य के मुख्य विषय भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे-मुझसे पढ़ा नहीं जाता है।

विशेष-१-कर्तृवाच्य, सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है।

२-कर्मवाच्य, केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है।

३-भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है।

वाच्य परिवर्तन—विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के प्रयोग में एक वाच्य से दूसरे वाच्य मे परिवर्तन को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। वाच्य परिवर्तन के अन्तर्गत सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्तृ वाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार अकर्मक क्रिया के प्रयोग मे कर्तृवाच्य से भाववाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो सकता है। नीचे इन परिवर्तनों के उदाहरण दिए जा रहे हैं—

कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य

कर्तृवाच्य—मैं पत्र लिखता हूँ।

कर्मवाच्य—मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है।

कर्तृवाच्य—मैं दूध पीता हूँ।

कर्मवाच्य—मेरे द्वारा दूध पीया जाता है।

कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य

कर्मवाच्य-जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी रची गई।

कर्तृवाच्य-जयशंकर प्रसाद ने कामायनी रची।

कर्मवाच्य—मुझ से आम खाया जाता है।

कर्तृवाच्य—मैं आम खाता हूँ।

कर्तृवाच्य से भाववाच्य

कर्तृवाच्य—वह नहीं हँसता है।

भाववाच्य—उससे नहीं हँसा जाता है।

कर्तृवाच्य—विमला दिन में नहीं सोती।

भाववाच्य—विमला से दिन में नहीं सोया जाता।

भाववाच्य से कर्तृवाच्य

भाववाच्य—मुझसे जागा नहीं जाता है।

कर्तृवाच्य—मैं नहीं जागता हूँ।

भाववाच्य—तुमसे भागा नहीं जाएगा।

कर्तृवाच्य—तुम नहीं भागोगे।

अभ्यास

१. निम्नांकित वाक्यों में से किस वाक्य में भूतकालिक क्रिया है ?

(क) वह बीकानेर जाता है।

(ख) वह बीकानेर गया था।

(ग) वह बीकानेर में ही रहता है।

(घ) वह बीकानेर जाएगा।

(ङ) वह बीकानेर ही जा रहा है। ( )

२. किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है ? ( )

(क) उमाकान्त बाजार से पेंसिल खरीदता है।

(ख) उमाकान्त ने बाजार से पेंसिल खरीदी।

(ग) उमाकान्त बाजार से पेंसिल खरीदकर लाया।

(घ) उमाकान्त बाजार से पेंसिल खरीदेगा।

(ङ) उमाकान्त पेंसिल खरीद रहा है। ( )

३. किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है ?

(क) मुझ से खाया नहीं जाता।

(ख) मैंने खाना खा लिया।

(ग) वह खाना खाता है।
(घ) वह रोटी खाता है।
(ङ) मैं खाना खाकर जाऊँगा। ( )

४. किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है ?
(क) घड़े से पानी भर दो।
(ख) बीकानेर से पुस्तकें आ गई हैं।
(ग) ये जूते शीघ्र ही घिस जायेंगे।
(घ) परिश्रम से तुम घिस नहीं जाओगे।
(ङ) मकान में पानी भर गया है। ( )

५. नीचे लिखे वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएँ दी गई हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में क्रिया का भेद लिखो—
१—मोहन अँग्रेजी पढ़ता है। ( )
२—वह आम खाता है। ( )
३—किताब फट गई। ( )
४—निर्मला पुस्तक पढ़ती है। ( )
५—सीमा स्कूल जाती है। ( )
६—महेश देखता है। ( )
७—मैं बोलता हूँ। ( )
८—उमाकान्त नाटक खेलता है। ( )
९—प्रह्लाद गाता है। ( )
१०—घोड़ा दौड़ता है। ( )

६. निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, संयुक्त एवं सजातीय चार प्रकार की क्रियाएँ प्रयुक्त हुई हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का नाम लिखो—
१—रामू अपना पत्र पोस्टमैन से पढ़वाता है। ( )
२—मैं दूध पीकर ही सोऊँगा। ( )
३—वह गाड़ी पर चढ़ गया। ( )
४—हमारी सेनाओं ने भयंकर लड़ाई लड़ी। ( )

५—सुरेश ने सबसे लम्बी दौड़ दौड़ी। ( )
६—हरीश ने खाना खा लिया था। ( )
७—वह पढ़कर ही वहाँ से उठेगा। ( )
८—किशोर धोबी से कपड़े धुलवाता है. ( )

६. नीचे लिखे वाक्यों के सामने कुछ कथन हैं। उनमें जो शुद्ध हैं, उनके आगे (√) का चिह्न तथा जो अशुद्ध हैं, उनके आगे अशुद्धि (×) का चिह्न अंकित कीजिए—

१—शीला नहाती है। यहाँ 'नहाती है' अकर्मक क्रिया है। ( )
२—रजनीकान्त पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पढ़ता है' सकर्मक क्रिया है। ( )
३—यह घोड़े की चाल चला। यहाँ 'चला' संयुक्त किया है। ( )
४—गुरुजी ने हमें व्याकरण पढ़ाई। यहाँ 'पढ़ाई' द्विकर्मक क्रिया है। ( )
५—मोहन पुस्तक पढ़कर सो गया। यहाँ 'पढ़कर सो गया' पूर्वकालिक क्रिया है। ( )
६—महेश सुरेश को पत्र लिखता है। 'यहाँ लिखता है' द्विकर्मक क्रिया है। ( )
७—मुझे तो गाना गाना है। यहाँ 'गाना है' संयुक्त क्रिया है। ( )

८. निम्नलिखित वाक्यों में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत् काल, तीनों की क्रियाएँ प्रयुक्त हुई हैं। वाक्यों के सामने कोष्ठक में उस क्रिया का काल लिखो—

१—मैं जा रहा हूँ। ( )
२—तुम्हें पुरस्कार मिला था। ( )
३—चलो, दिल्ली ही चलें। ( )
४—यदि तुम आते तो मैं चला जाता। ( )
५—परसों तक शायद बरसात आ जायेगी। ( )

९. नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल उनके सामने कोष्ठक में अंकित किए गये हैं। इनमें कुछ ठीक हैं, कुछ गलत हैं। आप कोष्ठक के सामने शुद्धि (√) और अशुद्धि (×) का चिह्न अंकित कीजिए—

१–वह आता है। (संदिग्ध वर्तमान) ( )
२–मैं पढ़ता हूँ। (सामान्य वर्तमान) ( )
३–मैं शायद पढ़ रहा हूँ। (अपूर्ण वर्तमान) ( )
४–मैंने पुस्तक पढ़ी है। (आसन्न भूत) ( )
५–मैंने पढ़ा। (सामान्य भूत) ( )
६–यदि पुस्तक मिलती तो मैं पढ़ लेता। (हेतुहेतुमद्भूत) ( )
७–मैं पढ़ रहा हूँ। (संदिग्ध वर्तमान) ( )
८–मैं पढ़ूँगा। (सामान्य भविष्यत्) ( )
९–शायद मैं परसों जाऊँ। (सम्भाव्य भविष्यत्) ( )
१०–क्या तुम चले जाओगे। (सामान्य भविष्यत्) ( )

१०. नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के वाच्य कोष्ठक में लिखिए—

१–मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ( )
२–मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। ( )
३–मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ( )
४–रोगी उठ नहीं सकता था। ( )
५–रोगी से उठा नहीं जाता था। ( )
६–रोगी को उठा दिया जायेगा। ( )

११. निम्नांकित वाक्यों की क्रियाओं के वाच्य कोष्ठकों में लिखे हुए हैं। जिन्हें आप ठीक समझते हों उनके आगे सही (√) का चिह्न तथा जिन्हें आप अशुद्ध समझते हों उनके आगे अशुद्धि (×) का चिह्न लगाओ—

१–प्रेमचन्द द्वारा गोदान की रचना हुई। (कर्मवाच्य) ( )
२–राम पुस्तक पढ़ता है। (कर्तृवाच्य) ( )
३–रमेश से लिखा नहीं जाता। (भाववाच्य) ( )
४–माँ बच्चों को प्यार करती है। (कर्तृवाच्य) ( )

५—लड़का दौड़ता है। (कर्मवाच्य) ( )
६—रोगी उठ नहीं सकता था। (भाववाच्य) ( )
७—रोगी से उठा नहीं जाता था। (कर्तृवाच्य) ( )
८—बच्चे को प्यार किया जाता है। (कर्मवाच्य) ( )

१२. नीचे लिखे वाक्यों को उनके सामने लिखे वाक्यों में बदलो—

कर्तृवाच्य	कर्मवाच्य
१—मैं अँगूर खाता हूँ।	१—......................
२—मैं दूध पीता हूँ।	२—......................
३—मैं पत्र लिखता हूँ।	३—......................
कर्मवाच्य	**कर्तृवाच्य**
१—मुझसे दूध पीया जाता है।	१—......................
२—मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है।	२—......................
३—सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया।	३—......................
कर्तृवाच्य	**भाववाच्य**
१—वह दिन में नहीं सोता है।	१—......................
२—वह नहीं चलता है।	२—......................
३—वह नहीं पढ़ता है।	३—......................
भाववाच्य	**कर्तृवाच्य**
१—मुझसे रोया नहीं जाता है।	१—......................
२—तुमसे खाया जायेगा।	२—......................
३—उससे नहीं उठा जाता है।	३—......................

७. अव्यय

अव्यय का शाब्दिक अर्थ है—जो व्यय (खर्च) न हो अर्थात् वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप-परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी शब्द हैं। अव्यय शब्दों का रूप सदा एक समान रहता है। जैसे—अभी, आज, कल, प्रायः, किन्तु, तो, शीघ्र, अरे, कि, जब आदि अव्यय शब्द हैं। संज्ञा शब्द लड़का से लड़के, लड़कों हो सकता है, लिखना क्रिया से लिख, लिखता, लिखूँगा हो सकता है, मैं सर्वनाम से मुझे

मेरा, मेरे हो सकता है, काला विशेषण, से काली, काले हो सकते हैं, किन्तु अभी का अभीयो या अभीओं नहीं हो सकता। जहाँ संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया आदि में लिंग, वचन कारक आदि के कारण रूप-परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ अव्यय शब्द 'अभी' में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है, इसलिए 'अभी' अव्यय शब्द है।

अव्यय के भेद–अव्यय चार प्रकार के होते हैं–

१. क्रिया विशेषण अव्यय—जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे—जयन्त धीरे-धीरे जाता है। सीमा इधर आओ। मिलेश परसों जायेगा। इन वाक्यों में धीरे-धीरे, इधर, परसों शब्द क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि ये शब्द क्रमशः 'जाता' 'आओ, और 'जायेगा क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण छः प्रकार के होते हैं—

(i) कालवाचक क्रियाविशेषण—जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने का काल या समय का बोध होता है, उन्हें कालवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे—रमेश आज आयेगा। मैं परसों चला जाऊँगा। इसी प्रकार तब, अब, जब, प्रातः लगातार, प्रतिदिन, अभी-अभी आदि कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं।

(ii) स्थानवाचक क्रिया विशेषण—जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के व्यापार स्थान का बोध होता है, उन्हें स्थान-वाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे—मंगला ऊपर आओ। हनीफ यहाँ बैठो। इसी प्रकार नीचे, पीछे, आगे, उधर, किधर, जिधर, सामने, दूर, परे, दायें, बायें, सर्वत्र, बाहर, भीतर, जहाँ, यहाँ आदि स्थान वाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं।

(iii) रीतियाचक क्रियाविशेषण–जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने का तरीका (ढंग) ज्ञात होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे–नरेश धीरे-धीरे चलो। मधुरेश ध्यानपूर्वक लिखो। मैं अचानक आ गया हूँ। इसी प्रकार विशेषकर, शायद यथावत, निःसंदेह, सम्भुत; यथार्थ, मानों, धीरे-धीरे, ज्यों-त्यों, ऐसे वैसा आदि भी रीतिवाचक क्रियाविशेषण शब्द हैं।

(iv) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण—जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे—आपका काम तो मैं बिल्कुल भूल गया। इस समय थोड़ा खाओ। आज खूब खाया। इस प्रकार अत्यन्त, पर्याप्त, तनिक, किंचित्, सर्वथा, लगभग, केवल, अति, ठीक, जितना, उतना आदि भी परिमाणवाचक क्रियाविशेषण हैं।

(v) स्वीकारवाचक क्रियाविशेषण—जिन अव्यय शब्दों में क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होता है, उन्हें स्वीकारवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे—हाँ जाओ। आपकी पुस्तक अवश्य दे दूँगा। जी हाँ ले जाऊँगा। इसी प्रकार अवश्य, निःसन्देह, अच्छा, जी, बहुत अच्छा, आदि शब्द भी स्वीकारवाचक क्रियाविशेषण है।

(vi) निषेधवाचक क्रियाविशेषण—जिन अव्यय शब्दों मे क्रिया के निषेध का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे—यह भोजन मत करो। तुम वहाँ मत जाओ। मैं कल नहीं आऊँगा। मेरा काम न कर सको तो कोई बात नहीं। इन वाक्यों में मत, नहीं, न शब्द निषेधवाचक क्रियाविशेषण हैं।

टिप्पणी—क्रियाविशेषण के उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त प्रश्नवाचक निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कारणवाचक आदि और भी उपभेद किये जा सकते हैं, किन्तु इन उपभेदों को सामान्यतः **रीतिवाचक क्रियाविशेषण** के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है।

२. सम्बन्धबोधक अव्यय—किसी वाक्य में जिस अव्यय शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध दूसरे के साथ प्रकट होता है, उसे सम्बन्धबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे—तुम्हारी पुस्तक उमाकान्त के **पास** है। कृपया आप शीशे के **सामने** खड़े हो जावें। इन शब्दों में **'पास'** और **'सामने'** शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का सम्बन्ध ज्ञात होता। इस प्रकार आगे, पीछे, अनुसार, सामने, बीच, मध्य, द्वारा, योग्य, निकट आदि शब्द भी सम्बन्धबोधक अव्यय हैं।

३. समुच्चयबोधक अव्यय—जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों अथवा दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक

अव्यय कहते हैं जैसे—रोटी और दाल साथ लाओ। तुम आओगे तो मैं स्कूल चला जाऊँगा। यहाँ 'और' दो शब्द को जोड़ता है और 'तो' दो वाक्यों को मिलाता है। अतः ये दोनों शब्द (और, तो) समुच्चयबोधक अव्यय हैं। इसी प्रकार तथा, एवं, किन्तु, वो, वा, बल्कि, यदि, जो चाहे, फिर, यानि, अतएव आदि शब्द भी समुच्चयबोधक अव्यय हैं। समुच्चयबोधक अव्यय के दो उपभेद भी किये जा सकते हैं—

(१) संयोजक—यदि, तथा, एवं जो, फिर, यथा, पुनः आदि।

(२) विभाजक—किन्तु, परन्तु, पर, वरना, बल्कि, अपितु आदि।

[नोट—संयोजक और विभाजक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द हैं।]

४. *विस्मयादिबोधक अव्यय*—जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, ग्लानि आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे—अरे! तुमने तो गजब कर दिया। हाय! मेरे सगे भाई की मृत्यु हो गई और मैं बेखबर हूँ। तुम्हारा त्यागमय जीवन धन्य है। इस वाक्यों में अरे, हाय और धन्य अव्यय शब्दों द्वारा क्रमशः आश्चर्य, शोक और प्रशंसा के भाव प्रकट हुए हैं। अतः ये अव्यय शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। इसी प्रकार ओह, छिः छिः, धिक्, वाह, अहा, आदि शब्द भी विस्मयादिबोधक अव्यय हैं।

विशेष—उपर्युक्त वर्णित अव्यय के चार भेदों के अतिरिक्त संस्कृत के उपसर्ग (शब्दों के आरम्भ में जुड़ने वाले शब्दांश) जैसे—प्र, परा, अप, सम्, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि और उप भी अव्यय माने जाते हैं। इन्हें प्रादि अव्यय कहा जाता है।

अभ्यास

१. निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है?

(क) जयपुर, राजस्थान की राजधानी है, जो बहुत बड़ा नगर है?

(ख) उसने नवाब की, यह सफेद झूठ है।

(ग) जब वर्षा होती तब घास हरी होती है।

(घ) मेरी इच्छा है कि तुम और उन्नति करो।

(ङ) जब वह पहुँचा तो बच्चे लड़ रहे थे। ( ),

२. निम्नांकित वाक्यों में **सरल वाक्य** कौन-सा है ?

(क) न यहाँ मनुष्य रहते हैं न पशु।

(ख) सीमा का भाई मेरी पुस्तक धीरे-धीरे पढ़ता है।

(ग) निर्मला चाहती है कि तुम खूब पढ़ो।

(घ) प्रश्न सरल है किन्तु स्पष्ट नही।

(ङ) जब वर्षा होगी तब अन्न पैदा होगा। ( )

३. निम्नलिखित वाक्यों में **मिश्र वाक्य** कौन-सा है ?

(क) उमाकान्त आया और चला गया।

(ख) सरला जी की नीति को मैं जानता हूँ।

(ग) जो सज्जन पुरुष है वे कटु वचन नहीं कहते हैं।

(घ) मेरे मित्र को अभी भेज दीजिए।

(ङ) मैं अभी लिखने में व्यस्त हूँ। ( )

४. निम्नलिखित में कौन-सा वाक्य **संयुक्त वाक्य** नहीं है ?

(क) मैं तो आ गया वह अभी तक नहीं आया।

(ख) न यहाँ मनुष्य रहते है न पशु।

(ग) आप सरल है किन्तु स्पष्ट नहीं।

(घ) मैंने सुना है कि तुम पास हो गये हो।

(ङ) मुझे पुस्तकें दीजिए या ये भी रख लीजिए। ( )

५. निम्नलिखित वाक्यों में मोटे टाइप वाले शब्द अव्यय है। वाक्यों के सामने कोष्ठक में उन अव्ययों का नाम लिखिए अर्थात् अव्ययों का भेद बताइये—

१—शैलजा स्कूल **धीरे-धीरे** जाती है। (क्रियाविशेषण)

२—**वाह** ! तुमने तो बाजी मार ली। ( )

३—आप उमाकान्त के **पीछे** खड़े हो जाइये। ( )

४—देश भक्तों का सम्मान **अवश्य** करो। ( )

५—कल का पाठ **तो** मैं बिल्कुल भूल गया। ( )

६—आपने खाने में अति कर दी है। ( )

६. नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाविशेषण अव्यय प्रयुक्त हुए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में क्रियाविशेषण अव्यय का भेद (प्रकार का नाम) लिखिये—

१—तुम लगातार पढ़ते रहो। (कालवाचक क्रियाविशेषण)
२—पुष्पा परसों आई थी। ( )
३—वीणा ! संगीत के कार्यक्रम में अवश्य आना। ( )
४—सभी छात्र मेरे पीछे चलें। ( )
५—मैं कहता हूँ कि तुम मत जाओ। ( )

७. नीचे लिखे कथनों में जिन्हें आप ठीक मानते हों, उनके आगे (√) का निशान और जिन्हें गलत समझते हों, उनके आगे (×) का चिह्न अंकित कीजिये—

१—छि: छि: तुमने यह क्या किया ? इस वाक्य में 'छी: छी:' विस्मयादिबोधक अव्यय है। ( )
२—इशाक ज्यों त्यों करके पास हुआ है। इस वाक्य में 'ज्यों त्यों' रीतिवाचक क्रियाविशेषण है। ( )
३—गोपाल तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इस वाक्य में 'तो' सम्बन्धबोधक अव्यय है। ( )
४—मेरा कमरा गिरीश के पास है। इस वाक्य में 'पास' समुच्चयबोधक अव्यय है। ( )
५—परीक्षा के समय छात्र दिन-रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में 'दिन-रात' कालवाचक क्रियाविशेषण है। ( )

८. नीचे लिखे क्रियाविशेषण अव्ययों को भेद (क्रियाविशेषण के प्रकार) के अनुसार लिखो—

तुरन्त, यहाँ, अचानक, अत्यन्त, अवश्य, मत, कभी, बार बार, आगे, पास, कैसा, ऐसे, थोड़ा, एक बार, अवश्य, निःसन्देह, नहीं, न, खूब, कम, धीरे धीरे, नीचे, परसों, दिन-रात, पूर्ण, सदा, सर्व, इस प्रकार, निकट, द्वारा, सामने, कहाँ, यों, शीघ्र, बहुधा, सचमुच, अब, इधर।

१–कालवाचक क्रियाविशेषण —तुरन्त,
२–स्थानवाचक क्रियाविशेषण —वहाँ,
३–रीतिवाचक क्रियाविशेषण —अचानक
४–परिमाणवाचक क्रियाविशेषण —अत्यन्त,
५–स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण —अच्छा,
६–निषेधवाचक क्रियाविशेषण —मत,

९. नीचे कुछ वाक्य लिखे जा रहे हैं और उनके सामने तीन-तीन कथ्य लिखे हुए हैं। इन तीन कथनों में जो शुद्ध हो, उसके आगे सही का चिह्न (√) अंकित कीजिए–

१–मोहन उस पुस्तक को मत पढ़ो।	१–उस-क्रियाविशेषण है।
	२–उस-विशेषण है।
	३–उस-सर्वनाम है।
२–मोहन उसकी पुस्तक मत पढ़ो।	१–उसकी-विशेषण है।
	२–उसकी क्रियाविशेषण है।
	३–उसकी सर्वनाम है।
३–मोहन तेज चलता है।	१–तेज-सर्वनाम है।
	२–तेज-विशेषण है।
	३–तेज-क्रिया विशेषण है।

(९) रूप परिवर्तन

पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं– **विकारी** (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया) और **अविकारी** (अव्यय अर्थात् क्रियाविशेषण आदि)। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि शब्दों **(पदों)** में लिंग, वचन और कारक के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही **रूप-परिवर्तन** कहते हैं जैसे 'बालक' संज्ञा शब्दों के बालिका, बालकों, बालक आदि रूप क्रमशः लिंग, वचन और कारक के विकार के कारण बनते हैं। इसी प्रकार 'मेरा' सर्वनाम शब्द के मेरी, मेरे की, 'अच्छा' विशेषण के अच्छी, अच्छे तथा 'चल' क्रिया के चली, चलें, चलने को आदि रूप लिंग, वचन और कारक के विकार से ही बनते हैं।

लिंग

लिंग का अर्थ—पहचान, निशान चिह्न या जाति। शब्दों के जिस रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों की जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। हिन्दी में लिंग दो प्रकार के होते हैं—

१. पुल्लिंग—लिंग के उस रूप को जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे—लड़का, मुर्गा, हाथी, शेर, घोड़ा, पहाड़, लेखक आदि।

२ स्त्रीलिंग—लिंग के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे—लड़की, मुर्गी, हथिनी, शेरनी, घोड़ी, पहाड़ी, लेखिका आदि।

शब्दों का लिंग निर्णय—हिन्दी के शब्दों के लिंग का निर्णय करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। शब्दों के प्रयोग के आधार पर ही उनका लिंग ज्ञात होता है। विशेष रूप से निर्जीव वस्तुओं का लिंग-निर्णय तो प्रयोग के अनुसार ही होता है। जैसे—'कोट' पुल्लिंग माना जाता है, जैसे—कोट टंगा है। किन्तु 'पतलून' स्त्रीलिंग है, जैसे—पतलून खूँटी पर टँगी है। पाजामा पुनः पुल्लिंग है, जैसे—पाजामा खूँटी पर टँगा है। नीचे हिन्दी शब्दों के लिंग-निर्णय से सम्बन्धित कुछ सामान्य बातों का उल्लेख किया जा रहा है—

१. संस्कृत के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जो हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, वे सामान्यतः उसी लिंग में रहते हैं। संस्कृत के नपुंसकलिंग शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे—ज्ञान, विवेक, सदाचार, कार्य, व्यापार, व्यवहार आदि पुल्लिंग हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे—आत्मा, वस्तु, अग्नि, धातु, सन्तान, शपथ, महिमा, पुस्तक, वाणी, मृत्यु—संस्कृत में पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं, किन्तु हिन्दी में इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। जैसे—मेरी आत्मा, आपकी सन्तान, सन्तों की महिमा, उनकी मृत्यु, तुम्हारी वाणी, अग्नि जला देती है, आदि। इसी प्रकार तारा, देवता, व्यक्ति आदि शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग हैं, किन्तु हिन्दी में पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे आकाश से तारा टूटा। मेरा देवता ही मुझ पर दया करेगा, आदि।

२. अंग्रेजी के जो शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते है, उनका लिंग प्रयोग अनुसार ही होता है। जैसे—कैमरा, अकाउन्टेन्ट, बूट, रजिस्टर, होल्डर आदि पुल्लिग हैं। फीस, पेंसिल, टेबिल, चिमनी, माचिस, लाइट आदि स्त्रीलिंग हैं।

३. बारों महीनों, पहाड़ों, समुद्रों, ग्रहों (पृथ्वी को छोड़कर), धातुओं (चाँदी को छोड़कर), अनाजों, तेल, घी, दूध, पानी आदि द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिग होते है। किन्तु नदियों (जैसे–गगा, यमुना, सरस्वती आदि, तिथियों (जैसे—पंचमी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस आदि और भाषाओं (जैसे–हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी आदि के नाम स्त्रीलिंग होते है।

४. जातियों के पुल्लिग नामों में प्रायः 'इन' 'प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिंग बन जाते है। जैसे–धोबी-धोबिन, चमार-चमारिन, कुम्हार-कुम्हारिन पुंजारी-पुजारिन, भगी-भगिन आदि।

५. पशुओं के कुछ नामों में 'नी' प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे—शेर-शेरनी, हँस-हँसनी, मोर-मोरनी, हिरन-हिरनी, ऊँट-ऊँटनी, हाथी-हथिनी आदि।

६. हिन्दी में ईकारान्त संज्ञाएँ प्राय. स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे—रोटी धोती, टोपी, साड़ी लड़की, पुत्री, दासी, सेठानी, नानी आदि।

७. कुछ अकारान्त तथा अकारान्त शब्दों के आगे 'आ' 'आनी,' 'इन', 'नी ', 'इया', 'इका', 'ई', 'त्री,' आदि प्रत्यय-लगाने से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे—

आ—वृद्ध-वृद्धा, प्रिय-प्रिया. मुग्ध-मुग्धा, बाल से बाला आदि।

आनी—पंडित पंडितानी, भव-भवानी, इन्द्र-इन्द्राणी, देवर-देवरानी, सेठ-सेठानी, नौकर से नौकरानी आदि।

इन—सांप-सांपिन, ग्वाला-ग्वालिन, चमार-चमारिन आदि।

नी—जाट-जाटनी, सांड-सांडनी ऊँट-ऊँटनी, मास्टर-मास्टरनी।

इया—चूहा-चुहिया, बटा-बटिया लोटा-लुटिया, कुत्ता-कुतिया।

इका—बालक बालिका, लेखक-लेखिका, गायक-गायिका, सेवक-सेविका, पालक से पालिका आदि।

ई—नगर-नगरी, गोप-गोपी, दास-दासी, कुमार-कुमारी, देव-देवी तरुण-तरुणी, पुत्र से पुत्री आदि।

त्री—विधाता से विधात्री, प्रबन्धकर्ता से प्रबन्धकर्त्री आदि।

८. ऐसी भाववाचक संज्ञाएँ जिनके अन्त में वट, और हट हो स्त्रीलिंग होती हैं जैसे—लिखावट, बनावट, सजावट, चिकनाहट, चिपचिपाहट आदि। इसी प्रकार जिन भाववाचक संज्ञाओं के अन्त में 'आई' प्रत्यय हो, वे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे—लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, रंगाई, सफाई, बुराई, भलाई आदि।

९. हिन्दी के बहुत-से पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे—माता का पिता, बैल का गाय, भाई का बहिन आदि।

१०. सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सदैव संज्ञा के स्थान पर होता है और 'विशेषण' शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। इसलिए सर्वनाम और विशेषण शब्द का लिंग सामान्यतः संज्ञा के अनुसार होता है। जैसे—

महेश पढ़ रहा है, वह अच्छा लड़का है।

सीमा पढ़ रही है, वह अच्छी लड़की है।

उपर्युक्त प्रथम वाक्य में 'वह' और 'अच्छा' क्रमशः सर्वनाम और विशेषण हैं। इन शब्दों का लिंग क्रमशः महेश और लड़का के अनुसार ही है। दूसरे वाक्य में 'वह' और 'अच्छा' शब्दों में स्त्रीलिंग का प्रयोग सीमा और लड़की के अनुसार है।

अभ्यास

१. निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिये—

(क) माता (ख) पत्नी (ग) पुरुष

(घ) मुर्गी (ङ) पेन्सिल ( )

२. निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग-अलग छाँटकर लिखिये—

प्रजा, दल, सभा, संघ, पौधा, हार, भाई, ज्ञान, हिंसा, अध्यापक, मौसा, धोबिन, मोर, हथनी, दही, दूध, पत्थर, समाज, पगड़ी, मैदान, गाय, दिन, चन्द्रमा, पुस्तक, वृक्ष।

पुल्लिग—दल,

स्त्रीलिंग—प्रजा,

३. निम्नलिखित वाक्यों में काले टाइप में छपे शब्दों के लिंग, वाक्यों के सामने दिये गये कोष्ठक में लिखिये—

१—मेरा देश भारत है। (पुल्लिग)

२—पूज्य बापू हमारे हमारे राष्ट्रपिता है। ( )

३—सन् १९६९ गाँधी शताब्दी वर्ष था। ( )

४—स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ( )

५—हमारा जातीय गौरव एकता मे है। ( )

६—टेबिल पर लेम्प रख दो। ( )

७—गुणवान का सम्मान सर्वत्र होता है। ( )

८—मंजुला विदुषी है। ( )

९—बाजार में शुद्ध घी लाओ। ( )

१०—तुम्हे सन्तान का सुख है। ( )

४. नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं और उनके समने कोष्ठक मे उनके लिंग लिखे हुए हैं। इनमें जो सही हैं, उनके आगे (√) का चिह्न तथा जो गलत हैं, उनके आगे (×) का चिह्न अंकित कीजिए—

१—प्रमुता	(पुल्लिग) ×	६—मूँग	(पुल्लिग)
२—रसा	(पुल्लिग) √	७—मुंजदेव	(स्त्रीलिंग)
३—आत्मा	(स्त्रीलिंग)	८—बुढ़ापा	(पुल्लिग)
४—दही	(पुल्लिग)	९—पृथ्वी	(स्त्रीलिंग)
५—मक्का	(स्त्रीलिंग)	१०—अमावस	(पुल्लिग)

५. निम्नलिखित कथनों में जो शुद्ध है उनके आगे (√) का चिह्न और जो अशुद्ध है, उनके आगे (×) का चिह्न अंकित कीजिए—

१—मूँग पुल्लिग शब्द है। ( )

२—मोती स्त्रीलिंग शब्द है। ( )

३—कवि पुल्लिग से कवयित्री स्त्रीलिंग बनता है। ( )

ई—नगर-नगरी, गोप-गोपी, दास-दासी, कुमार-कुमारी, देव-देवी तरुण-तरुणी, पुत्र से पुत्री आदि।

त्री—विधाता से विधात्री, प्रबन्धकर्ता से प्रबन्धकर्त्री आदि।

८. ऐसी भाववाचक संज्ञाएँ जिनके अन्त में वट, और हट हो स्त्रीलिंग होती हैं जैसे—लिखावट, बनावट, बसावट, चिकनाहट, चिपचिपाहट आदि। इसी प्रकार जिन भाववाचक संज्ञाओं के अन्त से 'आई' प्रत्यय हो, वे स्त्रीलिंग होती है। जैसे—लिखाई, पढाई, बुनाई, रंगाई, सफाई, बुराई, भलाई आदि।

९. हिन्दी के बहुत-से पुल्लिग शब्दों का स्त्रीलिंग पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे—माता का पिता, बैल का गाय, भाई का बहिन आदि।

१०. सर्वनाम' शब्दों का प्रयोग सदैव संज्ञा के स्थान पर होता है और 'विशेपण' शब्द संज्ञा की विशेपता प्रकट करते हैं। इसलिए सर्वनाम और विशेपण शब्द का लिंग सामान्यतः संज्ञा के अनुसार होता है। जसे—

महेश पढ रहा है, वह अच्छा लड़का है।

सीमा पढ़ रही है, वह अच्छी लड़की है।

उपर्युक्त प्रथम वाक्य में 'वह' और 'अच्छा' क्रमशः सर्वनाम और विशेपण हैं। इन शब्दों का लिंग क्रमशः महेश और लड़का के अनुसार ही है। दूसरे वाक्य में 'वह' और 'अच्छा' शब्दों में स्त्रीलिंग का प्रयोग सीमा और लड़की के अनुसार है।

अभ्यास

१. निम्नलिखित में से पुल्लिग शब्द चुनिये—

(क) माता (ख) पक्षी (ग) सुगन्ध

(घ) कुर्सी (ङ) पेंसिल ( )

२. निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिग और स्त्रीलिंग अलग-अलग छाँटकर लिखिये—

प्रजा, दल, सभा, संघ, चीता, हल, कार्य, ज्ञान, दिशा, अध्यापक, कौआ, धोबिन, साँप, हाथी, दही, दूध, चादर, समाज, पगड़ी, स्टेशन, रात, दिन, चन्द्रमा, पुस्तक, वृद्धा।

पुल्लिग—दल,

स्त्रीलिंग—प्रजा,

३. निम्नलिखित वाक्यों मे काले टाइप में छपे शब्दों के लिंग, वाक्यों के सामने दिये गये कोष्ठक में लिखिये—

१—मेरा देश भारत है। (पुल्लिग)

२—पूज्य बापू हमारे हमारे राष्ट्रपिता है। ( )

३—सन् १९६९ गाँधी शताब्दी वर्ष था। ( )

४—स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ( )

५—हमारा जातीय गौरव एकता मे है। ( )

६—टेबिल पर लेम्प रख दो। ( )

७—गुणवान का सम्मान सर्वत्र होता है। ( )

८—मंजुला विदुषी है। ( )

९—बाजार में शुद्ध घी लाओ। ( )

१०—तुम्हें सन्तान का सुख है। ( )

४. नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं और उनके समने कोष्ठक में उनके लिंग लिखे हुए हैं। इनमें जो सही है, उनके आगे (√) का चिह्न तथा जो गलत है, उनके आगे (X) का चिह्न अंकित कीजिए—

१—प्रभुता	(पुल्लिग) X	६—मूँग	(पुल्लिग)
२—रस्सा	(पुल्लिग) √	७—मुंजदेव	(स्त्रीलिंग)
३—आत्मा	(स्त्रीलिंग)	८—बुढ़ापा	(पुल्लिग)
४—दही	(पुल्लिग)	९—पृथ्वी	(स्त्रीलिंग)
५—मक्का	(स्त्रीलिंग)	१०—अमावस	(पुल्लिग)

५. निम्नलिखित कथनो में जो शुद्ध है उनके आगे (√) का चिह्न और जो अशुद्ध है, उनके आगे (X) का चिह्न अंकित कीजिए—

१—मूँग पुल्लिग शब्द है। ( )

२—मोती स्त्रीलिंग शब्द है। ( )

३—कवि पुल्लिग मे कवयित्री स्त्रीलिंग बनता है। ( )

४—सेठ पुल्लिंग में सेठी स्त्रीलिंग शब्द है। ( )
५—तेली और अधिकारी दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। ( )

६. नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए—
भाई, पिता, ससुर, लाला, श्रीमान्, बेटा, तेरा, वर, नर, कर्त्ता, पुत्र, भला, लेखक, सुनार, मोर।

७. नीचे लिखे स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग बनाइए—
स्त्री, वधू, भैंस, विदुषी, गुणवती, पुतली, गायिका, लुटिया, बहिन, तेलिन, नागिन, लड़की, रानी, मामी, बालिका।

६. वचन

संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे—पुस्तक पढ़ो। पुस्तकें पढ़ो। यहाँ 'पुस्तक' शब्द एक पुस्तक का और 'पुस्तकें' शब्द एक से अधिक पुस्तकों का बोध कराता है।

हिन्दी में दो वचन होते हैं—

१. एकवचन—संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो, उसे एकवचन कहते हैं। जैसे—लड़का, पत्ता, घोड़ा, कमरा, बात, तिथि, आदि।

२. बहुवचन—संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे—लड़के, पत्ते, घोड़े, कमरे, बातें, तिथियाँ आदि।

हिन्दी में वचन सम्बन्धी प्रयोगों के विषय में नीचे लिखी बातें ध्यान देने योग्य हैं—

१. हिन्दी में अनेक बार आदर सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे—आपके दर्शन हुए। आज हमारे राष्ट्रपति महोदय पधार रहे हैं। आलोचक प्रवर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। शिवाजी देशभक्त थे। बापू हमारे पूज्य हैं।

२. हिन्दी के बहुत से शब्द ऐसे हैं, जिनका रूप दोनों वचनों में एकसा रहता है। ऐसे शब्दों के वचन का बोध उन शब्दों के साथ प्रयुक्त क्रिया या विशेषण से ज्ञात होता है। जैसे—बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहे हैं।

किसान धान काट रहा है, किसान धान काट रहे हैं। बन्दर पेड़ पर चढ़ रहा है, बन्दर पेड़ पर चढ़ रहे हैं।

३. अनेक बार समूह, समुदाय, गण, जन, वृन्द, मण्डली, आदि शब्द का प्रयोग करके बहुवचन का बोध कराया जाता है। जैसे—जनसमूह, छात्र-समुदाय, विद्यार्थी गण, सन्त जन, सज्जन, वृन्द, वृद्धमण्डली आदि।

४ स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए एँ, ओ, याँ, यों प्रत्यय और अनुनासिक' चिह्न (ँ) जोड़ दिया जाता है। जैसे—

अकारान्त स्त्रीलिंग शब्द—बात से बातें, पुस्तक से पुस्तकें।

आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द—विद्या से विद्याएँ, सूचना से सूचनाएँ।

इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द—तिथि से तिथियाँ, रीति से रीतियाँ।

ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्द—देवी से देवियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ।

ओकारान्त स्त्रीलिंग शब्द—गो से गोएँ।

आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द—लठिया से लठियाँ, गुडिया से गुड़ियाँ।

५. पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए 'ए' और 'ओ' शब्दों के अन्त में जोड़ दिये जाते हैं। जैसे—

आकारान्त पुल्लिंग शब्द—घोड़ा से घोड़े, लड़का से लड़के, बेटा से बेटे।

अकारान्त पुल्लिंग शब्द—मकान से मकानों, बैल से बैलों, सड़क से सड़कों।

ऊकारान्त पुल्लिंग शब्द—डाकू से डाकुओं, लड़ाकू से लड़ाकुओं।

अभ्यास

१. 'लड़की' शब्द का बहुवचन कौनसा है?

(क) लड़कीयाँ (ख) लड़कियों (ग) लड़कीयों

(घ) लड़कियाँ (ङ) लड़क्याँ ( )

२. 'विधि' शब्द का बहुवचन क्या होगा?

(क) विधीयाँ (ख) विधियाँ (ग) विधाओं

(घ) विधाएँ (ङ) वीधियाँ ( )

३. निम्नांकित मे से किसका बहुवचन रूप अशुद्ध है—

(क) लडके (ख) राजे (ग) माताएँ

(घ) पुस्तकें (ङ) गुड़ियाँ ( )

४. निम्नांकित वाक्यों में काले टाइप में छपे शब्दों का वचन बताइये—

१—क्या आपने मेरे हस्ताक्षर देखे है। ( )

२—हमारे माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। ( )

३—हम स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक है। ( )

४—जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढकर है। ( )

५—नागरिक सुरक्षा दल का विशेष महत्त्व है। ( )

६—कमरे में रोशनी कर दो। ( )

७—कानून बनाना ससंद का काम है। ( )

५. निम्नांकित वाक्यों मे काले टाइप मे छपे शब्दों के लिंग कोष्ठक में लिखे हैं, इनमें जो सही है, उनके आगे (√) और जो गलत हैं, उनके आगे गलत (×) का चिह्न अंकित कीजिए—

१—आज राज्यपाल महोदय पधारेंगे। (बहुवचन)

२—मेरे कथन पर आपत्ति मत कीजिए। (बहुवचन)

३—आप कितनी पुस्तकें पढ़ चुके हैं ? (एकवचन)

४—पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। (एकवचन)

५—नेहरूजी के दर्शनार्थ जनसमूह उमड़ पड़ा। (एकवचन)

६. नीचे लिखे एकवचन शब्दों के सामने उनके बहुवचन और बहुवचन शब्दों के सामने उनके एकवचन रूप लिखिए—

एकवचन	बहुवचन	बहुवचन	एकवचन
१—देश		१—धातुएँ	
२—ऋषि		२—देवियाँ	
३—जन		३—कविताओं	
४—कन्या		४—दिशाएँ	
५—तिथि		५—राजाओं	

७. निम्नांकित कथनों में जो शुद्ध हैं, उनके आगे ($\surd$) का चिह्न तथा जो अशुद्ध है, उनके आगे (×) चिह्न अंकित कीजिए—

१—आदमी का बहुवचन आदमियों है। ( )

२—जनसमूह का एकवचन जन है। ( )

३—बुढ़िया का बहुवचन बूढ़े हैं। ( )

४—मुनि शब्द एकवचन और बहुवचन दोनों है। ( )

५—गौ का बहुवचन गौवें है। ( )

10. कारक

संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम के जिस रूप से उनका सम्बन्ध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ, विशेष रूप से क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे—कैलाश ने साँप को लाठी से मारा। इस वाक्य में 'कैलाश ने' रूप से ज्ञात होता है कि कैलाश का 'मारा' क्रिया से सम्बन्ध है अर्थात् कैलाश 'मारा' क्रिया का कर्ता (करने वाला) है। 'साँप को' रूप से पता चलता है कि लाठी 'मारा' क्रिया का कारण अर्थात् साधन है। चूँकि 'ने', 'को', 'से' आदि के द्वारा संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है, अतः इन्हें कारक कहते हैं।

हिन्दी में आठ कारक होते हैं—

१. कर्त्ता कारक—संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है, उसे कर्ता कारक कहते है। जैसे—उमा ने पुस्तक पढ़ी। उमा खेलता है। दोनों वाक्यों में उमा कर्ता है, क्योंकि वह 'पढ़ी' और 'खेलता है' क्रियाओं का कर्त्ता अर्थात् करने वाला है। पहले वाक्य में कर्त्ता कारक का चिह्न 'ने' लगा है, किन्तु दूसरे वाक्य में यह चिह्न लुप्त है।

२. कर्म कारक—जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को कर्मकारक कहते हैं। जैसे—महेश पुस्तक को पढ़ता है। उमेश पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में 'पड़ता' क्रिया के

व्यापार का फल या परिणाम 'पुस्तक' पर पड़ता है, इसलिए 'पुस्तक' कर्म है और इन वाक्यों में कर्म कारक का चिह्न 'को' है।

३. करण कारक—संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का ज्ञान होता है, उसे करण कारक कहते है। जैसे—अमरूद चाकू से काटता हूँ। तुम्हारा नाम अध्यापक द्वारा बोला जायेगा। इन वाक्यों में 'काटना' क्रिया का साधन चाकू और 'बोलना' क्रिया का साधन अध्यापक है। अतः चाकू और अध्यापक करण हैं और ये करण कारक के उदाहरण हैं। करण कारक के चिह्न हैं—से, द्वारा, के द्वारा, के साथ।

४. सम्प्रदान कारक—जिसके लिए क्रिया प्रयुक्त होती है, उसका ज्ञान कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को सम्प्रदान कारक कहते हैं। जैसे—मैं आपके लिए पुस्तक लाता हूँ। नरेश सीमा को पुस्तक देता है। इन वाक्यों में 'लाता हूँ' और 'देता हूँ' क्रियाओं का प्रयोग क्रमशः 'आपके लिए' तथा 'सीमा को' के लिए है।

५. अपादान कारक—संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना ज्ञात हो, उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे-पेड़ से पत्ता गिरा। कॉलिज से घर बहुत दूर है। मोहन शीला से बड़ा है। इन वाक्यों से पृथकता या अलगाव का भाव स्पष्ट होता है। जैसे—प्रथम वाक्य में 'से' चिह्न से पेड़ और पत्ते का अलगाव प्रकट होता है। यहाँ पेड़ अपादान है। अपादान कारक का चिह्न 'से' है।

विशेष—करण और अपदान दोनों कारकों का चिह्न 'से' है। करण कारक में 'से' का प्रयोग 'के साथ' या 'द्वारा' के अर्थ में होता है। जबकि अपादान कारक मे 'से' का प्रयोग अलग होने के भाव को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे—

१–निर्मला कलम से लिखती है। करण कारक

२–निर्मला की कलम से स्याही गिरी। अपादान कारक

६. सम्बन्ध कारक–संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ज्ञात होता है, उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं।

जैसे—राम का फल, शीला की घड़ी, उनके मकान, अपने रुपये, हमारा स्कूल, आदि। इन वाक्यांशों में 'का', 'की', 'के' आदि चिह्न सम्बन्ध का बोध कराते हैं। अन्तिम दो वाक्यांशों में कारक चिह्न लुप्त है।

७. अधिकरण कारक—संज्ञा और सर्वनाम मे जिस रूप के आधार का बोध होता है, अर्थात् क्रिया के समय, स्थान आदि का ज्ञान होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे—मोहन घर में बैठा है। कपड़े छत पर सूख रहे हैं। इन वाक्यों में 'घर' और 'छत' शब्द 'बैठा है' और 'सूख रहे हैं' क्रियाओं के अधिकरण हैं। अधिकरण कारक के चिह्न हैं—में, पै, पर।

८. सम्बोधन कारक—किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग होता है, वे सम्बोधन कारक के चिह्न होते है। जैसे—हे, अरे, ओ आदि वस्तुत: संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने के भाव का बोध हो, उसे सम्बोधन कारक कहते हैं। जैसे— अरे! मोहन यहाँ आओ। हे राम! मुझे बचाओ। बाबूजी, जरा दूर खड़े हो जाओ।

कारक चिह्न सूची

१. कर्त्ता	– ने
२. कर्म	– को
३. करण	– से, के साथ, द्वारा, के द्वारा
४. सम्प्रदान	– को, के, लिए
५. अपादान	– से (अलगाव के अर्थ मे)
६. सम्बन्ध	– का, के, की
७. अधिकरण	– में, पै, पर
८. सम्बोधन	– हे, ओ, अरे

अभ्यास

१. 'निर्मला ने निर्धन को दान दिया।'
इस वाक्य में 'को' विभक्ति किस कारक की है?
(क) करण (ख) अधिकरण (ग) सम्बन्ध
(घ) कर्म (ङ) सम्प्रदान (घ)

२. 'उमाकान्त अपनी माताजी के लिए पुस्तक खरीद कर लाया है।' इस वाक्य में 'के लिए' कौनसा कारक है ?

(क) कर्त्ता (ख) सम्बोधन (ग) करण
(घ) अपादान (ङ) अधिकरण (ख)

३. 'में' विभक्ति किस कारक की है ?

(क) कर्म (ख) सम्बोधन (ग) सम्बन्ध अधि:
(घ) अपादान (ङ) सम्प्रदान ( )

४. निम्नांकित वाक्यों के कारक बताओ—

१–राम ने कहा था। – कर्त्ता कारक
२–बाजार से आम लाओ। –
३–सांप को मारो। – सम्प्रदान।
४–मेरी पुस्तक लाओ। –
५–तुम्हारा पैन सन्दूक पर रक्खा है। – अधिकरण।
६–हरि शैलजा के लिए पुस्तक देगा। – सम्प्रदान।

५. नीचे लिखे वाक्यों के कारक उनके सामने लिखे गये हैं। आप उन पर शुद्धि (√) और अशुद्धि (×) के चिह्न कोष्ठक में अंकित कीजिए—

१–एकलव्य की गुरु भक्ति अपूर्व थी। – सम्बन्ध कारक ( )
२–मैं काम पर जा रहा हूँ। – अधिकरण कारक ( )
३–शीला के लिए खिलौने खरीद लो। – अपादान कारक ( )
४–मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। – करण कारक ( )
५–मैं देश के लिए सब कुछ दे दूँगा। – सम्प्रदान कारक ( )

६. निम्नांकित वाक्यों की पूर्ति शुद्ध कारकों द्वारा कीजिए—

१—मैने..........तुम्हारे लिए पुस्तकें खरीद ली हैं।
२—तुम मुझसे रुपये लेकर किस..........दोगे ?
३—दशरथ की आज्ञा..........पालन राम ने किया।
४—विजय कुर्सी..........बैठा है।
५—शराब पीने..........जीवन बिगड़ता है।

७. निम्नांकित वाक्यों में काले टाइप में छपे हुए कारक चिह्न किस कारक के हैं ?

१—मैं घोड़े पर बैठता हूँ। ( )

२—सुरेश से पुस्तक ले आओ। ( )

३—गरीबों की सहायता करो। ( )

४—मैंने तुम्हारा नाम लिखा था। ( )

५—अरे ! कभी तो सत्य बोलो। ( )

२

पदान्वय

वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सार्थक शब्द को पद कहते हैं। पद के अन्वय अर्थात् विश्लेषण को पदान्वय कहते हैं। दूसरे शब्दों में पद के भेद (प्रकार), लिंग, वचन, काल, कारक सम्बन्धी विवेचन को पदान्वय कहते हैं। पदान्वय के लिए जो अन्य शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं, वे हैं—पद-व्याख्या, पद-परिचय, पद-निर्देश, पदच्छेद आदि। पदान्वय को अंग्रेजी में 'पार्सिंग' (Parsing) कहते हैं।

१. संज्ञा का पदान्वय—संज्ञा के पदान्वय में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं—

१—संज्ञा का प्रकार

१—संज्ञा का लिंग

३—संज्ञा का वचन

४—संज्ञा का कारक

५—संज्ञा का सम्बन्ध-निर्देश अर्थात् संज्ञा का क्रिया एवं अन्य शब्दों से सम्बन्ध।

उदाहरण—१—गाँधी जी ने भारत को स्वतन्त्रता दिलाई।
२—गोपाल बाजार से कपड़ा लाया।
३—अरे महेश, सीमा को रुपये दो।

गाँधी जी—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'दिलाई' क्रिया का कर्त्ता।

भारत—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, सम्प्रदान कारक, 'दिलाई' क्रिया का सम्प्रदान।

स्वतन्त्रता—भाववाचक, संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक, 'दिलाई' क्रिया का कर्म।

गोपाल—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'लाया' क्रिया का कर्त्ता।

बाजार—जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, अपादान कारक, 'लाया' क्रिया का अपादान।

कपड़ा—जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, कर्म कारक, 'लाया' क्रिया का कर्म।

महेश—व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, एकवचन, सम्बोधन कारक, 'अरे' सम्बोधन कारक का चिह्न।

सीमा—व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक, 'दो' क्रिया का कर्म।

रुपये—जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिग, बहुवचन, कर्म कारक, 'दो' क्रिया का कर्म।

२. सर्वनाम का पदान्वय—सर्वनाम के पदान्वय में भी वे सभी बातें बतायी जाती हैं, जो संज्ञा के पदान्वय में बतायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त पुरुष भी बतलाना पड़ता है। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं—

उत्तम, मध्यम, एवं अन्य पुरुष।

उदाहरण—१—उसको अपने कार्यालय से छुट्टी नहीं मिलती।
२—जो परिश्रम करेगा, वह अवश्य सफल होगा।
३—उसको देखो, क्या कर रहा है?
४—वह कौन थी, जिसे तुम पढ़ा रहे थे।

उसको—पुरुष वाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिग (या स्त्रीलिंग), एक-वचन, कर्म कारक, 'मिलती' क्रिया का कर्त्ता होने के कारण कर्त्ता कारक।

अपने—निजवाचक, सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिग (या स्त्रीलिंग), एक-वचन सम्बन्ध कारक, दफ्तर से सम्बन्ध।

जो—सम्बन्धवाचक सर्वनाम, पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'करेगा' क्रिया का कर्त्ता।

वह—पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'होगा' क्रिया का कर्त्ता।

उस—निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिग (या स्त्रीलिंग) एक-वचन, कर्म कारक, 'देखो' क्रिया का कर्म।

वह—पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'थी' क्रिया का कर्त्ता।

कौन—प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, 'वह' का अधिकरण।

जिसे—सम्बन्धवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिग, एकवचन, कर्म कारक, 'पढ़ा रहे थे' क्रिया का कर्म।

तुम—पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ता कारक 'पढ़ा रहे थे' क्रिया का कर्त्ता।

३. विशेषण का पदान्वय—विशेषण के पदान्वय में निम्नांकित बातें बताई जाती हैं—

१—विशेषण का भेद
२—विशेषण का लिंग
३—विशेषण का वचन
४—विशेषण का निरूपण
५—विशेषण की अवस्था

उदाहरण—१—ग्रीष्म ऋतु मे सफेद वस्त्र पहनना चाहिये।
२—नरेश इन किताबों को आधे मूल्य पर देगा।
३—शीला जयपुरी साड़ी पहनती है।
४—उस छात्रा को पांच पुस्तकें दे दो।

सफेद—गुणवाचक विशेषण, पुल्लिग, एकवचन, मूलावस्था, 'वस्त्र' विशेष्य का विशेषण।

इन—संकेतवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, बहुवचन, मूलावस्था, 'किताबों' विशेष्य का विशेषण।

आधे—संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिग, एकवचन, मूलावस्था, 'मूल्य' विशेष्य का विशेषण।

जयपुरी—व्यक्तिवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, मूलावस्था, 'साड़ी' विशेष्य का विशेषण है।

उस—संकेतवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'छात्रा' विशेष्य का विशेषण है।

पाँच—संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, बहुवचन, 'पुस्तकें' विशेष्य का विशेषण है।

४. **क्रिया का पदान्वय**—क्रिया के पदान्वय में निम्नांकित बातें बतानी चाहिए—

१—क्रिया का भेद
२—वाच्य
३—काल
४—लिंग
५—वचन
६—पुरुष
७—कारक तथा सम्बन्ध निर्देश

उदाहरण—१—निर्मला जायेगी और पुस्तकें लायेगी।
२—महेश तेजी से भाग गया।
३—नरेश पुस्तक पढ़ रहा है।
४—मैं तुम्हारा भाई हूँ।
५—उमाकान्त ने मिठाई खाई।

जायेगी—अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, भविष्यत् काल, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'जायेगी' क्रिया का कर्त्ता 'निर्मला' है।

भाग गया—संयुक्त क्रिया, अकर्मक, सामान्य भूतकाल, पुल्लिग, एकवचन, अन्यपुरुष, कर्तृवाच्य, 'भाग गया' क्रिया का कर्ता 'महेश' है।

पढ़ रहा है—सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, अपूर्ण वर्तमान काल, पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष, 'पढ़ रहा है' क्रिया का कर्त्ता 'नरेश' और कर्म पुस्तक' है।

हूँ—सकर्मक क्रिया या सहायक क्रिया, कर्तृवाच्य, सामान्य वर्तमान काल, पुल्लिग, एकवचन, उत्तम पुरुष, 'हूँ' क्रिया का कर्त्ता 'मैं' है।

खाई—सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, सामान्य भूतकाल, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एकवचन 'खाई' क्रिया का कर्त्ता उमाकान्त' और कर्म मिठाई' है।

५. क्रिया विशेषण का पदान्वय—क्रिया विशेषण के पदान्वय में केवल दो बातें बतानी आवश्यक हैं—

१—क्रिया विशेषण का प्रकार और

२—क्रिया से सम्बन्ध।

उदाहरण १—यूसुफ तेज दौड़ता है।

२—हमीदा स्कूल नहीं जायेगी।

३—जसविन्दर कहाँ गया है?

४—कृष्णन् धीरे चलो।

५—विमला अभी आयेगी।

६—बालको! शोरगुल मत करो।

तेज—रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ता है' क्रिया की विशेषता बताता है।

नहीं—निषेधवाचक क्रिया विशेषण 'जायेगी' क्रिया से सम्बन्ध।

कहाँ—स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 'गया है' क्रिया से सम्बन्ध।

धीरे—रीतिवाचक क्रिया विशेषण, 'चलो' की विशेषता बताता है।

अभी—कालवाचक क्रिया विशेषण, 'आयेगी' क्रिया से सम्बन्ध।

मत—रीतिवाचक या निषेधावाचक क्रिया विशेषण, 'करो' क्रिया से सम्बन्ध।

६. अन्य अव्यय शब्दों का पदान्वय—क्रिया विशेषण भी अव्यय ही है। क्रिया विशेषण के अतिरिक्त अन्य अव्यय शब्दों के पदान्वय में भी अव्यय का भेद तथा सम्बन्ध निर्देश किया जाता है।

५. निम्नांकित वाक्य के सर्वनाम पदों के पदान्वय में जो बातें कही गयी हैं, उनमे सही पर (✓) और गलत पर (✗) का चिह्न लगाओ–

अरे तुम को किससे काम है ?

१–तुम–पुरुषवाचक सर्वनाम है। ( )
तुम–अन्य पुरुष है।
तुम–स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों हैं। ( )
तुम–सम्बोधन कारक है। ( )
तुम–एकवचन है। ( )
२–किस–प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ( )
किस–स्त्रीलिंग है। ( )
किस–बहुवचन है। ( )
किस–अपादान कारक है। ( )

६. निम्नांकित वाक्यों में काले टाइप वाले विशेषण शब्दों का पदान्वय कीजिए—

(क) काले जूते पहन कर ही वह पाँच मील दौड़ेगा।
(ख) उसके चारों भाई चीनी भाषा सीख गये हैं।
(ग) तुम्हारे बेडोल शरीर को देखकर हँसी आती है।
(घ) मैं थोड़े से आम लेकर इस मकान पर चला जाऊँगा।

७. निम्नांकित वाक्य के विशेषण-पदों के पदान्वय से सम्बन्धित जो बातें कही गयी हैं उनमें जो शुद्ध हैं, उन पर (✓) और जो अशुद्ध हैं; उन पर अशुद्ध का (✗) चिह्न लगाइए—

इस लड़के को अमृतसरी शाल बहुत पसन्द है।

१–इस–संकेतवाचक विशेषण है। ( )
इस–एकवचन है। ( )
इस–स्त्रीलिंग है। ( )
इस–लड़के का विशेषण है। ( )
२–अमृतसरी–गुणवाचक विशेषण है। ( )
अमृतसरी–व्यक्तिवाचक विशेषण है। ( )
अमृतसरी–एकवचन है। ( )

अमृतसरी—पुल्लिंग है। ( )
अमृतसरी—लड़के का विशेषण है। ( )
३—बहुत—संख्यावाचक विशेषण है। ( )
बहुत—परिमाणवाचक विशेषण है। ( )
बहुत—गुणवाचक विशेषण है। ( )
बहुत—संकेतवाचक विशेषण है। ( )

८. नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया-पदों का पदान्वय कीजिए—
(क) यह पुस्तक तो मैं पढ़ चुका हूँ।
(ख) प्रकाश पाँच मीटर की दौड़ दौड़ा है।
(ग) तुमने उसका सब हथिया लिया है।
(घ) भारतीय सेनाओं ने भयंकर लड़ाई लड़ी।

९. नीचे लिखे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया-पदों के पदान्वय से सम्बन्धित जो बातें शुद्ध हैं, उनके आगे कोष्ठक में (√) तथा जो अशुद्ध हैं, उनके आगे (×) का चिह्न लगायें—
कृपया अच्छा व्यवहार कीजिए वरना कष्ट होगा।
(क) व्यवहार कीजिए—अकर्मक क्रिया है। ( )
व्यवहार कीजिए—सकर्मक क्रिया है। ( )
व्यवहार कीजिए—संयुक्त अकर्मक क्रिया है। ( )
व्यवहार कीजिए—कर्तृवाच्य है। ( )
व्यवहार कीजिए—कर्मवाच्य है। ( )
व्यवहार कीजिए—भाववाच्य है। ( )
व्यवहार कीजिए—वर्तमान काल है। ( )
व्यवहार कीजिए—अपूर्ण वर्तमान काल है। ( )
व्यवहार कीजिए—संदिग्ध वर्तमान काल है। ( )
व्यवहार कीजिए—एकवचन है। ( )
व्यवहार कीजिए—बहुवचन है। ( )
(ख) कष्ट होगा—सकर्मक क्रिया है। ( )
कष्ट होगा—अकर्मक क्रिया है। ( )

कष्ट होगा—भविष्यत् काल है । ( )
कष्ट होगा—सम्भाव्य भविष्यत् काल है । ( )
कष्ट होगा—कर्मवाच्य है । ( )
कष्ट होगा—भाववाच्य है । ( )
कष्ट होगा—कर्तृवाच्य है । ( )
कष्ट होगा—मध्यम पुरुष है । ( )
कष्ट होगा—पुल्लिंग है । ( )
कष्ट होगा—एकवचन है । ( )

१०. निम्नांकित वाक्यों में काले टाइप वाले अव्यय पदों का पदान्वय कीजिए—

(क) शीला और सुषमा अभी यहाँ आयेंगी ।
(ख) अरे ! तुम इस बार भी पास नहीं हुए ।
(ग) धीरे-धीरे चलकर तुम पहाड़ पर नहीं पहुँच सकते ।
(घ) जैसा करोगे, वैसा भरोगे ।

११. निम्नांकित वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों के पदान्वय से सम्बन्धित बातों में जो शुद्ध हैं, उन पर सही (√) और जो अशुद्ध हैं, उन पर अशुद्धि (×) का चिह्न लगाइए—

मास्टरजी अभी आयेंगे, बालकों शोर मत करो और चुपचाप बैठ जाओ ।

(क) अभी—रीतिवाचक क्रिया विशेषण है । ( )
कालवाचक क्रिया विशेषण है । ( )
स्थानवाचक क्रिया विशेषण है । ( )
(ख) मत—रीतिवाचक क्रिया विशेषण है । ( )
निषेधवाचक क्रिया विशेषण है । ( )
(ग) चुपचाप—परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है । ( )
रीतिवाचक क्रिया विशेषण है । ( )
निषेधवाचक क्रिया विशेषण है । ( )

१२. निम्नांकित वाक्यों में काले टाइप में छपे अव्यय शब्दों से सम्बन्धित कथनों में जो सही हैं, उन पर शुद्धि (√) का और जो गलत है, उस पर अशुद्धि (×) का चिह्न अंकित कीजिए—

अरे ! तुम्हारे व्यवहार से दुःखी होकर ही वह चला गया था और सुना है इसीलिए वह तुम्हें पत्र भी नहीं डालता है।

(क) अरे— विस्मयादिबोधक/सम्बन्धबोधक/समुच्चयबोधक अव्यय है।
(ख) और—समुच्चयबोधक/विस्मयादिबोधक/सम्बन्धबोधक अव्यय है।
(ग) ही—सम्बन्धबोधक/समुच्चयबोधक/विस्मयादिबोधक अव्यय है।
(घ) इसीलिए-समुच्चयबोधक/सम्बन्धबोधक/विस्मयादिबोधक अव्यय है।
(ङ) नहीं—विस्मयादिबोधक/समुच्चयबोधक/सम्बन्धबोधक अव्यय है।

३

शब्द-रचना

शब्द-रचना का अर्थ है—शब्दों का निर्माण। शब्द-रचना की अनेक पद्धतियाँ हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

१. व्युत्पत्ति पद्धति—हिन्दी में बहुत से 'मूल शब्द' हैं। इन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नये शब्द बनाये जाते हैं। शब्द-रचना के इस तरीके को व्युत्पत्ति पद्धति कहते हैं। जैसे—'हार' एक शब्द है। यह 'हृ' धातु से बना है। 'हृ' का अर्थ है—हरण करना। 'हृ' धातु के आगे कृदन्त प्रत्यय 'घञ्' जोड़कर हार शब्द बनता है। यहाँ स्मरणीय है कि किसी धातु के

दुस्	बुरा, कठिन, दुष्ट	दुस्साहस, दु:सह, दुष्कर, दुष्कर्म, दुश्चरित्र ।
नि	रहित, बिना, अधिकता	निगम, निबन्ध, निपुण, निदान, निपात, निवारण, निरोध, निडर, निपट ।
निर्	निषेध, विपरीत, रहित	निर्जल, निर्मम, निर्णय, निराकार, निर्भय, निर्दोष, निर्गुण ।
निस्	रहित, विपरीत अच्छी तरह	निश्चल, निश्चय, निस्तार, निस्सार, निस्संकोच, निस्संदेह ।
परा	उल्टा, पीछे, तिरस्कार	पराजय, परामर्श, पराकाष्ठा, पराक्रम, परास्त, पराजित, पराधीन, पराभव ।
परि	पूर्ण, आसपास चारों ओर	परिवर्तन, परिणाम, परिक्रमा, परिपूर्ण, पराजित, परिवेश, परिश्रम ।
प्रति	सामने, उल्टा, प्रत्येक	प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिनिधि, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष ।
प्र	आगे, अधिक, उत्कृष्ट	प्रकार, प्रथम, प्रबल, प्रस्थान, प्रचार, प्रभु, प्रभाव, प्रमाण, प्रवेश, प्रहार ।
वि	भिन्न, विशेष, अभाव	वियोग, विशेष, विकार, विभाग, विराम, विनाश, विशेष, विलास, विकल्प, विज्ञान ।
सम्	सम्पूर्ण, उत्तम, साथ	सम्मुख, समन्वय संहार, सम्मान, संतोष, समाचार, सहार, संयोग ।
सु	अच्छा, अधिक, श्रेष्ठ	सुगन्ध, सुयोग, सुयश, सुशिक्षित, सुमन, सुगम, सुपुत्र, सुशील, सुजान ।
कु	बुरा, निकृष्ट, निम्न	कुकर्म, कुपुत्र कुमार्ग, कुचाल ।

इनके अतिरिक्त संस्कृत के कुछ अव्यय भी उपसर्गों की भाँति प्रयुक्त होते हैं । जैसे—

अधः	नीचे, हीन	अधःपतन, अधोलिखित ।
अलम्	सुन्दर, बहुत	अलंकार, अलंकृत ।

अन्तर्	अन्दर	अन्तर्गत, अन्तरात्मा, अन्तर्धान ।
इति	अन्त, ऐसा	इतिश्री, इतिवृत्त ।
का	बुरा	कापुरुष ।
चिर	अधिक	चिरकाल, चिरन्तन, चिरंजीव ।
प्राक्	पहले	प्राक्कथन, प्राक्तन ।
पुरस्	आगे	पुरस्कार, पुरश्चरण ।
पुरा	पहले	पुरातत्व, पुरातन, पुनराख्यान, पुरावृत्त ।
पुनर्	फिर	पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरागमन ।
तिरस्	तुच्छ	तिरोहित, तिरस्कार ।
न	अभाव	नकुल, नपुंसक, नास्तिक, अनन्त ।
स	सहित	सकल, सफल, सजीव, सबल ।
सह	साथ	सहपाठी, सहचर, सहकर्मी, सहवर्ती ।
स्व	अपना	स्वगत, स्वदेश, स्वर्जन, स्वतन्त्र ।

हिन्दी के उपसर्ग

अ	अभाव, निषेध	अचेत, अथाह, अमोल, अजान, अपढ, अलग ।
अन	अभाव, निषेध	अनपढ, अनजान, अनबन, अनमोल, अनमेल ।
अध	आधा	अधमरा, अधपका, अधजला, अधकचरा ।
उन	एक कम	उन्नीस, उनतीस, उनचास, उनसठ ।
औ	हीन, निषेध	औगुन, औवढ़, औघट, औसर ।
क, कु	बुरा	कपूत, कुटेव, कुचाल ।
चौ	चार	चौराहा, चौपट, चौमासा, चौपाल ।
पच	पांच	पचमेल, पचरंगा ।
पर	दूसरा	परकाज, परकोटा, परमार्थ, परदेश ।
भर	पूरा	भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक ।
बिन	रहित, निषेध	बिन-ब्याहा, बिनखाया, बिनबोया बिनमांगा ।

ति	तीन	तिराहा, तिकोन, तिरछा, तिरंगा, तिपाई ।
दु	बुरा, दो	दुबला, दुरंगा, दुमांत, दुनाली, दुपाया, दुराहा ।
नि	अभाव	निर, निकम्मा, निहत्था, निपूत, निठल्ला ।
स	सहित	सपूत, सजग, सकाम ।

विदेशी उपसर्ग

उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के बहुत से शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं। इसी प्रकार उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्ग भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं उनमें से कतिपय इस प्रकार हैं—

उर्दू के उपसर्ग—

कम	थोड़ा, हीन	कमजोर, कम-कीमत, कम-अक्ल ।
हर	प्रत्येक	हरदम, हररोज, हरबात, हरचीज ।
ना	अभाव	नाराज, नादान, नापसंद, नाचीज ।
बद	बुरा	बदनाम, बदहजमी, बदचलन, बदबू ।
ला	बिना	लाचार, लापता, लाजवाब, लाइलाज ।
बा	साथ	बाकायदा, बाइज्जत, बामुलाहजा ।
बे	बिना	बेहिसाब, बेमिसाल, बेअकल, बेहाल ।
हम	समान	हमराह, हमदम, हमदर्द, हमउम्र, हमसफर

अंग्रेजी उपसर्ग—

सब	छोटा	सब रजिस्ट्रार, सब इन्सपेक्टर ।
हेड	प्रमुख	हेडमास्टर, हेडआफिस, हेडकांस्टेबिल ।
एक्स	मुक्त	एक्सप्रेस, एक्स प्रिंसिपल, एक्स कमिश्नर ।

टिप्पणी—यह आवश्यक नहीं है कि एक शब्द के साथ एक ही उपसर्ग जुड़े। कभी-कभी एक ही शब्द के साथ दो या तीन उपसर्ग भी एक साथ लग जाते हैं। जैसे—

समालोचन=सम्+आ+लोचन
निराकरण=निर्+आ+करण
प्रत्युपकार=प्रति+उप+कार

अभ्यास

१. 'उपसर्ग' वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के.................................. लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। उपर्युक्त रिक्त स्थान की निम्नांकित में से सही शब्द द्वारा पूर्ति कीजिए—

(क) मध्य मे (ख) अन्त में (ग) पूर्व में
(घ) साथ मे (ङ) शून्य में ( )

२. 'अन्त' शब्द में 'अति' उपसर्ग लगाने से कौनसा शब्द बनेगा ?

(क) अत्यन्त (ख) अतअन्त (ग) अत्यन्त
(घ) अती अन्त (ङ) अति अन्त ( )

३. 'जन' शब्द में 'सत्' उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनेगा ?

(क) सुजान (ख) सत्जन (ग) सद्जन
(घ) सज्जन (ङ) सत्‌जन ( )

४. निम्नांकित शब्दों में जिन उपसर्गों का योग हुआ है, उन्हें कोष्ठक में लिखिये—

१—निर्जन (निर्) ६—कुचाल ( )
२—अत्यन्त ( ) ७—लाचार ( )
३—अभ्यास ( ) ८—संगम ( )
४—प्रस्थान ( ) ९—अलंकार ( )
५—सम्मान ( ) १०—उत्साह ( )

५. नीचे लिखे उपसर्गों में से प्रत्येक के योग से चार शब्द बनाकर सामने लिखिये—

१—अनु=अनुसार, अनुशासन, अनुकरण, अनुग्रह।
२—अप= ३—अव=

४—उत्=
५—प्र=
६—सम्=
७—वि=
८—कम=
९—वा=
१०—भर=

६. निम्नलिखित शब्दों मे प्रयुक्त उपसर्ग उनके सामने लिखे हुए हैं। इनमें से जो सही हैं, उनके सामने (√) का और जो गलत हैं, उनके सामने (×) का चिह्न अंकित कीजिए—

१—प्रतिदिन —प्रति ( )
२—प्रस्थान —प्र ( )
३—अत्यन्त —अभि ( )
४—प्रथम —प्रति ( )
५—पराजय —परि ( )
६—दुर्दशा —दुस् ( )

७. (क) 'संहार' का अर्थ है—'नाश'। नीचे लिखे उपसर्गों में से कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ सारांश हो जायेगा—
अप, उप, दुर्, निस्, उत् ( )

(ख) 'क्रम' शब्द का अर्थ है—'शुरू से'। कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ 'वीरता' हो जायेगा—
उत्, अ, वि, उप, प्र ( )

(ग) 'मान' शब्द का अर्थ है—'इज्जत'। कौनसा उपसर्ग लगाने से से उसका अर्थ 'घमण्ड' हो जायेगा—
अप, अधि, अभि, सम्, अनु ( )

(घ) 'हार' शब्द का अर्थ है—'पराजय'। कौन सा उपसर्ग जुड़ने से उसका अर्थ 'भोजन' हो जायेगा—
प्र, उप, आ, वि, सम् ( )

२. प्रत्यय

वे शब्दांश जो शब्दों के अन्त में जुड़ कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, प्रत्यय कहलाते है। जैसे—लड़का, रंग, डिब्बा, गुड़

आदि शब्दों में क्रमशः पन, ईला, इया, त्व नामक प्रत्यय जोड़ने से लड़कपन रंगीला, डिबिया, गुरुत्व आदि शब्द बनते है ।

१. संस्कृत के प्रत्यय—प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं—

(१) **तद्धित प्रत्यय**—जो संज्ञा शब्दों के अन्त मे जुड़ते है, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते है । जैसे—गुरु, कवि, मनुष्य, धर्म आदि शब्दों में क्रमशः त्वा, ता, त्व, इक प्रत्यय लगाने से गुरुत्व, कविता, मनुष्यत्व, धार्मिक शब्द बनते हैं। इन्हें तद्धित शब्द कहते हैं। **तद्धित प्रत्यय** पाँच प्रकार के होते हैं—

(क) भाववाचक तद्धित प्रत्यय—जहाँ कही णित् या ञित् तद्धित प्रत्यय होगा, वहाँ आदि-स्वर की वृद्धि हो जाएगी । जैसे लघु से लाघव आदि ।

त्व—महत्व, गुरुत्व, लघुत्व ।

ता—गुरुता, मनुष्यता, समता, कविता ।

अव—लाघव, गौरव, पाटव ।

इमा—महिमा, गरिमा, अणिमा, लघिमा ।

व—पांडित्य, धैर्य, चातुर्य, माधुर्य ।

(ख) सम्बन्धवाचक तद्धित प्रत्यय—जहाँ कही णित् या ञित् तद्धित प्रत्यय होगा, वहाँ आदि स्वर की वृद्धि हो जाएगी। जैसे शिव से शैव तथा पृथा से पार्थ आदि ।

अ—शैव, वैष्णव, तैल, पार्थिव ।

इक—लौकिक, धार्मिक, वार्षिक, ऐतिहासिक ।

इम—स्वर्णिम, अन्तिम ।

इत—पीड़ित, प्रचलित, दुखित, मोहित ।

इल—जटिल, फेनिल, सलिल ।

ईय—राजकीय, प्रान्तीय, नाटकीय, भवदीय ।

वान्—धनवान्, शक्तिमान्, विद्वान् ।

मान्—बुद्धिमान्, शक्तिमान्, गतिमान्, आयुष्मान् ।

त्य—पाश्चात्य, पौर्वात्य, दाक्षिणात्य ।

एरा —चचेरा, ममेरा, कसेरा, लखेरा।
एड़ी —भगेड़ी, गंजेड़ी।
आरी —लुहारी, सुनारी, मनिहारी।

(४) लघुतावाचक
आ —बबुआ, मटुआ, मनुआ।
ई —रस्सी, टोकरी, कटोरी, ढोलकी।
इया —खटिया, लुटिया, डिबिया, पुड़िया।
ड़ा —मुखड़ा, दुखड़ा, चमड़ा।
औला —खटोला, मझोला।

(५) पूर्णतावाचक
ला —पहला।
रा —दूसरा, तीसरा।
था —चौथा।
वाँ —पाँचवाँ, सातवाँ, नवाँ, दसवाँ।
ठा —छठा।

(६) सादृश्यवाचक
सा —मुझ-सा, तुझ-सा, नीला-सा, चाँद-सा, गुलाब-सा।
हरा —सुनहरा, तिहरा, चौहरा, रुपहरा।

(७) गुणवाचक
आ —भूखा, प्यासा, प्यारा, दुलारा।
ऐला —मटमैला, कसैला, विषैला।
ला —रंगीला, चमकीला।
आऊ —पटाऊ, पंडिताऊ, मामधराऊ।

(८) स्थानवाचक
ई —पंजाबी, गुजराती, मराठी।
इया —अमृतसरिया, जयपुरिया।
आल —ननिहाल, ससुराल।
री —अजमेरी, बीकानेरी।
आना —हरियाना, राजपूताना।

३. विदेशी प्रत्यय—विदेशी प्रययो में उर्दू के प्रत्यय उल्लेखनीय हैं। उर्दू भाषा में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, वे मूलतः अरबी और फारसी भाषाओं के हैं। फिर भी जानकारी के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

खाना	—दवाखाना, छापाखाना, डाकखाना।
वान	—कोचवान, बागवान, दरवान।
बाज	—नशेबाज, दगाबाज, धोखेबाज।
दार	—मालदार, दूकानदार, जमीदार।
दान	—कलमदान, पीकदान, धूपदान।
चा	—गलीचा, बगीचा, चमचा।

अभ्यास

१. निम्नांकित में से किस शब्द का प्रत्यय के बिना निर्माण हुआ है–
(क) धन+वान=धनवान (ख) कोच+वान=कोचवान
(ग) ज्ञान+वान=ज्ञानवान (घ) दी+वान=दीवान
(ङ) पहल+वान=पहलवान ( )

२. निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यययुक्त नही है–
(क) प्रतिष्ठित (ख) अचानक (ग) नीतिक
(घ) आत्मीय (ङ) सराहनीय ( )

३. 'शरीर' शब्द 'इक' प्रत्यय लगाने से निम्नांकित मे से कौन सा शब्द बनेगा ?
(क) शारीरक (ख) शरीरक (ग) शारीरिक
(घ) शरीरिक (ङ) शरीइक ( )

४. 'आई' प्रत्यय के प्रयोग से 'मिठाई', 'रंगाई', 'सफाई' शब्द बने हैं, ऐसे ही पाँच और शब्द बताइये जो 'आई' प्रत्यय के प्रयोग से बने हों।

५. निम्नांकित शब्दों में जो प्रत्यय जुड़े हुए हैं, उन्हें शब्दों के सामने कोष्ठकों में लिखिये–

१–मुखिया	(इया)	५–तृतीया	( )
२–प्यासा	( )	६–पाश्चात्य	( )
३–बुढ़ापा	( )	७–राजकीय	( )
४–सम्पादन	( )	८–पठित	( )

द्वितीया तत्पुरुष—काशीगत—काशी को गत
हस्तगत—हाथ को गत
तृतीया तत्पुरुष—हस्तलिखित—हाथ से लिखित
भावपूर्ण—भाव से पूर्ण
ईश्वर दत्त—ईश्वर द्वारा दत्त
तुलसीकृत—तुलसी द्वारा कृत
चतुर्थी तत्पुरुष—देशभक्ति—देश के लिए भक्ति.
रसोईघर—रसोई के लिए घर
गुरुदक्षिणा—गुरु के लिए दक्षिणा
हवन-सामग्री—हवन के लिए सामग्री
पंचमी तत्पुरुष—पदच्युत—पद से च्युत
पथभ्रष्ट—पथ से भ्रष्ट
भयभीत—भय से भीत
देशनिकाला—देश से निकाला हुआ
षष्ठी तत्पुरुष—तारापति—तारों का पति
देवदास—देव का दास
सृष्टिकर्ता—सृष्टि का कर्ता
राजपुत्र—राजा का पुत्र
सप्तमी तत्पुरुष—आनन्दमग्न—आनन्द में मग्न
कलाकुशल—कला में कुशल
वनवास—वन में वास
आपबीती—आप पर बीती

अलुक् तत्पुरुष—तत्पुरुष समास में जहाँ विभक्तियों का लोप नहीं होता, उसे अलुक् तत्पुरुष कहते हैं। जैसे—

मनसिज (मनसि+ज) मन में उत्पन्न=कामदेव

(खेचर से+चर) आकाश में उड़ने वाला=पक्षी

३. कर्मधारय समास—इस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। इस समास में विशेष्य और विशेषण अथवा उपमेय और उपमान का मेल होता है। जैसे—नीलकमल, भरपेट, सुपुत्र, महापुरुष, परमसीमा।

४. द्विगु समास—जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे-एकलिंग, द्विवचन, त्रिलोक, चौराहा, पंचवटी, षट्कोण, सप्तर्षि, अष्टसिद्धि, नवरात्र, दोपहर, चौमासा, दुपट्टा, तिपाई आदि।

५. द्वन्द्व समास—जिस समस्त पद में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हों तथा उनके बीच में 'और' शब्द का लोप हो गया हो, तो वहाँ द्वन्द्व समास होता है। जैसे–अन्न-जल, गुरु-चेला, दण्ड-बैठक, जीवन-मरण, बेटा-बेटी, दाल-रोटी, पाप-पुण्य, दिन-रात, थाली-लोटा, गेंद-बल्ला आदि।

६. बहुव्रीहि समास—जहाँ अन्य पद प्रधान होता है अर्थात् समस्त पद के दोनों पदों के शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक तीसरा ही (अर्थात् अन्य) अर्थ प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीही समास होता है। जैसे–दशानन=दश हैं आनन जिसके अर्थात् रावण। यहाँ हम देखते है कि 'दशानन' समस्त पद के दस और आनन दोनों पदों के शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा 'रावण' अर्थ प्रधान है।

समास विग्रह—समस्त पद में प्रयुक्त पदों (शब्दों) को अलग-अलग करके उनके विश्लेषण करने को समास-विग्रह कहते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिये जा रहे है–

दाल-रोटी = दाल और रोटी
त्रिलोचन = तीन हैं लोचन जिसके अर्थात् भगवान् शिव
मुखचन्द्र = मुख रूपी चन्द्र
भयभीत = भय से भीत
लखपति = लाखों का पति
आपबीती = आप पर बीती

अभ्यास

१. निम्नांकित शब्दों में से बहुव्रीही समास का सही उदाहरण कौनसा है?
(क) तिकोना (ख) अनाचार (ग) भरपेट
(घ) पास-पास (ङ) मन्दबुद्धि ( )

२. किस शब्द में अव्ययीभाव समास है?
(क) घर-घर (ख) सीताराम (ग) राजपुत्र
(घ) षट्रस (ङ) यथासमय ( )

३. निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है ?

(क) लब्धप्रतिष्ठित (ख) शिरोमणि कवि (ग) नवरात्र

(घ) निरपराधी (ङ) पिता भक्ति ( )

४. निम्नांकित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है ?

(क) चन्द्रमुख (ख) यथाशक्ति (ग) अष्टमी

(घ) कृष्णार्पण (ङ) माता-पिता ( )

५. नीचे लिखे शब्दों में जो समास है, उनके नाम कोष्ठक में लिखिए–

१–यथा-शक्ति	(अव्ययीभाव)	२–चौराहा	( )
३–पीताम्बर	( )	४–सुखदुख	( )
५–कमलनयन	( )	६-प्रतिवर्ष	( )
७–हितकर	( )	८–मनसिज	( )
९–अकारण	( )	१०–मुँहमाँगा	( )

६. निम्नलिखित शब्दों के सामने तीन समासों के नाम लिखे गये हैं, इनमें जो सही हो, उसे कोष्ठक में लिखिए–

१–दहीवड़ा	=कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीही ।	(कर्मधारय)
२–षडानन	=द्वन्द्व,द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीही ।	( )
३–भेड़-बकरी	=तत्पुरुष, द्वन्द्व, बहुव्रीही ।	( )
४–चौराहा	=द्विगु, कर्मधारय, द्वन्द्व ।	( )
५-दिनरात	=द्विगु, द्वन्द्व, तत्पुरुष ।	( )

७. नीचे लिखे 'शब्द समूह' के आधार पर समस्त-पद बनाओ और समस्त-पद के अनुसार समास का नाम भी लिखो–

१–पाँच है आनन	—पंचानन	—द्विगु समास
२–शक्ति के अनुसार	—	—
३ पथ से भ्रष्ट	—	—
४ दण्ड और बैठक	—	—
५ आप पर बीती	—	—
६ भरा हुआ पेट	—	—
७ कमल रूपी चरण	—	—

८—चक्र है हाथ में जिसके
९—कमल के समान है नेत्र जिसके
१०—जन्म का अन्धा

८. निम्नांकित समस्त पदों का समास-विग्रह कीजिए और बताइये कि समस्त-पद मे कौनसा समास है ?

समस्त पद	विग्रह	समास
१—जलवायु	जल और वायु	
२—शरणागत		
३—हस्तगत		
४—चतुरानन		
५—आजीवन		
६—लम्बोदर		

४. सन्धि

'सन्धि' का अर्थ है मिलन । व्याकरण में दो या दो से अधिक ध्वनियों (वर्णों या अक्षरों) के मेल को सन्धि कहते हैं। परस्पर मिलने वाले वर्ण स्वर, व्यंजन या विसर्ग होते है । अतः 'सन्धि' तीन प्रकार की होती है

(अ) स्वर सन्धि—दो स्वरों के परस्पर योग को स्वर सन्धि कहते हैं । स्वर सन्धि के पाँच भेद होते हैं—

१. दीर्घ स्वर सन्धि—जब दो समान स्वर मिलते हैं, चाहे वे दोनों ह्रस्व हों या दीर्घ, अथवा एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ, तो उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है । इसी को दीर्घ स्वर सन्धि कहते हैं । जैसे—

अ + अ = आ वेद + अन्त = वेदान्त
अ + आ = आ हिम + आलय = हिमालय
आ + अ = आ विद्या + अर्थी = विद्यार्थी
आ + आ = आ विद्या + आलय = विद्यालय

इ + इ = ई कवि + इन्द्र = कवीन्द्र

इ + ई = ई कपि + ईश = कपीश

ई + इ = ई मही + इन्द्र = महीन्द्र

ई + ई = ई मही + ईश = महीश

उ + उ = ऊ भानु + उदय = भानूदय

उ + ऊ = ऊ कटु + ऊहा = कटूहा

ऊ + उ = ऊ भू + उपरि = भूपरि

ऊ + ऊ = ऊ भू + ऊर्ध्व = भूर्ध्व

२. गुण सन्धि—अ अथवा आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ, नामक स्वर हों तो उनका परिवर्तित रूप क्रमशः ए, ओ तथा अर् हो जाता है। इसी को गुण सन्धि कहते हैं। जैसे—

अ + इ = ए देव + इन्द्र = देवेन्द्र

अ + ई = ए नर + ईश = नरेश

आ + इ = ए महा + इन्द्र = महेन्द्र

आ + ई = ए रमा + ईश = रमेश

अ + उ = ओ वीर + उचित = वीरोचित

आ + उ = ओ महा + उत्सव = महोत्सव

अ + ऊ = ओ नव + ऊढा = नवोढा

अ + ऋ = अर् देव + ऋषि = देवर्षि

आ + ऋ = अर् महा + ऋषि = महर्षि

३. वृद्धि सन्धि—अ अथवा आ के बाद यदि ए, ऐ, ओ, औ, हों तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं। इसे वृद्धि सन्धि कहते हैं। जैसे—

अ + ए = ऐ एक + एक = एकैक

आ + ए = ऐ सदा + एव = सदैव

आ + ऐ = ऐ महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य

अ + ओ = औ जल + ओघ = जलौघ

अ + औ = औ परम + औषधि = परमौषधि

आ+ओ=औ महा+ओज =महौज

आ+औ=औ महा+औपधि =महौपधि

४. **यण् सन्धि**—जब ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ के पश्चात् कोई असमान स्वर आये तो इ के स्थान में य्, उ के स्थान में व् और ऋ के स्थान में र् हो जाता है। इसे यण् सन्धि कहते हैं। जैसे—

इ का य्=यदि + अपि =यद्यपि

ई का य्=देवि + अर्पण =देव्यर्पण

उ का व=सु + आगत =स्वागत

ऊ का व्=वधू + आगम =वध्वागम

ऋ का र्=मातृ + आनन्द =मात्रानन्द

५. **अयादि सन्धि**—ए, ऐ, ओ औ के बाद यदि कोई स्वर हो तो ए का अय्, ऐ का आय्, ओ का अव् और औ का आव् हो जाता है। इसे अयादि सन्धि कहते हैं। जैसे—

ए का अय् =ने + अन =नयन

ऐ का आय्=गै + अक =गायक

ओ का अव् =भो + अन =भवन

औ का आव्=पौ + अक =पावक

(ब) व्यंजन सन्धि—स्वर से व्यंजन और व्यंजन से व्यंजन के योग को व्यंजन सन्धि कहते हैं। इसके अनेक भेद हैं। जैसे—

१. किसी वर्ग (जैसे—कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग) के पहले वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आये तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे—

दिक् + दर्शन = दिग्दर्शन

अच् + अन्त = अजन्त

षट् + दर्शन = षड्दर्शन

जगत् + ईश = जगदीश

अप् + ज = अब्ज

सत् + गुरु = सद्गुरु
सत् + धर्म = सद्धर्म

२. किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का पाँचवाँ वर्ण हो तो पहला या तीसरा वर्ण पाँचवाँ वर्ण अर्थात् आनुनासिक हो जाता है। जैसे—

वाक् + मय = वाङ्मय
षट् + मास = षण्मास
जगत् + नाथ = जगन्नाथ
अप् + मय = अम्मय

३. त् या द् के बाद यदि च या छ हो च्, ज या झ हो तो ज्, ट या ठ हो तो ट्, ड या ढ हो तो ड् और ल हो तो ल् हो जाता है। जैसे—

सत् + चित् + आनन्द = सच्चिदानन्द
शरत् + चन्द्र = शरच्चन्द्र
जगत् + छाया = जगच्छाया
उत् + छिन्न = उच्छिन्न
सत् + जन = सज्जन
विपद् + जाल = विपज्जाल
बृहद् + टीका = बृहट्टीका
उत् + लेख = उल्लेख

४. त् या द् के बाद श हो तो च्छ और त् के बाद ह तो द्ध हो जाता है। जैसे—

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र
उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट
उत् + हार = उद्धार
तत् + हित = तद्धित

५. म् के बाद यदि क से म तक का कोई वर्ण हो तो म् का अनुस्वार अथवा बाद के वर्ण का पाँचवाँ वर्ण हो जाता है। जैसे—

सम् + कल्प = संकल्प अथवा सङ्कल्प

सम्+चार=संचार अथवा सञ्चार
सम्+तोष=संतोष अथवा सन्तोष
सम्+पूर्ण=संपूर्ण अथवा सम्पूर्ण
सम्+बन्ध=संबंध अथवा सम्बन्ध

६. म् के बाद यदि क से म तक के वर्णों को छोड़ कर अन्य कोई व्यंजन हो तो म् का अनुस्वार हो जाता है। जैसे—

सम्+हार=संहार
सम्+वत्=संवत्
सम्+शय=संशय
सम्+योग=संयोग
सम्+क्षेप=संक्षेप
सम्+त्रास=संत्रास
सम्+ज्ञा=संज्ञा

७. किसी भी स्वर के बाद छ आये तो च्छ हो जाता है। जैसे—
आ+छादन=आच्छादन
वृक्ष+छाया=वृक्षच्छाया
परि+छेद=परिच्छेद
अनु+छेद=अनुच्छेद

८. ऋ, र् और ष् के बाद स्वर, कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार, य, व, ह् में से कोई वर्ण यदि बीच में आ जाय तो न का ण हो जाता है। जैसे—
भर्+अन=भरण
राम+अयन=रामायण

९. यदि त् के बाद हलन्त 'स्' हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे—
उत्+स्थान=उत्थान
उत्+स्थित=उत्थित

१०. यदि स से पूर्व अ, आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स, ष में बदल जाता है। जैसे—
नि+सेध=निषेध

वि + सम = विषम

अभि + सेक = अभिषेक

(स) विसर्ग सन्धि—जहाँ विसर्ग (:) का लोप होकर अथवा विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, वहाँ विसर्ग सन्धि होती है। विसर्ग सन्धि सम्बन्धी नियम इस प्रकार हैं—

१. विसर्ग के बाद यदि च या छ आये तो श्, ट या ठ आये तो ष् और त या थ आये तो स् हो जाता है। जैसे—

   निः + चल = निश्चल

   निः + छल = निश्छल

   धनुः + टंकार = धनुष्टंकार

   मनः + ताप = मनस्ताप

   निः + ठुर = निष्ठुर

   निः + तार = निस्तार

२. यदि विसर्ग के पश्चात् श, ष, स हों तो विसर्ग के बाद का ही वर्ण हो जाता है। जैसे—

   दुः + शील = दुश्शील, दुःशील

   दुः + शासन = दुश्शासन, दुःशासन

   निः + संदेह = निस्संदेह, निःसंदेह

३. यदि विसर्ग से पूर्व इ या उ हो और बाद में क, ख, प, फ हों तो विसर्ग को ष् हो जाता है। जैसे—

   निः + कपट = निष्कपट

   दुः + प्रकृति = दुष्प्रकृति

   निः + फल = निष्फल

४. विसर्ग से पूर्व यदि अ, आ से भिन्न कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा, पाँचवाँ वर्ण अथवा य, र, ल, व में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र् हो जाता है। जैसे—

   पुनः + आवृत्ति = पुनरावृत्ति

   निः + गमन = निर्गमन

निः	+	जल	=निर्जल
दुः	+	उपयोग	=दुरुपयोग
निः	+	मम	=निर्मम
निः	+	भय	=निर्भय
निः	+	यात	=निर्यात
निः	+	लेप	=निर्लेप
दुः	+	बल	=दुर्बल

५. यदि विसर्ग से पहले और पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिल कर ओ हो जाते हैं तथा पिछले अंक लोप हो जाता है। जैसे—

यशः	+	अभिलाषी	=यशोऽभिलाषी
यशः	+	अर्थी	=यशोऽर्थी
मनः	+	अनुकूल	=मनोऽनुकूल

६. यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ अक्षर अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो अ सहित विसर्ग (अ) का ओ हो जाता है। जैसे—

मनः	+	हर	=मनोहर
अधः	+	गति	=अधोगति
मनः	+	वेग	=मनोवेग
यशः	+	गान	=यशोगान
मनः	+	योग	=मनोयोग
मनः	+	बल	=मनोबल

७. यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और फिर पास आये हुये स्वरों में सन्धि नहीं होगी। जैसे—

अतः	+	एव	=अत एव
रजः	+	उद्गम	=रज उद्गम
पयः	+	आदि	=पय आदि

अभ्यास

१. निम्नांकित में कौनसा शब्द व्यञ्जन सन्धि से बना है ?
(क) महर्षि (ख) उद्धार (ग) पवन
(घ) प्रत्येक (ङ) महेश ( )

२. विसर्ग सन्धि का उदाहरण कौनसा शब्द है ?
(क) भवन (ख) सन्देश (ग) महाशय
(घ) निश्चल (ङ) सुरेश ( )

३. किस शब्द में वृद्धि सन्धि है ?
(क) रमेश (ख) यद्यपि (ग) अन्वेषण
(घ) सदैव (ङ) महेश ( )

४. 'सदाचार' शब्द का सन्धि विच्छेद क्या है ?
(क) सदा+आचार (ख) सद्+आचार
(ग) सत्+आचार (घ) सद+आचार
(ङ) सत+आचार ( )

५. निम्नलिखित शब्दों में किसका ठीक सन्धि-विच्छेद किया गया है ?
(क) सुरस+इन्द्र (ख) सुर+इन्द्र
(ग) सुरा +इन्द्र (घ) सुरः+इन्द्र
(ङ) सु +रेन्द्र ( )

६. 'उत्तर' और 'अधिकार' शब्दों की सन्धि करने पर निम्नांकित शब्द बनता है–
(क) उतराधिकार (ख) उत्तराधिकार
(ग) उत्तरधिकार (घ) उत्तरअधिकार
(ङ) उत्तधिकार ( )

७. 'सर्वोदय' शब्द का सन्धि-विच्छेद कौनसा है ?
(क) सर्व+दय (ख) सर्वो+दय
(ग) सर्वा+दय (घ) सर्व+उदय
(ङ) सर्व+उदय ( )

८. निम्नांकित शब्दों की सन्धि कीजिये–
१–भानु + उदय =

२—एक + एक =
३—सु + आगत =
४—ने + अन =
५—जगत् + ईश =
६—दुः + बल =

९. नीचे लिखे शब्द जिन शब्दों के योग से बने हैं, उनका निर्देश उनके सामने कोष्ठकों में करो—

१—अतएव (अतः+एव) ८—निस्सन्देह ( )
२—वेदान्त ( ) ९—सङ्कल्प ( )
३—नरेश ( ) १०—भवन ( )
४—सदैव ( ) ११—यद्यपि ( )
५—इत्यादि ( ) १२—महौषध ( )
६—नयन ( ) १३—महर्षि ( )
७—उद्धार ( ) १४—मनोबल ( )

१०. निम्नलिखित शब्दों की सन्धियाँ, उनके सामने लिखी हुई हैं। इनमें से जो शुद्ध हो उन्हें कोष्ठक में लिखो—

१—मही +इन्द्र=महेन्द्र, महीन्द्र, महिन्द्र (महीन्द्र)
२—सदा +एव=सदैव, सदेव, सदाव ( )
३—उत् +लेख=उत्लेख, उल्लेख, उलेख ( )
४—सम् +चार=समाचार, समचार, सञ्चार ( )
५—सम् +त्रास=संत्रास, सन्त्रास, मन्त्रास ( )
६—निः +संदेह=निसन्देह, निस्सन्देह, निर्संदेह ( )
७—मनः +योग=मनयोग, मनस्योग, मन.योग ( )

११. गुण सन्धि में किन वर्णों के मेल से 'अर्' हो जाता है—

(क) अ और र (ख) आ और रि
(ग) आ और ऋ (घ) अ और रि
(ङ) आ और र ( )

४

वाक्य-विश्लेषण

वाक्य की परिभाषा—विशेष क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वास्तव में बोलने या लिखने वाले का पूर्ण अभिप्राय जिस शब्द समूह से प्रकट होता है, वह वाक्य कहलाता है। जैसे—*विद्यार्थी को अनुशासन प्रिय होना चाहिये।*

वाक्य के अंग—वाक्य के दो अंग होते हैं—

१. **उद्देश्य**—वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे—ऊपर लिखे वाक्य में विद्यार्थी को कहा गया है, कि अनुशासन प्रिय होना चाहिये। अतः 'विद्यार्थी को' उद्देश्य है। सामान्यतः उद्देश्य कोई संज्ञा या संज्ञा की तरह प्रयुक्त शब्द होता है। दूसरे शब्दों में वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है।

२. **विधेय**—उद्देश्य (कर्ता) के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। जैसे—ऊपर के वाक्य में 'अनुशासन प्रिय होना चाहिये' वाक्यांश विधेय है, क्योंकि उद्देश्य 'विद्यार्थी को' के सम्बन्ध में यह बात कही गई है।

वाक्य के भेद—रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—

१. **साधारण वाक्य**—जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे—उमाकान्त पढ़ता है। इस वाक्य में 'उमाकान्त' उद्देश्य और 'पढ़ता है' विधेय है।

२. **मिश्र वाक्य**—जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक

वाक्य पर आश्रित एक या अधिक अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे—सीमा उमाकान्त की छोटी बहिन है जो शिशु विहार में पढ़ती है। इस वाक्य में—

सीमा उमाकान्त की छोटी बहिन है—प्रधान उपवाक्य है।

जो शिशु विहार में पढ़ती है—आश्रित उपवाक्य है।

३. **संयुक्त वाक्य**—जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य हों और वे किसी संयोजक अव्यय शब्द द्वारा जुड़े हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे—तुम्हें पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना चाहिए। यहाँ दोनों वाक्य स्वतन्त्र हैं और प्रधान उपवाक्य हैं। इन दोनों उपवाक्यों को 'और' अव्यय शब्द जोड़ता है। अतः यह संयुक्त वाक्य है।

उपवाक्य—जब कोई पूर्ण विचार या अर्थ एक से अधिक वाक्यों में प्रकट होता है, तब उनमें से प्रत्येक वाक्य को उपवाक्य कहते हैं। वस्तुतः उपवाक्य एक प्रकार का ही वाक्य होता है। जैसे—श्रीकृष्ण सुदामा से आदर पूर्वक मिले, गले लगाया, चरण धोये और आसन पर बिठाया। इस उदाहरण में एक पूर्ण विचार को प्रकट करने के लिए अनेक वाक्य प्रयुक्त हुये हैं। किन्तु ये सभी वाक्य एक दूसरे पर अवलम्बित है, अतः उपवाक्य हैं। वैसे उपवाक्य स्वतन्त्र भी होते है। जैसे—'मेरी दृष्टि में सभी समान है, चाहे वह किसी धर्म को मानते हैं।' इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं और दोनों ही स्वतन्त्र है। इस प्रकार उपवाक्य के भी तीन भेद किये जा सकते हैं।

१. **स्वतन्त्र उपवाक्य**—किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी अन्य वाक्य के आश्रित नही होता और अन्य उपवाक्य के समान अधिकार रखता है, उसे स्वतन्त्र उपवाक्य कहते हैं। जैसे—मेरे पिताजी बड़े दयालु थे, उन्हें सबसे प्रेम था।

२. **प्रधान उपवाक्य**—मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। इनमें से जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य और विधेय से बना होता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे—मैंने स्वयं देखा था कि महर्षि जी समाधिस्थ

वाक्य के अन्तर्गत आने वाले उपवाक्यों को अलग-अलग करके उनका सम्बन्ध बताया जाता है। आश्रित उपवाक्यों के भेद (प्रकार) का भी नामकरण किया जाता है।

२. विस्तृत वाक्य विश्लेषण—विस्तृत वाक्य-विश्लेषण में नीचे लिखी बातों का उल्लेख किया जाता है—

(१) उद्देश्य और विधेय का स्पष्ट उल्लेख
(२) कर्त्ता
(३) कर्त्ता का विस्तार
(४) क्रिया
(५) क्रिया का विस्तार
(६) कर्म
(७) कर्म का विस्तार
(८) पूरक और उसका विस्तार

साधारण वाक्यों का विश्लेषण इसी विधि से किया जाता है।

साधारण वाक्यों का वाक्य-विश्लेषण

नीचे कुछ साधारण वाक्य दिये जा रहे हैं और इनका विश्लेषण विस्तृत वाक्य-विश्लेषण विधि द्वारा किया जा रहा है।

१—शैलेश ने साँप को लाठी से मारा।
२—रामधारी सिंह का 'कुरुक्षेत्र' एक महत्वपूर्ण रचना है।
३—भगवान श्रीकृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का पवित्र उपदेश दिया।
४—सीमा ने उसे कल बाजार जाते हुए देखा।
५—दक्षिणी भारत में पटसन कहाँ कहाँ पैदा होता है?
६—दिल्ली का लाल किला एक दर्शनीय वस्तु है।
७—तुम सब कल बीकानेर नगर देखने जाओगे।
८—शास्त्री जी भारत के महान् नेता थे।

वाक्य संख्या	उद्देश्य		विधेय					
	कर्त्ता	कर्त्ता का विस्तार	क्रिया	क्रिया का विस्तार	कर्म	कर्म का विस्तार	पूरक	पूरक का विस्तार
१.	शैलेश ने	—	मारा	लाठी से	साँप को	—	—	—
२.	कुरुक्षेत्र	रामधारी सिंह का	है	—	—	—	एक रचना	महत्त्वपूर्ण
३.	श्री कृष्ण ने	भगवान	दिया	—	अर्जुन को उपदेश	वीर, गीता का	—	—
४.	सीमा ने	—	देखा	कल बाजार में जाते हुए	उसे	—	—	—
५.	पटसन	—	पैदा होता है	दक्षिणी भारत में कहीं-कहीं	—	—	—	—
६.	लाल किला	दिल्ली के	है	—	—	—	एक वस्तु	दर्शनीय
७.	तुम	सब	जाओगे	कल बीकानेर नगर देखने	—	—	—	
८.	शास्त्री जी	—	थे	—	—	—	सपूत	भारत के एक महान्

मिश्र वाक्य का वाक्य-विश्लेषण—मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। अतः मिश्र वाक्य के वाक्य-विश्लेषण में प्रधान उपवाक्य को छाँटकर उसके साथ आश्रित उपवाक्यों का सम्बन्ध निर्देश करना पड़ता है, जैसे—

उदाहरण—१. यदि वे लोग जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्सुक हों, परिश्रमी बनें, तो सामान्यतः कठिनाइयाँ उनके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती हैं।

(क) सामान्य कठिनाइयाँ उनके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती है—प्रधान उपवाक्य।

(ख) यदि वे लोग परिश्रमी बनें—क्रिया विशेषण उपवाक्य। 'क' वाक्य में 'बन सकती है' क्रिया की विशेषता बताता है।

(ग) जो जीवन में ....उत्सुक हों—विशेषण उपवाक्य, 'ख' उपवाक्य की 'लोग' संज्ञा का विशेषण।

उदाहरण—२. गांधीजी ने परतन्त्र भारत में जितने आन्दोलन किये, वे किसी न किसी रूप में देशवासियों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए।

(क) वे किसी न किसी रूप में देशवासियों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए—प्रधान उपवाक्य।

(ख) गांधीजी ने स्वतन्त्र भारत में जितने आन्दोलन किये—विशेषण उपवाक्य।

उदाहरण—३. रविन ने देखा कि महर्षि समाधिस्थ हैं।

(क) रविन ने देखा—प्रधान उपवाक्य।

(ख) महर्षि समाधिस्थ हैं—संज्ञा उपवाक्य। 'देखा' क्रिया का कर्म।

(ग) कि—संयोजक अव्यय शब्द।

संयुक्त वाक्य का वाक्य विश्लेषण—संयुक्त वाक्य के वाक्य-विश्लेषण में सर्वप्रथम प्रधान वाक्य ढूँढा जाता है, उसके बाद समानाधिकरण वाक्यों का निर्देश किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त वाक्य के उपवाक्य परस्पर स्वतन्त्र होने से कारण सभी प्रधान होते हैं।

उदाहरण—१. पुष्पा समझदार है और करीम नासमझ ।
(क) पुष्पा समझदार है—प्रधान उपवाक्य ।
(ख) और करीम नासमझ है—(क) वाक्य का समानाधिकरण उपवाक्य है । अतः संयुक्त वाक्य है ।

उदाहरण—२. हमने केवल यश प्राप्त करने के लिए ही दान नहीं किया वरन् इसलिए कि दूसरों का भला हो सके ।
(क) हमने केवल यश प्राप्त करने के लिए ही दान नही किया —प्रधान उपवाक्य ।
(ख) वरन् इसलिए (दान किया)—(क) वाक्य का समानाधिकरण उपवाक्य ।
(ग) कि दूसरों का भला हो सके—क्रियाविशेषण उपवाक्य है । वाक्य(ख) में 'दान किया' क्रिया का उद्देश्य (विशेषता) बताता है । सम्पूर्ण वाक्य संयुक्त वाक्य है ।

उदाहरण—३. पहले चार दिन तो हसन ने याक़ूब को पास से जाते हुए देखा किन्तु वह जल्दी से चला जाता था, अतः वह उसे रोक नहीं पाया और वह समझा कि कोई और जा रहा होगा ।
(क) पहले चार दिन तो हसन ने याक़ूब को पास जाते हुए देखा—प्रधान उपवाक्य ।
(ख) किन्तु वह जल्दी से चला जाता था—वाक्य (क) विरोध सूचक उपवाक्य ।
(ग) अतः उसे रोक नहीं पाया—वाक्य (ख) का परिणाम-सूचक उपवाक्य ।
(घ) और यह समझा—वाक्य (ग) का समानाधिकरण वाक्य ।
(ङ) कोई और जा रहा होगा—वाक्य (घ) का आश्रित संज्ञा उपवाक्य है ।

मिश्र वाक्य का वाक्य-विश्लेषण—मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। अतः मिश्र वाक्य के वाक्य-विश्लेषण में प्रधान उपवाक्य को छाँटकर उनके साथ आश्रित उपवाक्यों का सम्बन्ध निर्देश करना पड़ता है, जैसे—

उदाहरण—१. यदि वे लोग जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्सुक हों, परिश्रमी बनें, तो सामान्यतः कठिनाइयाँ उनके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती हैं।

(क) सामान्य कठिनाइयाँ उनके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती है—प्रधान उपवाक्य।

(ख) यदि वे लोग परिश्रमी बनें—क्रिया विशेषण उपवाक्य। 'क' वाक्य में 'बन सकती है' क्रिया की विशेषता बताता है।

(ग) जो जीवन में ....उत्सुक हों—विशेषण उपवाक्य, 'ख' उपवाक्य की 'लोग' संज्ञा का विशेषण।

उदाहरण—२. गांधीजी ने परतन्त्र भारत में जितने आन्दोलन किये वे किसी न किसी रूप से देशवासियों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए।

(क) वे किसी न किसी रूप से देशवासियों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए—प्रधान उपवाक्य।

(ख) गांधीजी ने स्वतन्त्र भारत में जितने आन्दोलन किये—विशेषण उपवाक्य।

उदाहरण—३. राकेश ने देखा कि महर्षि समाधिस्थ हैं।

(क) राकेश ने देखा—प्रधान उपवाक्य।

(ख) महर्षि समाधिस्थ हैं— संज्ञा उपवाक्य। 'देखा' क्रिया का कर्म।

(ग) कि—संयोजक अव्यय शब्द।

संयुक्त वाक्य का वाक्य विश्लेषण—संयुक्त वाक्य के वाक्य-विश्लेषण में सर्वप्रथम प्रधान वाक्य ढूँढा जाता है, उसके बाद समानाधिकरण वाक्यों को निर्देश किया जाता है। वैसे यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त वाक्य के उपवाक्य परस्पर स्वतन्त्र होने के कारण सभी प्रधान होते हैं।

उदाहरण—१. पुष्पा समझदार है और करीम नासमझ।

(क) पुष्पा समझदार है—प्रधान उपवाक्य।

(ख) और करीम नासमझ है—(क) वाक्य का समानाधिकरण उपवाक्य है। अतः सयुक्त वाक्य है।

उदाहरण—२ हमने केवल यश प्राप्त करने के लिए ही दान नहीं किया वरन् इसलिए कि दूसरों का भला हो सके।

(क) हमने केवल यश प्राप्त करने के लिए ही दान नहीं किया—प्रधान उपवाक्य।

(ख) वरन् इसलिए (दान किया)—(क) वाक्य का समानाधिकरण उपवाक्य।

(ग) कि दूसरो का भला हो सके—क्रियाविशेषण उपवाक्य है। वाक्य(ख) में 'दान किया' क्रिया का उद्देश्य (विशेषता) बताता है। सम्पूर्ण वाक्य संयुक्त वाक्य है।

उदाहरण—३. पहले चार दिन तो हसन ने याकूब को पास से जाते हुए देखा किन्तु वह जल्दी से चला जाता था, अतः वह उसे रोक नही पाया और वह समझा कि कोई और जा रहा होगा।

(क) पहले चार दिन तो हसन ने याकूब को पास जाते हुए देखा—प्रधान उपवाक्य।

(ख) किन्तु वह जल्दी से चला जाता था—वाक्य (क) विरोध सूचक उपवाक्य।

(ग) अतः उसे रोक नहीं पाया—वाक्य (ख) का परिणाम-सूचक उपवाक्य।

(घ) और यह समझा—वाक्य (ग) का समानाधिकरण वाक्य।

(ङ) कोई और जा रहा होगा—वाक्य (घ) का आश्रित संज्ञा उपवाक्य है।

उदाहरण—४. वे पुस्तकें जो ज्ञानवर्धक के साथ-साथ चरित्रोत्थान करती हैं, श्रेष्ठ मानी जाती हैं, किन्तु वे पुस्तकें जिनसे मानसिक रुग्णता उत्पन्न हो, कदापि पठनीय नहीं हैं।

(क) वे पुस्तकें श्रेष्ठ मानी जाती हैं—प्रधान उपवाक्य।

(ख) जो ज्ञानवर्द्धन के साथ-साथ चरित्रोत्थान करती हैं—विशेषण उपवाक्य, वाक्य (क) में 'पुस्तकें' की विशेषता बताता है।

(ग) किन्तु वे पुस्तकें कदापि पठनीय नहीं हैं—समानाधिकरण उपवाक्य है, उपवाक्य (क) का।

(घ) जिनसे मानसिक रुग्णता उत्पन्न हो—विशेषण उपवाक्य, वाक्य (ग) में 'पुस्तकें' की विशेषता प्रकट करता है।

अभ्यास

१. निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य और विधेय अंशों को पहचान कर अलग-अलग लिखिए—

१—हनीफ और मुमताज पढ़ रहे हैं।
२—सभी विद्यार्थी पुस्तकालय में नयी पुस्तक अवश्य पढ़ते हैं।
३—रजनी ने कल उसे बाजार जाते हुए देखा।
४—देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर दो।
५—परिश्रमी व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है।

उद्देश्य	विधेय
१.	१. ....
२.	२. ....
३.	३. ....

४. .... ४. ....

५. .... ५. ....

२. नीचे साधारण, मिश्र और संयुक्त तीनों प्रकार के वाक्य लिखे हुए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक मे लिखिए कि वह किस प्रकार का है ?

१—सन् १९६९ गांधी शताब्दी वर्ष था। ( )
२—वह ज्ञान जो चरित्रोत्थान नहीं करता, व्यर्थ है। ( )
३—जैसा करोगे वैसा भरोगे। ( )
४—जो बात मैंने तुम्हें कही है, उसे तुम गुप्त ही रखना। ( )
५—रजनी ने शीला ने कहा कि तुम पढ़ो तो मैं तुम्हें गणित पढ़ाऊँ। ( )
६—विद्वान् की पूजा सर्वत्र होती है। ( )
७—वे, जो श्रम नहीं करते, असफलता ही पाते हैं। ( )
८—मैं अभ्यास करूँगा, किन्तु उपकरण तो जुटाओ। ( )
९—सच्चा मित्र वही है, जो संकट के समय काम आये। ( )
१०—तुम पढ़ रहे हो या ऊँघ रहे हो। ( )

३. निम्नलिखित वाक्यों में जो प्रधान उपवाक्य हैं, उन्हें वाक्य के सामने लिखिए—

१—उसने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं ? ....
२—आपके सद्व्यवहार से वे प्रसन्न हो होंगे। ....
३—वह मेरा मित्र है, जिसे कल आपने देखा था। ....
४—तुम्हारी यात्रा सफल हो सकती है,
यदि तुम शुभ मुहूर्त में प्रारम्भ करो। ....
५—कश्मीर का सौन्दर्य देखकर मैं
मुग्ध हो गया था। ....

६—जो लोग झूठ बोलते हैं, उन पर कोई
विश्वास नहीं करता ।..................................

४. 'रमेश, इस पुस्तक को मेज पर रख दो ।' इस वाक्य के विषय में कौनसी उक्ति सत्य है ?

(क) इस वाक्य का कर्त्ता 'रमेश' है ।
(ख) इस वाक्य में कर्त्ता 'पुस्तक' है ।
(ग) इस वाक्य मे कर्त्ता का लोप है ।
(घ) इस वाक्य में कर्म 'मेज' है ।
(ङ) इस वाक्य में कर्म 'रमेश' है । ( )

५. नीचे लिखे वाक्य मे आये हुए आश्रित उपवाक्यों को संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्यों में विभक्त करके लिखिए—

१—महेश ने कहा कि चाचाजी कल आयेंगे ।

२—तुम्हारा यह कथन कि वह झूठ बोलता है, संदेहपूर्ण है ।

३—क्या यह वही गाय है जिसे तुमने दान मे दी थी ?

४—यह गन्ना जिसे मैंने चूसा था, बड़ा मीठा है ।

५—वह बम्बई नहीं जा सकेगा, क्योंकि अभी बहुत दुर्बल है ।

६—यदि ईश्वर ने चाहा तो इस वर्ष वर्षा खूब होगी ।

संज्ञा उपवाक्य	विशेषण उपवाक्य	क्रिया विशेषण उपवाक्य
१—	१—	१—

२— २— २—

३— ३— ३—

४— ४— ४—

५— ५— ५—

६— ६— ६—

६. नीचे लिखे वाक्यों में समानाधिकरण उपवाक्यों को उनके सामने रिक्त स्थान पर लिखिए—

१—महेन्द्र ने पुस्तक पढ़ी और फाड दी ।..............................

२—वह धीरे बोलता है, इसलिए सब लोग सुन नहीं पाते ।..............................

३—तुम चुपचाप बैठे रहो वरना बाहर चले जाओ ।..............................

४—तुम्हें बहुत समझाया पर सब बेकार गया ।..............................

५—नरेश पढ़ रहा था और मैं लिख रहा था ।..............................

६—शीला स्कूल गयी और सीमा घर से आई ।..............................

७—बुरी संगत मत करो वरना पछताओगे ।..............................

८—श्यामू निर्धन है किन्तु है ईमानदार ।..............................

७. नीचे लिखे साधारण वाक्यों का वाक्य-विश्लेपण अगले पृष्ठ पर अंकित चार्ट में भर कर कीजिए—

१—कॉलेज जाते हुए मैंने मार्ग में एक लड़के को रोते हुए देखा ।

२—नरेश कमरे में लैम्प जलाकर पढ रहा था ।

३—तुम पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें ही पढ़ते हो ।

४—हर समय कोई भी मौन नहीं रह सकता ।

५—शीला पुस्तक से पढ़ती है ।

बजे गांधी शताब्दी-समारोह के उपलक्ष में आयोजित, प्रभात फेरी मे सम्मिलित हुआ था ।

(ङ) उद्धरण-चिह्न के पूर्व । जैसे—बापू ने कहा था, "स्थायी शान्ति अहिंसा से ही स्थापित हो सकती है ।"

(च) सम्बोधन प्रकट करने के लिए जैसे—अरे रमेश, तुमने गजब कर दिया । महर्षि ने कहा था कि हे मनुष्य, तू सत्याचरण कर ।

२. अर्द्ध विराम (;)—जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरना हो वहाँ अर्द्ध विराम लगाया जाता है । जैसे—समय बड़ा बलवान है; उसके आगे किसी का वश नहीं चलता । इसके अतिरिक्त कभी-कभी दो वाक्यों के समान अर्थ को अलग-अलग दर्शाने के लिए भी अर्द्ध विराम का प्रयोग किया जाता है । जैसे—चन्द्रोदय हुआ; तारे चमकने लगे; चाँदनी छिटक गई; लोग सोने की तैयारियाँ कर रहे थे और मैं उसी चिन्ता से ग्रस्त था ।

३. पूर्ण विराम (।)—जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे—सरलाजी विदुषी महिला हैं । विद्या और माया दोनों सगी बहिनें हैं ।

४. प्रश्नबोधक चिह्न (?)-इस चिह्न का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अन्त में होता है । जैसे—सीमा किस कक्षा में पढ़ती है ? क्या तुम अलीगढ़ के निवासी हो ?

५. विस्मयबोधक चिह्न (!)-विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिये जो शब्द आते हैं, उनके आगे यह चिह्न लगता है । जैसे—अरे ! तुमने कमाल कर दिया । छिः ! छिः ! तुम्हें ऐसा नीच कर्म नहीं करना चाहिये । पापी ! हत्यारे ! नीच ! [illegible] डांट दूँगा [illegible] आदि ।

६. निर्देशक चिह्न (—)-वार्तालाप म[illegible] के नाम आगे और जहाँ उदाहरण दे[illegible] वहाँ "यथा", [illegible] ों के इसी चिह्न का प्रयोग [illegible] जैसे

(क) महाराज [illegible] !

द्वारपाल—जो आज्ञा स्वामिन् !

(ख) गोपाल—भगवान् उसका भला करे–मेरी तो बड़ी सहायता की।

७. योजक चिह्न (-)—दो शब्दों अथवा शब्द-खण्डों को जोड़ने के लिए इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे–राज-द्वार, माता-पिता, पाप-पुण्य।

८. विवरण चिह्न (:—)—किसी विषय को समझाने या कथन को स्पष्ट करने के लिए इस चिह्न का प्रयोग वाक्य के अन्त मेंप्रायः किया जाता है। जैसे—

(क) संज्ञा तीन प्रकार की होती है:—व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक।

(ख) वेद चार हैं:—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद।

९. कोष्ठक चिह्न ( ), [ ]—किसी पद का अर्थ प्रकट करने अथवा वाक्यांश को पृथक् करने के लिए कोष्ठक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे—

(क) अभ्यास के नैरन्तर्य (लगातार) से विद्यार्थी व्याकरण कभी नहीं भूलता।

(ख) साहित्य साधना का लक्ष्य प्रसिद्ध त्रेत (सत्यं, शिवं, सुन्दरम्) होना चाहिये।

(ग) ज्योतिषी—[हाथ की रेखाएँ देख कर] बेटा ! तुम पर राहु की दशा है।

१०. उद्धरण चिह्न (" ")—जहाँ किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, वहाँ उद्धरण चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे—

(क) डॉक्टर साहब ने कहा था, "यदि परहेज नही करोगे तो बीमारी से कभी छुटकारा नही पा सकते।"

कभी कभी किसी शब्द विशेष को दूसरे शब्द से पृथक् दिखाने के लिये भी उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे—

(ख) मुझे 'केशव' कठिन लगता है। आप 'सूर, तुलसी' में पढ़ाना प्रारम्भ कीजिये।

११. लाघव चिह्न (. , ०)—जो शब्द पर्याप्त प्रसिद्ध हो जाते हैं अथवा जिन्हें बार-बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है, उनका पहला अक्षर लिखकर लाघव चिह्न लगा देते हैं। जैसे—

(क) संवत् = सं०
(ख) दिनांक = दि०
(ग) पंडित = पं०
(घ) मास्टर ऑफ आर्ट्स = एम. ए.
(ङ) मैम्बर ऑफ लैजिस्लेटिव असेम्बली = एम. एल. ए.
(च) प्रजा समाजवादी पार्टी = पी. एस. पी.

१२. लोप चिह्न (......., × × × ×)—जहाँ किसी कथन या वाक्य का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है या लुप्त हो जाता है, वहाँ लोप चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे—

(क) तुम साफ साफ कह दो वरना..................।

(ख) उन्होंने अहिंसा और सत्य को जीवन में अपनाने पर बल दिया। सहिष्णुता के लिए आग्रह किया।.......सादगी भी महत्त्वपूर्ण है, यह उनकी धारणा थी।

(ग) एक ही तो असीम उल्लास।
विश्व में पाता विविधाभास।
× × ×
वही उर उर में प्रेमोच्छ्वास।
काव्य में रस कुसुमों में वास।

विशेष—...............यह चिह्न गद्यांश के लोप तथा × × × × चिह्न का प्रयोग पद्यांश के लोप के लिए किया जाता है।

१३. तुल्यासूचक चिह्न (=) समानता प्रकट करने अथवा मूल्य या अर्थ का बोध कराने के लिए इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे—एक किलो = १००० ग्राम। अनल = अग्नि।

१४. विस्मरण चिह्न (‸)—लिखते समय जब कुछ भूल जाते हैं तो भूले हुए अंश को विस्मरण चिह्न लगाकर लिख दिया जाता है। जैसे—

व्यक्तिगत

(क) मुझे आपसे ‸ परामर्श करना है।

सात

(ख) मैं आपसे प्रातः ‸ बजे मिलूंगा।

१२. संकेत चिह्न (*, *, *) लिखते समय कुछ शब्द ही भूल जायें तो विस्मरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है, किन्तु यदि बहुत बड़ा अंश लिखने में छूट जाय या कुछ और जोड़ना हो, तो संकेत चिह्न लगाकर लिख दिया जाता है। इस चिह्न का कोई निश्चित आकार-प्रकार नहीं है।

अभ्यास

१. नीचे लिखे विरामों के विराम चिह्न उनके आगे कोष्ठक में अंकित कीजिए—

१—अर्द्धविराम (;) ६—विस्मरण चिह्न (‸)
२—उद्धरण चिह्न (‘‘ ’’) ७—निर्देशक चिह्न (—)
३—प्रश्नबोधक चिह्न (?) ८—योजक चिह्न (-)
४—अल्प विराम (,) ९—लाघव चिह्न (॰)
५—लोप चिह्न (------) १०—संकेत चिह्न (**)

२. नीचे कुछ विराम चिह्नों के नाम लिखकर उनके आगे चिह्न अंकित किये गये है। इनमें जो ठीक हैं उनके आगे कोष्ठक में शुद्धि (√) और जो गलत है, उनके आगे अशुद्धि (×) का निशान बनाओ—

१—प्रश्नबोधक चिह्न (!) (×)
२—निर्देशक चिह्न (—) (√)
३—अर्द्धविराम (;) (√)
४—योजक चिह्न (—) (×)
५—विवरण चिह्न (:—) (√)
६—लोप चिह्न (× × × ×) (√)
७.—लाघव चिह्न (,) (×)
८—उद्धरण चिह्न (" ") (√)

९—विस्मयबोधक (?) (×)

१०—पूर्ण विराम (।) (✓)

३. नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठक में उपयुक्त चिह्न चुनकर लगाओ और तब वाक्य को दुबारा चिह्न सहित नीचे लिखो—

१—मैं सायंकाल स्कूल जाऊँगा। (। , ; ?)

२—अरे तुम तो पूरे बुद्धू ही हो! (। , = ; !)

३—नेहरू जी ने कहा था "हमें संगठित होना चाहिये" (? , " " । ;)

४—क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? (; । ! ? ,)

५—वह बोला "मैं कल रात की गाड़ी से जाऊँगा" (: , [ ] । " ")

४. नीचे लिखे वाक्यों में कुछ विराम चिह्नों का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में से अनावश्यक चिह्न हटा कर इन्हें ठीक प्रकार से चिह्नित कीजिए—

१—अरे! मोहन को तो; मैं ही जानता हूँ।

२—[जय जवान जय किसान] शास्त्री जी का नारा था ?

३—मैंने कह दिया था—कि हम नहीं जायेंगे।

४—'कामायनी' जयशङ्कर प्रसाद की रचना है।

५—तुम्हारे आगमन की सूचना से मैं प्रसन्न हूँ।

५. नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिह्नों का प्रयोग कीजिए—

(क) अजी, आप क्या करेंगे। भला कदम तो उठाइये, फिर देखें क्या होता है, बच्चों की सी बातें जिनमें कोई दम नहीं हमें मत सुनाओ।

(ख) बड़े भाई साहब ने कहा—यदि तुम पिताजी के पैरों में पड़ जाओ, तो, शायद वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। ऐसा मेरा विश्वास है।

६

शब्द-भेद

शब्द भाषा की सम्पत्ति होते हैं। किसी भाषा की समृद्धि का परिचय उसके शब्द-भण्डार से ही मिलता है। जिस भाषा का शब्द-भण्डार जितना अधिक विशाल और व्यापक होता है वह भाषा उतनी ही अधिक सम्पन्न और समुन्नत मानी जाती है। इसके अतिरिक्त किसी भाषा की प्राणवंतता और रचना-सामर्थ्य का परिचय भी उसकी शब्दावली से ही मिलता है। भाषा जैसे जैसे विकसित होती है, वैसे-वैसे उसके शब्द भण्डार की वृद्धि होती जाती है। (हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी व्यापक शब्द भण्डार के कारण ही संसार की सम्पन्न भाषाओं में से एक मानी जाती है)। हिन्दी भाषा के शब्द-भण्डार का निर्माण स्वदेशी एवं विदेशी दोनों भाषाओं के शब्दों से हुआ है। स्वदेशी भाषाओं में आर्य-भाषाएँ (जैसे–संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश, बंगला, मराठी, गुजराती, असामी, पंजाबी, उड़िया आदि) और आर्येतर भाषाएँ (जैसे—तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़ आदि) सम्मिलित हैं। विदेशी भाषाओं में फारसी, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषाओं के नाम लिए जा सकते हैं। इस दृष्टि से हिन्दी के सम्पूर्ण शब्द भण्डार को चार भागों में बांटा जा सकता है—

१. तत्सम शब्द—तत्सम का शाब्दिक अर्थ है—उनके (तत्) समान (सम्) अर्थात् संस्कृत के समान। दूसरे शब्दों में तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं, जो संस्कृत के समान हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—सूर्य, मृत्यु, ज्ञान, पुत्र, प्राण, कर्म, कोटि, महात्मा आदि।

२. तद्भव शब्द—तद्भव का अर्थ है—तत् अर्थात् संस्कृत से भव् याने उत्पन्न या विकसित शब्द। दूसरे शब्दों में तद्भव ऐसे शब्द हैं जो बिगड़े हुए रूप से हिन्दी में प्रचलित हैं किन्तु उनका अर्थ मूल शब्दों के समान है। जैसे—

काम (कर्म), कपूत, (कुपुत्र), आग (अग्नि), कबूतर (कपोत), नाच (नृत्य), साँप (सर्प), हाथ (हस्त) आदि।

३. देशज शब्द—वे शब्द जो स्थानीय आधार पर आवश्यकतानुसार गढ़ लिए जाते हैं, या ध्वनि के आधार पर बना दिये जाते हैं, देशज शब्द कहे जाते हैं। इन शब्दों की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ पता नही चलता है। जैसे–पेड़, झगड़ा, कबड्डी, पेट, गड़बड़, धब्बा, थोथा, पगड़ी, घूंट, ठसक, गाड़ी आदि।

४. विदेशी शब्द—विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिसका प्रयोग हिन्दी में होता है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे—इन्जन, कॉफी, डॉक्टर, पुलिस, हॉकी, रेल, लालटेन, सिगरेट, कलेक्टर आदि (अंग्रेजी के)। आदमी, अमीर, आदत, इनाम, तारीख, दुनिया, जहाज, खराब आदि (अरबी के)। आमदनी, गवाह, दवा, नशा, शादी, मुर्दा, बीमार, पलंग, मोजा आदि (फारसी के)। कुली, चाकू, चेचक, दरोगा, तोप आदि (तुर्की के)। लीची (चीनी भाषा का)। मुंदरी (मिस्री भाषा का)। अलमारी, तौलिया, बोतल, बाल्टी आदि (पुर्तगाली भाषा के)।

इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिन्दी के व्यापक शब्द-भण्डार में स्वदेशी-विदेशी अनेक भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। ये शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते होते आज हिन्दी के ही हो गये हैं। हिन्दी की इस पावन शक्ति के कारण उसका शब्द भण्डार इतना अपरिमित और विशाल है। भाषा-ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि हमारे छात्र अपने शब्द-भण्डार की निरन्तर वृद्धि करें और शब्दों के प्रयोगशील रूपों (अर्थात् प्रयोग की दृष्टि से शब्द के नाना रूपों) का परिचय प्राप्त करें। इस अध्याय में अर्थ-भेद की दृष्टि से हिन्दी में प्रयुक्त विविध प्रकार के शब्दों का विवेचन किया जा रहा है। अर्थ-भेद की दृष्टि से शब्दों को निम्नांकित वर्गों में बाँटा जा सकता है।

१—एकार्थ शब्द

२—अनेकार्थ शब्द

३—सम्मोचरित भिन्नार्थक शब्द

४—पर्यायवाची शब्द

५—विलोम शब्द
६—स्थानापन्न शब्द
७—गूढ़ार्थक सख्यावाचक शब्द

१. एकार्थक शब्द

हिन्दी में बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त हैं जो देखने और सुनने में एक से प्रतीत होते हैं, किन्तु उनमें सूक्ष्म अर्थ-भेद रहता है। ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण दिये जा रहे है—

१. आदि (प्रारम्भिक) वेद आर्यो के आदि-ग्रन्थ है।
आरम्भ (शुरू) कृपया इस पुस्तक को आरम्भ से पढ़ो।
२. अस्त्र (हथियार जो फेंक कर मारा जाय) जैसे—बाण, बम्ब।
शस्त्र (जो हाथ में पकड़कर मारा जाय) जैसे—लाठी, तलवार, कृपाण।
३. अति (बहुत अधिक) अतिवृष्टि विनाशकारक होती है।
अधिक (ज्यादा) अच्छा साहित्य अधिक से अधिक पढो।
४. आधि (मानसिक कष्ट) पुत्र अभाव ही उसकी आधि का मूल कारण है।
व्याधि (शारीरिक कष्ट) वह ज्वर जैसी व्याधि से पीड़ित है।
५. अहंकार (स्वयं को कुछ समझना) रावण को शक्ति का अहंकार था।
अभिमान (घमण्ड) मुझे भारतीय होने का अभिमान है।
६. आचार (आचरण) आचार की शुद्धि प्रत्येक के लिए आवश्यक है।
व्यवहार (वर्ताव) तुम्हारे व्यवहार से मैं सन्तुष्ट हूँ।
७. अपराध (सामाजिक नियमों का उल्लंघन) चोरी दण्डनीय अपराध है।
पाप (नैतिक नियमों का उल्लंघन) झूठ बोलना पाप है।
८. आवश्यक (जरूरी) स्वास्थ्य रक्षा के लिए व्यायाम आवश्यक है।
अनिवार्य (जिसके बिना काम न चले) शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है।
९. अनुसंधान (रहस्य का पता लगाना) क्षय रोग के कारणों का अनुसंधान किया गया।
आविष्कार (नई चीज बनाना) विज्ञान द्वारा विद्युत का आविष्कार हुआ।

१०. अर्चना	(केवल बाह्य सत्कार) देवताओं की अर्चना धूप-दीप से की जाती है।
पूजा	(मानसिक और बाह्य सत्कार) महापुरुषों के प्रति श्रद्धा सबसे बड़ी पूजा है।
११. अवस्था	(जीवन का एक भाग) वृद्धावस्था में बहुत कष्ट होता है।
आयु	(सम्पूर्ण जीवन) आशुतोष की आयु पचास वर्ष है।
१२. अन्त	(आख़िरी हिस्सा) मैच के अन्त में जीतने वाली टीम का सम्मान होगा।
इति	(समाप्ति) ईश कृपा से मेरे दुःखों की इति हो गई है।
१३. आलस्य	(सुस्ती) तुम प्रत्येक कार्य को करने में आलस्य करते हो।
प्रमाद	(जानबूझकर भूल करना) मुझ से प्रमादवश अपराध हो गया है।
१४. अमूल्य	(अनिश्चित मूल्य वाली) जीवन ईश्वर की अमूल्य देन है।
बहुमूल्य	(बहुत कीमती) यह बहुमूल्य हीरों का हार है।
१५. अवसाद	(उदासी या खिन्नता) मैच हारने से टीम में अवसाद छा गया।
विषाद	(निराशा,पूर्ण दुःख) पुत्र मरण से गिरीश का जीवन विषाद-पूर्ण हो गया।
१६. आशंका	(दुःखमय कल्पना) आन्ध्र प्रदेश में तूफान की आशंका अब भी बनी हुई है।
शंका	(सन्देह) तुम्हारे पास होने में मुझे शंका है।
१७. अभिवादन	(प्रणाम) रमेश गुरुजी को नित्य अभिवादन करता है।
अभिनन्दन	(प्रसन्नता व्यक्त करना) महात्मा गाँधी का जनता ने अभिनन्दन किया।
१८. आवेदन	(प्रार्थना) अध्यापक पद के लिए मैं आवेदन कर चुका हूँ।
निवेदन	(विनयपूर्वक कथन) मुझे आशा है, आप मेरा निवेदन सुनेंगे।

१६. अभिन्न (एक) अमिताभ और हनीफ अभिन्न मित्र हैं।
विभिन्न (अनेक) मैं विभिन्न पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ता हूँ।
२०. ईर्ष्या (जलन) कन्हैया अकारण ही मुझ से ईर्ष्या करता है।
द्वेष (सकारण शत्रुता) ज्ञानेन्द्र तुम्हारी प्रगति से द्वेष रखता है।
२१. इष्ट (प्रिय) मेरा इष्ट सुखमय जीवन व्यतीत करना है।
लक्ष्य (उद्देश्य) तुम्हारा लक्ष्य ज्ञान-प्राप्ति है या परीक्षा पास करना।
२२. उद्यम (परिश्रम) मनुष्य को सदैव उद्यमशील होना चाहिए।
उद्योग (उपाय) जीविका कमाने के लिए उद्योग करना पड़ता है।
२३. उत्तेजना (आवेश) गाली सुनकर व्यक्ति में उत्तेजना आती है।
प्रोत्साहन (बढ़ावा) परिश्रमी छात्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
२४. कष्ट (शारीरिक दुःख) उसे खाँसी के कारण बड़ा कष्ट होता है।
क्लेश (मानसिक दुःख) नरेश को फेल हो जाने के कारण भयङ्कर क्लेश है।
२५. कृपा (दूसरे के दुःख को दूर करने का प्रयत्न) मुझे पुस्तक देने की कृपा कीजिए।
दया (अनुकपा) मैं आपकी दया से ही पास हो सकता हूँ।
२६. कृतज्ञ (उपकार मानने वाला) आपकी सहायता के लिए मैं आजीवन कृतज्ञ रहूँगा।
आभारी (उपकार के प्रति भाव प्रकट करने वाला) आपकी कृपा के लिए मैं आभारी हूँ।
२७. कारण (फलस्वरूप) आपके कारण ही मेरी जान बच गई।
हेतु (अभिप्राय) मैं आपके दर्शन हेतु उपस्थित हुआ हूँ।
२८. खेद (ग्लानि) मुझे खेद है कि समय से पत्र का उत्तर न दे सका।
शोक (मृत्यु पर दुःख) नेहरू जी के निधन से सारे देश में शोक छा गया।
२९. गौरव (बड़प्पन) हमें भारतीय होने का गौरव प्राप्त है।
घमण्ड (अभिमान) रावण को शक्ति का बड़ा घमण्ड था।

३०. ग्लानि — (मानसिक पश्चाताप) तुम्हें अपने कुकर्म से ग्लानि होनी चाहिए।

लज्जा — (संकोच) वीणा तुमसे बात करने में लज्जा का अनुभव करती है।

३१. दुःख — (कष्ट) रशीद अहमद की नौकरी छूटने से मुझे बड़ा दुःख हुआ है।

शोक — (मृत्यु पर दुःख) बलवीर के निधन पर सबने शोक प्रकट किया।

३२. नमस्ते — (छोटों का बड़ों के लिए अभिवादन) गुरुजी ! नमस्ते।

नमस्कार — (बराबर वाले को अभिवादन) शैलेश जी ! नमस्कार।

३३. निन्दा — (सच्चे दोष का प्रचार) उसकी चरित्रहीनता की सभी निन्दा करते हैं।

अपवाद — (झूठा दोष प्रचार) रजक ने सीताजी के चरित्र पर अपवाद लगाया।

३४. नियम — (रीति) नियमपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।

विधान — (कानून) भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०२ के अनुसार फाँसी दी जाती है।

३५. नागरी — (हिन्दी भाषा की लिपि का नाम) हिन्दी भाषा नागरी लिपि में लिखी जाती है।

हिन्दी — (एक भाषा) हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है।

३६. प्रयत्न — (उपाय) मैं प्रयत्न करने पर भी पहाड़ की चोटी तक न पहुँच सका।

प्रयास — (परिश्रम) डूबते हुए को बचाने के लिए तुम्हारे सब प्रयास निष्फल रहे।

३७. प्रशंसा — (बड़ाई) लालबहादुर जी की सभी प्रशंसा करते हैं।

स्तुति — (यश का बखान) मैं भगवान् शिव की ही स्तुति करता हूँ।

३८. प्रार्थना — (छोटे द्वारा बड़े को कहना) मैंने गुरुजी से प्रार्थना की।

निवेदन (नम्रतापूर्वक कहना) मेरा निवेदन है कि आप कल अवश्य पधारें ।

३९. प्रवचन (धार्मिक उपदेश) मैंने स्वामीजी का गीता पर प्रवचन सुना है ।

भाषण (व्याख्यान) श्रीमती गाँधी के भाषणों का मुख्य विषय बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ।

४०. विश्वास (भरोसा) मुझे आपके वचन पर विश्वास है ।

निश्चय (ठीक या पक्की बात) निश्चय ही आज आँधी आयेगी ।

४१. भय (डर) मुझे अकेले इस कमरे में भय लगता है ।

त्रास (अज्ञात भय) युद्ध का त्रास भयंकर होता है ।

४२. मंत्रणा (गुप्त सलाह करना) प्रधानमन्त्री ने रक्षा के सम्बन्ध में अन्य सहयोगियों से मंत्रणा की ।

परामर्श (सलाह करना) मैंने मैडीकल कॉलेज में प्रवेश के लिए पिताजी से परामर्श किया ।

४३. मुनि (धर्म विचारक साधु) मुनियों के उपदेश धर्म में रुचि उत्पन्न करते हैं ।

ऋषि (वेद मन्त्रों के व्याख्याता) हमारे ऋषियों ने वेदों पर भाष्य लिखे हैं ।

४४. रीति (प्रथा) विवाह एक सामाजिक रीति-रिवाज है ।

नीति (नियम) हमारे देश की विदेश नीति सह-अस्तित्व पर आधारित है ।

४५. श्रद्धा (महापुरुषों के प्रति आदर भाव) मुझे महात्माजी के प्रति अपार श्रद्धा है ।

भक्ति (ईश्वर प्रेम) मैं ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ ।

४६. सेवा (देवता या पूज्य लोगों की सेवा) भगवान की सेवा से वरदान प्राप्त करो ।

शुश्रूषा (रोगी की सेवा) महेश ने रुग्ण पिता की तन-मन से शुश्रूषा की ।

३९. काम —कार्य, कामदेव ।
४०. कला —समय का भाग, अंश, हुनर, सोलहवाँ भाग ।
४१. कंक —कौआ, बगुला, कपट, ब्राह्मण ।
४२. कर्त्ता —करने वाला, स्वामी, प्रथम कारक, ईश्वर ।
४३. कर्म —कार्य, भाग, द्वितीय कारक ।
४४. खग —पशु, हवा, तीर, मन, ग्रह ।
४५. गो —पक्षी, पृथ्वी, वाणी, किरण, नेत्र, वज्र ।
४६. गुरु — आचार्य, भारी, श्रेष्ठ, बड़ा बृहस्पति ।
४७. गुण —रस्सी, गुना, विशेषता, तीन गुण, स्वभाव, हुनर ।
४८. ग्रहण —लेना, पकड़ना, चन्द्र-सूर्य का ग्रसित होना ।
४९. गति —मोक्ष, क्रिया, उपाय, राह, ज्ञान, चाल, दशा ।
५०. घन —बादल, हथौड़ा ।
५१. घट —घड़ा, देह, कम ।
५२. चरण —पाँव, श्लोक का एक अंश ।
५३. चक्र —पहिया, घेरा, चकवा, पक्षी, व्यूह-रचना ।
५४. चपला —बिजली, लक्ष्मी ।
५५. जलज —कमल, मछली, मोती, शंख, चन्द्रमा ।
५६. जलधर —बादल, समुद्र ।
५७. जीवन —प्राण, जीना, जल ।
५८. ज्येष्ठ —सबसे बड़ा, महीने का नाम, पिता का बड़ा भाई ।
५९. तात —पिता, पुत्र, भ्राता, मित्र, प्रिय, सम्प ।
६०. तीर —बाण, नदी का किनारा ।
६१. तम —अन्धकार, तमाल वृक्ष, तमोगुण, राहु ।
६२. तनु —शरीर, तुच्छ, ओर, प्रकृति ।
६३. तपन —अनल, गरम, प्रचण्ड, सूर्य, अगस्त्य, एक नरक ।
६४. ताल —हथेली, तालाब, ताड़-वृक्ष, विशेष नृत्य, ताली ।
६५. तिल —सफेद या काला तिल, शरीर पर एक दाग, टुकड़ा ।
६६. तुरंग —घोड़ा, मन, एक राग ।

६७. तूल —रुई, शहतूत का पेड़, उपमा तृण की नोक, धतूरा ।
६८. तीर्थ —पवित्र धार्मिक स्थान, गुरु, पूज्य, समय एक उपाधि, अग्नि ।
६९. तार —धातु का तार, तारना, नक्षत्र, मोती, चाँदी, विष्णु, पुतली ।
७०. तल —नीचे का भाग, पाताल, सतह, हथेली, तालाब
७१ तत्त्व —सार, ब्रह्म, स्वभाव ।
७२. तन्त्र —ताँत, तार, वस्त्र, सेना, नीति, शासन ।
७३. थाह —गहराई, पता, अनुमान, नदी का तल ।
७४. द्विज —ब्राह्मण, चन्द्रमा, दाँत, पक्षी ।
७५. दल —सेना, पत्ता, हिस्सा ।
७६. द्रव्य —धन, औषधि, सार वस्तु, द्रवित होने वाला पदार्थ ।
७७. दर्शन —देखना, आँख, एकशास्त्र, भेंट ।
७८. दाम —रस्सी, माला, राजनीति का एक अंग ।
७९. दण्ड —अस्त्र, डण्डा, सजा, व्यायाम का प्रकार ।
८०. दक्ष —चतुर, ब्रह्मा का पुत्र, दक्षिण ।
८१. देव —देवता, इन्द्र, राजा, पूज्य, देवदास ।
८२. दिव्य —पवित्र, सुन्दर, चन्दन, आँवला, ।
८३. दम —दमन, क्षण, समय, ताकत, आधार ।
८४. दीर्घ —बड़ा, ऊँचा, लम्बा, ऊँट ।
८५. ध्रुव —एक तारा, अटल, सत्य, नित्य, केन्द्र ।
८६. धात्री —धाय, पृथ्वी, माता ।
८७. धातु —सोना-चाँदी, रस, शब्द का मूल रूप, जड़, इन्द्रिय ।
८८. धी —पुत्री, बुद्धि, भक्ति, कल्पना ।
८९. धर्म —पुण्य, नियम, व्यवहार, शुभ कर्म, यम ।
९०. नाग —हाथी, साँप, पर्वत, बादल, सीमा ।
९१. नाक —नासिका, आकाश, स्वर्ग, मान-मर्यादा ।
९२. नव —नया, नौ ।

९३. नग	—पहाड़, नगीना, संख्या, अचल, सर्प, वृक्ष ।
९४. निशाचर	—राक्षस, उल्लू, चक्रवाक, शृगाल ।
९५. नीलकंठ	—मोर, शिव ।
९६. निगम	—वेद, मार्ग, निश्चय, बाजार ।
९७. पय	—दूध, पानी ।
९८. पद	—चरण, चिह्न, स्थान, छंद ।
९९. पत्र	—पत्ता, चिट्ठी, पंख, पृष्ठ ।
१००. पक्ष	—पखवाड़ा, पंख, तरफ, अंग ।
१०१. प्रत्यक्ष	—विश्वास, ज्ञान, सम्दर्शि ।
१०२. पतंग	—पक्षी, सूर्य, गुड्डी, पारा ।
१०३. पात्र	—बर्तन, उपयुक्त व्यक्ति ।
१०४. पर	—वस्त्र, पर्दा, छत, स्थान ।
१०५. पद्म	—कमल, एक पुराण, एक नक्षत्र, एक प्रकार का आसन ।
१०६. पर्व	—त्योहार, उत्सव, ग्रहण, अध्याय, यज्ञ, समय ।
१०७. पाली	—एक भाषा, पंक्ति, पुल, सीमा, पारी ।
१०८. पुर	—नगर, किला, घर, शरीर, पूर्ण, चरसा ।
१०९. प्रकृति	—स्वभाव, माया, प्रजा स्त्री, आकार-प्रकार ।
११०. प्रसाद	—कृपा, देवता की भेंट, प्रसन्नता, कवि का नाम ।
१११. फल	—परिणाम, तलवार की धार, आम आदि फल, संतान, प्रयोजन ।
११२. बक	—बगुला, ठग, ढोंगी, एक राक्षस, एक ऋषि ।
११३. बल	—शक्ति, सहारा, सिकुड़न, सुख, बलराम, सेना ।
११४. बाल	—बालक, नारियल, जौ की बाल ।
११५. बात	—बातचीत, चर्चा, प्रसंग, उपाय, वस्तु ।
११६. बिन्दु	—शून्य, बूँद, अनुस्वार, चिह्न, नाटक की कथा का भाग ।
११७. भव	—संसार, होना, शिव, जन्म ।
११८. भाव	—भावना, अर्थ, इच्छा, अवस्था, दशा ।
११९. भूत	—अतीतकाल, पंच महा-भूत, प्राणी, जगत्, शिव, भूत-प्रेत ।

१२०. मान —आदर, अभिमान, नाप-तोल, नायिका का रूठना ।
१२१. मुद्रा —सिक्का, मोहर, शारीरिक अंगों की स्थिति ।
१२२. मित्र —दोस्त, सूर्य ।
१२३. मंडल —गोल घेरा, जिला, क्षितिज, चन्द्रमा का बिम्ब ।
१२४. मधु —शहद, शराब, चैत्र मास, दूध, मीठा ।
१२५. मृग —हिरण, कस्तूरी, एक नक्षत्र, चन्द्रमा का कलंक ।
१२६. यंत्र —मशीन, औजार, संगीत, वीणा ।
१२७. यति —योगी,जैन साधू, ब्रह्मचारी, संयम ।
१२८. योग —साधना, हठयोग, वैराग्य, ध्यान, उपाय ।
१२९. रस —कविता का आनन्द, तरल, सार, दूध, अमृत, विष,अर्क ।
१३०. राग —सगीत, विद्या, प्रेम, लाल रंग ।
१३१. रंग —लाल काला रग, रंग-मंच, आनन्द, प्रभाव, प्रेम ।
१३२. रोहित —लाल रंग, खून, कुंकुम, मछली, केसर ।
१३३. लगन —धुन, लौ, प्रेम, मुहूर्त्त ।
१३४. लोक —संसार, मनुष्य, प्रजा, दिशा, तीन लोक ।
१३५. वर —वरदान, दुल्हा, श्रेष्ठ, भेंट, हल्दी ।
१३६. वर्ण —रंग, अक्षर, जाति, रूपरंग, सोना ।
१३७. वास —गन्ध, कपड़ा, रहने का स्थान ।
१३८. विधु —चन्द्रमा, राक्षस, कपूर ।
१३९. वंश —कुल, बाँस, परिवार, बाँसुरी ।
१४०. शिव —शकर, मगल, नीलकण्ठ, पारा, भेद ।
१४१. शकुन —सगुन, पक्षी, पशु ।
१४२. सारंग —मृग, सिंह, मोर, हँस, हाथी, चन्द्रमा, कपूर ।
१४३. सुर —देवता, ध्वनि, पंडित, सूर्य ।
१४४. सोम —चन्द्रमा, सोमरस, सोमवार, पितर, जल, शिव ।
१४५. सरस्वती —शारदा, विद्या, वाणी, एक नदी का नाम ।
१४६. हरि —विष्णु, सर्प, बन्दर, सूर्य, वायु, मेघ ।
१४७. हँस —पक्षी, आत्मा, सोना, कामदेव, सूर्य ।

१४८. हस्त —हाथ, एक नक्षत्र, सूँड, हस्ताक्षर ।
१४९. हेम —सोना, जल, हिम, पाला ।
१५०. क्षेत्र —स्थान, तीर्थ स्थान, शरीर, खेत ।

३. समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द

ऐसे शब्द जो ध्वनि और उच्चारण की दृष्टि से प्रायः समान लगते हैं। किन्तु उनके अर्थ और मूल रूप में अन्तर होता है, उन शब्दों को समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये इस प्रकार हैं—

१. अर्चन (पूजा) शिवजी के अर्चन से मनोरथ सिद्ध होते हैं।
अर्जन (संग्रह) ज्ञान का अर्जन श्रम से होता है।
२. अणु (कण) पदार्थ के अणु में भी शक्ति होती है।
अनु (पीछे) हरीश ने भाई का ही अनुसरण किया।
३. अनल (अग्नि) अनल के भयंकर प्रकोप से फैक्ट्री स्वाहा हो गई।
अनिल (वायु) शीतल अनिल सुखदायक होती है।
४. अविराम (लगातार) कृपया अविराम लिखते रहिये।
अभिराम (सुन्दर)प्रकृति का दृश्य बड़ा अभिराम है।
५. अपेक्षा (आवश्यकता) जीवन-यापन के लिए धन की अपेक्षा सभी करते हैं।
उपेक्षा (ध्यान न देना) मूर्ख विद्यार्थी ने गुरु के आदेश की उपेक्षा की।
६. अंश (हिस्सा) मक्खन में दूध का अंश है।
अंस (कन्धा) वृषभ के अंस पुष्ट होते हैं।
७. अन्त (समाप्ति) मृत्यु जीवन का अन्त है।
अन्त्य (अन्तिम) यह पुस्तक का अन्त्य भाग है।
८. अभिज्ञ (जानकार) विरोचन शर्मा किस भाषा का अभिज्ञ है।
अविज्ञ (मूर्ख) अविज्ञ जन का सर्वत्र अनादर होता है।
९. अवलम्ब (सहारा) मेरा अवलम्ब तो बस ईश्वर ही है।
अविलम्ब (शीघ्र) पत्र का उत्तर अविलम्ब देना चाहिये।

१०. अभय	(निडर) सैनिक को अभय होकर लड़ना चाहिये।
उभय	(दोनों) निर्णय के लिए उभय पक्षों को बुलाओ।
११. अम्बुज	(कमल) मुख की उपमा अम्बुज से प्रायः दी जाती है।
अम्बुद	(बादल) चातक अम्बुद की ओर देख रहा है।
१२. आदि	(प्रारम्भ) तुम्हारी पुस्तक आदि से अन्त तक सुन्दर है।
आदी	(आदत) वह असत्य बोलने का आदी हो गया है।
१३. आकर	(खान) महात्मा गाँधी गुणों के आकर थे।
आकार	(बनावट) इस पुस्तक का आकार डिमाई है।
१४. आमरण	(मृत्यु तक) सरदार दर्शनसिंह फेरूमान ने आमरण अनशन किया।
आभरण	(आभूषण) लज्जा नारी का सर्वोत्तम आभरण है।
१५. अलि	(भौरा) फूल पर अलि मँडराता है।
आली	(सखी) सीमा सुशीला की आली है।
१६. अनिष्ट	(बुरा) किसी का अनिष्ट मत करो।
अनिष्ठ	(निष्ठाहीन) अनिष्ठ व्यक्ति को असफलता ही मिलती है।
१७. अर्घ	(मूल्य) महाकाव्य में महार्घता होती है।
अर्घ्य	(अंजलि) सुहागिन स्त्रियाँ चौथ के चन्द्रमा को अर्घ्य देती हैं।
१८. अरि	(शत्रु) किसी को अपना अरि मत बनाओ।
अरी	(स्त्रीवाचक सम्बोधन) अरी ! शीला तू कहाँ गई थी।
१९. अशक्त	(शक्तिहीन) अशक्त जनों की सहायता करो।
आसक्त	(मोहित) प्रायः लोग बाहरी रूप-रंग पर आसक्त हो जाते हैं।
२०. इति	(समाप्ति) अध्ययन की कभी इति नहीं होती है।
ईति	(दैवी आपत्ति) अकाल रूपी ईति आन्ध्र प्रदेश में व्याप्त है।
२१. उधार	(ऋण) उधार लेना अच्छा नहीं है।
उद्धार	(तारना) भगवान् भक्तों का उद्धार करते हैं।

१४८. हस्त —हाथ, एक नक्षत्र, सूँड, हस्ताक्षर।
१४९. हेम —सोना, जल, हिम, पाला।
१५०. क्षेत्र —स्थान, तीर्थ स्थान, शरीर, खेत।

३. समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द

ऐसे शब्द जो ध्वनि और उच्चारण की दृष्टि से प्रायः समान लगते हैं। किन्तु उनके अर्थ और मूल रूप में अन्तर होता है. उन शब्दों को समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. अर्चन (पूजा) शिवजी के अर्चन से मनोरथ सिद्ध होते हैं।
अर्जन (संग्रह) ज्ञान का अर्जन श्रम से होता है।
२. अणु (कण) पदार्थ के अणु में भी शक्ति होती है।
अनु (पीछे) हरीश ने भाई का ही अनुसरण किया।
३. अनल (अग्नि) अनल के भयंकर प्रकोप से फैक्ट्री स्वाह हो गई।
अनिल (वायु) शीतल अनिल सुखदायक होती है।
४. अविराम (लगातार) कृपया अविराम लिखते रहिये।
अभिराम (सुन्दर)प्रकृति का दृश्य बड़ा अभिराम है।
५. अपेक्षा (आवश्यकता) जीवन-यापन के लिए धन की अपेक्षा सभी करते हैं।
उपेक्षा (ध्यान न देना) मूर्ख विद्यार्थी ने गुरु के आदेश की उपेक्षा की।
६. अंश (हिस्सा) मक्खन में दूध का अंश है।
अंस (कन्धा) वृषभ के अंस पुष्ट होते हैं।
७. अन्त (समाप्ति) मृत्यु जीवन का अन्त है।
अन्त्य (अन्तिम) यह पुस्तक का अन्त्य भाग है।
८. अभिज्ञ (जानकार) विरोचन शर्मा किस भाषा का अभिज्ञ है।
अविज्ञ (मूर्ख) अविज्ञ जन का सर्वत्र अनादर होता है।
९. अवलम्ब (सहारा) मेरा अवलम्ब तो बस ईश्वर ही है।
अविलम्ब (शीघ्र) पत्र का उत्तर अविलम्ब देना चाहिये।

१०. अभय (निडर) सैनिक को अभय होकर लड़ना चाहिये ।
उभय (दोनों) निर्णय के लिए उभय पक्षों को बुलाओ ।

११. अम्बुज (कमल) मुख की उपमा अम्बुज से प्रायः दी जाती है ।
अम्बुद (बादल) चातक अम्बुद की ओर देख रहा है ।

१२. आदि (प्रारम्भ) तुम्हारी पुस्तक आदि से अन्त तक सुन्दर है ।
आदी (आदत) वह असत्य बोलने का आदी हो गया है ।

१३. आकर (खान) महात्मा गाँधी गुणों के आकर थे ।
आकार (बनावट) इस पुस्तक का आकार डिमाई है ।

१४. आमरण (मृत्यु तक) सरदार दर्शनसिंह फेरुमान ने आमरण अनशन किया ।
आभरण (आभूषण) लज्जा नारी का सर्वोत्तम आभरण है ।

१५. अलि (भौरा) फूल पर अलि मँडराता है ।
आली (सखी) सीमा सुशीला की आली है ।

१६. अनिष्ट (बुरा) किसी का अनिष्ट मत करो ।
अनिष्ठ (निष्ठाहीन) अनिष्ठ व्यक्ति को असफलता ही मिलती है ।

१७ अर्घ (मूल्य) महाकाव्य में महार्घता होती है ।
अर्घ्य (अंजलि) सुहागिन स्त्रियाँ चौथ के चन्द्रमा को अर्घ्य देती हैं ।

१८. अरि (शत्रु) किसी को अपना अरि मत बनाओ ।
अरी (स्त्रीवाचक सम्बोधन) अरी ! शीला तू कहाँ गई थी ।

१९. अशक्त (शक्तिहीन) अशक्त जनों की सहायता करो ।
आसक्त (मोहित) प्रायः लोग बाहरी रूप-रंग पर आसक्त हो जाते हैं ।

२०. इति (समाप्ति) अध्ययन की कभी इति नहीं होती है ।
ईति (दैवी आपत्ति) अकाल रूपी ईति आन्ध्र प्रदेश में व्याप्त है ।

२१. उधार (ऋण) उधार लेना अच्छा नहीं है ।
उद्धार (तारना) भगवान् भक्तों का उद्धार करते हैं ।

४६. छत (कमरे का आच्छादन) मेरे मकान की छत साफ-सुथरी है।
क्षत (घायल) उसका शरीर युद्ध में क्षत-विक्षत हो गया।
४७. जरा (थोड़ा) जरा-सा पानी तो पिलाओ।
जरा (बुढ़ापा) जरा अवस्था में खाँसी का रोग प्रायः हो जाता है।
४८. जलज (कमल) पुष्पों में जलज की बराबरी नहीं।
जलद (बादल) जलद कृषि का जीवन है।
४९. डामर (तारकोल) सड़क बनाने में डामर और बजरी काम आती है।
डाबर (गन्दा) पशु तालाब को डाबर बना देते हैं।
५० तरंग (लहर) समुद्र की तरंगों को गिनना असम्भव है।
तुरंग (घोड़ा) अश्वमेध यज्ञ में तुरंग काम में आता है।
५१. तरणि (सूर्य) तरणि-सुता यमुना है।
तरणी (नाव) नदी पार करने का साधन तरणी है।
५२. तर्क (बहस) तर्क शास्त्र का अध्ययन बुद्धिमान करते हैं।
तक्र (छाछ) तक्र दही को बिलोने से बनती है।
५३. दिन (दिवस) आप दिन-रात परिश्रम क्यों करते हैं?
दीन (निर्धन) दीन-हीन की सहायता अवश्य करो।
५४. द्रव (पतला) तेल और दूध दोनों द्रव पदार्थ हैं।
द्रव्य (धन) क्या द्रव्य संचय अवश्य करना चाहिए?
५५. दूत (संदेशवाहक) दूत को स्वामी-भक्त होना चाहिए।
द्यूत (जुआ) दीपावली को लोग द्यूत-क्रीड़ा में संलग्न होते हैं।
५६. दग्ध (जला हुआ) तुम्हारा दग्ध चेहरा देखकर मैं घबरा गया था।
दुग्ध (दूध) दुग्ध-पान से शरीर पुष्ट होता है।
५७. द्विप (हाथी) पशुओं में द्विप विशाल कार्य होता है।
द्वीप (टापू) द्वीपवासी भारतीय भोले-भाले हैं।

५८. दशा (हालत) तुम्हारी दशा कभी तो सुधरेगी।
दिशा (ओर) मैं पश्चिम दिशा में जाऊँगा।

५६. धनी (धनवान) सेठ हरकचन्द नगर का धनीमानी व्यक्ति है।
धणी (पति) राजधानी भाषा मे धणी का अर्थ पति है।

६०. नीड़ (घोंसला) पक्षी नीड़ में निवास करते हैं।
नीर (जल) हँस का नीर-क्षीर विवेक प्रसिद्ध है।

६१. नारी (स्त्री) भारतीय नारी अब प्रगति-पथ पर अग्रसर है।
नाड़ी (नब्ज) वैद्य नाडी देखकर रोग वता देते हैं।

६२. निधन (मृत्यु) नेहरूजी के निधन पर सम्पूर्ण देश दु.खी हुआ।
निर्धन (गरीबी) निर्धन व्यक्ति का जीवन दु:खी रहता है।

६३. निंदा (बुराई) किसी की भी निन्दा मत करो।
निद्रा (नींद) निद्रा में स्वप्न दिखाई देते हैं।

६४. निर्माण (रचना) हमें राष्ट्र निर्माण के कार्यो मे सहयोग देना चाहिए।
निर्वाण (मोक्ष) गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था।

६५. नक्र (मगर) नक्र पुष्कर झील में रहते है।
नर्क (नरक) पापियों को नर्क ही मिलता है।

६६. नम (गीला) आपके वस्त्रो मे अभी तक नमी है।
नमः (नमस्कार) पंडितजी ! नमो नमः।

६७. प्रकार (ढंग) आप किस प्रकार निवन्ध लिखते है।
प्राकार (परकोटा) जयपुर नगर का प्राकार पुराना हो गया है।

६८. प्रसाद (कृपा) भगवान् के प्रसाद की सभी काममा करते हैं।
प्रासाद (भवन) जयपुर के राज-प्रासाद देखने लायक हैं।

६६. पावस (वर्षा) पावस ऋतु मे यातायात रुक जाता है।
पायस (खीर) पायस दूध से बनती है।

७०. पुरुष (मनुष्य) पुरुप को पुरुपार्थ करना चाहिए।
परुष (कठोर) परुष वचन कभी मत वोलो।

७१. पथ (मार्ग) राज-पथ पर आज वहुत भीड़ है।

९७. ह्रद (तालाब) कमल ह्रदों में मिलते हैं।
हृद् (हृदय) मेरी हृत्-तन्त्री के तार झंकृत मत करो।
९८. हास (हँसी) हास-परिहास में सहनशीलता आवश्यक है।
ह्रास (हानि) घमण्ड ने ही रावण का ह्रास किया।

४. पर्यायवाची शब्द

'पर्याय' का अर्थ है—समान और पर्यायवाची शब्द का अर्थ—समानार्थक शब्द। समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे—कमल, जलज, पंकज, वारिज, पद्म, उत्पल, अरविन्द। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, इसलिए ये सभी शब्द 'कमल' के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से भाषा-सौन्दर्य में वृद्धि होती है। सुन्दर व सुसंगठित वाक्य-रचना एवं सशक्त अभिव्यक्ति के लिए पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। एक शब्द के कितने ही पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। नीचे कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची दिये जा रहे हैं—

१. अलि —भ्रमर, मधुप, मधुकर, षट्पद, भौंरा, मिलिन्द।
२. अग्नि —पावक, आग, ज्वाला, वह्नि, हुताशन, अनल।
३. अश्व —घोड़ा, हय, बाजि, तुरंग, घोटक, तुरंगम।
४. आँख —नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग्, अक्षि।
५. असुर —राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीचर।
६. आनन्द —प्रसन्नता, सुख, उल्लास, मोद, आह्लाद।
७. आकाश —गगन, व्योम, अम्बर, शून्य, नभ अन्तरिक्ष।
८. अमृत —सुधा, पीयूस, दिव्य पदार्थ, अमिय।
९. आम —आम्र, रसाल, सहकार।
१०. अध्यापक —शिक्षक, गुरु, पाठक, उपाध्याय, आचार्य।
११. ईश्वर —परमात्मा, प्रभु, जगदीश, भगवान्, परमेश्वर।
१२. इच्छा —अभिलाषा, कामना, मनोरथ, वांछा, स्पृहा।
१३. इन्द्र —देवराज, सुरपति, मघवा, पुरन्दर, शक्र, शचीपति।
१४. कमल —जलज, पंकज, पद्म, उत्पल, सरोज, कञ्ज, नलिन।
१५. कपड़ा —वस्त्र, चीर, अम्बर, पट, वसन, दुकूल।

१६. कामदेव —मन्मथ, मनोज, मार, अनंग मनसिज, कन्दर्प, मदन ।

१७. किरण —रश्मि, कर, अंशु, मयूख, मरीचि, दीधिति ।

१८. कनक —हेम, कंचन, स्वर्ण, हिरण्य, सोना, हाटक ।

१९. कौआ —काक, काग, वायस, करट, परभृत, बलिपुष्ट ।

२०. कष्ट —दु:ख, वेदना, पीड़ा, व्यथा, खेद, क्लेश ।

२१. क्रोध —रोष, रिस, अमर्ष, कोप ।

२२. करुणा —दया, कृपा, अनुकम्पा, अनुग्रह, कारुण्य ।

२३. कल्पवृक्ष —देववृक्ष, सुरतरु, मन्दार, पारिजात ।

२४. केश —बाल, कच, कुन्तल, चिकुर, शिरोरुह ।

२५. खर —तेज, तीक्ष्ण, खरा, स्पष्ट ।

२६. खल —दुष्ट, दुर्जन, धूर्त, कुटिल, नीच, पामर ।

२७. गंगा —भागीरथी, जाह्नवी, देवगंगा, त्रिपथगा, सुरसरि ।

२८. गौ —गाय, गैया, धेनु, सुरभि, माहेयी ।

२९. गर्व —अभिमान, घमण्ड, दर्प, मद, अहंकार ।

३०. गुरु —आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, उपाध्याय ।

३१. गृह —घर, निकेतन, मन्दिर, आवास, आलय, निलय, अयन ।

३२. गणेश —गजवदन, विनायक, गणपति, गजानन, लम्बोदर ।

३३. चन्द्रमा —इन्दु, शशि, विधु, सोम, मयंक, सुधाकर, कलानिधि ।

३४. चाँदनी —चन्द्रिका' ज्योत्स्ना, कौमुदी, उजियारी, कलानिधि ।

३५. चरित्र —आचरण, व्यवहार, आचार, शील, चाल-चलन ।

३६. चरण —पैर, पाद, पग, पद, पाँव ।

३७. चतुर —चालाक, दक्ष, निपुण, प्रवीण, कुशल ।

३८. छल —कपट, धोखा, व्याज, ठगी, शठता ।

३९. जल —नीर, सलिल, तोय पय, वारि, जीवन, उदक, अम्बु ।

४०. जन —मनुष्य, व्यक्ति, मनुज, नर, लोक, लोग ।

४१. जगत् —संसार, विश्व, जगती, जग, भव, दुनिया ।

४२. झण्डा —ध्वज, पताका, निशान, ध्वजा ।

४३. तरु —वृक्ष, पेड़, सरोरुह, विटप, द्रुम ।

९९. हनुमान —वजरंगवली, पवनसुत, महावीर, कपीश, अंजनेय ।
१००. हंस —मराल, कलहंस, चक्रांग, कारंडव ।

५. विलोम शब्द

परस्पर विरोधी अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये इस प्रकार हैं—

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
आदि	अन्त	अशुभ	शुभ
अथ	इति	अधम	उत्तम
अनुकूल	प्रतिकूल	आकर्षण	विकर्षण
अनुग्रह	विग्रह	आस्तिक	नास्तिक
अर्वाचीन	प्राचीन	इष्ट	अनिष्ट
अनुराग	विराग	ईश्वर	अनीश्वर
अग्र	पश्चात्	इहलोक	परलोक
अनुज	अग्रज	उन्नति	अवनति
अति	अल्प	उद्यम	आलस्य
अधिक	न्यून	उत्थान	पतन
अपकार	उपकार	उदार	अनुदार
उष्ण	शीत	जंगम	स्थावर
उद्धत	विनीत	जातीय	विजातीय
ऐश्वर्य	निर्धनता	ज्ञेय	अज्ञेय
ऐक्य	अनैक्य	ज्ञात	अज्ञात
एकान्त	अनेकान्त	तटस्थ	पक्षपाती
कोमल	कठोर	तृष्णा	वितृष्णा
कृतज्ञ	कृतघ्न	तीव्र	मन्थर
कृपण	उदार	तीक्ष्ण	सरल
कुटिल	सरल	थाह	अथाह

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
कृश	स्थूल	दुर्जन	सज्जन
कृष्ण	शुक्ल	दिव्य	अदिव्य
कटु	मधुर	द्वन्द्व	निर्द्वन्द्व
कृत्रिम	स्वाभाविक	दुष्कर	सुकर
कनिष्ठ	ज्येष्ठ	धवल	कृष्ण
खोटा	खरा	नूतन	पुरातन
गुरु	लघु	निन्दा	स्तुति
गौण	मुख्य	निर्गुण	सगुण
ग्राह्य	त्याज्य	नीरस	सरस
गृहस्थ	संन्यासी	निरर्थक	सार्थक
घात	प्रतिघात	प्रत्यक्ष	परोक्ष
घृणा	प्रेम	पराधीन	स्वाधीन
चेतन	जड़	पतन	उत्थान
चपल	गम्भीर	प्रवृत्ति	निवृत्ति
चर	अचर	बन्धन	मोक्ष
चतुर	मूढ़	बद्ध	मुक्त
छिन्न	पूर्ण	भोग	त्याग
जय	पराजय	मलिन	निर्मल
जागरण	निद्रा	मिथ्या	सत्य
ममता	घृणा	सौभाग्य	दुर्भाग्य
योगी	भोगी	संश्लेषण	विश्लेषण
यश	अपयश	संदेह	विश्वास
राग	द्वेष	हर्ष	शोक
ललित	कुरूप	हेय	प्रेय
लघु	दीर्घ	हिंसा	अहिंसा
विधि	निषेध	ह्रस्व	दीर्घ
विलास	तपस्या	होनी	अनहोनी

४९. जो समान आयु का हो —समवयस्क
५०. जो सदा से चला आ रहा हो —सनातन

७. गूढ़ार्थक संख्यावाचक शब्द

हिन्दी के कवियों (विशेषतः प्राचीन कवियों) द्वारा अपनी रचनाओं में संख्यावाचक शब्दों द्वारा गूढ़ार्थ की व्यंजना की जाती है। ऐसे शब्द का मूल अर्थ गौण और संख्यावाचक अर्थ प्रधान रहता है। जैसे—कबीर के काव्य में शून्य, पाँच, तीन आदि शब्दों का प्रयोग क्रमशः आकाश, पंच तत्त्वों और त्रिगुण (सत्, रज, तम) के लिए हुआ है।

नीचे ऐसे शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं—

एक —जीव, ब्रह्म।

दो —पक्ष—कृष्ण और शुक्ल, फल—पाप-पुण्य, विद्या—परा-अपरा,
अयन—उत्तरायन-दक्षिणायन, ब्रह्म के रूप—सगुण-निर्गुण।

तीन —गुण—सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
ताप—दैहिक, दैविक, भौतिक।
देव—ब्रह्मा, विष्णु, महेश।
काल—भूत, वर्तमान, भविष्य।
अवस्था—बाल्य, युवा, वृद्धा।
कारण—उपादान, निमित्त, साधारण।
अग्नि—बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि।
लोक—आकाश, पृथ्वी, पाताल।

चार —दिशा—पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
आश्रम—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास।
युग—सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग।
वेद—ऋग्, यजु, साम, अथर्व।
वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
नीतियाँ—साम, दाम, दण्ड, भेद।
पदार्थ—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
प्रमाण—प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान।

पहर—दिन के—पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायं।
रात्रि के—प्रदोष, निशीथ, त्रियामा, उषा।
नायक—धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशांत।

पांच —ज्ञानेद्रियाँ—आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा।
कर्मेन्द्रियाँ—हाथ, पैर, मुँह, मूत्रेन्द्रिय, मलेन्द्रिय।
तत्त्व—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश।
कोश—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आसन्दमय।
विषय—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध।
बाण—सम्मोहन, उन्माद, स्तंभन, शोषण, तापन।
पंचांग—तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण।
करण—काल, स्वभाव, नियति, पुरुष, कर्म।
मकार—मद्य, मांस, मकर, मैथुन, मुद्रा।
रिपु—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद।

छह— ऋतुएँ—वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त, शिशिर।
दर्शन—वेदान्त, योग, न्याय, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक।
भोजन के रस—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त।
वेदांग—शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण।
विकार—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।

सात— राज्यांग—राजा, मन्त्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना।
ऋषि—अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, कश्यप, यमदग्नि।
स्वर—षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद।
पुरी—अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, द्वारिका।
तल—अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल।
लोक—भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्य,।
रंग—लाल, हरा, पीला, नीला, नारंगी, आसमानी।
वार—रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि।

अभ्यास

१. निम्नलिखित वाक्यों के सामने कोष्ठक से लिखे हुए एकार्थक शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

१—आधुनिक युद्धों में बम्ब जैसे..........का प्रयोग किया जाता है। (अस्त्र-शस्त्र)

२—जनार्दन गुरुजी की सेवा के लिए सदैव....................रहता है। (उद्यत-उद्धत)

३—रावण को अपनी शक्ति पर..........था। (अभिमान-अहंकार)

४—शरीर के लिए भोजन...............है। (आवश्यक-अनिवार्य)

५—असहाय व्यक्ति पर..............करना हमारा कर्त्तव्य है। (कृपा-दया)

६—नरेश को पुत्र मरण के कारण..........हुआ। (अवसाद-विषाद)

७—तुमने झूँठ बोलकर..............किया। (पाप अपराध)

८—परीक्षा मे फेल होने से महेन्द्र को बहुत..............हुआ। (कष्ट-क्लेश)

९—हत्यारे को जज ने..........के अनुसार सजा दी। (नियम-विधान)

१०—महापुरुषों के प्रति मेरे मन में..........भाव है। (भक्ति-श्रद्धा)

२. निम्नलिखित एकार्थक शब्द-युग्मों को इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनका अन्तर और अर्थ-भेद पूर्णतः स्पष्ट हो जाये—
(१) आधि-व्याधि (२) आचार-व्यवहार (३) अन्त-इति (४) आशंका-शंका (५) आवेदन-निवेदन (६) कारण-हेतु (७) प्रयत्न-प्रयास (८) दुःख-शोक (९) भय-त्रास (१०) मुनि-ऋषि।

३. नीचे लिखे वाक्यों मे काले टाइप में छपे अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का अर्थ कोष्ठक में लिखिए—

१—कालीदास के शकुन्तला नाटक का चौथा अंक सुन्दर है। ( )

बालक माता के अंक में खेल रहा है। ( )

२—सेठजी के पास अर्थ की कमी नहीं है। ( )
तुम्हें समझाने का अर्थ तुझे सुधारना था। ( )
३—मेरे गाँव की सीमा का अन्त यहीं है। ( )
उस रोगी का अन्त होने ही वाला समझो। ( )
४—मैं उत्तर और दक्षिण की एकता में विश्वास करता हूँ। ( )
मुझे तुम्हारे ऊटपटांग उत्तर से संतोष नहीं है। ( )
५—उषा का विवाह कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से हुआ था। ( )
मैं उषा काल में टहलने जाता हूँ। ( )
६—वह कनक के बीज खाकर मर गया। ( )
उसने कनक के आभूषण गढ़ाये हैं। ( )
७—जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ( )
बेटी! उसके तो कर्म फूट गये, जो निकम्मा पति मिला। ( )
८—तुम्हारे चारित्रिक गुणों की प्रशंसा सभी करते हैं। ( )
वह गुण को साँप समझकर डर गया। ( )
९—जाड़े में लोग तूल का बहुतायत से उपयोग करते हैं ( )
कवियों ने सीता के मुख को चन्द्र तूल कहा है। ( )
१०—दर्शन ग्रंथो का अध्ययन सहज नहीं है। ( )
आपके दर्शन करके मुझे आपार प्रसन्नता हुई है। ( )

४. निम्नांकित अनेकार्थक शब्दों के विविध अर्थ बताइए—

१—अक्षर : वर्ण, परमात्मा, सत्य, धर्म, आकाश।
२—अयन :
३—इन्द्र :
४—उपसंहार :
५—कर्त्ता :
६—तात :
७—नाग :
८—नीलकण्ठ :
९—रस :
१०—हरि :

५. निम्नांकित वाक्यों में रिक्त स्थानों को उनके सामने कोष्ठक में लिखे हुए समोच्चरित भिन्नार्थक शब्दों में से उपयुक्त शब्द छाँट कर भरिये—

१—जो पत्र आये उनका उत्तर..................देना चाहिए। (अवलम्ब/अविलम्ब)

२—सैनिकों को.............होकर लड़ना चाहिये। (उभय/अभय)

३—आज मैं पुस्तक का..............भाग पढ़ रहा हूँ। (अन्त/अन्त्य)

४—भगवान् भक्तों का..................करते हैं। (उधार/उद्धार)

५—फूल पर.............. मंडरा रहा है। (आली/आलि)

६—'अक्षरों का विद्रोह' श्री रामदेव आचार्य की...............है। (कृती/कृति)

७—लम्बे..................नारी के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। (कुच/कच)

८—तेल और दूध दोनों...............पदार्थ है। (द्रव/द्रव्य)

९—पक्षी ....में निवास करता है। (नीर/नीड)

१०—हमें राष्ट्र..................के कार्यों में भाग लेना चाहिए। (निर्माण/निर्वाण)

६. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

(क) 'अनल-अनिल' शब्द युग्म का अर्थ क्या है—
पानी-हवा, हवा-पानी, पानी-आग, आग-हवा। ( )

(ख) 'अन्त-अन्त्य' शब्द युग्म का अर्थ क्या है—
समाप्त-अन्तिम, समाप्त-इति, अन्तिम-समाप्त, समाप्ति-अन्तिम। ( )

(ग) 'उर-ऊरु' शब्द युग्म का अर्थ है—
जांघ-हृदय, हृदय-जांघ, पेट-जांघ, मन-हृदय। ( )

(घ) 'कीट-कटि' शब्द युग्म का क्या अर्थ है—
कीड़ा-कमर, कमर-कीड़ा, कीड़ा-कमरा, कमरा-कीड़ा। ( )

(ङ) 'जलद-जलद' शब्द युग्म का अर्थ क्या है—
बादल-कमल, कमल-बादल, मोती-कमल, बादल-मोती। ( )

७. निम्नांकित समोच्चरित भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्यो मे इस तरह कीजिये कि उनका अर्थ और अन्तर स्पष्ट हो जाय—
(१) अंश-अंस (२) अणु-अनु (३) कुल-कूल (४) गृह-ग्रह (५) तर्क-तक्र (६) निधन-निर्धन (७) प्रवाह-प्रभाव (८) वसन-व्यसन (९) शम-सम (१०) सुधि-सुधी।

८. बादल का पर्याय कौन सा है ?
(क) हलधर
(ख) अधराधर
(ग) धराधर
(घ) महीधर
(ङ) धाराधर ( )

९. किस समूह मे सभी शब्द 'कामदेव' के पर्यायवाची है—
(क) मन्मथ, मनसिज, त्रिपुर, अनंग।
(ख) कंदर्प, मदन, मनसिज, मारक।
(ग) मदन, मन्मथ, अनंग, कंदर्प।
(घ) मार, त्रिपुर, मन्मथ, अनंग। ( )

१० किस समूह के सभी शब्द 'कमल' के पर्यायवाची हैं—
(क) जलज, तोयद, नीरज, पंकज।
(ख) तोयज, नीरज, जलद, वारिज।
(ग) वारिज, तोयद, पंकज, जलद।
(घ) पंकज, जलज, वारिज, नीरज। ( )

११. किस समूह के सभी शब्द 'नदी' के पर्यायवाची हैं—
(क) सरित्, सरिता, तरी, तरंगिणी।
(ख) सरिता, तटिनी, तरगिणी, स्रोतस्विनी।
(ग) सरित्, तरणी, तरिणी, तरंगिणी।
(घ) शैवालिनी, तरी, सरिता, तरणी। ( )

१२ किस समूह के सभी शब्द 'हाथी' के पर्यायवाची हैं—
(क) करि, करभ, कुञ्जर, गयन्द।
(ख) कुञ्जर, मतङ्ग, द्विप, हस्ती।
(ग) करि, करभ, कुञ्जर, द्विज।
(घ) करि, करभ, मतङ्ग, गयन्द।
(ङ) करि, करभ, द्विज, मतङ्ग। ( )

१३. किस समूह के सभी शब्द 'चन्द्रमा' के पर्यायवाची हैं—
(क) सोम, चन्द्र, भास्कर, चन्द।
(ख) चाँद, शिख, ज्योतिकर, रजनीकर।
(ग) हिमांशु, सुधाकर, मधुकर, हिमकर।
(घ) मयंक, शशि, हिमकर, सुधाकर।
(ङ) शीतकर, शशि, कलाधर, भास्कर। ( )

१४. किस समूह के सभी शब्द 'जल' के पर्यायवाची हैं—
(क) जीवन, क्षीर, तोय, नीर।
(ख) सलिल, नीर, पय, उदक।
(ग) उदक, क्षीर, नीर, पय।
(घ) पय, जीवन, तोय, नीर। ( )

१५. किस समूह के सभी शब्द 'सूर्य' के पर्यायवाची हैं—
(क) दिनकर, रवि, भानु, आदित्य।
(ख) दिवाकर, सोम, मार्तण्ड, सूर।
(ग) दिनकर, निशाकर, दिवाकर, भानु।
(घ) हिमांशु, भानु, सोम, सुधाकर।
(ङ) सुधाकर, दिवाकर, भानु मार्तण्ड। ( )

१६. किस समूह के सभी शब्द 'पृथ्वी' के पर्यायवाची हैं—
(क) भू, भूमि, सुता, वसुन्धरा।
(ख) धरा, अवनी, अचला, धरणी।
(ग) अचला, सुता, भूमि, भू।
(घ) धरणी, धवला, सुता, अवनी। ( )

१७. किस समूह के सभी शब्द 'समुद्र' के पर्यायवाची हैं—
(क) सागर, सिन्धु, रत्नाकर, जलाशय ।
(ख) अर्णव, रत्नाकर, नदीश, प्रभाकर ।
(ग) नदीश, रत्नाकर, सिन्धु, अर्णव ।
(घ) सिन्धु, सागर, प्रभाकर, नदीश । ( )

१८. नीचे लिखे शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं, कोष्ठक में लिखिये—
१—दन्ती, कुञ्जर, नाग, करि । (हाथी)
२—नाग, उरग, व्याल, अहि । ( )
३—अनी, चमू, दल, वाहिनी । ( )
४—केकी, नीलकण्ठ, सारंग, कलापी । ( )
५—गात, विग्रह, कलेवर, वपु । ( )
६—शफरी, पाठीन, मकर, झष । ( )
७—नाराच, विशिख, पत्री, शिलीमुख । ( )
८—उपल, अश्म, पाहन, प्रस्तर । ( )
९—द्विज, शकुन्त, पतंग, खग । ( )
१०—अम्बु, उदक, जीवन, वारि । ( )
११—कच, कुन्तल, चिकुर, शिरोरुह । ( )
१२—मघवा, शक्र, पुरन्दर, देवराज । ( )
१३—उपाध्याय, पाठक, आचार्य, गुरु । ( )
१४—शून्य, नभ, अन्तरिक्ष, अम्बर । ( )
१५—हुतासन, अनल, वह्नि, ज्वाला । ( )

१९. नीचे लिखे शब्दों के आगे कुछ विलोम शब्द लिखे गये हैं । इनमें जो सही हो उसे कोष्ठक में लिखो—
(१) क्रम—विक्रम, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अपक्रम । (व्यतिक्रम)
(२) अन्धकार—चमक, उजाला, प्रकाश, दिन । ( )
(३) दैव—दुर्भाग्य, दुर्दैव, दानव, दुर्जन । ( )
(४) शुद्ध—विशुद्ध, अशुद्ध, विरुद्ध, शुद्धिरहित । ( )
(५) अनुग्रह—दुराग्रह, विग्रह, सुग्रह, कुग्रह । ( )

(६) आचार–अनाचार, दुराचार, उपचार, सदाचार। ( )
(७) सज्जन–दुर्जन, दुष्टजन, पापीजन, नीच। ( )
(८) हानि–होनी, अनहोनी, लाभ, घाटा। ( )
(९) उपकार–प्रकार, विकार, अपकार, निराकार। ( )
(१०) नूतन–अधुनातम, सनातन, पुरातन, नवीनतम। ( )

२०. नीचे लिखे शब्दों के आगे कोष्टक में उनके विलोम शब्द लिखो—

१—अधम	(उत्तम)	११—बन्धन	( )
२—अवनति	( )	१२—अज्ञेय	( )
३—ऐश्वर्य	( )	१३—सरस	( )
४—विनीत	( )	१४—पुरातन	( )
५—गम्भीर	( )	१५—परोक्ष	( )
६—सरल	( )	१६—यश	( )
७—उदार	( )	१७—स्वाधीन	( )
८—अधिक	( )	१८—प्रलय	( )
९—वृद्धि	( )	१९—शोक	( )
१०—हिंसा	( )	२०—सौभाग्य	( )

२१. निम्नलिखित कथनों में जो शुद्ध हों, उनके आगे (√) का तथा जो अशुद्ध हों, उनके आगे (×) का चिह्न अंकित करो—

१–चपल का विलोम शब्द गम्भीर है। (√)
२–उत्थान का विलोम शब्द अवनति है। (×)
३–उन्नति का विलोम शब्द पतन है। ( )
४–कृपण का विलोम शब्द उदार है। ( )
५–चेतन का विलोम शब्द अचर है। ( )
६–चर का विलोम शब्द जड़ है। ( )
७–हर्ष का विलोम शब्द हानि है। ( )
८–लाभ का विलोम शब्द शोक है। ( )
९–ह्रस्व का विलोम शब्द दीर्घ है। ( )
१०–सन्देह का विलोम शब्द विश्वास है। ( )

११–गृहस्थ का विलोम शब्द ब्रह्मचारी है। ( )
१२–उद्यम का विलोम शब्द आलस्य है। ( )
१३–अनुकूल का विलोम शब्द दुकूल है। ( )
१४–आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक है। ( )
१५–घात का विलोम शब्द प्रतिघात है। ( )

२२. निम्नलिखित वाक्यों और वाक्यांशों के सम्पूर्ण अर्थ को प्रगट करने वाले एकल शब्द उनके आगे कोष्ठक में लिखिए—

१–जिसका आकार न हो। ( )
२–दूसरों का भला करने वाला। ( )
३–जो पहले कभी न हुआ हो। ( )
४–जो समान आयु का हो। ( )
५–प्रतिदिन होने वाला। ( )
६–नई चीजों की खोज करने वाला। ( )
७–जिसका अन्त न हों। ( )
८–देश-विदेश में घूमने वाला। ( )
९–न्याय शास्त्र की बातें जाने। ( )
१०–जिसके विषय में निश्चित मत न हो। ( )
११–सब कुछ जानने वाला। ( )
१२–जो बहुत समय तक रहे। ( )
१३–सबके अन्त.करण को जानने वाला। ( )
१४–जो किसी विषय का ज्ञाता हो। ( )
१५–दूर की बात सोचने वाला।

२३. नीचे लिखे 'एकल' शब्द जिस वाक्य या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे उनके सामने लिखिये—

१–आस्तिक = जो ईश्वर में विश्वास रखता हो।
२–पैतृक =
३–मितव्ययी =
४–सजातीय =

५—अवैतनिक =
६—दत्तक =
७—पारंगत =
८—नीतिज्ञ =
९—नैयायिक =
१०—शतक =

२४. निम्नलिखित संख्यावाचक शब्दों से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

१—दो अयन कौन से है ? —उत्तरायन, दक्षिणायन
२—तीन अवस्थाएँ कौन सी है ? —
३—चार पदार्थ कौन से हैं ? —
४—पांच मकार कौन से हैं ? —
५—षट् दर्शन कौन से हैं ? —
६—सप्त ऋषियों के नाम बताओ ? —
७—अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं ? —
८—नौ निधियां कौन सी हैं ? —
९—दस अवतार कौन से हैं ? —
१०—अठारह पुराण कौन से है ? —

७

लोकोक्तियाँ और मुहावरे

लोकोक्तियो और मुहावरों का भाषा की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। इनके प्रयोग से भाषा की व्यजना शक्ति बढ़ती है, साथ ही भाषा में चमत्कार और लालित्य उत्पन्न होता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही वे वाक्यांश हैं जो सामान्य शाब्दिक अर्थ प्रगट न करके विशेष अर्थ व्यंजित करते है। इस सामान्य प्रवृत्ति के बावजूद भी लोकोक्ति और मुहावरे मे तात्विक अन्तर है। नीचे दोनों का पृथक्-पृथक् विवेचन किया जा रहा है, जिससे दोनों का अन्तर स्पष्टतः समझा जा सकता है।

लोकोक्तियाँ

लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है—'लोक' की उक्ति अर्थात् कथन। प्रत्येक लोकोक्ति के साथ लोक जीवन की कोई घटना या लोक कथा जुड़ी होती है। लोकोक्तियों का जन्म लोक जीवन मे ही होता है। प्रारम्भ में लोकोक्तियाँ लोककंठ मे विकसित होती हैं, धीरे-धीरे वे भाषा का अंग बन जाती हैं। लोक जीवन की भाषा में लोकोक्तियों का विशेष प्रचलन और महत्त्व है। नीचे कुछ लोकोक्तियाँ अर्थ एवं प्रयोग सहित दी जा रही हैं—

१ अन्धों में काना राजा—मूर्खों में थोड़ा-सा ज्ञान रखने वाला भी आदर पाता है। जैसे—गाँव में संगीत का ज्ञान ही किसे है ? रामदीन बाँसुरी पर उल्टा सीधा कुछ भी गा दे, लोग उसकी तारीफ करते नही अघाते हैं। रामदीन की हालत अँधों में काना राजा की सी है।

२. अब पछताये होत का जब चिड़िया चुग गई खेत—समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है; **जैसे—**हनुमान और रलिया साथ-साथ

बाजार गये। हनुमान के बहुत कहने पर जब रलिया ने लाटरी का टिकट न लिया, तो उस टिकट को एक रुपये में हनुमान ने ही ले लिया। एक लाख रुपये का इनाम हनुमान को मिलने पर रलिया को अफसोस हुआ, तो हनुमान ने कहा--'अब पछताये होत का जब चिड़िया चुग गई खेत'।

३. काला अक्षर भैंस बराबर—बिल्कुल अनपढ़ मनुष्य के लिए कहा जाता है। जैसे—जब रामू ने तार ले जाकर डलिया को दिया कि भाई यह क्यों आया है? तो पास खड़े श्यामू ने कहा—भाई! इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, इसे तार क्यों देते हो।

४. गंगा गये गंगादास जमुना गये जमनादास—मुँह देखी बात करना। जैसे-मोहन और सोहन में जमीन पर झगड़ा हो गया। हनीफ ने मोहन से कहा कि तुम तो मुकदमा कर दो, तभी सोहन आ पहुँचा। हनीफ बोला, भाई! समझौते से ही काम चल जाये तो अच्छा है। इस पर गणेशी बोला कि हनीफ तुम तो गंगा गये गंगादास जमुना गये जमुनादास वाला हिसाब करते हो निष्पक्ष राय दो।

५. चौबेजी छब्बेजी बनने गये पर दुबेजी रह गये—लोभ में फँस कर गाँठ का भी गँवाया। जैसे—सेठ हजारीलाल ने यह सोचकर कि भाव बढ़ेगा पाँच-सौ बोरी चीनी मँहगे भाव से खरीद कर भर ली। बाद में भाव बहुत गिर गया और रसद विभाग के अधिकारियों ने छापा मार कर चीनी भी जब्त कर ली। सेठ जी के मित्र बोले—गये तो थे चौबेजी छब्बेजी बनने पर दुबेजी रह गये।

६. न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी—ऐसी शर्त रखना जो पूरी न की जा सके। जैसे—मंजुला ने मृदुला से कहा कि एक रागिनी सुनाओ। तो मृदुला बोली कि रागिनी तो गा दूँगी पर संगीत के लिए आगरे के गुलाम खाँ को बुलाओ। तो मंजुला ने कहा कि भई! ठीक है न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।

७. साँच को आँच नहीं—सच्चे व्यक्ति को भय नहीं लगता। जैसे—अध्यापक ने कहा कि रतनलाल सच बताओ, तुमने नकल करके—

लिखा है या स्वयं। रतन बोला—गुरुजी सांच को आँच नहीं, आप अपने सामने वैसा उत्तर लिखाओ।

८. **सौ सौ चूहे खाय बिल्ली हज को चली**—अनेक बुराइयाँ करके भलाई की बात करना। जैसे—लालचन्दजी अनेक संस्थाओं का चन्दा हड़प कर चुके थे। आज जब मुहल्ले में वे अकाल सहायता के लिए चन्दा देने को लाइन में खड़े थे तो एक पड़ौसी ने कहा कि देखो लालचन्द जी का सौ-सौ चूहे खाय बिल्ली हज को चली।

९. **हाथ कंगन को आरसी क्या**—प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत। गुरुजी ने कहा कि रमेश क्या तुम इस वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त करोगे? रमेश ने कहा गुरुजी! हाथ कंगन को आरसी क्या? आप कुछ भी पूछ लीजिए, मुझे सब कुछ याद है।

१०. **हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और**—कहना कुछ और करना कुछ। महेश देवर्षि ने हिन्दी दिवस पर राष्ट्रभाषा के महत्त्व पर लम्बा चौड़ा व्याख्यान देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे हिन्दी को व्यवहार में लायें। कुछ घण्टे बाद वे अपने घर जाकर किसी मित्र को अंग्रेजी में पत्र लिख रहे थे। तभी उस सभा का एक उत्साही युवक हिन्दी प्रचार की योजना लेकर घर पहुँचा। देवर्षिजी के पत्र को देखकर बोला, वाह! हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और।

अन्य लोकोक्तियाँ और उनका तात्पर्य

११. आम के आम, गुठली के दाम—एक काम से दो लाभ।
१२. आँख के अन्धे गाँठ के पूरे—मूर्ख, किन्तु स्वार्थी व्यक्ति।
१३. अन्धेर नगरी चौपट राजा—प्रशासक की अयोग्यता पर धाँधली।
१४. अन्धा क्या चाहे दो आँखें—वाँछित वस्तु बिना प्रयत्न के मिलना।
१५. अपनी गली मे कुत्ता भी शेर होता है—अपने क्षेत्र में निर्बल पर वीरता दिखाना।
१६. आटे के साथ घुन भी पिसता है—अपराधी का साथी निरपराधी भी फँसता है।

६०. कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगल्या तेली–दो असमान हस्ती वाले व्यक्ति।
६१. करमहीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े–भाग्यहीन व्यक्ति को हर कार्य में असफलता मिलती है।
६२. कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा–इधर उधर से जोड़ जुगाड करके कोई निकृष्ट वस्तु बनाना।
६३. कहने पर कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता–कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता।
६४. कानी के ब्याह में सौ जोखिम–जिस कार्य में सन्देह हो, उसमें विघ्न भी आते हैं।
६५. खुदा गंजे को नाखून न दे–ईश्वर नीच व्यक्ति को अधिकार न दे।
६६. खोदा पहाड़ निकला चूहा–अधिक परिश्रम से कम लाभ।
६७. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है–साथी को देखकर दूसरा साथी वैसा ही आचरण करता है।
६८. खूँटे के बल बछड़ा कूदता है–किसी के बल को पाकर घमण्ड दिखाना।
६९. खग जाने खग ही की भाषा–साथी साथी का भेद जान सकता है।
७०. खेती खसम सेती–कार्य का व्यापार मालिक ही चला सकता है।
७१. खिसियानी बिल्ली खम्बा खोंसे–लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना।
७२. गुरु तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गये–बड़े तो वहीं रहे, छोटे महान् प्रगति कर गये।
७३. गागर में सागर भरना–संक्षेप में बहुत कुछ कह देना।
७४. गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त–स्वयं अपना कार्य न करें, दूसरे उनके लिए प्रयत्न करें।
७५. गुड़ खाय गुलगुलों से परहेज करे–दिखावटी विरोध प्रकट करना।
७६. गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करे–अच्छे व्यवहार की ही आशा करना।
७७. गधा खेत खाय, जुलाहा मारा जाय–अपराध किसी का दण्ड किसी को।
७८. गाँव का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध–निज स्थान पर सम्मान नहीं होता।

७६. घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं—सभी समान रूप से खोखले हैं।
८०. घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाय क्या—मजदूरी लेने में क्या संकोच ?
८१. घर का भेदी लंका ढाहे—घर वालों की फूट सर्वनाश का कारण बनती है।
८२. घर की मुर्गी साग बराबर—अधिक परिचय से सम्मान कम हो जाता है।
८३. घर बैठे गंगा आ गई—बिना प्रयत्न के सफलता मिल गई।
८४. घर फूँक तमाशा देखना—स्वयं का नुकसान करके प्रसन्न होना।
८५. घर में भूजी भांग नहीं—अत्यन्त निर्धनता है।
८६. घाट घाट का पानी पीना—स्थान स्थान पर जाकर अनुभव प्राप्त करना।
८७. चार दिन की चांदनी फिर अन्धेरी रात—थोड़े समय का सुख।
८८. चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय—बहुत कजूस।
८९. चोरी और सीना जोरी—अपराध करके अकड़ दिखाना।
९०. चुपड़ी और दो दो—लाभ पर लाभ होना।
९१. चोरी का माल मोरी में—बुरी कमाई बुरी तरह नष्ट होती है।
९२. चिराग तले अन्धेरा—पर उपदेश पर स्वयं अज्ञान में।
९३. चींटी के पर निकलना—मौत के समय बुद्धि नष्ट होना।
९४. चोर की दाढ़ी में तिनका—अपराधी का भयभीत होना।
९५. छोटे मुँह बड़ी बात—हैसियत से अधिक की बात करना।
९६. छछुंदर के सिर में चमेली का तेल—अयोग्य के पास अच्छी चीज का होना।
९७. जो गरजते हैं बरसते नहीं—बातूनी लोग केवल दिखावा करते हैं।
९८. जल में रहकर मगर से बैर—आश्रयदाता से बैर अच्छा नहीं।
९९. जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई—जिसने दुःख भोगा नहीं वह दूसरे के दुःख को क्या जाने।
१००. जिसकी लाठी उसकी भैंस—शक्तिशाली ही विजयी होता है।
१०१. जैसा देश वैसा भेष—समय और स्थान के अनुसार चलना।

१०२. जान बची और लाखों पाये—जीवन सबसे प्रिय होता है।

१०३. जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ—कठोर परिश्रम से ही प्राप्ति होती है।

१०४. जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना—कृतघ्न होना।

१०५ जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत—दाम के अनुसार काम करना।

१०६. झोंपड़ी में रहे महलों के सपने देखे—दुर्लभ वस्तु की कामना।

१०७. झूठ के पांव नहीं होते—झूठे व्यक्ति को असफलता मिलती है।

१०८. टेढ़ी उंगली किये बिना घी नहीं निकलता—सीधेपन से काम नहीं चलता।

१०६ ठण्डा लोहा गरम को काटता है—शांत रहने वाले की ही जीत होती है।

११०. डूबते को तिनके का सहारा—संकट काल में थोड़ी सी सहायता भी महत्त्व रखती है।

१११. ढाक के तीन पात—सदा एक ही हालत में रहना।

११२. ढोल में पोल—बड़े बड़े भी अन्धेर करते हैं।

११३. तू डाल डाल मैं पात पात—चालाक को चालाक ही मात दे सकता है।

११४. तीर नहीं तो तुक्का ही सही—काम हो जाय तो ठीक वरना न सही।

११५. तिल की ओट पहाड़—थोड़ी सी सहायता से बड़ा काम बनना।

११६. तेल तिलों से ही निकलता है—लाभ चीज से ही होता है, खाली नहीं।

११७. तीन लोक से मथुरा न्यारी—अपने ही ढंग का होना।

११८. तबले की बला बन्दर के सिर—किसी का अपराध किसी के सिर मढ़ना।

११६. तुरत दान महाकल्याण—जो काम करना तुरन्त करो।

१२०. थोथा चांणां बाजे घणां—ओछा व्यक्ति दिखावा बहुत करता है।

१२१. दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है—एक बार धोखा खा कर दुबारा सावधान होना।

१२२. दूर के ढोल सुहावने—दूर की चीज अनदेखी अच्छी लगती है।

१२३. दूध का दूध पानी का पानी—सही-सही न्याय करना।
१२४. दीवाल के भी कान होते हैं—गुप्त वार्तालाप एकान्त मे करो।
१२५. दुविधा में दोऊ गये माया मिली न राम—सदेह के कारण कुछ भी हाथ न लगना।
१२६. दुधारू गाय की लात भी भली—लाभ करने वाले की सुननी पड़ती है।
१२७. दान की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते—मुफ्त की वस्तु को क्या परखना।
१२८. द्रौपदी का चीर होना—अन्त रहित वस्तु।
१२९. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का—जिसका निश्चित स्थान न हो।
१३०. न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी—जड से नष्ट कर देना।
१३१. नाच न जाने आंगन टेढ़ा—काम करना न आये तो बहाना करना।
१३२. नीम हकीम खतरे जान—अनुभवहीन व्यक्ति काम बिगाड़ देता है।
१३३. नग वड़े परमेश्वर से—दुष्ट व्यक्ति से घबराना पड़ता है।
१३४ नाम बड़े दर्शन छोटे—योग्यता कम और प्रशसा अधिक करना।
१३५. नया नो दिन पुराना सौ दिन—नई चीज की तुलना मे पुरानी का महत्त्व अधिक होता है।
१३६. नौ दिन चले अढ़ाई कोस—अधिक मेहनत पर भी थोड़ा कार्य होना।
१३७. निन्यानवे के फेर में पड़ना—लोभ करना।
१३८. न सावन सूखा न भादों हरा—सदैव एक सी तंग हालत मे रहना
१३९. नेकी और पूछ पूछ—बिना कहे ही भलाई का कार्य करना।
१४० नक्कार खाने में तूती की आवाज—बड़ों के समान छोटो की पूछ नही होती।
१४१. पाँचों उंगलियां घी में होना—लाभ ही लाभ होना।
१४२. पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती—सभी समान नही हो सकते।
१४३. प्यासा ही कुए के पास जाता है—गरजमद को ही पहल करनी पड़ती है।
१४४. पढ़े पर गुने नहीं—अनुभवहीन।
१४५. पेट में दाढ़ी होना—बहुत चालाक व्यक्ति को कहा जाता है।

१४६. पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत के खेल–दुर्भाग्य से पढ़े लिखे व्यक्ति का मारा मारा फिरना।

१४७. फरा सो झरा–उन्नति के बाद पतन भी होता है।

१४८. बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद—अनजान महत्त्वपूर्ण वस्तु का मूल्य नहीं आंक सकता

१४९. बिल्ली के भागों छींका टूटा–अनायास आशा से अधिक प्राप्ति।

१५०. बावन तोले पाव रत्ती–बिल्कुल सही।

१५१. बद अच्छा बदनाम बुरा–कलंकित होना कलंक लगने से भी बुरा।

१५२. बिना मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख–जो मिलता है, वह मिलेगा।

१५३. बहती गंगा में हाथ धोना—अवसर से लाभ उठाना।

१५४. बिन रोये माँ भी दूध नहीं पिलाती–बिना प्रयत्न कुछ नहीं मिलेगा।

१५५. बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा–आस पास की सुध न रखना।

१५६. बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी–कभी न कभी संकट आयेगा ही।

१५७. बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज–बहुत अधिक बातूनी और गप्पी।

१५८ बैठे से बेगार भली–खाली रहने से कुछ न कुछ करना ही ठीक।

१५९. भागते भूत की लंगोटी भली–सर्वनाश हो रहा है, जो बच जाये, वही अच्छा।

१६०. मुँह में राम बगल में छुरी–ऊपर से मित्रता, अन्दर से शत्रुता।

१६१. मानो तो देवता नहीं तो पत्थर–विश्वास फलदायक होता है।

१६२. मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक–निश्चित सीमा तक ही प्रयत्न किया जा सकता है।

१६३. मेरी बिल्ली मुझ से म्याऊँ–आश्रयदाता का ही अहित करना।

१६४. मन चंगा तो कठौती में गंगा—स्वयं ठीक तो संसार भी भला।

१६५. नान न मान मैं तेरा मेहमान—जबर्दस्ती गले पड़ना।

१६६. मन मन भाये मूँड हिलाये—इच्छा होते हुए भी मना करना।

१६७. मेंढकी को भी जुकाम—नीच आदमी का नखरे करना।

१६८. मुँह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती—इच्छित वस्तु का न मिलना।

१६६. मरता क्या नहीं करता—मुसीबत पड़ने पर सभी प्रकार के प्रयत्न करना।

१७० मन के लड्डू फीके क्यों—कोरी कल्पना तो सुन्दर करो।

१७१. यथा राजा तथा प्रजा—जैसा स्वामी होगा वैसे सेवक होंगे।

१७२ रस्सी जल गई ऐंठ न गई—सर्वनाश होने पर भी घमण्डी बने रहना।

१७३. रोज कुँआ खोदना रोज पानी पीना—रोज कमाना रोज खाना।

१७४. रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी—रुष्ट होने से कोई लाभ न होगा।

१७५. रहें झोंपड़ों में ख्वाब देखें महलों के—अनगढ़ कल्पना करना।

१७६ रंग में भंग पड़ना—आनन्द के अवसर पर बाधा।

१७७. लातों के भूत बातों से नहीं मानते—नीच व्यक्ति दण्ड के भय से ही कार्य करता है।

१७८. लाल गुदड़ी में नहीं छिपते—अच्छा आदमी कैसी भी दशा हो, पहचाना जाता है।

१७९. लेना एक न देना दो—हिसाब साफ रखना।

१८० विष दे विश्वास न दे—विश्वासघात मृत्यु से भी बुरा।

१८१. शबरी के बेर—प्रेममयी भेंट।

१८२. शौकीन बुढ़िया चटाई का लहँगा—बेमेल कार्य करना।

१८३ साँप भी मर जाय और लाठी न टूटे—बिना हानि हुए काम बन जाए।

१८४ साँच को आँच नहीं—सच्चा आदमी नहीं डरता।

१८५. सोने में सुगन्ध—सुन्दर और गुणवान दोनों एक साथ।

१८६. सिर मुडाते ही ओले पड़े—कार्य के आरम्भ में ही विघ्न।

१८७ सीधी उँगली घी नहीं निकलता—सीधेपन से काम नहीं चलता।

१८८ सब धान बाईस पंसेरी—अच्छे और बुरे काम को समान समझना।

१८९. सावन के अन्धे को हरा ही हरा सूझता है—अपनी सी दशा ही सबकी समझना।

१९०. सहज पके सो मीठा होय—धैर्य से कार्य करना फलदायी होता है।

१९१. सौ-सौ जूते खाय तमाशा घुस के देखेंगे—हानि होने पर हठ न छोड़ना।

१९२. हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और—कहे कुछ और करे कुछ।

१६३. हथेली पर दही नहीं जमता—सब कार्यों के होने पर समय लगता है।
१६४. हथेली पर सरसों नहीं उगती—कोई भी कार्य बहुत जल्दी में नहीं होता।
१६५. हाथ कँगन को आरसी क्या—प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण।
१६६. हीरे की परख जौहरी जानता है—गुणवान ही गुणी को पहचान सकता है।
१६७. हल्दी लगे न फटकड़ी रंग चोखा ही आवे—आसानी से काम बन जाना।
१६८ हाजिर में हुज्जत नहीं गये की तलाश नहीं—वर्तमान की चिन्ता रखना।
१६९. होनी होय सो होय—जो होनहार है वह होगा ही।
२००. हरिश्चन्द्र होना—सत्यवादी बनना।

मुहावरे

मुहावरे एक ऐसा वाक्यांश होता है, जो अभ्यास के कारण अपना अर्थ बदल कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। साहित्यिक दृष्टि से मुहावरों का विशेष महत्त्व होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सरल, रोचक एवं प्रभाव पूर्ण बनती है।

मुहावरे और लोकोक्ति में पर्याप्त अन्तर है, जिसे जान लेना आवश्यक है। लोकोक्तियों का प्रयोग लोक भाषा में होता है जबकि मुहावरे का प्रयोग अधिकांशतः साहित्यिक भाषा में होता है। लोकोक्ति का अर्थ लोकोक्ति के शब्दार्थ से सामान्यतः जाना जाता है, जबकि मुहावरे का अर्थ अभ्यास या प्रयोग के अनुसार ज्ञात किया जाता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, जबकि मुहावरे में लिंग, वचन और क्रिया-प्रयोग के अनुसार परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे—'अंगारे उगलना' एक मुहावरा है। प्रयोग के अनुसार 'अंगारे उगले', 'अंगारे उगलती' आदि अनेक रूपान्तर हो सकते हैं।

नीचे लिखे मुहावरे, अर्थ एवं प्रयोग सहित दिये जा रहे हैं—

१. अंगूठा दिखाना—निराश करना अथवा तिरस्कार पूर्वक मना करना।

सेठ हरसमल ने उस दिन पंचायत में घोषणा की थी कि स्कूल-भवन के लिए पाँच सौ रुपये दूँगा, परन्तु जब घर पर लोग रुपये माँगने पहुँचे तो अंगूठा दिखा दिया ।

२. आँखों में धूल झोंकना—धोखा देना ।
शैलेश ने परीक्षा-पर्यवेक्षकों की आँखों में धूल झोंक कर नकल की ।

३. ईद का चाँद—बहुत कम दिखने वाला ।
अरे ! उमाकान्त क्या ईद के चाँद हो गये जो पिछले कई महीनों से दिखाई नहीं दिये ।

४. उल्टी गंगा बहाना—नियम विरुद्ध कार्य करना ।
शीलचन्द, तुम भिखारियों से भी दान माँग कर उल्टी गंगा बहा रहे हो ।

५. एक और एक ग्यारह होना—मेल में शक्ति होना ।
शिवाजी ने छोटी सगठित सेना द्वारा शत्रुओं को परास्त करके सिद्ध कर दिया कि एक और एक ग्यारह होते हैं ।

६. कान पर जूँ तक न रेंगना—कुछ असर न होना ।
माता-पिता ने दिलीप को बहुत समझाया किन्तु उसके कान पर जूँ तक न रेंगी ।

७. गुदड़ी का लाल—छिपी हुई अमूल्य वस्तु ।
जिन्हें हम धृष्टतावश नीच जाति के लोग कहते हैं, उनमें भी ऐसे गुदड़ी के लाल निकलते हैं, जिनका कार्य इतिहास में अभूतपूर्व है ।

८. पानी का मोल—बहुत सस्ता ।
शाम के समय सब्जियाँ पानी के मोल बिकती हैं ।

९. मुँह में पानी भरना—जी ललचाना ।
दीपावली पर तुम्हारे यहाँ बन रहे पकवानों को देखकर सीमा के मुँह में पानी भर आया ।

१०. हाथ मलना—
वह १५ सितम्बर तक फार्म नहीं भर सका था, इसलिए अब हाथ मल रहा है ।

अन्य मुहावरे और उनका तात्पर्य

११. अक्ल पर पत्थर पड़ना—कुछ समझ में न आना।
१२. अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना—जानबूझ कर अपना नुकसान खुद करना।
१३. अपनी खिचड़ी खुद पकाना—मिल जुल न रहना।
१४. अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना—अपनी बड़ाई आप करना।
१५. आँखें लाल होना—गुस्से से देखना या मिलना।
१६. आँख दिखाना—गुस्से से देखना।
१७. अंगारे उगलना—क्रोध में कठोर शब्द बोलना।
१८. आँख बचाना—छिपकर निकल जाना।
१९. आँखें बिछाना—सत्कार करना।
२०. आँख का तारा—बहुत प्रिय।
२१. आँच न आने देना—तनिक भी कष्ट न होने देना।
२२. आसमान पर चढ़ना—बहुत अभिमान करना।
२३. आकाश के तारे तोड़ना—असम्भव कार्य करना।
२४. आसमान सिर पर उठाना—बहुत शोर मचाना।
२५. आग बबूला होना—गुस्से से भर जाना।
२६. आटे दाल का भाव मालूम होना—कठिनाई में पड़ जाना।
२७. आठ-आठ आँसू रुलाना—बहुत परेशान करना।
२८. आँखें खुलना—समझ में आना।
२९. आँधी के आम—बहुत सस्ती वस्तु।
३०. आड़े हाथ लेना—खरी खरी बातें सुनाना।
३१. आग से खेलना—जानबूझ कर मुसीबत में फँसना।
३२. अन्धे के हाथ बटेर लगना—अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना।
३३. अन्धे की लकड़ी—एक मात्र सहारा।
३४. अपना उल्लू सीधा करना—स्वार्थ सिद्ध करना।
३५. अंग अंग टूटना—थक जाना।
३६. आसमान पर थूकना—श्रेष्ठ व्यक्तियों पर लांछन लगाकर स्वयं की हानि करना।

३७ आस्तीन का सांप—धोखेबाज ।
३८. आसमान से बातें करना—ऊँची कल्पना करना ।
३९. अन्धेरे का उजाला—होनहार बालक या निराशा की स्थिति में आशा ।
४०. अपना सा मुँह लेकर रहना—लज्जित होना ।
४१. अबे-तबे करके बोलना—असम्मान ढंग से बात करना ।
४२. अरमान निकालना—मन का गुबार पूरा करना ।
४३. आँखों का तारा—अत्यन्त प्रिय ।
४४ आँसू पीकर रह जाना—भीतर ही भीतर दुःखी होना ।
४५ आग पर पानी डालना—उत्तेजित व्यक्ति को शांत करना ।
४६. आग में घी पड़ना—क्रोध का और अधिक बढ़ जाना ।
४७ आगा पीछा करना—सोच में पड़कर हिचकिचाना ।
४८. आना कानी करना—टालमटोल करना ।
४९. आवाज उठाना—आन्दोलन करना ।
५०. आकाश कुसुम—अनहोनी बात ।
५१. ईंट से ईंट बजाना—नष्ट भ्रष्ट कर देना ।
५२. ईंट का जवाब पत्थर से देना—कड़ाई से पेश आना ।
५३. इधर उधर की हाँकना—गप्पें मारना ।
५४. इतिश्री होना—समाप्त होना ।
५५. उल्टी गंगा बहाना—नियम के विरुद्ध कार्य करना ।
५६. उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ना—धीरे-धीरे पराई वस्तु पर अधिकार करना ।
५७. उन्नीस बीस का अन्तर—बहुत थोड़ा फर्क ।
५८. उल्लू सीधा करना—स्वार्थ सिद्ध करना ।
५९. उधेड़ बुन में पड़ना—सोच विचार करना ।
६०. ऊट पटांग कहना—कहनी अनकहनी कह देना ।
६१. उड़ती चिड़िया पहिचानना—किसी की बात जान लेना ।
६२ उंगली उठाना—लाछन लगाना ।
६३. उल्लू बनाना—मूर्ख बनाना ।

६४. उल्टी माला फेरना—बुरा सोचना।

६५. उल्टे छुरे से मूंडना—ठगना।

६६. उछल-कूद करना— प्रयत्न करना।

६७. उंगली पर नचाना—वश मे करना।

६८. उखड़ी-उखड़ी बातें करना—बेरुखी दिखाना।

६९. एड़ी चोटी का जोर लगाना—शक्ति भर कार्य करना।

७०. एक लाठी से हांकना-अच्छे बुरे का विचार किये बिना समान व्यवहार करना।

७१. एक आंख से देखना—समान व्यवहार करना।

७२ ओखली में सिर देना—जानबूझ कर विपत्ति मे फंसना।

७३. ओंठ चबाना—क्रोध प्रकट करना।

७४. औंधे मुँह गिरना—बुरी तरह असफल होना।

७५. कमर कसना—तैयार होना।

७६. कलई खुलना—भेद खुलना।

७७. कलम उठाना—किसी विषय पर लिखना।

७८. कलेजा मुँह को आना—व्याकुल होना।

७९. कसौटी पर कसना—अच्छी तरह जांच करना।

८०. कान कतरना—बहुत चतुराई दिखाना।

८१. कान का कच्चा—जो बात छिपा कर न रख सके।

८२. काम तमाम करना—मार देना।

८३. काला अक्षर भैंस बराबर—बिल्कुल अनपढ़।

८४. किताब का कीड़ा—पढ़ाई में लगे रहना।

८५. काठ का उल्लू—मूर्ख व्यक्ति।

८६. कीचड़ उछालना—नीचता दिखाना, कलंक लगाना।

८७. कोल्हू का बैल—दिन रात परिश्रम करना।

८८. काम आना—युद्ध में मारा जाना।

८९. कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना—साथ देना।

९०. कागज काला करना—व्यर्थ की बातें लिखना।

९१. कच्चा चिट्ठा खोलना—भेद खोलना।

९२. कमर सीधी करना–विश्राम करना ।
९३. कुए में बाँस डालना–बहुत दूर तक खोज करना ।
९४. काया पलट होना–बहुत परिवर्तन हो जाना ।
९५. कान भरना–शिकायत करना ।
९६. काटो तो खून नहीं–भयभीत व दंग रह जाना ।
९७. किस खेत की मूली है–जिसका कोई मूल्य या महत्त्व न हो ।
९८. कानों में उंगली देना–कोई बात न सुनना ।
९९. कान पकड़कर निकालना–बेइज्जती करना ।
१०० काल के गाल में जाना–मृत्यु पथ पर बढ़ना ।
१०१, खटाई में पड़ना–झंझट में पड़ना या संदिग्ध हो जाना ।
१०२. खाक छानना–दर दर भटकना ।
१०३. खेत रहना–मारा जाना ।
१०४. खेल खेल में–बिना प्रयास के ।
१०५ खाक में मिलना–बर्बाद होना ।
१०६. खाका खींचना–मजाक उड़ाना ।
१०७ गड़े मुर्दे उखाड़ना–पिछली अशुभ बातें याद करना ।
१०८. गुड़ गोबर करना–किया कराया नष्ट कर देना ।
१०९ गले मढ़ना–जबरदस्ती कोई काम सौंप देना ।
११०. गुरु घंटाल होना–बहुत चालाक होना ।
१११. गाल बजाना–अपनी प्रशंसा करना ।
११२. गले का हार–अत्यन्त प्रिय ।
११३. गुलछर्रे उड़ाना–मौज उड़ाना ।
११४. गिरगिट की तरह रंग बदलना–बहुत जल्दी निश्चय से पट जाना ।
११५. गज भर की छाती होना–अत्यन्त उल्लसित होना ।
११६. घोड़े बेचकर सोना–निश्चिन्त होना ।
११७. घी के दिये जलाना–बहुत खुशियाँ मनाना ।
११८. घड़ों पानी पड़ना–लज्जित होना ।
११९. घाव पर नमक छिड़कना–दुखी को अधिक दुःख देना ।
१२०. घाट घाट का पानी पीना–देश देशान्तर में घूमने वाला ।

१२१. घाव हरा होना-भूला हुआ याद आना।
१२२. घुटने टेक देना-हार मान लेना।
१२३. चिकना घड़ा-जिस पर बात का असर न हो अथवा बेशर्म।
१२४. चूड़ियाँ पहनना-कायरता दिखाना।
१२५. चुल्लू भर पानी में डूब मरना-लज्जा अनुभव करना।
१२६. चिकनी चुपड़ी बातें करना-चापलूसी करना।
१२७. चींटी के पर लगना-घमण्ड करना, विनाश के लक्षण होना।
१२८. चोली दामन का साथ-अत्यन्त घनिष्टता।
१२९. चाँदी का जूता-रिश्वत देना।
१३०. चकमा देना-धोखा देना।
१३१. छोटे मुँह बड़ी बात करना-अपनी हैसियत से ज्यादा बात करना।
१३२. छक्के छूट जाना-हिम्मत हारना या हार खाना।
१३३. छाती पर मूँग दलना-बहुत अधिक परेशान करना।
१३४. छठी का दूध याद आना-घोर संकट में पड़ना।
१३५. छाती पर बाल होना-साहस होना।
१३६. छप्पर फाड़कर देना-अचानक लाभ होना।
१३७. छाती पीटना-विलाप करना।
१३८. जान में जान आना-धीरज बँधना।
१३९. जमीन पर पैर न रखना-घमण्ड करना।
१४०. जबानी जमा खर्च करना-गप्पें लड़ाना।
१४१. जबान पर लगाम लगाना-कम बोलना।
१४२. जहर का घूँट पीना-कड़वी बात सुनकर सहन कर लेना।
१४३. जान के लाले पड़ना-संकट में फँस जाना।
१४४. जी जान लगाना-अत्यधिक परिश्रम से कार्य करना।
१४५. जूतियाँ चटकाना-मारे मारे फिरना।
१४६. जान का गाहक बनना-बहुत तंग करना।
१४७. जीती मक्खी निगलना-जानबूझ कर बेइमानी करना।
१४८. जान पर खेलना-साहसपूर्ण कार्य करना।
१४९. जी छोटा करना-उदास होना।

१५०. झख मारना–व्यर्थ परिश्रम करना ।
१५१. झिक झिक करना–व्यर्थ मे झगड़ा करना ।
१५२. झांसा देना–धोखा देना ।
१५३. टोपी उछालना–अपमान करना ।
१५४. टका सा जवाब देना–रूखा उत्तर देना, मना कर देना ।
१५५. टक्कर लेना–मुकाबिला करना ।
१५६. टस से मस न होना–जरा भी विचलित न होना ।
१५७ टेढ़ी खीर–कठिन काम ।
१५८. टालम टूल करना–बहाना बनाना ।
१५९. टेक निभाना–वचन पूरा करना ।
१६०. टे टें करना–बकवास करना ।
१६१ ठगा सा रह जाना–आश्चर्यचकित रह जाना ।
१६२. डंके की चोट कहना–स्पष्ट कहना ।
१६३. डींग मारना–झूठी बडाई करना ।
१६४. डकार जाना–किसी चीज को लेकर न देना ।
१६५. ढपोर शंख होना–झूठा या गप्पी आदमी ।
१६६. ढाक के तीन पात–सदैव तंग हालत मे रहना ।
१६७. ढोल में पोल–थोथा या सारहीन ।
१६८. ढोल पीटना–प्रचार करना ।
१६९. तीन पांच करना–झगडा करना ।
१७०. तीन तेरह होना–अलग अलग होना ।
१७१. तिल का ताड़ करना–बढा चढा कर बात करना ।
१७२. तलवे चाटना–खुशामद करना ।
१७३. तूती बोलना–खूब प्रभाव होना ।
१७४. तिलांजलि देना–त्याग देना ।
१७५. तिल की ओट में पहाड़–छोटी बात मे बहुत बड़ा रहस्य ।
१७६. तोते उड़ जाना–घबराना ।
१७७. थूक कर चाटना–बात कह कर बदल जाना ।
१७८. थैली खोलना–खूब जी खोलकर खर्च करना ।

१२१ घाव हरा होना–भूला हुआ याद आना।
१२२. घुटने टेक देना–हार मान लेना।
१२३. चिकना घड़ा–जिस पर बात का असर न हो अथवा बेशर्म।
१२४ चूड़ियाँ पहनना–कायरता दिखाना।
१२५ चुल्लू भर पानी में डूब मरना–लज्जा अनुभव करना।
१२६ चिकनी चुपड़ी बातें करना–चापलूसी करना।
१२७. चींटी के पर लगना–घमण्ड करना, विनाश के लक्षण होना।
१२८ चोली दामन का साथ–अत्यन्त घनिष्ठता।
१२९. चाँदी का जूता–रिश्वत देना।
१३०. चकमा देना–धोखा देना।
१३१. छोटे मुँह बड़ी बात करना–अपनी हैसियत से ज्यादा बात करना।
१३२ छक्के छूट जाना–हिम्मत हारना या हार जाना।
१३३ छाती पर मूँग दलना–बहुत अधिक परेशान करना।
१३४ छठी का दूध याद आना–घोर संकट में पड़ना।
१३५ छाती पर बाल होना–साहस होना।
१३६. छप्पर फाड़कर देना–अचानक लाभ होना।
१३७ छाती पीटना–विलाप करना।
१३८. जान में जान आना–धीरज बँधना।
१३९. जमीन पर पैर न रखना–घमण्ड करना।
१४० जबानी जमा खर्च करना गप्पें लड़ाना।
१४१. जबान पर लगाम लगाना–कम बोलना।
१४२. जहर का घूंट पीना–कड़वी बात सुनकर सहन कर लेना।
१४३. जान के लाले पड़ना–संकट में फंस जाना।
१४४. जी जान लगाना–अत्यधिक परिश्रम से कार्य करना।
१४५. जूतियाँ चटकाना–मारे मारे फिरना।
१४६. जान का ग्राहक बनना–बहुत तंग करना।
१४७. जीती मक्खी निगलना–जानबूझ कर बेइमानी करना।
१४८. जान पर खेलना–साहसपूर्ण कार्य करना।
१४९. जी छोटा करना–उदास होना।

१५०. झख मारना–व्यर्थ परिश्रम करना ।
१५१. झिक झिक करना–व्यर्थ में झगडा करना ।
१५२. झांसा देना–धोखा देना ।
१५३. टोपी उछालना–अपमान करना ।
१५४. टका सा जवाब देना–रूखा उत्तर देना, मना कर देना ।
१५५. टक्कर लेना–मुकाबिला करना ।
१५६. टस से मस न होना–जरा भी विचलित न होना ।
१५७. टेढ़ी खीर–कठिन काम ।
१५८. टालम टूल करना–बहाना बनाना ।
१५९. टेक निभाना–वचन पूरा करना ।
१६०. टें टें करना–बकवास करना ।
१६१. ठगा सा रह जाना–आश्चर्यचकित रह जाना ।
१६२. डंके की चोट कहना–स्पष्ट कहना ।
१६३. डींग मारना–झूठी बडाई करना ।
१६४. डकार जाना–किसी चीज को लेकर न देना ।
१६५. डपोर शंख होना–झूठा या गप्पी आदमी ।
१६६. ढाक के तीन पात–सदैव तंग हालत मे रहना ।
१६७. ढोल में पोल–थोथा या सारहीन ।
१६८. ढोल पीटना–प्रचार करना ।
१६९. तीन पांच करना–झगडा करना ।
१७०. तीन तेरह होना–अलग अलग होना ।
१७१. तिल का ताड़ करना–बढा चढा कर बात करना ।
१७२. तलवे चाटना–खुशामद करना ,
१७३. तूती बोलना–खूब प्रभाव होना ।
१७४. तिलांजलि देना–त्याग देना ।
१७५. तिल की ओट में पहाड़–छोटी बात मे बहुत बडा रहस्य ।
१७६. तोते उड़ जाना–घबराना ।
१७७. थूक कर चाटना–बात कह कर बदल जाना ।
१७८. थैली खोलना–खूब जी खोलकर खर्च करना ।

१७६. दाल गलना—काम बनना।
१८०. दाल में काला—सन्देह पूर्ण।
१८१. दिन में तारे दिखाई देना—घबरा जाना।
१८२. दोनों हाथों में लड्डू—सब प्रकार से आनन्द।
१८३. दो टूक बात कहना—स्पष्ट कहना।
१८४. दिन फिरना—अच्छा समय आना।
१८५. दिन रात एक करना—खूब परिश्रम करना।
१८६. दंग रह जाना—आश्चर्यचकित रहना।
१८७. दाँत खट्टे करना—बहुत परेशान करना।
१८८. दाँतों तले उंगली दबाना—आश्चर्य में डूबना।
१८९. दम तोड़ देना—मृत्यु को प्राप्त होना।
१९०. द्रोपदी का चीर—अनन्त, जिसका अन्त न हो।
१९१. दाई से पेट छिपाना—परिचित से रहस्य को छिपाए रखना।
१९२. दिल बैठना—निराश होना।
१९३. दौड़ धूप करना—परिश्रम करना।
१९४. दाने दाने को तरसना—अत्यधिक निर्धन होना।
१९५. दुम दबाकर भागना—भयभीत होकर भागना।
१९६. धत्ता बताना—टालम टोल करना।
१९७. धाक जमाना—रोब दिखाना।
१९८. धूल में मिल जाना—नष्ट होना।
१९९. धोखे की टट्टी—भ्रम में डालने वाली चीज।
२००. नौ दो ग्यारह होना—भाग जाना।
२०१. नानी याद आना—घबड़ा जाना।
२०२. नमक मिर्च लगाना—बात बढ़ा चढ़ा कर कहना।
२०३. नदी नाव संयोग—भाग्यवश मिलना।
२०४. निन्यानवे के फेर में पड़ना—लोभ में फँसना या ममताग्रस्त होना।
२०५. नाक पर मक्खी न बैठने देना—शान पर बट्टा न लगने देना।
२०६. नाम धरना—दोषी सिद्ध करना।
२०७. नाक भौं सिकोड़ना—घृणा करना।

२०८. नाक का बाल होना–किसी के ज्यादा निकट हो जाना ।
२०९. नानी मर जाना–प्राण सकट में पड़ने पर घबराहट होना ।
२१०. नाकों चने चबाना–खूब तंग करना ।
२११. नाक काटना–अपमानित करना ।
२१२. नाम कमाना–यश प्राप्त करना ।
२१३. नाक रगड़ना–खुशामद करना ।
२१४. पिंड छुड़ाना–पीछा छुड़ाना या बचना ।
२१५. पापड़ बेलना–बेगार भुगतना या कुचक्र करना ।
२१६. पानी पानी होना–लज्जित होना ।
२१७. पहाड़ टूटना–विपत्ति आना ।
२१८. पेट में चूहे कूदना-तेज भूख लगना ।
२१९. पाँचों उंगलियाँ घी में होना–सब ओर से लाभ होना ।
२२०. पते की कहना–सही बात बताना ।
२२१. पीठ ठोकना–शाबासी देना ।
२२२. पीठ दिखाना–हार कर भागना ।
२२३. फूटी आँख न सुहाना–अच्छा न लगना ।
२२४. फूला न समाना–बहुत अधिक खुश होना ।
२२५. फूंक-फूंक कर कदम रखना–सावधानी बरतना ।
२२६. फबतियाँ कसना–ताना मारना ।
२२७. फलना फूलना–वृद्धि या खुशहाल होना ।
२२८. बाल की खाल निकालना–नुक्ता चीनी करना ।
२२९. बात बनाना–बहाना करना ।
२३०. बाँसों उछलना–प्रसन्न होना ।
२३१. बेपर की उड़ान–निराधार बात कहना ।
२३२. बाएँ हाथ का खेल–सरल काम ।
२३३. बगल झाँकना–इधर उधर देखना ।
२३४. बाज न आना–आदत न छोड़ना ।
२३५. बेपेंदी का लोटा–अविश्वसनीय या अस्थिर ।
२३६. बट्टा लगाना–हानि पहुँचाना ।

(घ) ज्यादा चलने की आदत न होना ।
(ङ) कम समय मे कम काम करना । ( )

३. 'काला अक्षर भैंस बराबर' लोकोक्ति का अर्थ है–
(क) जिसे काले अक्षर बड़े लगें ।
(ख) जो अनपढ़ हो ।
(ग) जो लिखे को झूँठ माने ।
(घ) बिना सोचे अर्थ करने वाला ।
(ङ) सभी को समान मानने वाला । ( )

४. 'हाथ कंगन को आरसी क्या' कहावत का अर्थ है–
(क) हाथ में कंगन ही चाहिये आरसी नहीं ।
(ख) समझदार के लिए उपदेश व्यर्थ है ।
(ग) प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है ।
(घ) हाथों में कंगन पहने जाते हैं ।
(ङ) मूल्यवान वस्तु के सामने तुच्छ वस्तु का कोई महत्त्व नहीं ।
( )

५. 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता' लोकोक्ति का अर्थ है–
(क) एक चना भाड़ में नहीं भुन सकता ।
(ख) अकेला चना व्यर्थ होता है ।
(ग) सफलता संगठन के बिना नहीं मिलती ।
(घ) सफलता के लिए संगठित हों या नहीं ।
(ङ) सफलता सबके साथ मिलती है । ( )

६. 'इस हाथ ले उस हाथ दे' कहावत का अर्थ है–
(क) जिस हाथ से लेना उसी हाथ से देना ।
(ख) लेन देन दोनों हाथों से करना चाहिए ।
(ग) लेन देन दोनों हाथों होना चाहिए ।
(घ) उधार नहीं लेना चाहिए ।
(ङ) उधार लेने वाले का हाथ ऊपर नहीं रहता । ( )

७. 'चोर की दाढ़ी में तिनका' लोकोक्ति का अर्थ है—
(क) चोर चोरी से बचने के लिए छिपता है।
(ख) चोर दाढ़ी को मुंडवा देता है।
(ग) दोषी स्वयं डरता रहता है।
(घ) चोर के दाढ़ी नहीं होती।
(ङ) चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर लग जाता है। ( )

८. 'दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है' लोकोक्ति का अर्थ है—
(क) दूध से जलने वाला छाछ नहीं पीता।
(ख) धोखा खाया हुआ व्यक्ति दुबारा सावधानी बरतता है।
(ग) दूध पीने वाले को छाछ अच्छी नहीं लगती।
(घ) धोखेबाज से सावधान रहना चाहिए।
(ङ) दूध से क्या छाछ से भी आदमी जल सकता है। ( )

९. 'सीधी अगुली से घी नहीं निकलता' लोकोक्ति का अर्थ है—
(क) घी निकालने के लिए अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है।
(ख) घी अंगुली मे जरूर लगता है।
(ग) टेढी अंगुली वाला घी जल्दी निकाल लेता है।
(घ) बिल्कुल सीधापन अच्छा नही होता।
(ङ) सीधेपन से नुकसान होता है। ( )

१०. 'बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा' कहावत का अर्थ है—
(क) बिल्ली ऊपर चढ़ी तो छीका टूट गया।
(ख) बिल्ली और छीका टूट गया।
(ग) बिल्ली के आने से काम बिगड़ गया।
(घ) संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना।
(ङ) बिल्ली ने संयोग बना दिया। ( )

११. निम्नलिखित में से कौन-सी कहावत का अर्थ है—'कहीं ठिकाना न होना'—
(क) दोनों नावों पर पैर रखना।

(ख) न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।
(ग) धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।
(घ) नारद बनना।
(ङ) न सावन हरा न भादों सूखा। ( )

१२. नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई है और उनके आगे अर्थ लिखे हुए है। प्रत्येक के सामने के कोष्ठक मे सही (√) और गलत (×) का चिह्न अंकित कीजिए—

१. दूध का दूध पानी का पानी —सच्चा न्याय करना। ( )
२. थोथा चना बाजे घना —दिखावा अधिक करना। ( )
३ पाँचों अंगुलियाँ घी में होना —लोभ मे फँसना। ( )
४. पेट मे दाढ़ी होना —बहुत चालाक होना। ( )
५. निन्यानवे के फेर में पड़ना —खूब लाभ होना। ( )
६. मुख मे राम बगल मे छुरी —धार्मिक व्यक्ति बनना। ( )
७. हाथ कगन को आरसी क्या —प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। ( )
८. काला अक्षर भैंस बराबर —अनपढ़ व्यक्ति। ( )
९. चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय—लोभी व्यक्ति। ( )
१०. आधा तीतर आधा बटेर —पापी मनुष्य। ( )

१३. नीचे लिखी लोकोक्तियों को निम्नांकित वाक्यों में रिक्त स्थान पर भरिए—

हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और; सिर मुंडाते ही ओले पड़ना; हीरे की परख जौहरी करता है; मान न मान मैं तेरा मेहमान; जिसकी लाठी उसकी भैंस।

(क) गुरुजी हमें कहते है कि प्रातः ५ बजे तक उठ जाना चाहिए और स्वयं आठ बजे तक खर्राटें लेते रहते हैं। इसी को कहते हैं.............................. ।

(ख) परसों रात को एक महोदय हमारे घर आकर ठहर गये थे। कल दिन भर घूमते रहे। आज परिचय पूछा तो बोले "मैं

आप के पड़ोसी जो गाँव गये हैं, उनके साले का मित्र हूँ। पाँच चार दिन में जयपुर की सैर करके लौट जाऊँगा।" यह सुनकर मैंने कुढ़ कर कहा..............................।

(ग) गाँवों के जमीदार किसानों से वेगार कराते हैं और अन्य प्रकार से भी उनका शोषण करते हैं, किन्तु उनके विरुद्ध कोई मुँह नहीं खोलता। सच ही कहा है कि..............................।

(घ) आज वहुत दिनों की दौड़-धूप के बाद मुझे स्पिनिंग मिल में टाइम कीपर पद पर नियुक्ति मिली थी कि आज ही मिल मालिकों ने तालाबन्दी की घोषणा करदी, तो मेरे मित्र ने कहा कि..............................।

(ङ) महेश पिछले आठ वर्षों से निष्ठा पूर्वक कांस्टेबिल के पद पर कार्य कर रहा था। नए एस. पी. साहव ने आकर सबका कार्य देखा और महेश की पदोन्नति हेडकांस्टेबिल पद पर कर दी। सच ही तो कहा गया है कि..............................।

१४. निम्नांकित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए—
(क) लातों के देव बातों से नहीं मानते।
(ख) विल्ली के भाग्य से छींका टूटा।
(ग) दीवाल के भी कान होते हैं।
(घ) वन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद।
(ङ) मनचंगा तो कटौती में गंगा।

१५. 'ढाक के तीन पात' मुहावरे का अर्थ है—
(क) झगड़ा करना। (ख) प्रचार करना।
(ग) हमेशा तंग हालत में रहना। (घ) हमेशा लड़ाई करना। ( )

१६. 'आँखें खुलना' मुहावरे का अर्थ है—
(क) समझ में आना। (ख) भाग्य बनाना।
(ग) सामने आना। (घ) जागना।
(ङ) दुःख के बाद आँख खुलना।

१७. 'घर की मुर्गी दाल बराबर' मुहावरे का अर्थ है—
(क) मुर्गियों को घर घर बाँटना।
(ख) अपनी चीज की कोई कीमत न करना।
(ग) सीधा काम।
(घ) घर के लोगों को महत्त्व न देना। ( )

१८. 'घड़ों पानी पड़ जाना' मुहावरे का अर्थ है—
(क) लज्जा से दब जाना। (ख) चिंता में डूब जाना।
(ग) पसीने से भीग जाना। (घ) पानी में भीग जाना।
(ङ) वर्षा में भीगना। ( )

१९. 'छाती पर मूँग दलना' मुहावरे का अर्थ है—
(क) कड़वी बात बोलना। (ख) घमण्ड करना।
(ग) घोर संकट में पड़ना। (घ) बहुत अधिक परेशान करना।
(ङ) मारे मारे फिरना। ( )

२०. 'कोल्हू का बैल' मुहावरे का अर्थ है—
(क) ऐसा बैल जो कोल्हू चलाये। (ख) बेइज्जती करना।
(ग) दिन रात परिश्रम करना। (घ) धीरे धीरे चलना।
(ङ) दर दर भटकना। ( )

२१. 'जीती मक्खी निगलना' मुहावरे का अर्थ है—
(क) मक्खी का धोखे से गले में पहुँच जाना।
(ख) मक्खी से घबराना।
(ग) झूँठ बोलना।
(घ) जानबूझ कर बेइमानी करना।
(ङ) अपना अपराध छिपाना। ( )

२२. 'जमीन पर पैर न रखना' मुहावरे का अर्थ है—
(क) संकट में फसना। (ख) घमण्ड करना।
(ग) ऊपर ऊपर उड़ना। (घ) मारे मारे फिरना।
(ङ) घोर संकट में पड़ना। ( )

२३. 'लुटिया डुबोना' मुहावरे का अर्थ है—
(क) अपमान करना। (ख) इज्जत गंवाना।
(ग) प्रसन्न होना। (घ) क्रोधित होना।
(ङ) प्रभाव जमाना। ( )

२४. 'मुट्ठी गरम करना' मुहावरे का का अर्थ है—
(क) अपमान करना। (ख) हाथ तोड़ देना।
(ग) रिश्वत देना। (घ) मुट्ठी पर आग रखना। ( )

२५. निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ 'काम बिगाड़ना है—
(क) आसमान सिर पर उठाना।
(ख) लुटिया डुबोना।
(ग) कच्चा चिट्ठा खोलना।
(घ) इतिश्री करना। ( )

२६. नीचे कुछ मुहावरे दिये गये हैं और उनके आगे अर्थ लिखे हुए हैं। प्रत्येक मुहावरे के सामने कोष्ठक में जो अर्थ सही हो उसके आगे (✓) का और जो गलत हो, उसके आगे (×) का चिह्न अङ्कित कीजिए—

१. आड़े हाथों लेना	—खरी खरी सुनाना।	( )
२. जान पर खेलना	—कठिन कार्य करना।	( )
३. आँखों में खून उतरना	—घमण्ड में भरे रहना।	( )
४. कागज काला करना	—झूठ बोलना।	( )
५. चटनी बनाना	—बहुत अधिक पिटाई करना।	( )
६. छाती पर मूँग दलना	—ईर्ष्या होना।	( )
७. हाथ पाँव फूलना	—भयभीत होना।	( )
८. तोते उड़ जाना	—दोष निकालना।	( )
९ हवा से बातें करना	—तेज चलना।	( )
१०. तूती बोलना	—प्रभाव होना।	( )

२७. नीचे लिखे मुहावरों से निम्नांकित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

आटे दाल का भाव मालूम होना; आसमान सिर पर उठाना; कमर कसना; खटाई में पड़ना; चिकना घड़ा; दांत काटी रोटी; बन्दर घुड़की; रंगा सियार; गाल फुलाना; गुड़ गोबर कर देना।

(१) मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया है जो·····················बैठे हो।

(२) मैं तो लिखते लिखते थक गया और तुमने कॉपी पर पानी बिखेर कर सब·····················दिया।

(३) चीन और पाकिस्तान की सांठ गांठ देखते हुए लगता है कि वे दोनो आजकल····················· है।

(४) वह तिलकधारी महाराज·····················है क्योंकि दिखाने को राम राम रटता है पर उसका असली काम कुछ और ही है।

(५) सेठजी इंस्पेक्टर की·····················सुनकर तुरन्त पाँच सौ के नोट भेंट कर गए, जबकि केस का यों ही निपटारा हो जाता।

(६) मित्र जब गृहस्थी के चक्कर में फंसोगे तो····················· हो जायगा।

(७) तुम्हारे आलस्य के कारण ही नौकरी का मामला····················· पड़ गया।

(८) अरे बालकों ! तनिक शांति से बैठो, क्यों·····················रखा है।

(९) महेन्द्र तो·····················हो गया है। उसने गुरुजी के प्रवचन को भी इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया है।

(१०) मित्रो !·····················अब हमें धवलगिरि चोटी पर पहुँच कर ही विश्राम लेना होगा।

२८. निम्नांकित मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयुक्त कीजिए—

१. किताब का कीड़ा।

२. चुल्लू भर पानी में डूब मरना।

३. अंगुली पकड़कर पहुँचा पकड़ना।

४. कलेजा मुँह को आना।
५. ईंट का जवाब पत्थर से देना।
६. अक्ल पर पत्थर पड़ना।
७. नौ दो ग्यारह होना।
८. बाल भी बाँका न होना।
९. सिर आँखों पर बैठना।
१०. दिन में तारे दिखाई देना।
११. आग मे घी डालना।

८

अशुद्धि संशोधन (शुद्ध-रचना)

रचना की दृष्टि से शुद्ध-लेखन का अपना विशेष महत्त्व है। अशुद्ध-लेखन से न केवल भाषा सदोष होती है, वरन् भावों और विचारों की अभिव्यक्ति भी अपूर्ण रहती है। लेखन में सामान्यतः दो प्रकार की अशुद्धियाँ दृष्टिगत होती हैं—प्रथम व्याकरण सम्बन्धी और दूसरी व्यावहारिक। शुद्ध-लेखन के लिए आवश्यक है कि छात्रों को उच्चारण, वर्तनी, वाक्य रचना एवं शब्द प्रयोग सम्बन्धी त्रुटियों (अशुद्धियों) का ज्ञान हो और उनके संशोधन-सम्बन्धी नियमों से वे भली-भांति परिचित हों। इस अध्याय में भाषा-लेखन की सामान्य अशुद्धियों को अपेक्षित संशोधन एवं उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जा रहा है।

१. वर्ण या अक्षर सम्बन्धी अशुद्धियां

अक्षरों के योग से ही शब्द बनते है। यदि किसी शब्द का कोई अक्षर अशुद्ध लिखा या पढ़ा जाता है, तो यह अक्षर सम्बन्धी अशुद्धि कही जायेगी। जैसे—

(क) ऋ और रि के प्रयोग में

अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
वृटिश	ब्रिटिश
त्रगुण	त्रिगुण
वृज	व्रज
रिषि	ऋषि

(ख) ए और ऐ के प्रयोग में

इन अक्षरों के उच्चारण में यह ध्यान देने की बात है कि 'ऐ' जैसा कोई स्वर हिन्दी में नहीं है, अतः जाइऐ, लिऐ, हुऐ आदि लिखना अशुद्ध है। इनके स्थान पर क्रमशः जाइए, लिए, हुए—लिखना ही शुद्ध है।

(ग) व और ब के प्रयोग में

इन दोनों अक्षरों के उच्चारण एवं बनावट में समानता के कारण प्रायः छात्र इनके प्रयोग में भूल कर जाते हैं। तनिक-सा ध्यान देने से ब और व सम्बन्धी अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
विसाल	विशाल
वुद्धि	बुद्धि
व्रह्मा	ब्रह्मा
बिकार	विकार
बीणा	वीणा
बर्ग	वर्ग
बिजय	विजय
वन्ध	बन्ध

(घ) न और ण के प्रयोग में

ब्रज और अवधी भाषाओं मे कहीं-कहीं 'ण' के स्थान पर 'न' का प्रयोग दिखाई देता है। किन्तु खड़ी बोली (हिन्दी) में अधिकांशतः इन अक्षरों का प्रयोग संस्कृत के अनुसार होता है। जैसे–चरन (चरण), गुन, (गुण) मरन (मरण)।

२. मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियाँ

लेखन में सामान्यतः छात्रों द्वारा स्वर वर्णों की मात्राओं से सम्बन्धित अशुद्धियाँ होती हैं। तनिक सा ध्यान देने और नियमित अभ्यास से मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियों से बचा जा सकता है। मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियों के संशोधन सहित कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं–

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुग्रह	अनुग्रह	अकाश	आकाश
असीस	आशिष	कवियत्री	कवयित्री
देहिक	दैहिक	आधीन	अधीन
पैत्रिक	पैतृक	द्रष्टि	दृष्टि
सप्ताहिक	साप्ताहिक	चाहिये	चाहिए
जाग्रति	जागृति	प्रथक	पृथक्
स्त्रीयाँ	स्त्रियाँ	परिक्षा	परीक्षा
सृष्टी	सृष्टि	रात्री	रात्रि
अती	अति	प्राप्ती	प्राप्ति
तैय्यार	तैयार	आखरी	आखिरी
अतिथी	अतिथि	गुरू	गुरु
घनिष्ट	घनिष्ठ	सामर्थ	सामर्थ्य
व्यवहारिक	व्यावहारिक	एकत्रित	एकत्र

३. वचन सम्बन्धी अशुद्धियाँ

लेखन में वचन सम्बन्धी अशुद्धियों से बचने के लिए आगे लिखे नियमों पर ध्यान देना आवश्यक है—

१. जब अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के नामों में से अन्त वाले नाम के पहले 'और', 'एवं', 'तथा', शब्द हो तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन होती है। जैसे—

(क) राजीव, सजय और विनोद स्कूल गये हैं।

(ख) कमरे में पेंसिल, कापी एवं लैम्प रखी है।

२. यदि अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों के नामों में अन्तिम नाम के पहले 'या, 'अथवा' शब्द हो तो क्रिया एकवचन होती है। जैसे—

(क) मेरी जेब में पैन, कलम या पेंसिल कुछ तो होगा।

(ख) उमाकान्त, सीमा अथवा निर्मला कोई तो पढ़ रहा होगा।

३. एक पूर्ण वाक्य में एकवचन और बहुवचन की कितनी भी संज्ञाएँ हों, उस वाक्य की क्रिया उसी वचन में होगी, जिस वचन की अन्तिम संज्ञा होगी। जैसे—

(क) सुरला जी के पास चार पुस्तकें दो पेंसिलें और एक पैन है।

(ख) कृष्णा के पास एक पेंसिल, एक पैन और चार कापियाँ हैं।

४. वाक्य में कर्त्ता एकवचन का हो, तो उस वाक्य की क्रिया भी एकवचन की होती है। जैसे—

प्रत्येक विद्यार्थी को परिश्रम का फल अवश्य मिलता है।

५. हिन्दी में बहुत से शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। ऐसे शब्द हैं—हस्ताक्षर, प्राण, होश,आँसू, दर्शन, आदि। जैसे—

(क) मेरे हस्ताक्षर टेढ़े-मेढ़े हैं।

(ख) आपके प्राण इस समय संकट में हैं!

(ग) आपको देखते ही मेरी आँखों में आँसू आ गये।

(घ) सीमा को महात्मा जी के दर्शन करके प्रसन्नता हुई।

६. आदर सूचक शब्दों का प्रयोग बहुधा बहुवचन में होता है। जैसे—

(क) आप कहाँ विराजते हैं?

(ख) आप कब पधारेंगे?

७. (क) आकारान्त शब्दों का बहुवचन बनाते समय अन्त में स्वर का प्रयोग होना चाहिए। जैसे—
आवश्यकता–आवश्यकताएँ
विद्या–विद्याएँ
भाषा–भाषाएँ

(ख) इकारांत या ईकारांत शब्दों के बहुवचन मे 'ये' 'या' 'यों' का प्रयोग होना चाहिए। जैसे—
नदी–नदियाँ, डाली-डालियाँ, लड़की–लड़कियाँ।

(ग) उकारांत शब्दों के बहुवचन में प्रायः स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे—
बंधु-बंधुओं, गुरु-गुरुओं।

८. हिन्दी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो विभक्ति रहित होने पर एकवचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप से प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द है–घर, रस, बालक, भाई, दादा, योद्धा, मुनि आदि।

(क) रसों में प्रधान रस शृंगार रस होता है। (एकवचन)
महाकाव्य में शृंगार, वीर और शांत प्रधान रस होते हैं। (बहुवचन)

(ख) मेरा घर रानी बाजार में है। (एकवचन)
रानी बाजार में सैकड़ों घर है। (बहुवचन)

४. लिंग सम्बन्धी अशुद्धियाँ

हिन्दी भाषा में लिंग सम्बन्धी प्रयोग अनेक दृष्टियों से उलझन पूर्ण है और इसीलिए लिंग सम्बन्धी अशुद्धियाँ होती है। हिन्दी में सर्वनाम का अपना कोई लिंग नही होता। जैसे—मैं, तुम, वह आदि सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। क्रिया और क्रिया विशेषण शब्दों का लिंग संज्ञा के अनुसार होता है। लिंग के शुद्ध प्रयोग की दृष्टि से नीचे लिखे बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है—

(क) सामान्यतः प्राणिवाचक शब्दों (जैसे–बकरी, हाथी, घोड़ा आदि) के लिंग का ज्ञान अर्थ के अनुसार होता है। जैसे–हाथी जाता है। बकरी जाती है। मैना पुकारती है। तोता रटता है।

(ख) अप्राणिवाचक शब्दों का अर्थ लिंग अर्थ एवं व्यवहार के अनुसार होता है। जैसे—

मेरा परिवार बहुत सम्पन्न है। (पुल्लिंग)
हमारे देश की सेना शक्तिशाली है। (स्त्रीलिंग)।

(ग) हिन्दी में कुछ प्राणिवाचक शब्द (जैसे—शिशु, कौआ, चीता, भेड़िया, हाथी, पक्षी आदि) सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे—पक्षी उड़ रहा है। हाथी जाता है। शिशु रोता है। किन्तु कुछ शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे-मुझे आपकी सन्तान पर गर्व है। मक्खी गन्दगी फैलाती है।

(घ) संस्कृत के बहुत से तत्सम शब्द जो मूलतः पुल्लिंग हैं, हिन्दी में स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—अग्नि, आत्मा, शपथ, पवन आदि।
आत्मा अमर होती है।
अग्नि असह्य होती है।
मैंने तुम से न बोलने की शपथ खाई है।

(ङ) दिनों, महीनों, ग्रहों, पहाड़ों, आदि के नाम सामान्यतः पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु तिथियों, भाषाओं, नदियों आदि के नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—
रविवार छः दिन बाद आता है। (पुल्लिंग)
हिमालय हमारे देश का गौरव है। (पुल्लिंग)
अब चन्द्रमा हमारे लिए रहस्यपूर्ण नहीं रहा है। (पुल्लिंग)
हिन्दी और राजस्थानी दोनों मेरी भाषाएँ हैं। (स्त्रीलिंग)
सावन के महीने में पंचमी किस दिन पड़ेगी ? (स्त्रीलिंग)
नदियों में गंगा की पूजा की जाती है। (स्त्रीलिंग)

(च) विशेषण शब्दों का लिंग सदैव विशेष्य शब्दों के अनुसार ही होता है। जैसे—
काला कौआ, काली कोयल, बहता झरना, बहती नदी।

५. कारक सम्बन्धी अशुद्धियाँ

कारक सम्बन्धी अशुद्धियाँ दो प्रकार से होती हैं। या तो कारक के विभक्ति चिह्न का प्रयोग न किया जाय। जैसे—'निर्मला घर नहीं है' (अशुद्ध), 'निर्मला घर पर नहीं है' (शुद्ध)। व्यर्थ की विभक्तियों के प्रयोग से भी वाक्य रचना अशुद्ध होती है। जैसे—मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है (अशुद्ध)। मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पडती हैं (शुद्ध)। कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

अशुद्ध	शुद्ध
१. वह और काम से लगेगा।	१. वह और काम में लगेगा।
२. उमाकान्त घर नही है।	२. उमाकान्त घर पर नही है।
३. अपने बच्चे चतुर बनाओ।	३. अपने बच्चों को चतुर बनाओ।
४. आम को खूब पका होना चाहिए।	४. आम खूब पका होना चाहिए।
५. उसको बहुत से कार्यों को देखना पड़ता है।	५. उसको बहुत से कार्य करने पड़ते हैं।
६. रामायण सभी हिन्दू मानते हैं।	६. रामायण को सभी हिन्दू मानते हैं।
७. आप यह रहस्य सभी को प्रकट करदें तो अच्छा रहेगा।	७. आप यह रहस्य सभी पर प्रकट करदें, तो अच्छा होगा।

६. प्रत्यय और उपसर्ग सम्बन्धी अशुद्धियाँ

प्रत्यय सम्बन्धी अशुद्धियाँ प्रायः भाववाचक शब्दों के बनाने में होती हैं। भाव प्रत्ययान्त शब्दों के आगे और प्रत्यय नहीं लगाना चाहिये। जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
सौन्दर्यता	सौन्दर्य
गौरवता	गौरव
चातुर्यता	चातुर्य
माधुर्यता	माधुर्य
लाघवता	लाघव
सामर्थ्यता	सामर्थ्य

रलिया ने इतने खून किये कि अब वह कुख्यात खूनी हो गया ।
(शुद्ध)

(ख) राकेश इतना निर्लज्ज है कि अपने गुरुजी से कुछ भी कह देता है । (अशुद्ध)
राकेश इतना उद्दण्ड है कि अपने अध्यापक को कुछ भी कह देता है । (शुद्ध)

इस प्रकार एक ही वाक्य में परस्पर विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए । जैसे—

(क) शायद आज आँधी अवश्य आयेगी । (अशुद्ध)
शायद आज आँधी आयगी । (शुद्ध)
या, आज आँधी अवश्य आयगी । (शुद्ध)

एक ही वाक्य में दो समानार्थी शब्दों के प्रयोग से भी लेखन में अशुद्धियाँ होती हैं । अतः वाक्य-रचना में यह तथ्य भी स्मरण रखने योग्य है । जैसे—

(क) सेशन जज ने हत्यारे को मृत्युदण्ड की सजा दे दी । (अशुद्ध)
सेशन जज ने हत्यारे को मृत्युदण्ड दिया । (शुद्ध)

(ख) कृपया मेरे इस निमन्त्रण को स्वीकार करने की कृपा करें ।
(अशुद्ध)
कृपया मेरा नियन्त्रण स्वीकार करें । (शुद्ध)
या मेरे इस निमन्त्रण को स्वीकार करने की कृपा करें । (शुद्ध)

(ग) गिरीश प्रातःकाल के समय घूमने जाता है । (अशुद्ध)
गिरीश प्रातःकाल घूमने जाता है । (शुद्ध)

११. शब्द-क्रम सम्बन्धी अशुद्धियाँ

वाक्य-रचना में उपयुक्त शब्द-क्रम बहुत आवश्यक है । इसके अभाव में लेखन में अशुद्धियाँ होती है । जैसे—

(क) आजाद था हुआ यह देश सन १९४७ में । (अशुद्ध)
सन् १९४७ में यह देश आजाद हुआ था । (शुद्ध)

(ख) अचार्य श्री रामदेव रचयिता—'अक्षरों का विद्रोह' के । (अशुद्ध)
श्री रामदेव आचार्य 'अक्षरों का विद्रोह' के रचयिता हैं । (शुद्ध)

१२. विराम चिन्ह सम्बन्धी अशुद्धियां

लेखन में विराम चिह्नों के महत्त्व पर पांचवें अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है । यहां यह उल्लेनीय है कि विराम चिह्नों के प्रयोग न करने अथवा अनुपयुक्त प्रयोग करने से भी लेखन में अशुद्धियां होती है । जैसे—

(क) अरविंद ने कहा मैं परसों तक अवश्य आजाऊँगा । (अशुद्ध)
अरविंद ने कहा, "मैं परसों तक अवश्य आ जाऊँगा ।" (शुद्ध)

(ख) राजस्थानी बाजरा खाते हैं—बंगाली चावल । (अशुद्ध)
राजस्थानी बाजरा खाते हैं, बंगाली चावल । (शुद्ध)

१३. वाक्य-रचना सम्बन्धी विविध अशुद्धियां

नीचे कुछ वाक्य विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों से युक्त संशोधन सहित दिये जा रहे हैं । छात्र उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर ज्ञात करें कि इसमें कौनसी अशुद्धियां हैं और क्यों हैं—

१. सरला जी विद्वान और कवि हैं । (अशुद्ध)
सरला जी विदुषी और कवयित्री हैं । (शुद्ध)

२. सबों ने यही कहा कि उसका भाग फूट गया । (अशुद्ध)
सबने यही कहा कि उसके भाग फूट गये । (शुद्ध)

३. दमयन्ती राजा नल की स्त्री थी । (अशुद्ध)
दमयन्ती राजा नल की पत्नी थी । (शुद्ध)

४. श्री लालबहादुर शास्त्री के निधन से सर्वत्र दुःख छा गया । (अशुद्ध)
श्री लालबहादुर शास्त्री के निधन से सर्वत्र शोक छा गया । (शुद्ध)

५. कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है । (अशुद्ध)
कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है । (शुद्ध)

६. मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है । (अशुद्ध)
मेरे पास केवल एक घड़ी है । (शुद्ध)

७. गाय का बच्चा बहुत अच्छा लगता है। (अशुद्ध)
गाय का बछड़ा बहुत अच्छा लगता है। (शुद्ध)

८. मैंने अनेकों कविताएँ पढ़ी हैं। (अशुद्ध)
मैंने अनेक कविताएँ पढ़ी हैं। (शुद्ध)

९. आप समय पर उपस्थित होंवे। (अशुद्ध)
आप समय पर उपस्थित हों। (शुद्ध)

१०. मैंने तुम्हारा हस्ताक्षर पहचान लिया है। (अशुद्ध)
मैंने तुम्हारे हस्ताक्षर पहचान लिए हैं। (शुद्ध)

११. निर्मला घर नही है। (अशुद्ध)
निर्मला घर पर नहीं है। (शुद्ध)

१२. उमाकान्त पत्र लिखने को बैठा। (अशुद्ध)
उमाकान्त पत्र लिखने बैठा। (शुद्ध)

१३. विद्या और माया ने सोचा कि हमें परस्पर में एकता से रहना चाहिए। (अशुद्ध)
विद्या और माया ने सोचा कि हमें परस्पर एकता से रहना चाहिए। (शुद्ध)

१४. सुरक्षा के लिए बन्दूक आवश्यक शस्त्र है। (अशुद्ध)
सुरक्षा के लिए बन्दूक आवश्यक अस्त्र है। (शुद्ध)

१५. अब तो दो देशों की टक्कर हो ही गई है। (अशुद्ध)
अब तो दो देशों में टक्कर हो गई है। (शुद्ध)

१६. कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं। (अशुद्ध)
कुत्ते रात भर भौंकते हैं। (शुद्ध)

१७. बच्चों ने मन्त्री महोदय को एक फूल की माला भेंट की। (अशुद्ध)
बच्चों ने मन्त्री महोदय को फूलों की एक माला भेंट की। (शुद्ध)

१८. प्रातःकाल घूमना तुम्हारे लिए उपयोगी रहेगा। (अशुद्ध)
प्रातःकाल घूमना तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। (शुद्ध)

१९. यह केवल आप पर ही निर्भर करता है। (अशुद्ध)
यह केवल आप पर निर्भर है। (शुद्ध)

या, यह तो आप पर ही निर्भर है। (शुद्ध)

२० व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूलें करता है। (अशुद्ध)

व्यक्ति युवावस्था में अनेक भूलें करता है। (शुद्ध)

२१. दोनों छात्रों में उमाकांत श्रेष्ठतम है। (अशुद्ध)

दोनों छात्रों में उमाकांत श्रेष्ठतर है। (शुद्ध)

२२. सारा राज्य उसके लिए थाती थी। (अशुद्ध)

सारा राज्य उसके लिए थाती था। (शुद्ध)

२३. वृक्षों पर कौआ बोल रहा था। (अशुद्ध)

वृक्षों पर कौए बोल रहे थे। (शुद्ध)

२४. यह विषय बड़ा छोटा है। (अशुद्ध)

यह विषय बहुत छोटा है। (शुद्ध)

२५. एकाकी, नाटक, कहानी, उपन्यास और कविताओं में जीवन के सत्य का चित्रण होता है। (अशुद्ध)

एकांकियों, नाटकों, कहानियों, उपन्यासों और कविताओं में जीवन के सत्य का चित्रण होता है। (शुद्ध)

२६. उसने कहा भगवान तुम्हारा कल्याण करे। (अशुद्ध)

उसने कहा, "भगवान् तुम्हारा कल्याण करे।" (शुद्ध)

२७. पता लगाओ दर असल में विद्वान् कौन है? (अशुद्ध)

पता लगाओ दरअसल विद्वान् कौन है? (शुद्ध)

अभ्यास

१. नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को कोष्ठक में लिखिए-

१—आवश्यक्ता, आवश्यकता, आवशयक्ता, आवशयकता। ( )

२—आकपर्क, आर्कशक, आकर्षक, आकृपक। ( )

३—पूज्यनीय, पूजीय, पूजननीय, पूजनीय। ( )

४—पैत्रिक, पित्रिक, पैतरिक, पैतृक। ( )

५—उजवल, उज्जवल, उज्वल, उज्ज्वल। ( )

६—तदन्तर, तदनन्तर, तदनतर, तदनांतर। ( )

७—मदोपदेश, मदपदेश, मदुपदेश, मदपुदेश। ( )

८—अरयुक्ति, अत्योक्ति, अरयक्ति, अनयुक्ति । ( )
९—जाग्रति, जागृति, जागति, जागति । ( )
१०—निरिक्षण, निरक्षण, निरीक्षण, नीरीक्षण । ( )
११—प्राप्ती, प्राप्ति, प्रापती, प्राप्ती । ( )
१२—प्रथक, पर्थक, पृथक्, प्रर्थक । ( )
१३—प्रत्यच्छ, प्रतक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतयक्ष । ( )
१४—ग्रहण, गृहण, गरहण, गिरहण । ( )
१५—सर्वस्व, सवस्व, सवर्स्व, सर्वंश । ( )

२. निम्नांकित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिए—

१—गुरु से ही सच्चा .... प्राप्त होता है । (ज्ञान, ग्यान)
२—ब्रह्मा जी ने .... की रचना की है । (सृष्टि, सृष्टि)
३—आइए ! भोजन .... है । (तैयार, तैय्यार)
४—मैं .... को देर तक पढ़ता हूँ । (रात्री, रात्रि)
५—भगवान कृष्ण की लीला भूमि .... प्रदेश थी । (ब्रज, बृज)
६—उमाकान्त को पढ़ना .... । (चहिए, चाहिये)
७—महादेवी वर्मा रहस्यवाद की .... है । (कवियत्री, कवयित्री)
८—सीमा .... की तैयारी में लग रही है । (परिक्षा, परीक्षा)
९—अब वह तुम्हारे .... नहीं रहेगा । (अधीन, आधीन)

३. निम्नांकित वाक्यों में जो शुद्ध हैं, उनके आगे कोष्ठक में (✓) का तथा जो अशुद्ध हैं, उनके आगे (×) का चिह्न अंकित कीजिए—

१—सबों ने मिलकर बेचारे महेश को पीटा । ( )
२—मैंने महात्मा जी के दर्शन कर लिए हैं । ( )
३—शायद आज नरेश जरूर आयेगा । ( )
४—क्या आपने बीकानेर देखा है ? ( )
५—एक लड़की और एक लड़का जाता है । ( )
६—सम्भव है कि आज आंधी आयेगी । ( )

७—मैंने दस बजे तक आपकी प्रतीक्षा देखी। ( )

८—जामुन को खूब काला होना चाहिये। ( )

९—वृक्ष पर कौआ बोल रहा था। ( )

१०—तुम प्रातःकाल के समय व्यायाम क्यों नहीं करते ? ( )

४. निम्नांकित वाक्यों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हैं। आप इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए और बताइये कि उनमें किस प्रकार की अशुद्धियां हैं—

१—आपने तो मेरा प्राण संकट में डाल दिया।

आपने तो मेरे प्राण संकट में डाल दिये। (वचन सम्बन्धी अशुद्धि)

२—कृपया कल घर पधारने की कृपा करें।

.... ( )

३—निर्मला ने कहा मैं परसों तक चली जाऊंगी।

.... ( )

४—जग्गू अधिक खाकर मर गया।

.... ( )

५—उपरोक्त उत्सव में मैं सम्मिलित नही होऊँगी।

.. .. ( )

६—आपने मान्यनीय मंत्री महोदय का स्वागत कब किया ?

. ... ( )

७—जन्म था हुआ कृष्ण का कारागृह में।

.... ( )

८—आपकी पुत्री विद्वान है।

.... ( )

९—प्राचीनकाल में बाण ही भयकर अस्त्र था।

.... ( )

१०—मैंने आपको अमूल्य अंगूठी दी थी।

.... ( )

५. नीचे लिखे शब्दों में से शुद्ध और अशुद्ध को अलग-अलग लिखिये—
स्त्रियां–स्त्रीयां, लक्षमी-लक्ष्मी, गुरू-गुरु, अनुगृह-अनुग्रह, अति-अती, आखरी–आखिरी, पुरूष्कार–पुरस्कार, महात्म्य–माहात्म्य, उद्देश–उद्देश्य, घनिष्ठ–घनिष्ट, सामर्य्यता-सामर्थ्य, रचियता–रचयिता।

शुद्ध	अशुद्ध
१—स्त्रियां	१—स्त्रीयां
२—	२—
३—	३—
४—	४—
५—	५—
६—	६—
७—	७—
८—	८—
९—	९—
१०—	१०—

६. निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरे वाक्य को पुनः लिखिए—
<u>बुरावस्था</u> में पड़े व्यक्ति की <u>अन्तर्चेतना</u> कुण्ठित हो जाती है।

७. नीचे शुद्ध विराम चिह्नों के नाम और उनके रूप कोष्ठकों में अंकित हैं। शुद्ध नाम और रूप वाला विकल्प कौन सा है ?
(क) प्रश्नवाचक चिह्न (।)
(ख) पूर्ण विराम (?)
(ग) अर्द्ध विराम (,)
(घ) अल्पविराम (;)
(ङ) विस्मय बोधक चिह्न (!) ( )

द्वितीय प्रकरण

रचना-बोध

९

पत्र-लेखन

आवश्यक निर्देश—पत्र लेखन कार्य प्रायः सभी को करना पड़ता है। सामान्यतः पत्र-लेखन बिना किसी अभ्यास या जानकारी के किया जाता है। किन्तु पत्र-लेखन एक कला है। कुशल और सुन्दर पत्र-लेखन के लिए पत्र-लेखक को पत्र-लेखन कला का अपेक्षित ज्ञान और अभ्यास होना आवश्यक है।

पत्र की परिभाषा—पत्र उस सरल रचना को कहते हैं जिसके द्वारा पत्र-लेखक अपने व्यक्तिगत विचार को लिखित रूप में दूसरों के प्रति प्रकट करता है।

पत्र के प्रकार—विषय की दृष्टि से पत्र अनेक प्रकार से होते हैं। प्रत्येक प्रकार के पत्र लिखने की शैली व पद्धति भी भिन्न-भिन्न होती है। सामान्यतः पत्रों के निम्नांकित प्रकार माने जा सकते हैं—

१. **व्यक्तिगत व पारिवारिक पत्र**—जो पत्र परिचित व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए—मित्र, अध्यापकों या विशेष परिचय रखने वाले व्यक्तियों को लिखे गये पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। माता, पिता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को पारिवारिक पत्रों की संज्ञा दी जाती है। वैसे पारिवारिक पत्र भी व्यक्तिगत ही होते हैं।

२. **व्यावसायिक पत्र**—व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र लेन-देन या क्रय-विक्रय से सम्बन्धित होते हैं। ये पत्र प्रायः फर्मों या कम्पनियों या व्यापारियों को लिखे जाते हैं। पत्र-सम्पादकों को लिखे गये पत्र इसी श्रेणी में समाहित किये जाते हैं।

३. सरकारी पत्र—सरकारी कार्यालयों अथवा अधिकारियों को नौकरी प्राप्त करने, शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी विषयों को लेकर अथवा व्यवस्था सम्बन्धी शिकायत आदि के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वे सरकारी पत्र कहे जाते हैं। विभिन्न राज्य सरकारें परस्पर एव केन्द्रीय सरकार में जो पत्र-व्यवहार करती हैं, वे पत्र भी इसी वर्ग में आते हैं।

अनेक अवसरों, उच्चाधिकारियों को नाम द्वारा सम्बोधित करके उनका ध्यान सम्बन्धित विषय के प्रति विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। उन्हें अर्द्ध-सरकारी पत्र कहते हैं।

४. विविध पत्र—बहुत से पत्र ऐसे भी होते हैं जो उपर्युक्त में से किसी भी वर्ग के अन्तर्गत नहीं आते हैं। जैसे—बधाई-पत्र, निमन्त्रण-पत्र, सूचना-पत्र, विज्ञापन-पत्र आदि। इन्हें विविध पत्र के अन्तर्गत समाविष्ट किया जा सकता है।

पत्र के अंग

प्रारम्भ—पत्र के ऊपरी सिरे पर बीचों-बीच पुरानी प्रथा के अनुसार कुछ मांगलिक शब्द, जैसे—श्री गणेशाय नमः, ॐ, श्रीरामजी आदि लिखा जाता है। मुसलमान अपने पत्रों में ७८६ या बिस्मिल्ला लिख देते हैं। ये मांगलिक शब्द केवल व्यक्तिगत पत्रों में ही लिखे जाते हैं। आजकल मांगलिक शब्दों का लिखना समाप्त प्रायः होता जा रहा है। पत्र आरम्भ करते समय पत्र की दाईं ओर कोने पर लेखक को अपना पता लिखना चाहिये। यह पता संक्षिप्त होना चाहिए। पते के नीचे दिनांक लिख दिया जाता है।

सम्बोधन—पत्र के बाईं ओर किनारे पर आदरसूचक या स्नेहसूचक शब्दों द्वारा सम्बोधन किया जाना चाहिये। अपने से बड़ों या पूज्यों को सम्बोधित करते समय मान्यवर, पूजनीय, श्रीमान्, श्रद्धेय, आदरणीय; बराबर वालों को सम्बोधित करते समय प्रिय, प्रियवर, बन्धुवर; भाई-छोटों के लिए आयुष्मान्, प्रिय, चिरंजीव आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

अभिवादन—अभिवादन का प्रयोग केवल व्यक्तिगत पत्रों (विशेष रूप से मित्रों या सम्बन्धियों को लिखे गए पत्रों) में किया जाता है। यद्यपि

अभिवादन पत्र का आवश्यक अंग है किन्तु आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है।

जिन पत्रो में अभिवादन का प्रयोग किया जाय उनमें यह ध्यान रखने की बात है कि जिसके प्रति अभिवादन किया गया है, वह किस श्रेणी या प्रतिष्ठा का व्यक्ति है। बड़ो के प्रति अभिवादन करते समय प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर अभिवादन जैसे शब्दो का प्रयोग करना चाहिये।

समवयस्कों के लिए नमस्ते, वन्दे, जयहिन्द तथा छोटों के लिए चिरायु हो, प्रसन्न रहो, शुभाशीष, आशीर्वाद जैसे शब्दो का प्रयोग किया जाना चाहिये। अभिवादन के शब्द दूसरी पंक्ति में सम्बोधन शब्द के नीचे थोड़ा-सा हटकर (कुछ दूरी पर लिखने) चाहिये।

मुख्य विषय—अभिवादन के नीचे वाली पंक्ति से पत्र का मुख्य विषय लिखा जाना चाहिये। मुख्य विषय पर लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यर्थ की बातें न आयें। मुख्य विषय प्रसग के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। मुख्य विषय का विवेचन इस प्रकार होना चाहिये कि उसका पत्र पढ़ने वाले पर पूर्ण प्रभाव पड़े।

निवेदन—मुख्य विषय की समाप्ति पर अन्तिम पंक्ति के नीचे दाहिनी ओर निवेदक के रूप में 'आपका आज्ञाकारी', 'भवदीय', 'भवन्निष्ठ', 'कृपाकांक्षी', 'शुभेच्छु', 'आपका शुभचिन्तक', 'निवेदक', 'विनीत' अथवा तुम्हारा भाई, पिता आदि शब्द लिखकर नाम लिख दिया जाता है।

पता—पत्र का अंग पता भी है। डाकखाने के पतों, जैसे—पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफा आदि पर इसके लिए (पता लिखने के लिए) स्थान नियत रहता है, अतः वहीं पर पता साफ-साफ एव पूर्ण लिखना चाहिये। पश्चात् गांव या मोहल्ले का नाम, पोस्ट आफिस का नाम, नगर तथा प्रान्त का नाम लिखना चाहिये।

इस प्रकार पत्र-लेखन को एक कला मानकर छात्रो को उसके सभी अंगों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके पत्र लेखन में प्रवृत्त होना चाहिए। आगे उदाहरण स्वरूप कुछ व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं सरकारी पत्रों के नमूने दिये जा रहे हैं।

१. व्यक्तिगत पत्र

शिष्य की ओर से गुरु को पत्र

(गाव में होने वाले मेले का वर्णन करते हुए)

गोविन्दपुरा,
दिनांक २८-१०-७८

परम पूज्य गुरुजी,

सादर अभिवादन।

मैं यहा पर कुशल हू, आशा है आप भी आनन्दपूर्वक होंगे। विद्यालय बन्द होने पर मैं उसी दिन घर के लिए चल दिया था। चलने से पूर्व आपके दर्शन न कर पाया, क्षमा करें। हमारे गांव में गणगौर का बहुत भारी मेला लगता है, इसे देखने के लिए आस-पास के अन्य गांवों और नगरों के लोग भी आते हैं। कई वर्ष पश्चात् इस बार मैं मेला देख पाया, क्योंकि संयोग से इस वर्ष हमारी छुट्टी आरम्भ होने पर ही मेला लगा।

गणगौर के मेले का दृश्य इतना मनोहारी और हमारी ग्रामीण संस्कृति का उन्नायक था कि अनायास ही आपको वर्णन लिखने को मन प्रेरित हो गया। लाल-लाल वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई अगणित गौर की मूर्तियां सिर पर रखे हुये, रंग-बिरंगी वेश-भूषा में कुमारी कन्याएँ छम-छम करती आगे जा रही थीं। उनके पीछे रक्षा-दल के रूप में घोड़ों पर व पैदल शस्त्रधारी सिपाही और बाजे वाले थे और गौर की सवारी के पीछे ओहदेदार दरबारी, सभासद् एवं दर्शकगण की भीड़ थी। सड़क के दोनों ओर मकानों की छतों पर मेला देखने के लिए स्त्रियां झूम रही थीं। सौभाग्य की प्रतीक गौरी के प्रति जनता की श्रद्धा और भक्ति भारतीय संस्कृति में निहित धार्मिक आस्था की द्योतक थी। गौर को स्नान कराने के स्थान पर पहले से ही दर्शकों की भीड़ उपस्थित थी। यहां चाट, खिलौने आदि बेचने वाले भी एकत्र हो गये और मेला देखने आये हुए बालक और बड़ों का खूब मनोरंजन हुआ।

अगले वर्ष हमारे गाव के इस मेले को देखने के लिए आप भी सपरिवार यहां आयें, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और गुरु-सेवा एवं आतिथ्य का एक अवसर पाकर अपने को कृतार्थ मानूंगा।

आपके आदेशानुसार मैं छुट्टियों में नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हूँ और सन्ध्या समय अपने मुहल्ले के बालकों की एक साक्षरता-कक्षा भी चला रहा हूँ। आपकी प्रेरणा से मैं कुछ समाज सेवा कर सका तो जीवन धन्य होगा।

आपका आज्ञाकारी शिष्य
रामधन शर्मा
कक्षा ६ ब

बहिन की ओर से भाई को पत्र
(रक्षा-बन्धन के उपलक्ष में)

हमीरवास गाँव
(जिला चूरू)
दिनांक २७--७-७६

पूज्य भाई साहब,

प्रणाम।

आपका पत्र मिला। यह पढ़कर प्रसन्नता हुई कि कॉलेज में आपका प्रवेश हो गया और आप खूब रुचिपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के अतिरिक्त महा-विद्यालय की अन्य प्रवृत्तियों–एन.सी.सी., खेल और वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि में समयानुसार नाम लिखवा दिया होगा। पिताजी कहते हैं कि अन्य प्रवृत्तियों में भाग लेने से पढ़ाई में कोई बाधा नहीं पड़ती, बल्कि उनके कारण शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति बढ़ने से पढ़ाई अधिक अच्छी होती है। अध्ययन में तो बाधा सिनेमा आदि देखने से पड़ती है—सो आशा है कि आप अध्ययन-काल में सिनेमा की बजाय खेल-कूद, रेडियो और लाइब्रेरी की पुस्तकों से ही अपना मनोरंजन करते रहेंगे।

आपको विदित ही होगा कि ८ अगस्त--बुधवार को हमारा रक्षा-बंधन का त्योहार है। उसके उपलक्ष में आपकी स्वास्थ्य-वृद्धि एवं ज्ञान-वृद्धि के

१. व्यक्तिगत पत्र

शिष्य की ओर से गुरु को पत्र

(गाव में होने वाले मेले का वर्णन करते हुए)

गोविन्दपुरा,
दिनांक २८-१०-७८

परम पूज्य गुरुजी,

सादर अभिवादन ।

मैं यहा पर कुशल हू, आशा है आप भी आनन्दपूर्वक होंगे । विद्यालय बन्द होने पर मैं उसी दिन घर के लिए चल दिया था । चलने से पूर्व आपके दर्शन न कर पाया, क्षमा करें । हमारे गांव में गणगौर का बहुत भारी मेला लगता है, इसे देखने के लिए आस-पास के अन्य गांवों और नगरों के लोग भी आते हैं । कई वर्ष पश्चात् इस बार मैं मेला देख पाया, क्योंकि संयोग से इस वर्ष हमारी छुट्टी आरम्भ होने पर ही मेला लगा ।

गणगौर के मेले का दृश्य इतना मनोहारी और हमारी ग्रामीण संस्कृति का उन्नायक था कि अनायास ही आपको वर्णन लिखने को मन प्रेरित हो गया । लाल-लाल वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई अगणित गौर की मूर्तियां सिर पर रखे हुये, रंग-बिरंगी वेश-भूषा में कुमारी कन्याएँ छम-छम करती आगे जा रही थीं । उनके पीछे रक्षा-दल के रूप में घोड़ों पर व पैदल शस्त्रधारी सिपाही और बाजे वाले थे और गौर की सवारी के पीछे ओहदेदार दरबारी, सभासद् एवं दर्शकगण की भीड़ थी । सड़क के दोनों ओर मकानों की छतों पर मेला देखने के लिए स्त्रियां झूम रही थी । सौभाग्य की प्रतीक गौरी के प्रति जनता की श्रद्धा और भक्ति भारतीय संस्कृति में निहित धार्मिक आस्था की द्योतक थी । गौर को स्नान कराने के स्थान पर पहले से ही दर्शकों की भीड़ उपस्थित थी । वहां चाट, खिलौने आदि बेचने वाले भी एकत्र हो गये और मेला देखने आये हुए बालक और बड़ों का खूब मनोरंजन हुआ ।

अगले वर्ष हमारे गाव के इस मेले को देखने के लिए आप भी सपरिवार यहां आयें, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और गुरु-सेवा एवं आतिथ्य का एक अवसर पाकर अपने को कृतकृत्य मानूंगा ।

परेड नित्य होती है, जिससे थोड़ी देर थकान के कारण नही पढ़ पाता, परन्तु थकान उतरने पर पढने में बड़ा आनन्द आता है। आशा है तुमने भी एन. सी. सी. आदि में भाग लेना आरम्भ कर दिया होगा।

पूज्य माताजी और पिताजी को प्रणाम कहना।

तुम्हारा शुभचिन्तक भाई
हीरालाल

पुत्री की ओर से माता को पत्र

(दिनचर्या सम्बन्धी)

महारानी गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल,
जयपुर।
दिनांक १५-८-७८

परम पूज्य माताजी,

सादर प्रणाम।

मैं यहाँ आनन्दपूर्वक हूँ, आशा है घर पर आप भी सब कुशल से होंगे। अगले महीने में मेरी अर्द्ध वार्षिक परीक्षा होने वाली है। उससे पूर्व अपने वर्ष भर के अध्ययन को परिपक्व कर सकूँ, इसीलिए इन दिनों मुझे अत्यधिक परिश्रम करना पड रहा है। आपने हम सबको बताया था कि रात्रि को देर तक पढ़ने से नेत्र ज्योति क्षीण होती है, इसलिए मैं रात्रि में १० बजे के बाद नहीं पढ़ती। प्रातः ४ बजे उठकर पढ़ती हूँ। तब सुहावने समय में बहुत काम हो जाता है और उस समय का पढा हुआ भूलती भी नही हूँ।

इस महीने के खर्च के लिए रुपये भेजें तो कृपया दस रुपया अधिक भेज दें। मुझे एक आवश्यक पुस्तक खरीदनी है। मैं आपके आदेशानुसार दोनो समय दूध पीती हूँ और शाम को स्कूल से आने पर चाय के स्थान पर फल

प्रयासों में सफलता की कामना करती हुई मैं रक्षा-सूत्र भेजती हूं—जो मेरे नाम से पहन कर मुझे अपना स्नेह भेजियेगा।

पूज्य माताजी और पिताजी आपको शुभ आशीष भेजते हैं और छोटे भाई-बहिन का प्रणाम।

पता—श्री हीरालाल सोलंकी
बी-एस. सी, प्रथम वर्ष
डूंगर कॉलेज,
बीकानेर।

आपकी
मंगलाकांक्षिणी बहिन
रश्मि

भाई की ओर से छोटी बहिन को पत्र

डूंगर कॉलेज,
बीकानेर।
१०-८-७६

प्रिय बहिन रश्मि,
स्नेहाशीष।

रक्षा सूत्र सहित तुम्हारा स्नेहपूर्ण पत्र पाकर अति प्रसन्नता हुई, और रक्षा-बन्धन के दिन राखी पहनते समय तो तुम्हारी स्मृति में हृदय, प्रेम से गद्-गद् हो गया। क्या ही अच्छा होता इस अवसर पर मैं घर होता और तुम्हारे ही हाथ से राखी बंधवा कर तिलक लगवाता और तुम मुझे मिठाई भी खिलाती। परन्तु कोई बात नहीं, बहिन! ज्ञानार्जन के लिए विद्यार्थी-जीवन में स्नेह-बन्धनों पर विजय पानी ही चाहिये। फिर कभी अवसर मिलेगा जबकि रक्षा-बन्धन के त्यौहार पर हम भाई-बहिन एक स्थान पर होंगे। मैं भी इस शुभ अवसर पर तुम्हें हार्दिक स्नेह भेजता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सबके लिए ऐसी ही पवित्र स्नेह की भावनाएँ धारण किये सदा सुख-समृद्धि प्राप्त करो।

हाँ, पिताजी के आदेशानुसार मैं अध्ययन के साथ-साथ अन्य प्रवृत्तियों में भी भाग लेने लगा हूँ। आजकल स्वतन्त्रता दिवस की तैयारी में.एन.सी.सी.

परेड नित्य होती है, जिससे थोड़ी देर थकान के कारण नहीं पढ़ पाता, परन्तु थकान उतरने पर पढ़ने मे बड़ा आनन्द आता है। आशा है तुमने भी एन. सी. सी. आदि में भाग लेना आरम्भ कर दिया होगा।

पूज्य माताजी और पिताजी को प्रणाम कहना।

तुम्हारा शुभचिन्तक भाई
हीरालाल

पुत्री की ओर से माता को पत्र

(दिनचर्या सम्बन्धी)

महारानी गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल,
जयपुर।
दिनांक १५-८-७८

परम पूज्य माताजी,

सादर प्रणाम।

मै यहाँ आनन्दपूर्वक हूँ, आशा है घर पर आप भी सब कुशल से होंगे। अगले महीने में मेरी अर्द्ध वार्षिक परीक्षा होने वाली है। उससे पूर्व अपने वर्ष भर के अध्ययन को परिपक्व कर सकूँ, इसीलिए इन दिनों मुझे अत्यधिक परिश्रम करना पड़ रहा है। आपने हम सबको बताया था कि रात्रि को देर तक पढने से नेत्र ज्योति क्षीण होती है, इसलिए मैं रात्रि में १० बजे के बाद नही पढ़ती। प्रातः ४ बजे उठकर पढ़ती हूँ। तब सुहावने समय में बहुत काम हो जाता है और उस समय का पढ़ा हुआ भूलती भी नहीं हूँ।

इस महीने के खर्च के लिए रुपये भेजे तो कृपया दस रुपया अधिक भेज दें। मुझे एक आवश्यक पुस्तक खरीदनी है। मैं आपके आदेशानुसार दोनों समय दूध पीती हूँ और शाम को स्कूल से आने पर चाय के स्थान..

खाती हूँ । यहाँ टमाटर, केले सस्ते हैं, इसलिए फलों पर चाय से अधिक खर्च नहीं होता है ।

पूज्य पिताजी की सेवा में सादर प्रणाम कहियेगा और प्रिय भाई-बहिनों को प्यार ।

परीक्षा में सफलता के लिए अपना शुभाशीष भेजें ।

आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री
अणिमा

पिता की ओर से पुत्र को पत्र
(अध्ययन हेतु प्रेरणा)

हनुमानगढ़
१५-६-७८

प्रिय पुत्र दिनेश,

सदा प्रसन्न रहो ।

आशा है कि तुम अपने नये विद्यालय में भर्ती होकर आनन्दपूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे । वर्ष के आरम्भ से ही अपने अध्ययन में नियमित रहोगे तो रोज का पढ़ा हुआ अंश परिपक्व होता जायेगा और परीक्षा के समय केवल पुनरावृत्ति (Revision) करनी मात्र पर्याप्त होगी । प्रायः विद्यार्थी नित्य-प्रति पाठ तैयार करने में उपेक्षा रखते हैं और परीक्षा का एक दो महीना रह जाने पर पढ़ाई में जुटते हैं । थोड़े से दिनों में कितना भी परिश्रम करें, फिर भी वर्ष भर का अध्ययन पूरा नहीं हो सकता । चूंकि उन्हें कच्ची-अधपकी तैयारी से ही परीक्षा देनी पड़ती है, इसी कारण उन्हें उत्तीर्ण होने में संशय लगा रहता है ।

आशा है कि तुम मेरे कहे अनुसार प्रत्येक विषय में अपना अध्ययन-क्रम नियमित रख कर सर्वोच्च श्रेणी में सफल होने का प्रयास करोगे । अगले वर्ष

प्रथम श्रेणी आने पर तुम्हें सरकार की ओर से मैरिट छात्रवृत्ति मिल सकेगी जिससे तुम इन्जीनियरिंग पढ़ सकोगे ।

छात्रावास में गुणवान् छात्रों की संगति में रहना । किसी भी प्रकार अपना अमूल्य समय नष्ट न करना और मितव्ययता से खर्च करना ।

कुशल पत्र भेजते रहना । अपनी माताजी का शुभाशीष और भाई-बहन का प्रणाम स्वीकार करो ।

तुम्हारा शुभचिन्तक
रामेश्वरदयाल

मित्र को पत्र

(अध्ययन के सम्बन्ध में)

नम्बरदार हायर सैकण्डरी स्कूल,
उदयपुर ।
दिनांक १५-७-७८

प्रिय मित्र राजीव,

सस्नेह नमस्कार ।

तुम्हारा पत्र पाकर प्रसन्नता हुई । पिताजी की बदली के कारण पुराने साथियों से बिछुड़ कर इस वर्ष यहाँ नये विद्यालय में प्रारम्भ बहुत बुरा लगा । पढते-लिखते व खाते समय, तुम्हारी स्मृति बनी रहती थी परन्तु अब धीरे-धीरे यहां भी अपनी कक्षा के साथियों से परिचय बढ़ रहा है और विद्यालय में तथा छात्रावास में अध्ययन आदि में व्यस्त रहने से मन लगा रहता है ।

आशा है तुम्हारा अध्ययन भी आनन्दपूर्वक चल रहा होगा । इस वर्ष तुम्हारे फेल होने पर हम सभी को बहुत दुःख हुआ, परन्तु ईश्वर से प्रार्थना है कि इस असफलता का लाभ उठाकर तुम अगले वर्ष अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होगे । गत वर्ष की कुछ पाठ्य पुस्तकें यदि बदल भी गयी होंगी तब भी पुराने पाठ्यक्रम से प्राप्त किया ज्ञान अवश्य सहायक होगा ।

लिये हैं, यह लिखना। आवश्यकता हो तो वह डॉ. अग्रवाल से मिलकर परामर्श ले सकती है। कहीं ऐसा न हो कि विषय में उसकी रुचि तो हो, पर क्षमता न हो। अतः विषय लेते समय वह अच्छी तरह विचार करे तो ठीक रहेगा।

अब बरसात सिर पर आ गई है, इसलिए मकान का भी ध्यान रखना। बरसाती वाले कमरे की छत कहीं टपकने न लगे। दीवार के पास कहीं पानी भी न भर जाये। इसका सारा ध्यान तुम्हें ही रखना है।

हां! अभी तो मुझे छुट्टी है नहीं, इसलिये मेरा आना कठिन है। दो महीने के बाद या दशहरे के आसपास जरूर आऊँगा। तब तक कोई जरूरी कारण हो तो लिख देना।

और अधिक क्या लिखूँ? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बच्चों को मेरी ओर से प्यार करना। पत्र जल्दी देना। स्नेह सहित—

शुभाकांक्षी

रामकिशन

२. व्यावसायिक पत्र

प्राप्त आदेश का पुस्तक-विक्रेता की ओर से प्रत्युत्तर

२०३ जीरो रोड,

इलाहाबाद-५

दिनांक २१-६-७८

सेवा में,

श्री जी. पी. गणेशन

प्रधानाचार्य, एस. डी. कॉलेज,

बीकानेर।

आदरणीय प्रधानाचार्य जी,

आपका पुस्तकालय के लिए आदेश पत्र संख्या एस. डी १६७७/७८ दि० १४-६-७८ का १५७५ रु० ६५ पैसे का प्राप्त हुआ।

आपने अपने पत्र मे हमारे प्रकाशनों की जो प्रशंसा की है उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। हमारा तो लक्ष्य ही यह है कि हम अनुभवी

ग्रौर उच्चकोटि के लेखकों की उपयोगी कृतियों को अधिकाधिक आकर्षक ढंग से प्रकाशित करें।

आपके आदेश की पुस्तके हम लगभग दो सप्ताह के अन्दर भेज देंगे। आपके आदेश में कुछ पुस्तकें दूसरे प्रकाशकों की भी हैं जिन्हें मँगाने के लिए पहले से ही हम लिख चुके हैं। उनमें से कुछ की विल्टिया तो हमारे पास आ भी चुकी हैं। माल आते ही पूरी पुस्तकें आपकी सेवा में भेज दी जावेंगी।

एक निवेदन और है। आपने केवल साहित्य और विज्ञान विषय की पुस्तकों का ही आदेश भिजवाया है। हमारे यहां विधि, वाणिज्य एवं तकनीकी विषयों की भी नवीनतम एवं श्रेष्ठ पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस प्रकार की पुस्तकों का नवीनतम सूची-पत्र आपके अवलोकनार्थ इसी पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। आशा है इस सूची-पत्र की कुछ पुस्तकें आपको अवश्य पसन्द आयेंगी और उनके लिए आपका संदेश हमें शीघ्र ही प्राप्त होगा।

हमारे यहां विदेशों से पुस्तकें मँगाने की व्यवस्था भी है। आप यदि कोई भी विदेशी पुस्तक सुगमता से प्राप्त करना चाहते हों, तो उसके लिए भी हमें सेवा का अवसर दें।

हम आपकी सेवा के लिए सदैव प्रस्तुत है। योग्य सेवा लिखते रहें।

भवदीय

शैलेश वर्मा

कृते सर्वोदय प्रकाशन

संस्था के लिए पुस्तकें मंगाने हेतु आदेश-पत्र

श्रीमान् व्यवस्थापकजी,

अजमेरा बुक कम्पनी,

जयपुर–२

श्रीमान् जी,

कृपया संलग्न सूची के अनुसार पुस्तकें सवारी गाड़ी मे भेजकर अपने

बिल की दो प्रतियाँ मूल्य चुकाने हेतु भेज दीजिए।

भवदीय,
चन्द्रप्रकाश शर्मा
प्रधानाध्यापक
एस. डी. गवर्नमेंट हायर सैकण्डरी स्कूल,
ब्यावर।

दिनांक ८–६–७८

संपादक को पत्र

(रचना-प्रकाशन के लिए)

बांसवाड़ा
दिनांक ६–६–७६

श्रीमान् संपादक जी,
साप्ताहिक हिन्दुस्तान,
नई दिल्ली।

मान्यवर महोदय,

मैं एक छोटी-सी कविता आपके पत्र में प्रकाशनार्थ भेज रही हूं। आशा है आप इसे अपने पत्र में स्थान देकर मुझे प्रोत्साहित करने की कृपा करेंगे।

मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि यह रचना मेरे द्वारा रचित है और अन्यत्र कहीं भी इसे प्रकाशनार्थ नहीं भेज रखी है।

आपकी स्वीकृति मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा-प्रद रहेगी, इस आशा के साथ,

निवेदिका
कुमारी सुमन बंसल
१२, अग्रवाल क्वार्टर्स,
बांसवाड़ा

३. आवेदन-पत्र

अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

श्रीमान् शिक्षा निदेशक जी,
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।

महोदय,

कल दिनांक २७–७–७८ के दैनिक "नव ज्योति" में मैंने आपके कार्यालय द्वारा प्रसारित विज्ञापन पढा है, जिससे ज्ञात हुआ कि आपके संरक्षण में विज्ञान विषय के कतिपय अध्यापकों की आवश्यकता है। प्रस्तुत विज्ञापन के सन्दर्भ में एक स्थान पर नियुक्ति के लिए मैं नम्रतापूर्वक अपना आवेदन-पत्र आपकी सेवा में भेज रहा हूं।

मेरी योग्यता एवं अनुभव सम्बन्धी विवरण निम्नांकित है—

१. मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय की बी एस.-सी. परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय लेकर द्वितीय श्रेणी में सन् १९७७ में उत्तीर्ण की है। इससे पूर्व हायर सैकण्डरी की परीक्षा भी द्वितीय श्रेणी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सन् १९७४ में उत्तीर्ण की थी। बी० एस-सी० में ऐच्छिक विषयों में मैंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किये हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंक सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं।

२. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की 'साहित्य विशारद' नामक परीक्षा भी मैंने सन् १९७४ में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है।

३. अपने अध्ययन-काल में, मैंने स्कूल से स्काउट-गाइड तथा कालेज से एन० सी० सी० का 'सी' का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया है। वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भी मैंने नियमित भाग लिया था। इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य जी के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि आपके विचारार्थ संलग्न कर रहा हूँ। अपने कालेज की हाकी टीम का मैं दो वर्षों तक कप्तान रहा था।

लम्बी कूद और भाला-फेंक प्रतियोगिताओं में भी मैंने पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हैं। मैं २१ वर्ष का पूर्ण स्वस्थ नवयुवक हूं।

४. अपने प्रारम्भिक जीवन से ही मेरी अध्यापन के प्रति रुचि रही है। अध्ययन-काल में भी मैं रात्रि-शालाओं में पढ़ाने जाता था और मुझे लगभग एक वर्ष का अध्यापन अनुभव भी है। रात्रि-शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त प्रशंसा-पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न है।

अन्त में श्रीमान्, मैं आपको विश्वास दिलाता हू कि यदि मुझे सेवा का यह अवसर प्रदान किया गया तो मैं पूर्ण निष्ठा, कर्त्तव्य भावना और ईमानदारी से पद के उत्तरदायित्व को वहन करूंगा और अपने उच्चाधिकारियों को कार्य एवं व्यवहार से संतुष्ट रखूंगा। आशा है आप मुझे अवसर प्रदान कर अनुगृहीत करेंगे।

विनीत

हरिकृष्ण भदोरिया

४, शान्ति निकेतन

दिनांक २१-६-७८ नया बाजार,

अजमेर (राजस्थान)

अध्यापिका के स्थान के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी महोदय,

शिक्षणालय, उदयपुर (राजस्थान)

श्रीमान् जी,

मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके विभाग में मैट्रिक ग्रेड वाली अध्यापिकाओं के कुछ स्थान रिक्त हैं। सेवा में नम्र निवेदन है कि एक स्थान के लिए मेरी नियुक्ति पर विचार किया जाय।

मैंने सन् ७५ में लेडी एल्गिन गर्ल्स स्कूल से प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल परीक्षा पास की थी। मेरे ऐच्छिक विषय थे—संस्कृत, हिन्दी और गृह

विज्ञान। संस्कृत में मुझे विशिष्टता (Distinction) भी प्राप्त हुई थी, जैसा कि संलग्न प्रमाण-पत्र से विदित होता है।

मेरी अवस्था २० वर्ष की है और स्वास्थ्य उत्तम है। मुझे खेल-कूद, गर्ल-गाइडिंग एवं अन्य अतिरिक्त प्रवृत्तियों में भी पूर्ण रुचि है। दो बार स्कूल में होने वाले वाद-विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार भी पाया था।

मैंने सन् ७५–७६ में एक वर्ष तक सोनगिरी कन्या पाठशाला में एक अस्थायी रूप से रिक्त स्थान पर अध्यापिका का कार्य भी किया था।

आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर विचार कर, मुझे सेवा करने का अवसर देंगे।

निवेदिका,
आनन्दी माथुर
मार्फत श्री कृपाशंकर माथुर
मोहल्ला कैंथीनी पोल,
उदयपुर।

दिनाक ४–६–७८

शुल्क मुक्ति के आवेदन-पत्र

(गरीब छात्र द्वारा शुल्क-मुक्ति का आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान् प्रधानाध्यापक महोदय,
सादुल उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बीकानेर।

मान्यवर महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की दसवीं कक्षा-विज्ञान (स) का छात्र हूं। मेरे माता-पिता बहुत गरीब हैं और मेहनत मजदूरी से किसी तरह भरण-पोषण करते हैं। इसलिए वे शिक्षण-शुल्क देने में असमर्थ हैं।

अतः मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरा शिक्षण-शुल्क माफ कर दें तो मुझ पर बड़ा अनुग्रह होगा। इस सम्बन्ध में यह स्मरण दिलाना चाहता हू कि गत वर्ष भी मुझे शुल्क-मुक्ति प्राप्त हुई थी और मैं अपनी कक्षा में वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्रथम रहा था।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी गरीब हालत तथा अध्ययन-सम्बन्धी रुचि को ध्यान में रखते हुए आप मेरा शिक्षण-शुल्क अवश्य ही माफ कर देंगे।

दिनांक १५-७-७८

आपका आज्ञाकारी शिष्य
रतनलाल माली
कक्षा १०-विज्ञान (सी)

जुर्माना माफी के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

श्रीमान् प्रधानाध्यापकजी,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बूंदी।

मान्यवर महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा १० (ब) का छात्र हूं। घर से मनीआर्डर आने में विलम्ब हो जाने के कारण मैं समय पर शिक्षण-शुल्क जमा नहीं करा सका, इसलिए मुझ से ५ रु० जुर्माना मांगा जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार शुल्क जमा कराने में जो देरी हुई, उसमें मेरी कोई लापरवाही नहीं, बल्कि मनीआर्डर देर से मिलना ही कारण था। भविष्य में मैं अधिक सावधानी रखूंगा कि शिक्षण-शुल्क समय पर जमा हो जाए।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त जुर्माना माफ करने की कृपा करें।

दिनांक ६-६-७८

आपका आज्ञाकारी शिष्य
अविनाश वर्मा
कक्षा १० ब

विद्यालय में भर्ती होने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

श्रीयुत् प्रधानाध्यापक जी,
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
गुमानपुरा, कोटा।

माननीय,

सेवा में नम्र निवेदन है कि मैंने इस वर्ष महात्मा गांधी स्कूल से द्वितीय श्रेणी में सैकण्डरी परीक्षा पास की है, अब आपके स्कूल में हायर सैकण्डरी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे आवेदन-पत्र का निर्धारित फार्म प्रदान करें। फार्म का मूल्य १) कार्यालय में जमा करवा रहा हूं।

मेरे पिताजी की बदली पाली हो गई—इसलिए मैं छात्रावास में भी भर्ती होना चाहता हूं। कृपया एक आवेदन-पत्र (फार्म) छात्रावास में भर्ती होने के लिए भी प्रदान करें।

विनीत
सुरेन्द्र कुमार चड्ढा
मारफत-श्री हेमराज चौधरी,
४, रामपुरा बाजार,
कोटा।

दिनांक ३-७-७८

अतः मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरा शिक्षण-शुल्क माफ कर दें तो मुझ पर बड़ा अनुग्रह होगा। इस सम्बन्ध में यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष भी मुझे शुल्क-मुक्ति प्राप्त हुई थी और मैं अपनी कक्षा में वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्रथम रहा था।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी गरीब हालत तथा अध्ययन-सम्बन्धी रुचि को ध्यान में रखते हुए आप मेरा शिक्षण-शुल्क अवश्य ही माफ कर देंगे।

दिनांक १५-७-७८

आपका आज्ञाकारी शिष्य
रतनलाल माली
कक्षा १०-विज्ञान (सी)

जुर्माना माफी के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

श्रीमान् प्रधानाध्यापकजी,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बूंदी।

मान्यवर महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा १० (ब) का छात्र हूं। घर से मनीआर्डर आने में विलम्ब हो जाने के कारण मैं समय पर शिक्षण-शुल्क जमा नहीं करा सका, इसलिए मुझ से ५ रु० जुर्माना मांगा जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार शुल्क जमा कराने में जो देरी हुई, उसमें मेरी कोई लापरवाही नहीं, बल्कि मनीआर्डर देर से मिलना ही कारण था। भविष्य में मैं अधिक सावधानी रखूंगा कि शिक्षण-शुल्क समय पर जमा हो जाए।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त जुर्माना माफ करने की कृपा करें।

दिनांक ६-६-७८

आपका आज्ञाकारी शिष्य
अविनाश वर्मा
कक्षा १० व

विद्यालय में भर्ती होने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

श्रीयुत् प्रधानाध्यापक जी,
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
गुमानपुरा, कोटा।

माननीय,

सेवा में नम्र निवेदन है कि मैंने इस वर्ष महात्मा गांधी स्कूल से द्वितीय श्रेणी में सैकण्डरी परीक्षा पास की है, अब आपके स्कूल में हायर सैकण्डरी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे आवेदन-पत्र का निर्धारित फार्म प्रदान करें। फार्म का मूल्य १) कार्यालय में जमा करवा रहा हूं।

मेरे पिताजी की बदली पाली हो गई—इसलिए मैं छात्रावास में भी भर्ती होना चाहता हूं। कृपया एक आवेदन-पत्र (फार्म) छात्रावास में भर्ती होने के लिए भी प्रदान करें।

विनीत
सुरेन्द्र कुमार चड्ढा
मारफत-श्री हेमराज चौधरी,
४, रामपुरा बाजार,
कोटा।

दिनांक ३-७-७८

४. सरकारी पत्र

स्वीकृति-पत्र
(नियुक्ति की सूचना)

बीकानेर
दिनांक ६-६-७८

प्रेषक :—

सहायक निदेशक, परिवहन विभाग
राजस्थान सरकार,
बीकानेर।

प्राप्त कर्ता :—

श्री आकाशलाल माथुर
होप-सर्कस के पास,
अलवर।

विषय :—नौकरी हेतु
सन्दर्भ :—आपका आवेदन-पत्र दिनांक २७-५-७८

उपर्युक्त सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि अवर लिपिक के पद के लिए आपका आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिया गया है और आपको इस कार्यालय में पत्र प्रेषक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। आपसे आशा की जाती है कि पत्र-प्राप्ति के १५ दिनों के भीतर अपना कार्यभार सम्भाल लेंगे, अन्यथा आपके स्थान पर अन्य किसी को नियुक्त किया जा सकेगा।

ह० शम्भुदयाल वर्मा
सहायक निदेशक,
परिवहन-विभाग
राजस्थान सरकार,
बीकानेर।

अस्वीकृति-पत्र

(नौकरी के आवेदन की अस्वीकृति)

भरतपुर

दिनांक २७–६–७८

प्रेषकः–

सहायक अधीक्षक, वन विभाग,
राजस्थान सरकार,
भरतपुर ।

प्राप्ति कर्त्ताः–

श्री नारायणदत्त भंसाली
रानी बाजार,
बीकानेर ।

विषयः–अवर लिपिक पद के लिए आवेदन-पत्र

संदर्भः–आपका आवेदन–पत्र दिनांक ५–६–७८

उपर्युक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि अवर लिपिक के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु आपके आवेदन-पत्र पर विचार कर लिया गया है । हमें खेद है कि आपको इस पद पर कई कारणों से नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

ह० प्रमोदकुमार
सहायक अधीक्षक, वन विभाग,
राजस्थान सरकार,
भरतपुर ।

नगरपालिका प्रशासक को शिकायत (सफाई के सम्बन्ध में)

सेवा में,

श्रीमान् नगरपालिका प्रशासक,
नगरपालिका,
भरतपुर ।

महोदय,

हम इस पत्र द्वारा आपका ध्यान हमारे मोहल्ले में व्याप्त गन्दगी की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पिछले एक पखवाड़े से हमारे मोहल्ले विष्णुपुरी की सभी गलियों के नुक्कडों पर गन्दगी जमा हो रही है। कूड़े के ढेर नालियों के बहाव को भी अवरुद्ध कर रहे है। अब नालियो का गन्दा पानी गलियों में भर कर कीचड़ के रूप मे बदल रहा है। इस कीचड़ पर मच्छरों के झुण्ड एकत्र रहते हैं। इससे मलेरिया आदि के फैलने की आशका उत्पन्न हो गई है। हमने सर्वप्रथम सम्बन्धित अधिकारियों और उनके जमादारों से बातचीत की तो ज्ञात हुआ कि इस मोहल्ले से कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है और उनके स्थान नई नियुक्तियां नही हुई हैं। इस पर हमने सफाई निरीक्षक महोदय से निवेदन किया और उन्हे मौके पर लाकर वस्तु-स्थिति से अवगत भी कराया। उन्होंने आश्वासन देने के अतिरिक्त कोई ठोस कदम इस दिशा मे नहीं उठाया। अब विवश होकर हमें आपसे निवेदन करना पड़ रहा है। इस समय हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में भी नगरपालिका प्रशासन नही है, अस्तु आप ही से प्रार्थना है कि हमारी कठिनाइयो पर ध्यान देकर सफाई की तुरन्त व्यवस्था करायें और सम्बन्धित कर्मचारियों को आवश्यक आदेश दें।

आशा है आप, हमारी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे।

हम हैं आपके विश्वासपात्र
१............२............
३............४............
५............६............
७............८............

मोहल्ला विष्णुपुरी,
भरतपुर ।
दि० २५-६-७८

सम्पादक को पत्र

(परीक्षा के दिनों में शोरगुल की शिकायत)

१३, सरदारपुर, जोधपुर।

श्री सम्पादक महोदय, ता० २५-३-७६

नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली।

मान्यवर महोदय,

आपके सम्मानित पत्र के द्वारा मै प्रशासनिक अधिकारियो का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आजकल परीक्षा के दिनों में इस नगर में दिन-रात लाउड-स्पीकर बजते रहते हैं। रात में दो तीन बजे तक शोरगुल होने के कारण यहाँ के परीक्षार्थियों के लिए पढना, लिखना और परीक्षा की तैयारी करना असम्भव सा हो गया है।

मुझे आशा है कि स्थानीय अधिकारी-गण इस तथ्य की ओर ध्यान देकर कम मे कम परीक्षा के दिनों में लाउड-स्पीकर बजाने की निषेधाज्ञा प्रसारित कर देगे, जिससे कि छात्र-गण अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें।

निवेदक

संतोष भण्डारी

(दसवी कक्षा का एक छात्र)

पुलिस को शिकायती पत्र

(मोहल्ले में गुण्डागर्दी के विरुद्ध)

श्री आरक्षी महोदय,

आरक्षण, विभाग,

नागौर।

मान्यवर महोदय,

नम्र निवेदन है कि आजकल हमारे मोहल्ले में श्यामू नामक गुण्डे ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। उसके कारण गली, मोहल्ले की बहू-बेटियों ने

घरों से निकालना बन्द कर दिया है, क्योंकि वह कभी भी उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आता। मोहल्ले के दूकानदार भी उससे परेशान हैं। वह जब तब उनसे चीज खरीद लेता है और पैसे मांगने पर गालियां देने लगता है। कई बार शाम को शराब पीकर बीच मोहल्ले में जोर-जोर से हल्ला मचाने लगता है और भद्दी आवाजें भी लगाता है। मोहल्ले में संभ्रात लोगों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर उसने उनकी बातों पर कतई ध्यान नहीं दिया। उल्टे वह उनमें से कई लोगों को अलग-अलग धमकियाँ भी दे चुका है। हमने यह भी देखा है कि वह अपनी कोठरी में जुआ-खाना भी चलाता है।

इस प्रकार श्यामू की गुण्डागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। इससे मोहल्ले में बच्चों तथा युवकों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मोहल्ले की सुख-शान्ति का तो नाम भी नहीं रह गया है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस विषय में शीघ्र उचित कार्यवाही करें, ताकि इस मोहल्ले के निवासियों को इस गुण्डागर्दी से मुक्ति मिले।

निवेदक

दि० २-३-७६

१. शिवचरणलाल गर्ग
२. गनी मोहम्मद
३. सादिक अली
४. गुरुबचनसिंह
५. अनिल शर्मा
६. सुशीला पांडेय

६. विविध पत्र

श्यामकुंज
मन्त्रियों की गली
चूरू।
ता० २-६-७८

प्रिय बन्धु,

इस पत्र को आप तक पहुँचाने वाले सज्जन श्री नेकीराम जोशी हमारे पड़ोसी हैं। ये १५-१६ वर्षों से हमारे पड़ोस में रहते आये हैं। अब ये

विक्रमपुर में पुस्तक-विक्रेता तथा प्रकाशक का कार्य करना चाहते हैं पर वहाँ ये किसी से परिचित नहीं हैं। अतः मैंने इनको आपके पास भेजा है, ताकि आप इन्हे उचित एवं आवश्यक परामर्श दे सकें। मुझे आशा है कि आप श्री जोशी जी को बहुत ही मिलनसार पायेंगे।

अभी तो बस इतना है। मेरे योग्य कार्य सूचित करना। पूर्णतः धन्यवाद देते हुए,

प्रो० हरिशचन्द्र शर्मा
प्रवक्ता हिन्दी विभाग,
विक्रमपुर।

आपका घनिष्ठ साथी,
शिवकुमार 'मिलिंद'

निमन्त्रण-पत्र

(वार्षिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए)

श्रीमान् कल्याणसिंह जी,

आपको यह जानकर अपार हर्ष होगा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्या निकेतन का वार्षिकोत्सव रविवार दि० ११–१–७६ को सम्पन्न हो रहा है। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने इष्ट मित्रों सहित पधार कर उत्सव की शोभा बढावें और निकेतन के सदस्यों को प्रोत्साहित करें।

स्थान—पंचशील मन्दिर
समय—सायं ६ बजे से १० बजे तक
पुनश्चः—कृपया समय पर पधार कर निश्चित स्थान ग्रहण कर लें।

भवदीय
शीलचन्द पाण्डेय
संचालक विद्या-निकेतन
कोटपूतली (जयपुर)

विवाह-निमन्त्रण

(पुत्री के विवाह पर मित्र को पत्र)

३, डागा-निवास,
रतन बिहारी पार्क के सामने,
बीकानेर।
ता० १०-६-७८

प्रिय सुरेश जी,

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि मेरी ज्येष्ठ कन्या सौभाग्यकांक्षिणी सुषमा का शुभ-विवाह ता० २६-६-७८ को डॉ० अमिताभ (सुपुत्र प्रो० अरविंद घोष) से होने जा रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस शुभ अवसर पर सपरिवार पधार कर वर-वधू को आशीर्वाद देने की कृपा करें।

आप इस निमन्त्रण को औपचारिक न समझें। इस अवसर पर आपके आ जाने से मुझे उचित परामर्श एवं सहायता मिल सकेगी। और हाँ, भाभी जी को अवश्य ही साथ लायें।

आपका पत्र मिलने की प्रतीक्षा में,

आपका स्नेही
अभिराम गांगुली

मैच का निमन्त्रण-पत्र

(दो विद्यालयों के मध्य क्रिकेट-मैच)

बांसवाड़ा
११-६-७८

श्रीमान् प्रधानाध्यापक महोदय,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
बाँसवाड़ा।

महोदय,

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी संस्था द्वारा अन्य स्थानीय संस्थाओं में आत्मीयता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी संस्था के अध्यापक आपके विद्यालय के अध्यापकों के साथ १५–६–७८ को हमारे मैदान पर प्रातः १०.३० बजे क्रिकेट–मैच खेलना चाहते हैं। आशा है आप हमारे निमन्त्रण के पीछे निहित सौहार्द्र भावना को देखते हुए इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

इसके साथ ही निवेदन है कि मैच के दिन आपकी टीम के सदस्य दोपहर का भोजन हमारे साथ करें तो हमें विशेष प्रसन्नता होगी। सवा तीन बजे की चाय का प्रबन्ध तो हम करेंगे ही।

आपकी स्वीकृति की प्रतीक्षा में,

निवेदक
मूलचन्द स्वामी
प्रधानाध्यापक
श्री जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
बांसवाड़ा।

धन्यवाद-पत्र

(पुत्र-जन्मोत्सव की बधाई पर धन्यवाद)

रमा–निवास,
३, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता।
ता० १३–६–७८

प्रिय श्री वसु,

मेरे अनुज के पुत्र उत्पन्न होने पर आपने बधाई पत्र भेजा, इसके लिए हमारा सम्पूर्ण परिवार आपके प्रति आभार प्रकट करता है। आशा है, आप दिनांक २२–६–७८ को मुन्ने के नामकरण संस्कार पर पधार कर उसे आशीर्वाद देने की भी कृपा करेंगे।

पुनः धन्यवाद देते हुए,

निवेदक
बसन्त कुमार गर्ग

श्री मनोज वसु एम. ए.
पर्यवेक्षण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
८१, अगरतल्ला, कलकत्ता।

संवेदना-पत्र

(मित्र के पिता के देहावसान पर)

अविकल भवन,
आगरा।
ता० ३-४-७८

प्रिय लक्ष्मण प्रसाद जी,

आपका पत्र पाकर हृदय पर आघात सा लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपके पूज्य पिताजी का इस प्रकार अकस्मात् देहावसान हो जायेगा। दो मास पूर्व जब मैं आपके यहां आया था तो उस समय उनका स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई दे रहा था। पर जैसा कि आपने लिखा है, दिल का दौरा पहले से मालूम होना कठिन है। सत्य ही सांसों का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं, कब और किस स्थान पर व्यक्ति के सांस समाप्त हो जायें। उसमें एक भी सांस कम या अधिक नहीं हो सकता।

अब आपसे तो मैं यही कह सकता हूं कि आप इस मार्मिक आघात को सह सकने का साहस एकत्र करें, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है। इतनी दूर गया हुआ व्यक्ति, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों न हो, वापिस नहीं लौटता। अतः धैर्य धारण करें।

दिवंगत आत्मा को भगवान् सद्‌गति एवं चिर शांति प्रदान करे, इस आशा के साथ,

आपका बन्धु
शंभुदयाल

प्रमाण-पत्र

(प्रिंसिपल द्वारा छात्र को चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र)

श्री सनातन धर्म महाविद्यालय वाराणसी

चरित्र-सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

वाराणसी
दिनांक २-७-७८

मुझे यह प्रमाणित करते हुए हर्ष होता है कि कृष्णमोहन सुपुत्र श्री दिव्यकांत शर्मा ने इस महाविद्यालय में दो वर्ष अध्ययन करके अप्रैल, ७८ की बी. ए. परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है। इस छात्र का आचरण

जहाँ तक मुझे ज्ञात है, बहुत संतोष जनक रहा है। मुझे आशा है कि यह छात्र अपने भावी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा।

दाऊदयाल भार्गव,
प्रिंसिपल, सनातन धर्म महाविद्यालय
वाराणसी।

अभ्यास

१. अपने भाई के सैकण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र मंगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सचिव को एक प्रार्थना-पत्र लिखें।

२. अपने प्रिय मित्र को वार्षिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए एक निमन्त्रण-पत्र लिखिए।

३. विद्यालय में प्रवेश पाने के निमित्त प्रधानाचार्य महोदय को एक आवेदन-पत्र लिखिए जिसमें अपनी योग्यता और पिता के स्थानांतरण का विवरण हो।

४. जुर्माना माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापकजी को एक आवेदन-पत्र लिखिए।

५. 'सारिका' पत्रिका में अपनी रचना प्रकाशित कराने हेतु संपादक को एक पत्र लिखिए।

६. अपने उपयोग के लिए प्रकाशक से पुस्तकें मँगाने हेतु एक आदेश-पत्र लिखिए।

७. ग्रीष्मावकाश विताने के लिए अपने सखा और सखी को पत्र लिखिए।

८. अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी दिनचर्या की सूचना के साथ साथ भाई के लिए कतिपय आचरणिक सुझाव हों।

९. अपनी माताजी को एक ऐसा पत्र लिखिए जिसमें आपकी दैनिक जीवनचर्या का वर्णन विवरण हो।

१०. भाई की ओर से बहिन को और बहिन की ओर भाई को रक्षाबंधन के उपलक्ष में एक पत्र लिखिए।

११. अपने पूज्य गुरुदेव को एक ऐसा पत्र लिखिए जिसमें अपने नगर अथवा गाँव के मेले या उत्सव का विशद वर्णन हो।

१०

तार लेखन

तार समाचार भेजने का साधन है। वैसे डाक-तार विभाग द्वारा समाचार प्रेषित करने के साधन पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफा आदि भी हैं, किन्तु समाचार को सबसे अधिक शीघ्रता से प्रेषित करने का साधन तार ही है। पहले तार अंग्रेजी भाषा में ही दिये जाते थे; किन्तु आज हिन्दी में भी तार भेजे जाते हैं। तार लेखन में सामान्यतः सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है—तार की भाषा [तार की भाषा में ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावाभिव्यक्ति हो सके] प्रायः कहा जाता है कि अंग्रेजी माध्यम से ही संक्षिप्त शब्दावली में तार दिया जा सकता है हिन्दी में नहीं, किन्तु यह भ्रान्त धारणा है। तनिक सा ध्यान देने और लेखन-अभ्यास से तार लेखन की भाषा प्रभावपूर्ण एवं अधिकाधिक भावाभिव्यक्ति की क्षमता से पूर्ण हो सकती है।

तार प्रेषित करने के लिए डाकघर से एक मुद्रित फार्म निःशुल्क मिलता है। इस फार्म में ऊपर तार प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है। बीच में निर्धारित स्थान पर जो समाचार प्रेषित करना हो लिखा जाता है। नीचे भेजने वाले का नाम लिखा जाता है और सबसे नीचे भेजने वाले का पता लिखा जाता है। तार के लिए जो शुल्क लिया जाता है, उसमें भेजने वाले के पते को छोड़कर, शेष पर ही प्रति शब्द की दर से शुल्क लिया जाता है। बधाई, विवाह आदि के तारों की सुनिश्चित शब्दावली होती है; और यदि सुनिश्चित शब्दावली के अनुरूप तार भेजा जाय तो शुल्क बहुत कम लगता है।

तारों की विषय के अनुसार विभिन्न कोटियां हो सकती हैं। जैसे—

बधाई, शोक संदेश, समाचार सम्बन्धी तार आदि। नीचे विभिन्न प्रकार के तार लेखन के लिए शब्दावली दी जाती है—

बधाई तार—बधाई तार यदि स्वयं की शब्दावली में न भेजे जायें तो उन पर सुनिश्चित शुल्क लिया जाता है। बधाई तारों की शब्दावली डाक-तार विभाग द्वारा निर्धारित है, जो इस प्रकार है—

विवाह सम्बन्धी बधाई तार—

(क) सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभ-कामनाएँ।

(ख) वर-वधू पर परमात्मा की असीम कृपा हो।

(ग) आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी तथा समृद्धिशाली हो।

(घ) वर-वधू को आशीर्वाद।

परीक्षा में सफलता पर—

(क) परीक्षा में सफलता पर हार्दिक बधाई।

(ख) परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएँ।

चुनावों में सफलता पर—

(क) चुनाव में सफलता पर हार्दिक बधाई।

(ख) निर्वाचन में सफलता के लिए शुभकामनाएँ।

त्यौहार एवं राष्ट्रीय पर्वों से संबन्धित—

(क) दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ।

(ख) ईद मुबारक।

(ग) नव वर्ष आपको शुभ हो।

(घ) क्रिसमिस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

(ङ.) होली की शुभकामनाएँ।

(च) स्वतन्त्रता दिवस पर मंगल कामनाएँ एवं संस्मरण।

(छ) हार्दिक बधाई, अमर रहे गणतन्त्र हमारा।

विविध—

(क) पुत्र जन्म पर हार्दिक बधाई।

(ख) पुत्री भाग्यवती एवं चिरंजीवी हो।

(ग) आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई ।
(घ) आपकी यह यात्रा आनन्दमय और सकुशल हो ।
(ङ) आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटिशः धन्यवाद ।
(च) ईश्वर करे यह शुभ दिन बार-बार आये ।

उपर्युक्त विषयों के तार-पुस्तिका में क्रमांक दिये हुए हैं, अतः तार-पत्र (फार्म) में केवल क्रमांक ही अंकित किया जाता है ।

डाक-तार विभाग द्वारा स्वीकृत तार क्रमांक (Code Numbers)

१. दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ ।
२. ईद मुबारक ।
३. विजया की हार्दिक शुभकामनाएँ ।
४. नव वर्ष आपको शुभ हो ।
५. ईश्वर करे यह शुभ दिन बार-बार आये ।
६. पुत्र जन्म पर हार्दिक बधाई ।
   क. पुत्री भाग्यवती और चिरंजीवी हो ।
७. आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई ।
८. सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभ-कामनाएँ ।
९. क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ ।
१०. परीक्षा में सफलता पर हार्दिक बधाई ।
११. आपकी यह यात्रा आनन्दमय और सकुशल हो ।
१२. चुनाव में सफलता पर हार्दिक शुभकामनाएँ ।
१३. आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटिशः धन्यवाद ।
१४. बधाई ।
१५. सप्रेम शुभकामनाएँ ।
१६. नव-दम्पति पर परमात्मा की असीम कृपा हो ।
१७. आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी तथा समृद्धिशाली हो ।
१८. स्वतन्त्रता दिवस पर मंगल कामनाएँ एवं संस्मरण ।

१९. हार्दिक बधाई, 'अमर' रहे जनतन्त्र हमारा ।
२०. होली की शुभकामनाएँ ।
२१. उत्सव के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ ।
२२. बधाई सन्देश के लिए अनेक धन्यवाद ।
२३. परीक्षा में सफलता के लिए शुभ कामनाएँ ।
२४. निर्वाचन में सफलता के लिए शुभ कामनाएँ ।
२५. नव-विवाहित दम्पति को हमारी आशीष कहे ।
२६. पोंगल की हार्दिक शुभ कामनाएँ ।
२७. गुरुपर्व की हार्दिक शुभ कामनाएँ ।

सामान्य और आवश्यक दो प्रकार के तार दिये जाते हैं । आवश्यक तार पर सामान्य दर से दुगुना शुल्क लगता है ।

निर्धारित शब्दावली में तार देने से शब्द-चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए । जैसे—बीमारी की सूचना देकर किसी को तुरन्त बुलाना हो तो इस प्रकार तार दिया जायगा—

'माताजी गम्भीर, तुरन्त आइये'

अथवा

'भाई अस्वस्थ, तुरन्त आइए'

अभ्यास

१. मित्र को परीक्षा में सफल होने पर १० चौड़ा रास्ता, जयपुर के पते पर तार देने के लिए आप किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हुए तार देंगे ? भेजने वाले के स्थान पर अमित, बड़ा बाजार, किशनगंज लिखें ।

२. आप अपने बड़े भाई को पिताजी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर तार द्वारा तुरन्त बुलवाने के लिए तार में क्या लिखेंगे ?

३. नीचे लिखी हुई शब्दावली के तार को आप किस प्रकार का कहेंगे—

(क) ईश्वर करे यह शुभ दिन बार-बार आये । ( )
(ख) नव वर्ष आपको शुभ हो । ( )
(ग) हार्दिक बधाई, 'अमर' रहे जनतन्त्र हमारा । ( )
(घ) वर-वधू को आशीर्वाद । ( )

११
निबन्ध-लेखन

आवश्यक निर्देश—

'निबन्ध' गद्य-साहित्य की एक विधा (प्रकार) है। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकाकी, रेखाचित्र, समालोचना आदि गद्य के नाना रूपों में निबन्ध ही सबसे कठिन और श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति' नामक उक्ति के अनुसार गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में 'निबन्ध गद्य की कसौटी है'। आचार्य शुक्ल के कथन से निबन्ध का महत्व स्पष्ट हो जाता है। 'निबन्ध' शब्द यद्यपि प्राचीन है किन्तु जिस अर्थ में आज इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह अति नवीन है। हिन्दी में निबन्ध साहित्य का सम्पूर्ण विकास गत एक शताब्दी में ही हुआ है। इतना होते हुए भी विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के कारण गद्य की विविध विधाओं में निबन्ध का विशिष्ट स्थान है।

परिभाषा : 'निबन्ध' का शाब्दिक अर्थ है—'निश्चित बन्ध'। यहाँ बन्ध से अभिप्राय विचारों और भावों के गठन से है। बाबू गुलाबरायजी ने इस तथ्य को दृष्टिगत करके लिखा है—"निबन्ध उस गद्य-रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजीपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगति एवं सम्बद्धता के साथ किया गया हो।" अंग्रेजी में इसको 'एस्से' (Eassy) कहते हैं। 'एस्से' का अर्थ है—प्रयत्न, इससे विदित होता है कि 'एस्से' प्रयत्नपूर्वक लिखी जाने वाली गद्य-रचना है। संक्षेप में, निबन्ध की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है—

"निबन्ध वह गद्य-रचना होती है जिसमें किसी विषय पर निजीपन के साथ प्रभावपूर्ण शैली में, भावों और विचारों की सुसंगठित अभिव्यक्ति होती है।"

निबन्ध के प्रमुख अङ्ग

१. प्रस्तावना या भूमिका : प्रस्तावना या भूमिका निबन्ध का प्रारम्भिक भाग होता है। इस भाग में निबन्ध के विषय की परिभाषा और महत्व का स्पष्टीकरण किया जाता है। यह भाग एक प्रकार से वह आधार-भूमि होती है, जिस पर निबन्ध रूपी भवन का निर्माण होता है। इसलिए निबन्ध लेखक को प्रयत्नपूर्वक भूमिका की योजना आकर्षक ढंग से करनी चाहिये। निबन्ध का आरम्भ अनेक प्रकार से किया जा सकता है। किसी प्रसिद्ध कथन, उद्धरण, विवरण, घटना-निरूपण, प्राकृतिक दृश्य-चित्रण अथवा अन्य अनेक विषयो से निबन्ध का प्रारम्भ हो सकता है।

२. मध्य भाग या प्रसार : मध्य भाग में निबन्ध के मूल विषय का प्रतिपादन किया जाता है। विषय की महत्ता के अनुरूप निबन्ध का मध्य भाग छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रस्तावना में जिन विचार-सूत्रों को प्रस्तुत किया जाता है, उनकी विस्तृत विवेचना और उनके सम्बन्ध में अपनी मान्यताओं की स्थापना इसी भाग मे करनी चाहिए। निबन्ध में शीर्षक से सम्बन्धित भावो और विचारो को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। मध्य भाग निबन्ध की प्रस्तावना और उपसंहार को जोड़ने वाली कड़ी होती है। इसलिये विचारो के प्रस्तुतीकरण में क्रमबद्धता का होना आवश्यक है।

३. उपसंहार या अन्त : उपसंहार भी निबन्ध का महत्वपूर्ण अङ्ग है। इस भाग में एक प्रकार से निबन्ध का सार आ जाना चाहिये। साथ ही निबन्धकार की विषय के सम्बन्ध में मौलिक मान्यताओं और निष्कर्षों को भी उपसंहार में स्थान मिलना चाहिये। निबन्ध का अन्त इस प्रकार होना चाहिये कि पढ़ने वाले को लगे कि विषय पर सभी कुछ कह दिया गया है और कोई भी बात छूटी नही है।

निबन्ध रचना के तत्व

भाषा : निबन्ध रचना मे भाषा व्याकरण सम्मत, शुद्ध और परिष्कृत होनी चाहिए। भाषा की शुद्धि निबन्ध-लेखन की प्राथमिक आवश्यकता है। सुन्दर से सुन्दर भावों और विचारों का प्रकाशन अशुद्ध और श्लथ भाषा के माध्यम से नही हो सकता है। अस्तु, निबन्ध की भाषा में सजीवता, रोचकता

और प्रभावोत्पादन-क्षमता होनी चाहिये। उपयुक्त शब्द योजना और वाक्य-विन्यास भाषा की शक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए शब्द-चयन और वाक्य-विन्यास ध्यानपूर्वक करना चाहिये हिन्दी मे उर्दू, अंग्रेजी और अन्य अनेक भाषाओं के शब्द भी अपना लिये गये हैं। अतः आवश्यकता और प्रसंग के अनुसार उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। भाषा की सबसे बड़ी विशेषता भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। विषय के अनुसार भाषा सरल और क्लिष्ट हो सकती है। अभिव्यंजना-शक्ति (Power of Expression) और सम्प्रेषणीयता (Communicability) भाषा के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं।

शैली : कहने के ढंग को शैली कहते हैं। प्रत्येक लेखक की अपनी शैली होती है। वस्तुतः निबन्ध-लेखन में शैली का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शैली ही निबन्धकार के निजीपन या व्यक्तित्व को प्रकट करती है। इसलिये अंग्रेजी में कहा जाता है कि 'Style is the man'। विवेचन के अनुरूप शैलियाँ कई प्रकार की होती हैं। जैसे—आगमन शैली, निगमन शैली, सूत्र शैली, व्याख्यात्मक शैली, समास शैली, प्रसाद शैली, व्यंग्य शैली, आवेग शैली, प्रलाप शैली आदि। भाषा के गुण के आधार पर भी शैलियों के भेद किये जाते हैं, जैसे—समास शैली, आलंकारिक शैली, सरस शैली, व्यन्जनात्मक शैली, मुहावरा शैली आदि। निबन्धकार को विषय के अनुसार ही शैली का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, शैली में निजीपन (व्यक्तित्व) का प्रभाव अवश्य आना चाहिए। शैली को सरस, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए व्यंग्योक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों आदि का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता है। हास्य-व्यंग्य के आधार से शैली मनोरंजक बनती है। अतः यथेष्ठ मात्रा में व्यंग-विनोद का पुट भी निबन्ध में देना चाहिये। क्रम, संगति, अन्विति और प्रवाह शैली के गुण हैं। अतः शैली में इन गुणों का विकास निबन्ध लेखक को भी करना चाहिये। प्रसंग और आवश्यकता के अनुसार निबन्ध-लेखन में उदाहरणों, उद्धरणों और दृष्टान्तों का भी उपयोग किया जा सकता है। संक्षेप में निबन्ध-रचना की शैली सरस, रोचक एवं आकर्षक होनी चाहिये।

भाव और विचार : भाव और विचार क्रमशः अनुभूति और चिन्तन के प्रतिरूप होते हैं। निबन्ध-लेखन में अनुभूति और चिन्तन दोनों का महत्त्व है। निबन्ध में भावों और विचारों की अभिव्यक्ति तथा प्रतिपादन क्रमबद्ध एवं प्रभावोत्पादक ढंग से होना चाहिए। निबन्ध के विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके, विषय से सम्बन्धित सभी पक्षों पर चिन्तन करके निबन्ध लिखना चाहिए। मानव हृदय भावों का अपार समुद्र है जिसमें जीवन के नाना दृश्य, घटनाएं, परिस्थितियां और वातावरण के अनुसार भाव-लहरियां उठती रहती हैं। भावोद्रेक के क्षणों में निबन्ध-रचना के लिए पर्याप्त सामग्री जुटाई जा सकती है। इसी प्रकार परिस्थिति विशेष से विकसित विचारों को भी संकलित करते रहना चाहिए। इस प्रकार एकत्र भाव सामग्री और विचारों का विषय के अनुरूप निबन्ध में प्रयोग करना चाहिए।

निबन्ध के भेद

स्थूल रूप से निबन्धों की दो कोटियां निर्धारित की गई हैं। वे हैं—व्यक्ति प्रदान (Subjective) और विषय प्रधान (Objective)। इनके अतिरिक्त विषय के अनुसार निबन्ध कई प्रकार के माने जा सकते हैं। जैसे—सामाजिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, दार्शनिक आदि। इसी प्रकार शैली के आधार पर व्यंगात्मक, आत्मपरक, ललित, व्यक्ति-व्यंजक आदि भेद किये जा सकते हैं। परन्तु सामान्यतः सभी प्रकार के निबन्धों को चार भागों में बाँटा जा सकता है—

१. वर्णनात्मक निबन्ध (Descriptive) :—प्राकृतिक दृश्य, उत्सव, भवन, सभा, मेला, तीर्थ, नगर, ऋतु आदि के वर्णन से पूर्ण निबन्ध इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। वर्णनात्मक निबन्धों के लेखन में निबन्धकार वर्ण्य-वस्तु के सम्बन्ध में निजी अनुभव और विचार प्रस्तुत करता है। इन निबन्धों में भाषा-शैली सरल और बोधगम्य होती है। इस कोटि के निबन्धों को सजीव और आकर्षक बनाने के लिए तुलनात्मक वर्णन भी किया जाता है।

२. विवरणात्मक निबन्ध (Narrative) : युद्धों, यात्राओं, खोजों, जीवनियों, शिकार, साहसपूर्ण कार्यों, ऐतिहासिक घटनाओं आदि पर लिखे गये निबन्ध विवरणात्मक निबन्ध कहलाते हैं। विवरणात्मक निबन्धों का

सम्बन्ध अधिकतर काल (Time and Period) से होता है और इनमें कथात्मकता की प्रधानता होती है। विवरणात्मक निबन्धों में विवरणों को सरल और रोचक बनाने के लिए निबन्धकार में सूक्ष्म कल्पना और अनुभूति की आवश्यकता होती है।

३. विचारात्मक निबन्ध (Reflective) : बुद्धितत्व की प्रधानता वाले निबन्ध विचारात्मक कहे जाते हैं। इस कोटि के निबन्धों में निबन्धकार के चिन्तन की प्रमुखता होती है। मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों के निबन्ध इसी श्रेणी में आते हैं। तर्क, प्रमाण, खण्डन-मण्डन और विश्लेषण की प्रवृत्ति भी विचारात्मक निबन्धों में पाई जाती है। इन निबन्धों की भाषा-शैली जटिल और गूढ़ होती है।

४. भावात्मक निबन्ध (Emotional) भावात्मक निबन्ध में राग-तत्त्व अर्थात् भावात्मकता की प्रधानता होती है। इन निबन्धों में गहन अनुभूति और तीव्र भाव अपेक्षित होते हैं। भावात्मक निबन्ध-लेखन एक भावुक एवं कलाप्रिय व्यक्ति का कार्य होता है। ऐसे निबन्धों में लेखक के व्यक्तित्व की अमिट छाप रहती है। इस कोटि के निबन्धों में मधुर रस योजना एवं भावव्यंजना होती है।

निबन्ध-लेखन में ध्यान देने योग्य बातें

छात्रों को निबन्ध लिखते समय निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना चाहिये :—

१. सर्वप्रथम निबन्ध के शीर्षक (विषय) पर विचार करते समय विषय से सम्बन्धित सामग्री संकलित करली चाहिये। इस सामग्री-संचयन के कार्य में विषय से सम्बद्ध उद्धरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये।

2. तत्पश्चात् निबन्ध की एक संक्षिप्त रूपरेखा बनानी चाहिये। इस रूपरेखा में प्रस्तावना, मध्य भाग एवं उपसंहार में दिये जाने वाले विचार-बिन्दुओं को मूल रूप में लिख देना चाहिये।

३. निबन्ध-लेखन के समय विषय से सम्बन्धित विचारों को उपशीर्षकों के अन्तर्गत क्रमबद्ध प्रस्तुत करना चाहिये। उपशीर्षकों के अनुसार अनुच्छेद बना लेना चाहिए।

४. अपने विचारों की पुष्टि के लिए विद्वानों के मत और सम्मतियाँ उद्धरण के रूप में दी जा सकती हैं। किन्तु ये उद्धरण लम्बे या अनावश्यक नहीं होने चाहिये। यदि किसी दूसरी भाषा का उद्धरण दिया जाय तो उसका अनुवाद या संक्षेप में भावार्थ दे देना चाहिये।

५. निबन्ध की वाक्य-रचना सुसंगठित, भाषा सरल-सुबोध एवं शैली सरस, रोचक एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिये। भाषा में प्रसंगानुकूल आलंकारिकता लाई जा सकती है। भाषा में व्याकरण और वर्तनी की शुद्धि आवश्यक है।

६. संयत हास्य-व्यंग्य के प्रयोग से निबन्ध रोचक और संजीव बनता है। अतः यथासाध्य, शिष्ट हास्य-व्यंग्य का पुट भी निबन्ध में देना चाहिये।

७. निबन्धों का आकार विषय एवं आवश्यकतानुसार छोटा बड़ा हो सकता है। अतः तदनुरूप ही निबन्ध को आकार देना चाहिये।

८. निबन्ध लिख चुकने के बाद उसे एक बार पढ़कर त्रुटियों को दूर करना चाहिये।

महत्वपूर्ण निबन्ध—

१. राष्ट्रीय पर्व : पन्द्रह अगस्त

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना–पर्व की परिभाषा और महत्व, (२) भारत में विभिन्न पर्व तथा उत्सव, (३) भारतीय स्वतन्त्रता का प्रतीक पन्द्रह अगस्त, (४) पन्द्रह अगस्त का उल्लास एवं आनन्द, (५) पन्द्रह अगस्त और लालकिला, तथा (६) निष्कर्ष।

राष्ट्रीय गौरव की पुण्य स्मृति को पर्व कहते हैं। पर्व के राष्ट्र उस महत्वपूर्ण घटना या उपलब्धि का स्मरण करता है,

राष्ट्र का मस्तक गौरवान्वित हुआ हो। कई वार महापुरुषों अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के अनुकरणीय जीवन की स्मृति में भी पर्व मनाया जाता है। कभी-कभी ऋतु-परिवर्तन का राष्ट्रीय महत्व समझ कर उसे भी पर्व का रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र में पर्व का अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व होता है।

भारत में जिन विभिन्न पर्वों को मनाया जाता है, उनका राष्ट्रीय महत्व बहुत अधिक है। यों तो भारतीय पर्वों की संख्या काफी बड़ी है, किन्तु इनमें होली, दीपावली, रक्षा-बन्धन, दशहरा, जन्माष्टमी और रामनवमी आदि विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इन पर्वों का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारत में सहस्रों वर्षों से इन पर्वों को मनाया जाता है। होली पर्व का सम्बन्ध भक्त प्रहलाद की कथा से है। इसमें भक्त प्रहलाद की विजय हुई थी। ऐसा माना जाता है कि प्रहलाद की बुआ होलिका बालक प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर जा बैठी और फिर उस ढेर को आग लगा दी गयी थी। दुष्ट होलिका को विश्वास था कि उसे मिले हुए वरदान के कारण वह तो आग से जलेगी नहीं और प्रहलाद अवश्य जल जायेगा। किन्तु परिणाम उल्टा ही रहा। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इस प्रकार होली पर्व सत्य की पाप पर विजय का प्रतीक है।

इसी तरह दीपावली-पर्व उस पुण्य-दिवस का स्मरण कराता है जिस दिन भगवान् रामचन्द्र लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। तब सम्पूर्ण अयोध्या ने हर्ष-मग्न होकर अपने-अपने घरों पर घी के दिये जलाये थे। इससे अयोध्या नगरी प्रकाश में जगमगा उठी। दीपावली के पर्व पर भारत में रात्रि के समय जो विशेष रोशनियाँ की जाती हैं तथा फुल-झड़ी और पटाखे आदि छोड़े जाते हैं, वे उसी प्राचीन पुण्य-तिथि की याद दिलाते हैं।

दशहरे का दूसरा नाम विजय-दशमी है। इससे स्पष्टतः पता चल जाता है कि यह दिवस विजय का स्मरण है। इस दिन भगवान् राम ने रावण का वध किया था। इस प्रकार यह पर्व दुष्टात्मा को दण्डित करने का परिचायक है। रक्षा-बन्धन के दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बाँधती

हैं। यह राखी भाई-बहन के पारस्परिक स्नेह का परिचय तो देती ही है, साथ ही राखी को देखकर भाई को बहन के प्रति कर्त्तव्यों का स्मरण होता रहता है। जन्माष्टमी अर्थात् भाद्रकृष्ण अष्टमी के दिन श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने बाद में कंस का वध करके पृथ्वी का भार कम किया था। कौरवों और पाण्डवों के मध्य भयंकर युद्ध में जिसे 'महाभारत' कहा जाता है, श्रीकृष्ण की सहायता से ही पाण्डवों को विजय प्राप्त हुई थी। इस पर्व पर हिन्दू लोग दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि के बारह बजे कृष्ण जन्म होने पर प्रसाद लेते हैं। रामनवमी के दिन भगवान् रामचन्द्र का शुभ-जन्म हुआ था। यह पर्व चैत्र शुक्ला नवमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन व्यापारी लोग अर्द्ध-वार्षिक बहीखाते तैयार करते हैं।

इन हिन्दू-पर्वों के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदायों के लोग भी कई पर्व मनाते हैं, जिनका राष्ट्रीय महत्व कम नहीं है। मुसलमान लोग मुहर्रम तथा ईद मनाते हैं। सिक्खों द्वारा नानक-जयन्ती तथा गुरु गोविन्दसिंह जयन्ती और ईसाइयों द्वारा क्रिसमस तथा गुड फ्राइडे आदि पर्व मनाये जाते हैं।

इन पर्वों के अतिरिक्त जो राष्ट्रीय पर्व भारत में धूमधाम से मनाए जाते हैं उनमें पन्द्रह अगस्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी और सहस्रों वर्षों के बाद सम्पूर्ण भारत के निवासी एक तिरंगे झण्डे के नीचे एकत्र हुए थे। अंग्रेजों ने १४ अगस्त, १९४७ की रात्रि को बारह बजे भारत का शासन-भार भारतीयों को हस्तान्तरित किया था। इसी स्मृति में प्रतिवर्ष लाल किले पर स्वतन्त्राता-दिवस मनाया जाता है। गत ३१ वर्षों से भारत के प्रधानमन्त्री पन्द्रह अगस्त के दिन वहां प्रातः भाषण देते आये हैं।

पन्द्रह अगस्त के अवसर पर प्रत्येक भारतीय यह प्रतिज्ञा दोहराता है कि वह भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए तन, मन और धन से दृढ़तम प्रयत्न करता रहेगा। इसी प्रकार भारत का प्रत्येक नागरिक यह शपथ भी ग्रहण करता है कि भारत की एक-एक इंच भूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देगा और भारतीय भूमि पर शत्रुओं को पैर भी नहीं देगा। इसके साथ ही सम्पूर्ण भारतीय पारस्परिक एकता और ८

प्रतिज्ञा भी करते हैं, क्योंकि बिना राष्ट्रीय एकता के देश की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। इस प्रकार १५ अगस्त का पुण्य पर्व भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम के शुभ परिणाम का परिचायक है।

गत वर्ष १५ अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस और भी अधिक उत्साह से मनाया गया था। प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराया था। उनका भाषण सुनने के लिए सहस्रों स्त्री-पुरुष लाल किले के मैदान में एकत्र थे। कुछ उत्साही लोग तो घण्टों पहले ही वहां आ जमे थे जिससे कि वे अग्रिम पंक्ति में बैठकर सम्पूर्ण कार्यक्रम को देख सकें। मैदान में कुछ रैलियों का आयोजन भी किया गया था। उस समय चारों ओर विशाल जन-समूह वहां दिखाई दे रहा था। मोटर कारों, स्कूटरों और साइकिलों आदि के लिए पृथक् व्यवस्था थी।

जब श्री मोरारजी देसाई लाल किले के मंच पर पधारे तो उपस्थित जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश को गुंजा दिया। इसके द्वारा सम्पूर्ण भारतीय स्वतन्त्र वायुमण्डल में साँस लेने की अपनी आजादी को व्यक्त कर रहे थे। जिस समय प्रधानमन्त्री ने तिरंगा ध्वज फहराया, उस समय एकत्र जन-समूह सावधान की मुद्रा में खड़ा था। उस समय बैंड पर राष्ट्रीय 'जन-गण-मन' की धुन बज रही थी जो कि सम्पूर्ण वातावरण को एक विचित्र सम्मोहन सा प्रदान कर रही थी। इसके बाद जब श्री देसाई ने भाषण देना प्रारम्भ किया तो जनता एकाग्रचित होकर उनके भाषण को सुनने लगी। श्री देसाई ने अपने भाषण में सर्वप्रथम स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सम्पूर्ण भारतीयों को सदा तत्पर रहने की बात कही। इसके बाद उन्होंने आशा प्रकट की कि देश के नागरिक प्रांतीयता, साम्प्रदायिकता तथा भाषागत संकीर्णता आदि का त्याग करके भावात्मक एकता को अपनायेंगे। उन्होंने देश की चतुर्मुखी प्रगति के लिए देश के युवकों के सक्रिय सहयोग का आह्वान भी किया। अन्त में देश के बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुओं से सावधान रहने की चेतावनी दी और फिर "जय-हिन्द" कहकर उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया।

उनके भाषण की समाप्ति पर बैंड ने फिर राष्ट्र धुन बजाई। इसके बाद जनता घर लौटने की तैयारी करने लगी। कहीं-कहीं पर अधिक उतावलेपन के कारण मार्ग अवरुद्ध सा हो गया और पीछे से आ रहे धक्कों के कारण कुछ वृद्ध, बालक और स्त्रियां गिर गईं। यह देखकर तैनात स्वयं-सेवक तथा पुलिस कर्मचारी वहां जा पहुंचे। उन्होंने वहां भीड़ को नियन्त्रित किया और गिरे हुए तथा आहत व्यक्तियों को तात्कालिक सहायता दी और उन्हें घर भी पहुंचाया। तब तक लाल किले का मैदान प्रायः खाली हो चुका था। किन्तु वहां से लौटे हुए जन-समूह में से बहुत से लोग दिन भर स्वतन्त्रता दिवस के अवकाश का लाभ उठाकर, दर्शनीय स्थानों पर घूमते फिरते रहे।

---

२. भारत के महापुरुष : महात्मा गांधी

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—महापुरुषों के लक्षण, (२) महात्मा-गांधी का बाल्यकाल और शिक्षा, (३) गांधीजी का राजनीति में प्रवेश, (४) गांधी जी के प्रमुख अस्त्र-सत्य और अहिंसा आदि, (५) गांधीजी की विचारधारा, (६) गांधीजी और स्वतन्त्रता आन्दोलन, (७) गांधीजी की विशिष्ट यात्रायें, (८) गांधीवाद, और (९) निष्कर्ष।

जो सामान्य व्यक्तियों के स्तर से ऊपर उठकर महानता के कार्य करता है, उसे महापुरुष कहा जाता है। इस प्रकार जो महापुरुष होता है, वह छल छिद्र, स्वार्थ, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह आदि का त्याग कर देता है। जिस व्यक्ति में कमजोरियां होती है, वह तो सामान्य व्यक्ति ही कहलाता है। अतः संसार में महात्मा बुद्ध, ईसा, सुकरात तथा रामकृष्ण परम-हंस जैसे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें उपर्युक्त कमजोरियां बिलकुल ही नहीं थीं। इसीलिए संसार ने उन्हें महापुरुष माना है। महात्मा गांधी को भी महापुरुष कहा जाता है क्योंकि वे सत्य और अहिंसा आदि महान् गुणों में विश्वास रखते थे और उनमें स्वार्थ तथा क्रोध आदि दुर्गुणों का पूर्णतः अभाव था। इसी दृष्टि से उन्हें महात्मा या महापुरुष माना गया है।

महात्मा गांधी का जन्म पोरबन्दर (गुजरात) में २ अक्टूबर, १८६६ के दिन हुआ था। वे जब स्कूल में पढ़ते थे तभी उनमें महान् व्यक्ति बनने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। एक बार पाठशालाओं के निरीक्षक उनके विद्यालय में आए तो उनकी कक्षा की परीक्षा ली गई। गांधीजी के अन्य सहपाठियों ने तो परस्पर नकल करके सही उत्तर दिया, किन्तु गांधीजी ने नकल करना स्वीकार नहीं किया। उन्हें अनुत्तीर्ण होना स्वीकार था। इस तथ्य का पता लगने पर निरीक्षक महोदय उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे।

एक बार मित्रों के फुसलाने से गांधी ने सिगरेट पी और मांस भक्षण भी किया। किन्तु बाद में उन्होंने घर पर आकर सत्य बात कह दी और क्षमा भी मांगी। इससे पता चलता है कि गलती करने पर उन्हें वास्तविक दुःख होता था और भविष्य में वे ऐसी गलती न करने की प्रतिज्ञा भी करते थे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते समय उन्होंने अपनी माताजी के सम्मुख प्रतिज्ञा की थी कि वह विदेश में जाकर धूम्रपान, मद्यपान तथा मांस भक्षण आदि दुर्गुणों को नहीं अपनायेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन पूरी निष्ठा से किया था।

इंगलैण्ड में शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे भारत लौट आये और बम्बई में बैरिस्टरी करने लगे। किन्तु थोड़े ही दिनों बाद वे अफ्रीका चले गये। वहां उन्हें गोरे शासकों द्वारा काले लोगों पर किये जा रहे अत्याचार तथा भेदभाव से बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने तभी उस अत्याचार और भेदभाव को समाप्त करवाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें कई बार दण्ड भुगतना पड़ा। कई बार गोरी जाति के लोगों ने उनका अपमान भी किया। इसी सिलसिले में गांधीजी को जेल यात्रायें भी करनी पड़ी। किन्तु गांधीजी का निश्चय दृढ़ था। वे अपमान और दण्ड से बिलकुल ही विचलित नहीं हुए। वहां उन्होंने जन-सेवा का बीड़ा उठा लिया। जिन कार्यों को लोग घृणित तथा हीन समझते थे, उन्हें करने में गांधीजी को शर्म का अनुभव नहीं होता था। यहीं पर उन्होंने हरिजन सेवा और हरिजनोद्धार का व्रत लिया था। वे अफ्रीका में सत्याग्रह का भी प्रारम्भ कर चुके थे। विश्व राजनीति के इतिहास में उनके विजय के साधन सर्वथा नवीन थे और इनकी सफलता में लोगों को

विश्वास होने लग गया था। उनके विपक्षी अर्थात् गोरे शासक इन अस्त्रों से बहुत घबराते थे।

अफ्रीका में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने पर जब वे भारत आये तो जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। वे शीघ्र ही भारतीय-कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाने लगे। उस समय लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता कांग्रेस के कर्त्ताधर्ता थे। किन्तु थोड़े ही दिनों में कांग्रेस की बागडोर गांधीजी के हाथ में आ गई। उन्होंने राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-आन्दोलन को नई दिशाएँ दी। सन् १९२१ में उन्होंने असहयोग-आन्दोलन चलाते हुए छात्रों से अपील की कि वे स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय छोड़ कर बाहर आ जायें। उनकी अपील पर सहस्राधिक छात्रों ने सदा के लिए स्कूल और कॉलेजों का परित्याग कर दिया।

इसके बाद गांधीजी का राजनीतिक जीवन बहुत ही व्यस्त रहा। वे कई बार जेल गये और कई बार उन्होंने लम्बे अनशन भी किये। उनकी डांडी यात्रा तथा नोआखली-यात्राओं की ओर तो सम्पूर्ण विश्व का ध्यान गया था। सन् १९४२ में उन्होने ही "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पास करवाया था। इससे अंग्रेज सरकार का तख्ता हिल गया था और उन्हें भारत छोड़ने का निश्चय करना पड़ा। इस प्रकार करीब ३० वर्षों का गांधीजी का परिश्रम सफल हुआ और १५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतन्त्र हो गया।

किन्तु यह स्वतन्त्रता कई अर्थों में महंगी पड़ी। एक तो भारत का विभाजन हो गया। इससे लाखों की संख्या में लोग मारे गए और करोड़ों की सम्पत्ति या तो स्वाहा हो गई अथवा लूट ली गई। स्त्रियों और बच्चों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किये गये। लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर बेघरबार होना पड़ा। यह सब देख सुनकर गांधीजी को बड़ी वेदना होती थी। उन्होंने स्वतन्त्रता के बाद ऐसा दु:स्वप्न कभी नहीं सोचा था। उन्होंने जीवन भर साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिए प्रयत्न किया था, किन्तु इस समय लोगों ने उनके उपदेशों को जैसा भुला दिया था। इससे दु:खी होकर गांधीजी अपनी प्रार्थना सभा में प्रतिदिन ही यह कहने लगे कि साम्प्रदायिक वैमनस्य को भुला दिया जाना चाहिए और दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी,

के रूप में कार्य करना चाहिये। पर तभी ३० जनवरी, १९४८ की संध्या को एक विक्षिप्त व्यक्ति ने, जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, गांधीजी को गोली मार दी। गांधी के मुंह से तीन बार राम का नाम निकला और उनके प्राण-पखेरू उड़ गये। इस महापुरुष की आकस्मिक हत्या की खबर सुनकर सारा संसार स्तब्ध हो उठा था। यह बहुत ही दुःखद बात थी कि अहिंसा के पुजारी को इस प्रकार हिंसा की बलि-वेदी पर चढ़ना पड़ा। सत्य ही है, जैसा कि बर्नार्ड शॉ ने कहा था, " ज्यादा अच्छा होना भी बुरा होता है।"

गांधीजी वस्तुतः आवश्यकता से अधिक अच्छे थे। इसलिए उन्हें महात्मा या महापुरुष माना गया है। परमात्मा के वे भक्त थे। वे कहते थे कि भगवान् की जैसी इच्छा होती है, वही होता है। अतः वे कार्य करते समय यही समझते थे कि वे भगवत् प्रेरणा से ही ऐसा करते हैं। इसलिए उन्हें अपने किए पर भी कभी पश्चात्ताप नहीं होता था। इसी आधार पर वे दूसरों की बड़ी से बड़ी भूल को भी क्षमा कर देते थे। उन्हें किसी पर क्रोध नहीं आता था। सत्य, अहिंसा और क्षमा—ये तीनों गांधी के प्रमुख अस्त्र थे। वे किन्हीं भी परिस्थितियों में इनका परित्याग नहीं करते थे। इस संबंध में उनकी धारणा थी कि विरोधी को बल प्रयोग से शांत करने की अपेक्षा, किन्हीं ऐसे उपायों से शांत करना चाहिए, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। क्रोध, हिंसा तथा असत्य आदि से ऐसा करना सम्भव नहीं है। इसके विपरीत यदि सत्य, अहिंसा तथा क्षमा से काम लिया जाय तो शत्रु पर इसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ना संभव है। इससे विपक्षी के हृदय में भरा हुआ क्रोध, वैमनस्य एवं ईर्ष्या आदि दूर हो जाते हैं। गांधीजी मानते थे कि परस्पर अविश्वास एवं असहन-शक्ति के कारण ही वैमनस्य एवं संघर्ष हुआ करते हैं। विश्व युद्धों का प्रारम्भ भी इसी कारण होता है। अतः गांधीजी सर्वदा सत्य मार्ग पर चलने, विपक्षियों के विरुद्ध अहिंसा तथा क्षमा का प्रयोग करने में विश्वास रखते थे।

गांधीजी के इन मूलभूत सिद्धान्तों को 'गांधीवाद' की संज्ञा दी जाती है। विश्व के प्रमुख वादों में इनकी गणना की जाती है। राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी अन्य वादों के साथ-साथ गांधीवाद का भी अध्ययन करते हैं। इसके

अन्तर्गत सह-अस्तित्व का सिद्धांत प्रमुख है। गांधीजी कहते थे कि प्रत्येक देश को अपना अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार है। वे इस बात को अच्छा नही समझते थे कि कोई देश अपने सैद्धान्तिक मतभेदों की आड़ लेकर किसी अन्य देश पर आक्रमण करे। विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी नीतियों के वे कट्टर विरोधी थे।

जहां तक आर्थिक विकास का प्रश्न है, गाधीजी लघु उद्योगों, विशेषतः ग्राम-उद्योग के विकास पर जोर देते थे। राष्ट्रीय उद्योग-धन्धो, के महत्व को बढ़ाने के लिए उन्होने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन चलाया था। उन दिनों विदेशी वस्त्रो की होली जलाना एक आम बात हो गई थी। शिक्षा के सम्बन्ध में भी गांधीजी ने कहा था कि इसे आत्मनिर्भर बनाना चाहिये और इसके लिए शिक्षा में उद्योग-धन्धो, विशेषतः तकली को सम्मिलित करने पर बहुत जोर दिया था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये, अंग्रेजी नही। इस सिद्धात का तो वे बलपूर्वक प्रतिपादन करते थे। राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में भी उन्होने माना था कि हिन्दी और देवनागरी लिपि ही राष्ट्र-भाषा तथा राष्ट्रलिपि होनी चाहिए।

इस प्रकार गाधीजी ने भारत की विभिन्न समस्याओं पर विचार करके उपयुक्त सुझाव दिये थे। उनके सुझावों का आदर भी किया गया, क्योंकि गांधीजी ने उन्हें कार्यरूप में परिणत करके इनकी व्यावहारिकता भी सिद्ध करदी थी। यह सत्य है कि गांधीजी जो कुछ कहते थे, वही करते थे। वे सदा सत्य मार्ग पर चलते थे। इसलिए उन्हें महापुरुष कहा जाता है।

---

३. लोकप्रिय नेता : जवाहरलाल नेहरू

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता के कारण, (२) नेहरू का बाल्यकाल और शिक्षा, (३) घर का राजनीतिक वातावरण तथा राजनीति में प्रवेश, (४) युवकों का नेतृत्व, (५) कांग्रेस

का नेतृत्व और स्वतन्त्रता-आन्दोलन में उनका योगदान, (६) स्वतन्त्र भारत में नेहरू का नेतृत्व, (७) विश्व में भारत की प्रतिष्ठा के संस्थापक नेहरू, और (८) निष्कर्ष ।

लोकप्रिय नेता वही हो सकता है, जो लोक-भावना को पहचानता हो और उसका आदर भी करता हो । इस दृष्टि से जवाहरलाल नेहरू एक महान् लोकप्रिय नेता थे । वे भारतीय जनता की नब्ज पहचानते थे और इस आधार पर वे अपनी नीति निश्चित करते थे । जब वे हिन्दी में भाषण करते थे तो लगता था कि भाषण में तारतम्य नहीं है । वे एक क्षण पहले यदि विदेश नीति पर बात कर रहे होते तो दूसरे ही क्षण में राजस्थान के अकाल पर बातें करने लग जाते थे और तीसरे ही क्षण में बंगाल की बाढ़ पर बोलना शुरू कर देते थे । उनके भाषण की यही शैली थी । शिक्षित वर्ग चाहे इसे पसन्द न कर सका हो किन्तु सामान्य जनता को उकताहट का अनुभव नहीं होता था और दूसरे इन क्षण-क्षण के परिवर्तनों के वशीभूत होकर जनता उनके भावावेश का आनन्द उठाने लगती थी । जनता को इस प्रकार अपने साथ बहा ले जाने वाले वक्ताओं में नेहरू का स्थान सर्वोपरि रहा है । इसलिए उन्हें अधिकतम लोकप्रियता मिली । उनकी लोकप्रियता का एक कारण यह भी रहा कि गांधीजी ने उनकी योग्यता पहचानकर उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था । बच्चों के बीच तो वे सर्वाधिक लोकप्रिय थे । इसलिए बच्चों के लिए वे "चाचा नेहरू" के नाम से विख्यात थे । इस सम्बोधन के पीछे राष्ट्र के असंख्य-बच्चों का स्नेह और आत्मीयता के दर्शन होते हैं । सत्य ही अन्य किसी भारतीय नेता को बड़े-बूढ़ों और बच्चों से इतना सम्मान, आत्मीयता और स्नेह नहीं मिला । उनमें स्वार्थ विहीनता, निष्पक्षता, कर्मठता एवं त्याग भावना भी असीम मात्रा थी । इन्हीं गुणों के कारण वे आजीवन, भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता रहे ।

जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में १४ नवम्बर, १८८९ को हुआ था । उनके पिता मोतीलाल नेहरू स्वयं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे । जवाहरलाल की माता का नाम स्वरूपरानी था । यह सभी जानते हैं कि नेहरू-परिवार बहुत ही धनी एवं समृद्ध था । इस

समृद्धि का अनुमान इसी तथ्य से हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के वस्त्र पेरिस से सिलकर आते थे।

जवाहरलाल की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई। विदेशी ट्यूटरों से प्रारम्भिक अध्ययन करने के बाद पन्द्रह वर्ष की उम्र में उन्हे बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इङ्गलैण्ड भेजा गया। वहाँ से सन् १९१२ में बैरिस्टर बनकर लौटे। उनका विवाह कमलाजी से हुआ, जिससे एकमात्र सन्तान इन्दिराजी (गांधी) उत्पन्न हुई। कमला नेहरू स्वयं भी कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ती थी। किन्तु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। देश-विदेश में उनकी चिकित्सा भी करवाई गई, किन्तु शीघ्र ही उनका देहावसान हो गया। इससे जवाहरलाल को मार्मिक आघात लगा।

जवाहरलाल नेहरू ने पहले तो पैतृक धन्धा अर्थात् बैरिस्टरी करनी शुरू की किन्तु इस कार्य मे उनकी रुचि शीघ्र ही समाप्त हो गई और वे पिता के निर्देशन में राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने लगे। शीघ्र ही वे युवक कांग्रेसियों के नेता बन गए। बाद में उन्हे लाहौर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में किस वेग से प्रगति की थी। यह कांग्रेस-अधिवेशन इसलिए स्मरणीय है कि इसमें पूर्ण स्वराज्य के अधिकार की घोषणा की गई थी। किन्तु यहाँ पर स्मरणीय है कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का नेतृत्व प्राप्त करने से पूर्व महान् त्याग एवं भयंकर तपस्या की थी। उन्होंने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति कांग्रेस को दान कर दी थी और कितनी ही बार उन्हें जेल की यातना सहन करनी पड़ी और रुग्ण पत्नी के प्रति अपने कर्त्तव्यो की अवहेलना करने के लिये भी उन्हें विवश होना पड़ा। वैसे जेल से उन्होंने पुत्री इन्दिरा के नाम जो पत्र लिखे थे, वे कृतित्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी कृतियों में "डिस्कवरी ऑफ इण्डिया" तथा "मेरी कहानी" अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

सन् १९४७ में जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद जीवन-पर्यन्त लम्बे समय तक वे इस पद पर बने रहे। इससे उनकी लोकप्रियता तथा नेतृत्व क्षमता का अनुमान सहज ही हो सकता है। इन बीस वर्षों में भारत ने जो प्रगति की

उसका अधिकतम श्रेय जवाहरलाल नेहरू को ही दिया जाना चाहिए। इस अवधि में भारत में दो पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी थी और तृतीय पंच-वर्षीय योजना चालू हो गई थी। यह सच है कि नेहरूजी जिस गति से भारत का विकास देखना चाहते थे, वह गति इन योजनाओं के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकी। किन्तु इसका कारण यही था कि भारत अब तक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश रहा है और यहाँ के विशाल भू-खण्ड तथा चिर-वृद्धिशील विशाल जन-संख्या के कारण अनेक प्रकार की समस्यायें उठती रही और इसलिए भारत का सम्पूर्ण शक्तिस्रोत विकास-कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त नहीं हो सका। रूढ़िवादिता, आरामतलबी और निष्ठा की कमी आदि भी कम प्रगति के कारण रहे हैं। निरन्तर आते हुए शरणार्थियों, बाढ़ों और अकालों के कारण भी भारत की प्रगति अधिक नहीं हो सकी। सार्वजनिक विभागों में भ्रष्टा-चार और बेइमानी की व्यापकता को देखते हुए इतनी प्रगति होना ही आश्चर्यजनक बात है। नेहरूजी सदा ही इन समस्याओं और कमजोरियों की ओर इंगित किया करते थे और चाहते थे कि भारत शीघ्रता के साथ विकास करके बड़े राष्ट्रों की पंक्ति में जाए।

अन्य राष्ट्रों के प्रति भारत का दृष्टिकोण सदा ही सहयोग और सहा-नुभूति का रहा है। नेहरूजी की विदेश नीति इन्हीं मूल तथ्यों पर आधारित थी और यह नीति मूलतः तटस्थता की नीति थी। विश्व के दो बड़े गुटों पश्चिमी गुट और रूसी गुट ने भारत को अपने-अपने पक्ष में घसीटने का बहुत अधिक प्रयत्न किया, किन्तु नेहरू के नेतृत्व में भारत ने तटस्थ रहना ही श्रेयस्कर समझा। इन गुटों के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रलोभनों तथा धमकियों का भी भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे विश्व-राजनीति के क्षेत्र में भारत को बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। इससे प्रेरणा पाकर अन्य कई राष्ट्रों ने भी तटस्थता की नीति अपनाना आरम्भ कर दिया। इन तटस्थ-राष्ट्रों का नेतृत्व भारत ही करता रहा है। नेहरूजी की विदेश-नीति की सफलता का इससे बड़ा अन्य क्या उदाहरण दिया जा सकता है?

पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति भारत ने सदा ही सहयोग का हाथ बढ़ाया है। कई पड़ोसी राष्ट्रों ने भी प्रत्युत्तर में भारत के प्रति सौहार्द तथा सहानुभूति

प्रदर्शित की है। किन्तु पाकिस्तान ने तो प्रारम्भ से ही अर्थात् अपने जन्मकाल (सन् १६४७) से ही भारत को अपना शत्रु समझ रक्खा है। पिछले २५ वर्षों में यह राष्ट्र (पाकिस्तान) भारत पर तीन बार सशस्त्र आक्रमण भी कर चुका है। चीन शुरू-शुरू मे तो "भारत-चीनी भाई-भाई" का नारा लगाकर पंचशील की दुहाई देता रहा, किन्तु सन् १६६२ में उसने अकस्मात् भारत पर आक्रमण कर दिया। यह सत्य है कि भारत ने इन दोनों ही देशों के आक्रमणों का बराबर मुह तोड़ उत्तर दिया। ऐसे संकट काल के समय नेहरूजी ने सम्पूर्ण देश को 'करो या मरो' का आह्वान किया और देश ने उन्हें निराश नही किया। सन् १६६२ के चीनी आक्रमण के समय सम्पूर्ण भारतीय जनता अपनी स्वतन्त्रता और सम्मान की रक्षा के लिए जिस प्रकार उठ उड़ी हुई थी वह इतिहास में चिर स्मरणीय है। इस बारे में यहा तक कहा जाता है कि चीनी आक्रमण तो भारतीय एकता के लिए एक प्रकार का वरदान था। कुछ भी हो, उस समय भारत ने चीन को लोहे के चने चवा दिए।

यह सत्य है कि नेहरूजी पर चीन के इस घृणित आक्रमण के कारण बड़ा भरी धक्का लगा था। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि चीन इस प्रकार की कुत्सित हरकत कर सकता है। चीन के इस कायरतापूर्ण कार्य से नेहरूजी के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे सम्भवतः इस धक्के को सहन नही कर सके और थोड़े ही समय बाद उनका आकस्मिक निधन हो गया।

इस प्रकार भारत ने अपना प्रिय सपूत खो दिया। किन्तु इस सपूत ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को देश की सेवा में समर्पित करके इन्हें सार्थक अवश्य बना दिया। उन्होंने राष्ट्र सेवा के सम्मुख अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को महत्व नहीं दिया। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था और किसी के प्रति पक्षपात करना उनकी प्रवृत्ति में नहीं था। आराम से तो उन्हें चिढ़ थी। उनका स्मरणीय वाक्य था, "आराम हराम है।" वे रात्रि के बारह एक बजे तक कार्य करते रहते थे। दो-तीन घण्टे शयन करके वे पुनः उठकर कार्यरत हो जाते थे। इससे उनकी व्यस्त जीवन-चर्या का पता लग सकता है।

जनता के साथ घुलने मिलने में उन्हें न संकोच होता था और न ही भय। कई बार वे भीड़ अनियन्त्रित हो जाने पर बिना कोई परवाह किए उनके बीच कूद पड़ते थे और क्षण भर में ही भीड़ नियन्त्रित एवं शान्त हो जाती थी। इससे पता लगता है कि वे जनता के हृदय सम्राट् थे।

नेहरूजी जहां कहीं जाते थे, वहां के लोगों में घुल-मिल जाने का प्रयत्न करते थे। भीलों, नागाओं और संथालों के बीच जाकर उनकी पोशाक धारण करते तथा उनके सामूहिक नृत्य में शामिल होने में भी संकोच नहीं होता था। उनकी इस सादगी का सबसे बड़ा परिणाम यही निकला था कि लोग उन्हें अपने ही समाज या समुदाय का एक अङ्ग समझने लगते थे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जवाहरलाल नेहरू न केवल उच्च राजनैतिक नेता थे, बल्कि जनता के मर्मस्थल को स्पर्श करने की कला भी उन्हें ज्ञात थी। इसी के आधार पर उन्हें सदा सफलता मिलती रही और वे जीवन भर लोकप्रिय नेता बने रहे। उनकी पुण्य स्मृति मात्र से भारतीय जनता का मस्तक श्रद्धावनत हो जाता है।

---

४. पुस्तकालय की उपयोगिता

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—भूमिका, (२) पुस्तकालय के प्रकार, (३) पुस्तकालय से सामान्य लाभ, (४) पुस्तकालय की व्यवस्था, (५) पुस्तकालय की उपयोगिता, (६) पुस्तकालय की सुरक्षा, और (७) पुस्तकालय का राष्ट्रीय महत्व।

पुस्तकों में मानव के अनुभव एवं इतिहास का संचय किया जाता है, जिससे कि मानव की वर्तमान तथा भावी पीढ़ियां लाभान्वित हो सकें। इन पुस्तकों को एक स्थान पर एकत्र करने से पुस्तकालय बन जाता है। पुस्तकालय में बैठकर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के इतिहास, संस्कृति और

कला आदि विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यहां उसे ज्ञान और विज्ञान की अजस्र धारा मिलती है, जिनमें निमग्न होकर वह पूर्ण मानसिक एवं बौद्धिक तृप्ति पा सकता है। पुस्तकों के माध्यम से लेखक और पाठक के बीच एक अनन्य सौहार्द्र स्थापित हो जाता है। इसमें वर्ण, जाति और देश की दूरियां समाप्त हो जाती हैं। समय का अन्तराल भी दोनों के मध्य बाधक नहीं बनता।

पुस्तकालय सामान्यत: तीन प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्तिगत, जिसमें संचित पुस्तकों का लाभ प्राय: एक सम्पन्न व्यक्ति या परिवार उठा पाता है। इस पुस्तकालय को व्यक्तिगत सम्पत्ति समझा जाना चाहिये। हर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के पुस्तकालय से लाभ उठाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय विद्यालय या महाविद्यालय आदि में होते हैं। इनका उपयोग उन विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारी करते हैं। इस दृष्टि से लाभ उठाने वालों की संख्या बहुत बड़ी होती है। यहां पुस्तकें भी प्राय: सभी विभिन्न विषयों पर प्राप्त होती हैं, किन्तु इनमें पाठ्य-पुस्तकों के संग्रह पर अधिक ध्यान दिया जाता है। विद्यालयों के पुस्तकालय में विशेषत: ऐसी पुस्तकें रखी जाती हैं, जिनसे छोटी उम्र के विद्यार्थी लाभ उठा सकें। इनमें यथासम्भव ऐसी पुस्तकें नहीं मंगाई जाती, जिनसे कि विद्यालय के छात्र-छात्राओं पर कोई गलत प्रभाव पड़ता हो। सामान्यत: इन पुस्तकालयों का लाभ शिक्षकों और छात्रों द्वारा ही उठाया जाता है और सामान्य जनता इनसे लाभ नहीं उठा पाती। अत: जनता के लिए तृतीय प्रकार के पुस्तकालय होते हैं, इन्हें सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है। इस प्रकार के पुस्तकालय में प्राय: हर विषय की और हर प्रकार की पुस्तकें मंगाई जाती हैं, जिससे कि विभिन्न अवस्था और रुचि के लोग अपनी ज्ञान-पिपासा शान्त कर सकें। कोई भी व्यक्ति इनका सदस्य बनकर अपने अध्ययन के लिए इच्छानुसार पुस्तकें प्राप्त कर सकता है। सामान्यत: प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय में एक वाचनालय होता है, जहां बिना सदस्य बने भी कोई व्यक्ति वहां बैठकर पुस्तकें पढ़ सकता है।

प्राप्त होनी चाहिए। नागरिकों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे पुस्तकालयों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इससे पूरा लाभ उठायें।

---

5. शिक्षक और समाज

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना–शिक्षक का महत्व और उपादेयता, (२) शिक्षक का प्राचीन भारत में स्थान, (३) विद्यार्थियों और शिक्षकों का सम्बन्ध, (४) शिक्षकों का दायित्व, (५) आधुनिक युग में शिक्षकों की समाज द्वारा उपेक्षा, (६) शिक्षक और राष्ट्र निर्माण, और (७) निष्कर्ष।

शिक्षक समाज का निर्माता है। उसके द्वारा ही राष्ट्र के भावी कर्णधार विद्यार्थियों का जीवन निर्मित होता है। वह जितने प्रेम और भावनापूर्ण मनोयोग से विद्यार्थियों को शिक्षित करेगा, वैसे ही समाज की रचना होगी। शिक्षक शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को समझकर विद्यार्थी का चतुर्दिक् विकास करना अपना कर्त्तव्य समझे और अपने इस पुनीत कर्त्तव्य को राष्ट्र और समाज के स्वस्थ निर्माण का स्वर्ण अवसर मिला हुआ समझकर हार्दिक भाव से सम्पन्न करे, तभी समाज की सुन्दर रचना सम्भव हो सकती है। विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें पढ़ा कर छुट्टी लेने मात्र से शिक्षक समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य पालन से उऋण नहीं हो सकता। विद्यार्थी के मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए भी उसे प्रयत्नशील होना चाहिये।

प्राचीन भारत में शिक्षक इस पुनीत दायित्व का अनुभव करते थे। वे निःस्वार्थ भाव से विद्यार्थी को शिक्षा-दान करते थे। राज्य या समाज से वे इसके बदले में सम्मान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते थे। वे तो नगरों तथा ग्रामों से दूर अरण्य में आश्रम बनाकर रहते थे और विद्यार्थी वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकता था। इस प्रकार के आश्रम में रहते हुए न केवल सादगी

और शिष्टता का पाठ सीखा जाता था, बल्कि अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहने और भोगैश्वर्य के प्रति सहज वितृष्णा भी अनुभव होने लग जाती थी। उस समय शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य अपनत्व और सौहार्द का सम्बन्ध रहता था। छात्र अपने गुरु का पूर्ण सम्मान करते थे और उनके हर आदेश का पालन करने में वे बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करते थे। शिक्षक भी इसलिए उन्हें सच्चे हृदय से शिक्षा देते थे। इस तथ्य को जानते हुए तत्कालीन समाज और राज्य भी शिक्षकों का अधिकतम सम्मान करते थे और यथासंभव उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सदा तत्परता दिखाई जाती थी। किन्तु आज यह स्थिति नहीं रही है। आज शिक्षा-दान शिक्षक की आजीविका का साधन बन गया है और विद्यार्थियो में गुरुओ के प्रति श्रद्धा नही रह गई है। समाज ने भी शिक्षक के प्रति अधिकतम उपेक्षा ही दिखाई है। राज्य तो शिक्षकों का स्वामी बना हुआ है।

इस स्थिति में शिक्षक स्वय को कुण्ठाग्रस्त पाये तो आश्चर्य नही। फिर सच्ची शिक्षा कौन दे! सच्ची शिक्षा का लक्ष्य बहुत ऊँचा होता है। अतः शिक्षक के लिए भी आवश्यक है कि वह अपने भीतर की कुंठाओं को दूर करे, तभी वह सच्ची शिक्षा दे सकता है।

यह सच्ची शिक्षा क्या है? इस बारे में महात्मा गाँधी के शिक्षा सबधी विचारो पर ध्यान देने की आवश्यकता है। "सा विद्या या विमुक्तये" इस प्राचीन कालीन ऋषि-वाक्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, "जो चित्त की शुद्धि न करे, मन और इन्द्रियो पर संयम न सिखाये, निर्भयता और स्वावलम्बन उत्पन्न न करे, जीवन-निर्वाह का साधन न बताये और गुलामी से छूटने तथा स्वतन्त्रता में रहने की सामर्थ्य तथा उत्साह पैदा न करे, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना या तार्किक पाण्डित्य मौजूद हो, वह शिक्षा नहीं है। यदि है तो अधूरी शिक्षा है।"

आज जो शिक्षा दी जाती है, उसमें विद्यार्थी समाज के मस्तिष्क और हृदय प्रकाशमान न होकर दम्भपूर्ण बन जाते हैं। विद्या का सच्चा रूप है, प्रकाश या आभा, जो हमारे मानस से अज्ञानान्धकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति जगाने में समर्थ हो। जिससे हमारी बुद्धि में विवेकशीलता का

होकर कर्त्तव्याकर्त्तव्य का ज्ञान उत्पन्न हो वही वास्तविक विद्या है। आधुनिक शिक्षा-शास्त्री डा० नगेन्द्र के शब्दों में—"परीक्षा साहित्य शिक्षण का निकृष्टतम अंग है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से समाज का विकास नहीं हो सकता। शिक्षक को यह समझना होगा कि समाज के स्वस्थ निर्माण में वही विद्या सहायक होगी, जिसमें बालकों का चरित्र-निर्माण हो, मानसिक बल की वृद्धि होकर बौद्धिक विकास और अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति प्राप्त हो और साथ ही उसमें साहस, वीरता, आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन का प्रादुर्भाव हो, जिससे वे विकट परिस्थिति में भी आत्मरक्षा कर सकें।" शिक्षा के इस उद्देश्य को समझकर शिक्षक आदर्श समाज का रचयिता सिद्ध हो सकता है।

शिक्षा मानव को प्रकाश देती है और उसके शारीरिक व मानसिक तन्तुओं को विकसित भी करती है। शिक्षा मानव-जीवन की तैयारी है। उसका लक्ष्य मनुष्य के जीविकोपार्जन की समस्याओं समाधान प्रस्तुत करने तक ही सीमित न रहकर ऐसा होना चाहिये, जिससे बालक समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु चरित्र-निर्माण से संबंधित समस्याओं को शिक्षा के क्षेत्र की परिधि में लाना नितांत आवश्यक है। शिक्षक एवं शिक्षा-शास्त्रियों को चाहिये कि वे उन उपायों और साधनों की खोज के लिये प्रयत्नशील रहें, जिनसे विद्यार्थी नैतिकता तथा धर्म को अपने दैनिक जीवन में व्यवहृत कर सकें। सत्य, अहिंसा, संयम, सेवा, त्याग और बलिदान सत् शिक्षा के ही सुपरिणाम माने जाते हैं।

जीवन में सच्ची सफलता केवल बौद्धिक विकास पर ही निर्भर न रह कर शुद्ध एवं स्थिर स्वभाव तथा निष्कलंक चरित्र पर अधिक निर्भर है। अतः व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित शिक्षा ही उसके तथा समाज के लिए मंगल की विधायक बन सकती है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है—

"मानव शरीर में विद्यमान मानव की आत्मा ही परमात्मा है, अतः आत्मा के विकास हेतु दी हुई शिक्षा ही मानव मात्र के लिए हितकारी सिद्ध हो सकती है, केवल शरीर-पोषक शिक्षा ही नहीं। शिक्षक-धर्म का पालन भी इस ध्येय पर आधारित होना चाहिए।"

विद्याध्ययन आत्म-विकास के निमित्त हो और परीक्षा केवल इस जाँच

के लिए आयोजित की जानी चाहिये, कि विद्यार्थी ने इस निमित्त की पूर्ति के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को हृदयस्थ किया या नहीं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि सच्ची शिक्षा वही है जो मज्जागत होकर संस्कार में परिणत हो जाय। इस प्रकार का शिक्षा-ध्येय बनने से विद्यार्थी के मन में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा और विद्या की भूख जागृत होगी, तभी वह मानस में ज्ञान की ज्योति जगाने वाली वास्तविक विद्या का उपासक हो सकेगा और वही विद्या आत्म-विकास में सहायक होकर मानवता का विकास कर सकेगी। अन्यथा येन केन प्रकारेण परीक्षा पास करना या कराना क्रमशः विद्यार्थी एवं शिक्षक का ध्येय बनना, अनेक अशोभनीय कृत्यों की ओर प्रवृत्त करता है। इससे शिक्षा का पवित्र क्षेत्र दूषित होकर समाज में वितण्डावाद फैलता है और देश में शान्ति स्थापना की बजाय अशान्ति बढ़ती है।

प्रत्येक बालक संस्कार रूप में कुछ प्रतिभा शक्ति लिए हुए संसार में जन्म लेता है। उस जन्मजात प्रतिभा एवं शक्ति को उभार कर स्वस्थ रूप प्रदान करना माता-पिता और शिक्षक का परम कर्त्तव्य है। वे चाहें तो साव-धानी और बुद्धिमत्ता से उपयुक्त वातावरण एवं विचार की संजीवनी-शक्ति-रूपी खाद देकर परिश्रम-पूर्वक इसे महाप्राण शक्ति का रूप प्रदान करा सकते हैं। अन्यथा वे अपने उपेक्षा-भाव से बालक को स्वच्छन्दतापूर्वक व्यवहार करने देकर, उसे दानव बनने देने में ही सहयोग देंगे। अतः मानस में ज्ञान की ज्योति जगाकर मनुष्य को विवेकशील सर्वशक्ति-सम्पन्न बनाने वाली विद्या ही वास्तविक विद्या है, जिसका ध्येय चरित्र-निर्माण हो।

सत्य विद्या के इस स्वरूप और ध्येय को पहिचान कर शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षा-क्रम को अपनायें तो निश्चय ही मानव की स्वार्थ-परायण पाशविक वृत्तियों का दमन होकर, विश्व-प्रेम की स्थापना सम्भव हो सकती है। योगी अरविंद ने अध्यापकों को राष्ट्र की संस्कृति का चतुर माली कहा है। वे संस्कारों की जड़ों को खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींचकर महा-प्राण-शक्ति का निर्माण करते हैं। विश्व-कवि टैगोर ने विद्यालयों को मानवता का केन्द्र कहकर सम्बोधित किया है। इसका आशय यही है कि भारतीय परम्परा में हुए आत्मदर्शी योगियों और साहित्य-निर्माताओं की सूक्ष्म दृष्टि पर

आधारित जीवन की जो मान्यतायें हमारे पथ-प्रदर्शक हेतु उपलब्ध हैं उन्हें हृदय में स्थान देकर हमारा शिक्षक मनोवैज्ञानिक ढंग से और परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को ढालकर विद्यार्थियों को विद्या दान करे, तभी उन्नतिशील, सुख समृद्धि से पूर्ण स्पृहणीय समाज की रचना हो सकती है।

वस्तुतः शिक्षक वह प्रकाश पुंज है, जो अपनी आत्मा की ज्योति को समाज के मानस में उड़ेल कर अपने व्यक्तित्व की आभा से अखिल राष्ट्र को प्रदीप्त कर सकता है। वही शिक्षक यदि प्रमाद करे, तो राष्ट्र को अधःपतन की ओर ले जाने में भी सहायक हो सकता है।

शिक्षक समाज से अज्ञानरूपी अन्धकार को मिटाने वाला प्रकाश-स्तम्भ है। शिक्षक वह सर्वशक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व है, जो प्राणिमात्र के उत्कर्ष और कल्याण के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर देता है। उसके इस समर्पण में ही समाज और राष्ट्र का कल्याण निहित है। शिक्षक नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक शक्तियों का भण्डार होता है। उसमें अदम्य राष्ट्र निर्माणक शक्ति केन्द्रीभूत रहती है और उसमें मानवता का विकास करने की अनुपम क्षमता भी होती है। अपनी इस शक्ति और क्षमता का सदुपयोग करके ही शिक्षक सुन्दर समाज की रचना कर सकता है और इसके विपरीत उसकी असावधानी से समाज का पतन अवश्यम्भावी है।

शिक्षक और समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षक के विचार, मनःस्थिति, आचरण और व्यवहार ज्ञात-अज्ञात रूप से समाज को प्रभावित करते हैं। शिक्षक का चरित्र विद्यार्थी और समाज के लिए आचरण की पाठशाला है। कक्षा में दिये हुए व्याख्यान एवं अध्यापन से कहीं अधिक प्रभाव उनके निजी स्वभाव, प्रकृति और आचरण का विद्यार्थी पर पड़ता है। इसलिए कक्षा में पाठ्य-पुस्तक [illegible] अध्यापक को [illegible] एवं व्यवहार के प्रति [illegible]

[illegible] हुए सब के

समान [illegible] में

[illegible]

होगा, जिनसे वह समाज परिर्तन करना चाहता है। उसके हाथ में विद्यार्थी मण्डल की महान् शक्ति है, जिसके माध्यम से वह समाज की पुनः रचना कर सकता है।

समाज की रचना का आधार ईर्ष्या, द्वेष तथा कटुता नहीं, बन्धुत्व है। इसी आधार को विकसित करने हेतु शिक्षा देना शिक्षक का पावन कर्त्तव्य है। राष्ट्र और समाज में सद्भावना जागृत करने का दायित्व भी शिक्षक पर ही रहता है।

६. चन्द्रमा पर मानव

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना-ग्रहों और उपग्रहों के सम्बन्ध में मानव-जिज्ञासा, (२) पृथ्वी का उपग्रह चन्द्रमा, (३) चन्द्रलोक पर पहुँचने की कल्पना, (४) अन्तरिक्ष यात्राओं का प्रारम्भ तथा प्रगति, (५) अमरीकी यात्रियों का चन्द्रलोक पर उतरना, (६) चन्द्रलोक सम्बन्धी आगामी योजनाएँ एवं (७) निष्कर्ष।

मानव पृथ्वी का प्राणी है और सामान्यतः इसकी आकर्षण शक्ति से बाहर निकलना उसके लिए सम्भव नहीं है। वह प्राचीनकाल से सूर्य और चन्द्रमा के साथ पृथ्वी के सम्बन्ध के बारे में विचार करता आया है। सहस्रों वर्षों तक तो मानव यही समझता रहा कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य तथा चन्द्रमा उदय तथा अस्त होते है। उदयाचल और अस्ताचल पर्वतों की कल्पना इसी दृष्टि से की गई थी। किन्तु गत कुछ शताब्दियों में इस भ्रम का निवारण हो चुका है। अब मानव जान गया है कि इस सौर-मण्डल में सभी ग्रह उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उनके अपने-अपने वृत्त भी हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के मध्य की दूरियाँ और उनकी गति के बारे में शोध करके सही जानकारी प्राप्त कर ली गयी है। इसी से यह पता चला है कि चन्द्र पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। एक परिक्रमा करने में उसे लगभग ३६५ दिन या एक वर्ष लग जाता है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट भी अर्थात् अढ़ाई लाख मील के करीब इस निकटता के कारण यह बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। प्राचीन काल से

आधारित जीवन की जो मान्यतायें हमारे पथ-प्रदर्शक हेतु उपलब्ध हैं उन्हें हृदय में स्थान देकर हमारा शिक्षक मनोवैज्ञानिक ढंग से और परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को ढालकर विद्यार्थियों को विद्या दान करे, तभी उन्नतिशील, सुख समृद्धि से पूर्ण स्पृहणीय समाज की रचना हो सकती है।

वस्तुतः शिक्षक वह प्रकाश पुंज है, जो अपनी आत्मा की ज्योति को समाज के मानस में उड़ेल कर अपने व्यक्तित्व की आभा से अखिल राष्ट्र को प्रदीप्त कर सकता है। वही शिक्षक यदि प्रमाद करे, तो राष्ट्र को अधःपतन की ओर ले जाने मे भी सहायक हो सकता है।

शिक्षक समाज से अज्ञानरूपी अन्धकार को मिटाने वाला प्रकाश-स्तम्भ है। शिक्षक वह सर्वशक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व है, जो प्राणिमात्र के उत्कर्ष और कल्याण के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर देता है। उसके इस समर्पण में ही समाज और राष्ट्र का कल्याण निहित है। शिक्षक नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक शक्तियों का भण्डार होता है। उसमें अदम्य राष्ट्र निर्माणक शक्ति केन्द्रीभूत रहती है और उसमें मानवता का विकास करने की अनुपम क्षमता भी होती है। अपनी इस शक्ति और क्षमता का सदुपयोग करके ही शिक्षक सुन्दर समाज की रचना कर सकता है और इसके विपरीत उसकी असावधानी से समाज का पतन अवश्यम्भावी है।

शिक्षक और समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षक के विचार, मनःस्थिति, आचरण और व्यवहार ज्ञात-अज्ञात रूप से समाज को प्रभावित करते हैं। शिक्षक का चरित्र विद्यार्थी और समाज के लिए आचरण की पाठशाला है। कक्षा में दिये हुए व्यक्तव्य एवं अध्यापन से कहीं अधिक प्रभाव उनके निजी स्वभाव, प्रकृति और आचरण का विद्यार्थी पर पड़ता है। इसलिए कक्षा में पाठ्य-पुस्तक पढ़ाने के साथ-साथ अध्यापक को अपने आचरण एवं व्यवहार के प्रति सतर्क होना वांछनीय है।

महात्मा गांधी आचरणहीन ज्ञान को सुगन्धि में लिपटे हुए शव के समान समझते थे। वास्तव में मनुष्य की महत्ता उसके उत्तम चरित्र में है। यदि अध्यापक के हृदय में सच्चे अर्थों में अच्छे समाज के निर्माण की आकांक्षा है तो निश्चय ही वह अपना चरित्र उन आदर्शों में ढालने लिए प्रयत्नशील

होगा, जिनसे वह समाज परिर्तन करना चाहता है। उसके हाथ में विद्यार्थी मण्डल की महान् शक्ति है, जिसके माध्यम से वह समाज की पुनः रचना कर सकता है।

समाज की रचना का आधार ईर्ष्या, द्वेष तथा कटुता नहीं, बन्धुत्व है। इसी आधार को विकसित करने हेतु शिक्षा देना शिक्षक का पावन कर्त्तव्य है। राष्ट्र और समाज में सद्भावना जागृत करने का दायित्व भी शिक्षक पर ही रहता है।

६. चन्द्रमा पर मानव

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना–ग्रहों और उपग्रहों के सम्बन्ध में मानव-जिज्ञासा, (२) पृथ्वी का उपग्रह चन्द्रमा, (३) चन्द्रलोक पर पहुँचने की कल्पना, (४) अन्तरिक्ष यात्राओं का प्रारम्भ तथा प्रगति, (५) अमरीकी यात्रियों का चन्द्रलोक पर उतरना, (६) चन्द्रलोक सम्बन्धी आगामी योजनाएँ एवं (७) निष्कर्ष।

मानव पृथ्वी का प्राणी है और सामान्यतः इसकी आकर्षण शक्ति से बाहर निकलना उसके लिए सम्भव नहीं है। वह प्राचीनकाल से सूर्य और चन्द्रमा के साथ पृथ्वी के सम्बन्ध के बारे में विचार करता आया है। सहस्रों वर्षों तक तो मानव यही समझता रहा कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य तथा चन्द्रमा उदय तथा अस्त होते है। उदयाचल और अस्ताचल पर्वतों की कल्पना इसी दृष्टि से की गई थी। किन्तु गत कुछ शताब्दियों में इस भ्रम का निवारण हो चुका है। अब मानव जान गया है कि इस सौर-मण्डल में सभी ग्रह उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उनके अपने-अपने वृत्त भी हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के मध्य की दूरियाँ और उनकी गति के बारे में शोध करके सही जानकारी प्राप्त कर ली गयी है। इसी से यह पता चला है कि चन्द्र पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। एक परिक्रमा करने में उसे लगभग ३६५ दिन या एक वर्ष लग जाता है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट भी अर्थात् अढ़ाई लाख मील के करीब इस निकटता के कारण यह बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। प्राचीन काल से

इसके बारे में कई पुराकथायें (Myths), दन्त कथायें तथा कहानियाँ प्रच-लित हैं। सौन्दर्य का तो यह जगत् प्रसिद्ध उपमान रहा है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा उच्च साहित्यकार होगा, जिसने चन्द्रमा के सम्बन्ध में कुछ न लिखा हो। इस चन्द्रमा को शीतलता का भी आवास माना जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में चन्द्रमा को सोम-रस अथवा अमृत का सागर बताया है। चन्द्रमा के काले धब्बों के संबंध में अनेक विचित्र कल्पनायें की गई हैं। किसी ने इसे मृग कहकर चंद्र को मृगांक कहा। बच्चों की कहानियों में बताया जाता है कि चन्द्रमा पर बुढ़िया चरखा कात रही है इत्यादि। इस प्रकार चन्द्रमा ने मानव की कल्पना को सदा ही अपनी ओर आकर्षित किया है।

इस आकर्षण के वशीभूत होकर मानव सदा ही चन्द्र-लोक पर पहुँचने की कल्पना करता रहा है। आधुनिक युग में विमान का आविष्कार हो जाने पर यह कल्पना या कामना जोर पकड़ गई। अस्तस्वत विमानों की निर्माण पद्धति के बाद चन्द्रलोक पर मानव के पहुँचने की सम्भावना बढ़ गई। अमरीका आदि उन्नत देशों के वैज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध में अवधि की भविष्य-वाणी भी कर डाली। किन्तु किसी को यह निश्चित पता नहीं था कि इस दिशा में किये जा रहे प्रयत्न वस्तुतः सफल हो सकेंगे या नहीं।

किन्तु रूस ने जब ४ अक्टूबर, १९५७ को पहला स्पुतनिक छोड़ा तो संसार के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों की आँखें खुली की खुली रह गई। यह स्पुतनिक पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। पृथ्वी से उसकी अधिकतम ऊँचाई ५८८ मील थी और यह स्पुतनिक ९५ मिनट में पृथ्वी की कई एक परिक्रमा करने में सफल रहा था। इस स्पुतनिक ने पृथ्वी की कई परिक्रमाएँ करके वैज्ञानिकों को विश्वास दिला दिया कि प्राणी भी अन्तरिक्ष यात्रा कर सकते हैं। इसी आधार पर रूस ने ३ नवम्बर, १९५७ को एक अन्य स्पुतनिक छोड़ा, जिसमें लाइका नामक एक कुतिया को बिठाया गया था।

रूस की देखा-देखी अमरीका ने भी अन्तरिक्ष यान छोड़ने का क्रम चालू कर दिया, किन्तु वह तकनीकी क्षेत्र में तब तक रूस से पिछड़ा हुआ था। १२ अप्रैल, १९६१ का दिन मानव की अन्तरिक्ष यात्रा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस के मेजर गागरिन ने इसी दिन अन्तरिक्ष यात्रा करने

वाले प्रथम मानव का गौरव प्राप्त किया था। नारी इन साहसिक यात्राओं से अलग नहीं रह सकती थी। इसका प्रमाण तब मिला जब कि रूस की वालेंटिना तरेस्कोवा ने अन्तरिक्ष यान में बैठकर ७१ घण्टे तक अन्तरिक्ष की यात्रा कर डाली।

इस बीच अमरीका अंतरिक्ष-विज्ञान के क्षेत्र में लगातार प्रगति करता जा रहा था। उसने भी शीघ्र ही मानव युक्त अन्तरिक्ष यान छोड़ने प्रारम्भ कर दिये और कुछ ही समय के भीतर वह तकनीकी दृष्टि से रूस को पीछे छोड़ गया। पहले तो अन्तरिक्ष-यानो को अन्तरिक्ष में ही जोड़ने और अलग करने के सफल प्रयोग किये और फिर उसने मानव रहित अन्तरिक्ष-यान को चन्द्रमा की परिक्रमा करवाने में भी सफलता प्राप्त करली। रूस अब धीरे-धीरे अमरीका का अनुसरण-सा ही कर रहा था।

अमरीका ने तभी घोषणा करनी शुरू कर दी कि सन १९७० से पूर्व वह मानव को चन्द्रमा पर उतारने का प्रयत्न करेगा। उसने सन् १९६९ के प्रारम्भ में एक मानव सहित चन्द्र-यान अन्तरिक्ष में छोड़ा। वह यान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चन्द्र-ग्रह की ओर चल पड़ा। यह चन्द्र-ग्रह की कक्षा में प्रविष्ट भी हो गया और चन्द्र धरातल से करीब ६ मील की दूरी पर परिक्रमायें करने लगा। उस समय यान में बैठे चन्द्र-धरातल के जो चित्र लिये, वैसे चित्र इसमे पूर्व कभी नहीं लिए गए थे, उन चित्रों का उद्देश्य चन्द्र धरातल पर मानव के उतरने का स्थान खोजना था।

जब इस चन्द्र-यान के यात्री सकुशल पृथ्वी पर लौट आए तो चन्द्रलोक पर मानव के उतारने का कार्यक्रम पूर्णतः निश्चित हो गया। अब अमरीका में अपोलो–११ के छोड़े जाने की तिथियां घोषित कर दी गई। इस अंतरिक्ष-यान में तीन यात्री सवार थे। आर्मस्ट्रांग इस दल का नेता था। अन्य दो यात्री थे एल्ड्रीन और कॉलिन्स। यह यात्रा बहुत खतरनाक थी। चन्द्रमा के धरातल पर उतरने वाला चन्द्र-यान यदि पुनः वहां से उड़ने तथा चन्द्र-कक्ष में उड़ रहे मूल-यान से जुड़ने में असफल रहता, तो चन्द्र-यात्रियों को चन्द्र-धरातल से वापिस लाना प्रायः असम्भव था। इस खतरे का आभास चन्द्र-यात्रियों को था किन्तु वे इस यात्रा के लिए कृत-संकल्प थे। यह प्रश्न केवल

चन्द्रमा पर उतरने वाले प्रथम मानव के गौरव का ही नहीं था। यह तो वस्तुत: प्रकृति द्वारा मानव को दी गई एक चुनौती थी जिसे इन अमरीकी यात्रियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

अपोलो-११ अन्तरिक्ष की ओर उड चला और चन्द्रलोक की तरफ तीन अमरीकियों की यात्रा प्रारम्भ हो गई। विश्व के करोड़ों लोग इस यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनायें कर रहे थे। उन्हें आशा के साथ-साथ आशंकायें भी थीं। तीन दिन बाद अपोलो-११ चन्द्रमा की कक्षा में जा पहुँचा। तब उसके दो यात्री चन्द्र-यान (मुख्य-यान से जुड़ा हुआ एक स्वतंत्र यान) में चले गये और उन्होंने चन्द्र-यान को मुख्य यान से अलग कर दिया। उनका एक सह-यात्री यानी कॉलिन्स मुख्य-यान में ही रह गया। अब चन्द्र-यान चन्द्र-धरातल के निकट पहुँचने के लिए परिक्रमा करने लगा, उस समय सम्पूर्ण विश्व के लोग टेलिविजन, रेडियो तथा ट्रांजिस्टर को खोलकर बैठ गये। वॉयस ऑफ अमरीका इस समय क्षण-क्षण की घटनाओं का आंखों देखा हाल सुना रहा था। टेलिविजन पर यान के चित्र आ रहे थे। अब यान चन्द्र-धरातल के बहुत ही निकट आ गया था और उतरने की तैयारी कर रहा था। इस समय पृथ्वी के करोड़ो लोगों के मन में धुकधुकी सी उठ रही थी। वे नहीं जानते थे कि चन्द्र-यान बिना किसी झटके के चन्द्र-धरातल पर उतर सकेगा या नहीं। स्वयं चन्द्र-यात्रियों को भी इसका पता नहीं था।

२१ जुलाई, १९६९ को प्रातः १.४७ बजे का समय अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। यही वह समय था, जबकि चन्द्र-यान बिना किसी झटके से चन्द्र-धरातल पर उतरा था। जिस बात को कपोल-कल्पना कहा जाता था, वह आज सत्य सिद्ध हो गई थी। धरती का मानव चन्द्रमा पर पहुँच गया था। आज से ३० वर्ष पूर्व ऐसी खबर सुनकर लोग इसे असम्भव कह देते। किन्तु अब तो लोगों ने अपनी आंखों से अर्थात् टेलिविजन पर देखा कि आर्मस्ट्रांग चन्द्र-यान की खिड़की से बाहर निकल आया। वह धीरे-धीरे सीढ़ियों से उतरता गया और फिर उसने चन्द्र-धरातल पर अपने कदम रखे। दुनियां के कोने कोने से लोग इस ऐतिहासिक चहल-कदमी को देखने लगे। प्रारम्भ में तो आर्मस्ट्रांग को अपने पैरों के नीचे की मिट्टी का

भरोसा नहीं था किंतु शीघ्र ही उसके कदम सध गये। अब वे स्वयं पृथ्वी पर स्थित नियामक कक्ष (Control- oom) से सम्पर्क बनाए हुए थे। अमरीका के राष्ट्रपति निक्सन ने चन्द्र-यात्री को बधाई दी। तभी एल्ड्रीन भी चन्द्र-यान से बाहर निकल आए और धीरे-धीरे चन्द्र-धरातल पर चहल-कदमी करने लगे। क्या ही आश्चर्य की बात थी कि पृथ्वी के दो मानव एक ही साथ पहली बार चन्द्र-धरातल पर भ्रमण करने में सफल हुए थे।

इसके बाद तो चन्द्र-यात्रियो ने चन्द्र-धरातल की जानकारी देनी शुरू कर दी। वहां की मिट्टी के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता पाए। इसके बाद उन्होने चन्द्र-धरातल के मिट्टी, कंकड और पत्थरो के नमूने विशेष थैलो में भरने शुरू कर दिए। यह कार्य करने के बाद चन्द्र-यान में जाकर सो गए। कुछ घण्टो के विश्राम के बाद उन्होंने चन्द्र-यान के एंजिन को चालू कर दिया और सम्पूर्ण आशंकाओ के विपरीत यह चन्द्र-धरातल से ऊपर उठ गया और चन्द्रमा की परिक्रमा करने लगा। कई परिक्रमाओं के बाद यह यान मुख्य-यान से जुडने में सफल हो गया। जब दोनो यात्री मुख्य-यान में जा पहुंचे तो चन्द्र-यान को चन्द्रमा की कक्षा में ही छोड़ दिया गया।

अब इस अपोलो–११ ने पृथ्वी की ओर लौटने की यात्रा शुरू की। इस यात्रा की सफलता मे अब किसी को संदेह नही था। सत्य कहे तो यह एक औपचारिकता थी। तीन दिन बाद यह अपोलो–११ निर्धारित समय पर प्रशांत-महासागर पर आ पहुँचा तथा चन्द्र-यात्री मोड्यूल (एक बन्द कक्ष) मे बैठ गये। मोड्यूल भी पेराशूट की सहायता से नीचे पानी पर जा उतरा। पास ही प्रतीक्षा कर रहे नौ-सैनिको, तैराको और गोताखोरों की सहायता से ये चन्द्र-यात्री मोड्यूल से बाहर आ गए और फिर इन्हें निकटवर्ती जल-यान पर ले जाया गया। इस समय इन यात्रियों की पोशाक विशेष प्रकार की थी, क्योंकि विशेषज्ञों को आशका थी कि यह चन्द्र-यात्री अपने साथ चन्द्र-कीटाणु ला सकते हैं। ये कीटाणु पृथ्वी के प्राणियों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते थे। इस आशका के कारण इन तीनों चन्द्र-यात्रियों को २१ दिन तक विशेष रूप से सुरक्षित कमरों में रखा गया था।

अमरीका ने अपोलो–१२, १४ नवम्बर, ६९ में फिर से चन्द्रमा पर भेजा, जिसमें तीन यात्री चार्ल्स कोनराड, रिचर्ड गार्डन, ऐलेन बीन थे। वे

सफलतापूर्वक अन्वेषण करके वापिस लौट आये। अपोलो–१३ का 'मिशन' असफल रहा। तब अपोलो–१४, १३ जनवरी, सन् १९७१ को अन्तरिक्ष की ओर रवाना हुआ। यह चन्द्रमा पर 'फ्रॉ मोरा' नामक स्थान पर उतरा। इसी क्रम में अपोलो–१५–१६ को चन्द्रतल पर उतारा गया। ये क्रमशः ३१ जुलाई, १९७१ और २१ अप्रेल, ७२ को भेजे गये थे। अपोलो–१७ जो अमरीका द्वारा भेजे गये अपोलो क्रम में अन्तिम था, अनेक तथ्यों से अवगत कराता है। इसी क्रम में रूस की उपलब्धियाँ भी महत्वपूर्ण हैं जिन्हें लूना १७ और २० के माध्यम से समझा जा सकता है। रूस ने २९ मई, १९७४ को लूना २२ भेजकर चन्द्र-मण्डल के रहस्यों का उद्घाटन किया। मिट्टी के नमूनों के आधार पर जो परीक्षण किये गये हैं वे अन्तरिक्ष यात्रा की आशातीत सफलता से अवगत कराते हैं। इतना ही नहीं अन्तरिक्ष यात्रा के सन्दर्भ से अमेरिका और रूस ने सहयोग को बढ़ावा दिया। परिणामतः १७ जौलाई, १९७५ को रात्रि को साढे नौ बजे पुर्तगाल के निकट अन्धमहासागर के ऊपर अपोलो सोयूज का मिलन हुआ है।

समय की गति विचित्र है। सन् १९७८ तक मानव अपनी प्रज्ञा के सहारे अनेक नये तथ्यों से परिचित हो चुका है। अब वह समय आ गया है जबकि चन्द्रलोक कल्पना जगत् से हटकर यथार्थ की छवियों का उद्घाटक बन गया है। वह दिन दूर नहीं जबकि वैज्ञानिक अपने प्रयत्नों व प्राज्ञिक चमत्कारों से जगत् को चमत्कृत कर देंगे।

७. राष्ट्रभाषा हिन्दी

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना–स्वतन्त्र राष्ट्र और राष्ट्रभाषा, (२) राष्ट्रभाषा पद पर आसीन हिन्दी और उसका दायित्व, (३) राष्ट्रभाषा हिन्दी की विशेषताएँ, (४) मार्ग की बाधायें और उपाय, एवं (५) उपसंहार-राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का व्यवहार एवं प्रसार-प्रचार की आवश्यकता।

किसी स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए जितना महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र गान, राष्ट्रीय वेशभूषा, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय नीतियों का है, उतना ही महत्व उसकी राष्ट्रभाषा का है। क्योंकि ये सब किसी राष्ट्र की स्वाधीनता एवं प्रभुसत्ता के प्रतीक हैं। राष्ट्रभाषा से हमारा अभिप्राय उस भाषा से होता है जो किसी वर्ग, जाति, प्रान्त या प्रदेश की भाषा न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र की

वाणी होती है। किसी राष्ट्र का जीवन, साहित्य और संस्कृति राष्ट्रभाषा में ही अभिव्यक्ति पाते हैं। १५ अगस्त, सन् १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ। उससे पूर्व अंग्रेजी को ही भारत की देश-भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता था। देश का राजकाज और महाविद्यालयों मे शिक्षा का माध्यम भी वही थी। एक-दम से अंग्रेजी को हटाना सम्भव न था, इसलिए संविधान में व्यवस्था की गई कि सन् १९६५ तक केन्द्रीय शासन का कार्य अंग्रेजी में होता रहेगा और इसी बीच हिन्दी को पूर्णरूपेण समृद्धिशाली बनाकर अंग्रेजी का स्थानापन्न बना दिया जावेगा। वैसे सविधान में हिन्दी को स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया गया था।

हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि राष्ट्रभाषा के गौरवान्वित पद पर हिन्दी आसीन है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान कर देश के संविधान निर्माताओं ने बुद्धिमत्ता, निष्पक्षता एवं दूरदर्शिता का पूर्ण परिचय दिया है। सर्वप्रथम तो हिन्दी इस देश की भाषा है। दूसरे, उसके बोलने और समझने वालों की संख्या देश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में हिन्दी को प्रान्तीय भाषा के रूप मे भी मान्यता प्राप्त है। हिन्दी का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। गत एक हजार वर्षों से भी अधिक समय से उसमें साहित्य रचना हुई है और उसे जनता की भाषा माना जाता रहा है। मुगलों के शासन-काल में उर्दू के रूप में हिन्दी का प्रचार-प्रसार देश के संपूर्ण भू-भाग पर किसी न किसी रूप में होता रहा। अन्य प्रान्तीय भाषाओं की तुलना में भी हिन्दी प्रयोग, लिपि एवं भाषा वैज्ञानिक आदि दृष्टियों से विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। हिन्दी की लिपि (देवनागरी) भी वैज्ञानिक एवं सरल है। हिन्दी जैसी बोली जाती है, वैसी ही लिखी भी जाती है। इसके अतिरिक्त देश के शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य-व्यापार संचालन की हिन्दी भाषा में पूर्ण क्षमता और सामर्थ्य है। सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, मीरा, बिहारी, भारतेन्दु, द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, प्रेमचन्द प्रभृति महान् साहित्यकारों की रचनाओं ने हिन्दी-भण्डार को भरा है। भारत जैसे राष्ट्र में जहां सैकड़ों भाषाएँ और बोलियां प्रचलित

है, हिन्दी ने राष्ट्रभाषा के रूप में सबको एक सूत्र में बांधने का प्रशंसनीय कार्य किया है। हिन्दी राष्ट्रीय एकता और स्वतन्त्रता के अस्तित्व की रक्षक बनकर राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है।

राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात् हिन्दी पर अनेक उत्तरदायित्व आ गये हैं। सर्वप्रथम तो यह कि संविधान में हिन्दी के साथ अन्य १५ प्रादेशिक भाषाएँ भी हैं। इनके साथ कदम मिलाकर हिन्दी को प्रगति पथ पर बढ़ना है। अतः यह आवश्यक है कि अन्तर्प्रान्तीय विकास एवं प्रसार में हिन्दी सहायक बने। हिन्दी को अहिन्दी प्रान्तों में लोकप्रिय एवं सर्वजनग्राह्य बनाने का प्रश्न भी हिन्दी के पक्षधरों के सम्मुख है। हिन्दी का विरोधमात्र अंग्रेजी से है, वह भी भाषा की प्रतिद्वन्द्विता के क्षेत्र में। प्रांतीय भाषाओं का स्थान हिन्दी को नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त राज-काज एवं उच्च शिक्षा का माध्यम बनने के लिए हिन्दी में अपार साहित्य-रचना की आवश्यकता है। हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्द-भण्डार को आत्मसात् करके उसके रूप को सरल और बोधगम्य भी बनाना आवश्यक है। इन सबके लिए हिन्दी प्रेमियों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। शब्द-कोषों, सन्दर्भ ग्रन्थों, स्तरीय पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त व्यापक आधार पर प्रामाणिक अनुवाद की हुई पुस्तकों को तैयार करने का भी उत्तरदायित्व हिन्दी पर है। इस उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक वहन करके ही हिन्दी राष्ट्रभाषा की गरिमा में मण्डित हो सकती है।

हिन्दी के विकास के मार्ग में कुछ बाधाएँ भी प्रारम्भ से ही आती रही हैं। सर्वप्रथम तो संविधान-निर्माण के समय ही कुछ अंग्रेजीदां हिन्दी को उसका उचित स्थान प्राप्त नहीं होने दे रहे थे। किन्तु संविधान में स्वीकृति प्राप्त करने तथा १९६५ की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी उसका विरोध हो रहा है। दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रति दूषित प्रचार किया जाता है। श्री राजगोपालाचारी जैसे व्यक्ति, जिन्होंने गांधीजी के समय जी खोलकर हिन्दी का समर्थन किया था, बाद में वे भी हिन्दी के विरोध में बोलने लग गए थे। अब कुछ लोग यह आशंका प्रकट कर रहे हैं कि हिन्दी के विकास से प्रान्तीय भाषाएँ पिछड़ जायेंगी अथवा अहिन्दी-भाषियों पर

हिन्दी-भाषियों का प्रभुत्व हो जायगा। कुछ लोग आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के तीन दशकों के पश्चात् भी यही चाहते हैं कि अंग्रेजी राज-काज की भाषा बनी रहे क्योंकि हिन्दी में अभी वह क्षमता नही है। वस्तुतः हिन्दी के विरोध में जितने भी तर्क दिये जाते है, उन सबके मूल में राजनीतिक कुचक्र है। हिन्दी के विरोधी राजनीतिक अखाड़ेबाज हैं, आम जनता तो उसकी समर्थक है।

अस्तु ! आज आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी का तीव्र गति से प्रचार-प्रसार किया जाय। इसके लिए सबसे पहला कार्य हिन्दी-प्रेमियों, कवियों, लेखकों और शिक्षकों को करना है। इन्हे चाहिये कि वे विभिन्न भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रन्थों का हिन्दी में स्तरीय अनुवाद प्रस्तुत करें। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक अध्ययन के लिए पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जायें। तभी हिन्दी पर अक्षमता का दोष नही लगेगा। इसके अतिरिक्त राज्य हिन्दी के प्रसार कार्य को व्यापक रूप से प्रारम्भ करे। राजकाज के सभी स्तरों पर हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किया जाय। यह दुर्भाग्य का विषय है कि अभी प्रान्तों मे ही पूर्णतः हिन्दीकरण नहीं हुआ है। सरकारी सहयोग भी इस दिशा में अपेक्षित है। राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी को यथेष्ट अनुदान, छात्रवृत्तियाँ एवं आर्थिक सहायता देकर अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी प्रचार-प्रसार कार्य को तीव्र गति प्रदान करनी चाहिए। आम जनता का सहयोग भी इस दिशा से अपेक्षित है। आम जनता में पढ़े लिखे वर्ग का अंग्रेजी मोह भंग नही हुआ है, न ही दैनिक जीवन में हिन्दी को पूरी तरह अपना पाये हैं। सच्चे माने में यदि हम हिन्दी का विकास और प्रगति चाहते हैं तो हमें रचनात्मक रुख अपना कर हिन्दी के विरोधियों को उत्तर देना पडेगा। कोरे नारेबाजी या आंदोलनकारी प्रवृत्तियों को अपनाने अथवा १४ सितम्बर को वर्ष में एक दिन 'हिन्दी दिवस' मनाने से हिन्दी का भाग्योदय नहीं हो सकता। आज भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के गौरव की रक्षा के लिए सेठ गोविन्ददास जैसे असंख्य कार्यकर्त्ताओं की देश भर में जरूरत है। हर्ष का विषय है कि कुछ राज्य सरकारें इस ओर प्रयत्नशील है और जन-जीवन में भी हिन्दी को अपनाया जा रहा है। हिन्दी के माध्यम से तकनीकी एवं वैज्ञानिक विषयों में अध्ययन कार्य भी हो रहा है। आशा की जा सकती है कि सभी के प्रयत्न से राष्ट्रभाषा हिन्दी भारत की राष्ट्रीय एकता का सूत्र बनकर समुचित स्थान प्राप्त कर सकेगी।

८. बसन्त ऋतु

रूपरेखा—(१) ऋतुओं की संख्या और ऋतु-परिवर्तन का कारण, (२) भारत में ऋतुओं का स्वरूप, (३) ऋतुओं के रूप में बसन्त का महत्त्व, (४) बसंत में प्रफुल्लता और प्राणियों पर इसका प्रभाव, और (५) निष्कर्ष।

एक वर्ष में छः ऋतुएँ होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, शिशिर, हेमन्त, एवं वसन्त। इस प्रकार एक ऋतु का समय दो माह होता है। सूर्य जब कर्क रेखा पर होता तो बड़ी तेज गर्मी पड़ती है। छोटी नदियाँ, नाले और तालाब आदि सूख जाते हैं। लोगों के पसीने की धार बहती है, बार-बार पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुझती। कृषकों की दृष्टि आकाश की ओर लगी रहती है। आकाश में बादल का छोटा-सा टुकड़ा देखकर उसका हृदय खिल उठता है। जब बादल बरसना शुरू कर देते हैं तो वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो जाती है। पृथ्वी और प्राणियों के तप्त शरीर पर वर्षा की पहली बूँदें पड़ते ही एक विचित्र भुर-भुरी सी अनुभव होती है। मयूर के-के करके नृत्य करने लगते हैं और किसान हर्ष विभोर होकर अपने-अपने हल-बैल लेकर खेतों की ओर चल पड़ते हैं। नदी-नालों में एक तूफान-सा आ जाता है। खेतों और मैदानों में सर्वत्र हरियाली छा जाती है। सावन-भादों के महीने में तो वर्षा की झड़ी लग जाया करती है और एक-एक सप्ताह तक सूर्य के दर्शन भी नहीं हो पाते। इससे जहाँ खेती को लाभ पहुँचता है वहाँ नदियों में बाढ़ भी आ जाती है।

दशहरे के आस-पास वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद् ऋतु प्रारम्भ हो जाती है। इस समय सूर्य विषुवत् रेखा के पास रहता है। इस समय न गर्मी पड़ती है न सर्दी। घरों में सफाई और सफेदी का कार्य चल पड़ता है। कपड़े सन्दूकों से बाहर निकाले जाते हैं। लिहाफ और कम्बल सम्भाले जाते हैं। दिवाली के बाद शीत या शिशिर-ऋतु का आगमन होता है। इस समय तक सूर्य मकर रेखा पर पहुँच जाता है, इसलिए सूर्य की किरणें टेढ़ी होकर ही भारतीय प्रायद्वीप तक पहुँच पाती हैं। इससे उत्तर भारत में कड़ाके की ठण्ड पड़ती है। पर्वतीय स्थलों पर रात्रि के समय पानी जम जाता है, हिमालय की चोटियों पर बर्फ जम जाती है। इस समय दिन छोटे और बड़ी होती हैं। किन्तु जब सूर्य पुनः विषुवत् रेखा की ओर आने

लगता है तो हेमन्त-ऋतु का प्रारम्भ होता है। इस ऋतु में वृक्षों और लताओं के पत्ते जो शीत-ऋतु में सूख जाते हैं, गिरने लगते हैं। थोड़े ही दिनों में वृक्षों और लताओं पर प्रायः एक भी पत्ता नहीं बचता। सूर्य के विषुवत् रेखा पर पहुँचते ही बसंत-ऋतु का आगमन होता है। सूखे वृक्षों और लताओं पर कोंपल के आगमन से इसका पता चल जाता है।

इस प्रकार भारत में वर्ष भर में छ ऋतुएँ बदल जाती हैं। भारतीयों के लिए इनमें से हर ऋतु का अलग-अलग महत्व होता है। वर्षा ऋतु में वे खरीफ की फसल बोते हैं, जिसमें चावल, बाजरा, तिल और मूंग आदि की खेती होती है। शरद्-ऋतु के प्रारम्भ में इसे काटते हैं और तभी वे रबी की फसल बोने लगते हैं। इसमें गेहूं, चना और सरसों की खेती होती है। बसन्त-ऋतु के आगमन के बाद वे रबी की फसल काटने लगते हैं और गन्ने की फसल बो देते हैं। इस प्रकार सभी ऋतुओं में भिन्न-भिन्न किस्म की फसल उगाई जाती है। यदि ऋतु परिवर्तन न हो तो इतनी फसलें उगाना कठिन हो जाए। वैसे भी यदि ग्रीष्म-ऋतु न हो तो समुद्र से बादल ही न उठें। उस स्थिति से वर्षा-ऋतु का कभी आगमन ही न होता। वर्षा न होने पर नदियों व तालाबों आदि में पीने के लिए तथा सिंचाई-कार्य के लिए पानी प्राप्त नहीं हो सकता। शरद्-ऋतु में वर्षा न होने पर रबी की फसल बो सकना कठिन है। अतः यह माना जा सकता है कि प्रत्येक ऋतु का अपना-अपना महत्व है और भारत के लिए सभी ऋतुएँ एक वरदान के समान हैं।

अब प्रश्न यही उठता है कि बसन्त को ऋतुराज क्यों कहा जाता है अथवा यह कि अन्य किसी ऋतु को यह गौरव क्यों नहीं दिया जाता? इसका उत्तर यह है कि वसन्त सौंदर्य और उन्माद की प्रतीक है। चूंकि मानव स्वभावतः सौंदर्य प्रेमी है, अतः वह वसन्त-ऋतु को सर्वोपरि मानता है। इस ऋतु में प्रकृति अपना शृंगार-सा करती है और इस नैसर्गिक सौन्दर्य को देखकर मानव-हृदय एक अव्यक्त मादकता से भर उठता है। यह तो सभी जानते हैं कि वसन्त-ऋतु का प्रारम्भ भारतीय गणना के अनुसार माघ शुक्ला पंचमी को होता है। फाल्गुन मास के अन्त तक यह ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर होती है। उसका प्रभाव भारतीय मानव पर किस रूप में पड़ता है, इस बात का उत्तर होली के त्यौहार से ज्ञात हो जाता है। होली की मस्ती और

खुमारी किसी से छिपी नही है। गुलाबी रंग और गुलाब से होली खेलना वसन्त का स्वागत नहीं तो और क्या है ?

वसन्त-ऋतु में उपवन और वाटिकायें सुन्दर-सुन्दर पुष्प-गुच्छों से सज उठती हैं। आम्र-वृक्षों पर मंजरी का अविर्भाव होने लगता है। पत्तों की आड़ में छिपी कोयल कुहू-कुहू करने लगती है। पुष्पों का राजा गुलाब अपनी सौरभ और सौन्दर्य को चतुर्दिक् बिखेरना आरम्भ कर देता है। खेतों में गेहूं की बालियां मस्ती से लहराती हैं और कृषक-बालिकायें अल्हड़पन से नृत्य करने लगती हैं। ऐसा सुरम्य और मादक वातावरण किस प्राणी को विभोर नही कर देगा।

प्राचीन काल से साहित्यकारों ने इस ऋतु की अनेकशः प्रशंसा की है। कालिदास ने बकुल वृक्ष पर पुष्पोद्गम के लिए भी किसी सुन्दरी द्वारा उस पर मद्य का गण्डूष डालना आवश्यक बताया है। कालिदास के 'ऋतुसंहार' काव्य में तो वसन्त-ऋतु पर एक सर्ग लिखा गया है। बाद में साहित्यकारों ने भी यथावसर वसन्त-ऋतु के मादक प्रभाव का बहुशः अंकन किया है। भारत में वसन्तोत्सव मनाने की प्रथा भी बहुत प्राचीन है। कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तलम् नाटक में इसका उल्लेख मिलता है। अन्य किसी ऋतु का उत्सव भारत में नहीं मनाया जाता।

यों तो वसन्त-ऋतु में प्रायः सभी प्राकृतिक स्थान नवीन सौंदर्य से भर जाते हैं, किन्तु काश्मीर जैसे पर्वतीय प्रदेशों में तो इसका आकर्षण बहुत ही बढ़ा-चढ़ा होता है। वहां जब खेतों की क्यारियों में केसर के पीत-वर्ण के पुष्पों की बहार आती है, तो दर्शक मंत्र-मुग्ध होकर उसे एकटक देखने लगता है। दूर-दूर तक फैला यह पीताभ सौंदर्य किसी भी भावुक व्यक्ति के मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसी प्रकार डल झील पर तैरते हुए हरे खेतों की कमनीयता भी बहुत आकर्षक लगती है। इन छोटे-छोटे खेतों से कुछ ही दूरी पर तैरते से कमल-पुष्पों पर भ्रमर-समूह की गुनगुनाहट मानों ऋतुराज वसन्त का गुणगान करती सी प्रतीत होती है। किशोर और किशोरियां वसन्ती परिधान पहन कर वसन्त ऋतु का न केवल स्वागत करते हैं, बल्कि वसन्त की मादकता को अपने अन्तस्थल में उतार लेने का आभास भी देते हैं।

वसन्त के आगमन पर बावडियों का जल और मञ्जरी से लदी आम्र-शाखायें अधिक सुन्दर लगने लगती हैं। कई प्रदेशों में स्त्रियाँ कुसुम के लाल फूलों को भिगोकर उनके रंगीन जल में अपनी साड़ियों को रंग डालती हैं। इस प्राकृतिक रंग में उनका आकर्षण और भी बढ जाता है। वसन्त-ऋतु में अधिक ठण्ड नहीं लगती, इसलिए लोग इन दिनों वृक्षों की शीतल छाया में आराम करना पसन्द करते हैं। रात्रि के समय चन्द्रमा की शीतल किरणों का स्पर्श उन्हें अच्छा लगता है।

इस ऋतु में अशोक वृक्ष में कोपलें निकलने लगती हैं और उनके मूंगे की तरह के रक्त वर्ण पुष्प खिल उठते हैं। किंशुक के वृक्षों पर जब पुष्पोद्गम होता है तो हवा के झकोरों से वे आग की लपटों की तरह दिखाई देने लगते हैं। इस समय के पवन में ठिठुराने वाली ठंडक नहीं होती; इसलिए इसका स्पर्श सुखकर होता है। यह पवन आम्र-मंजरियों की सुगन्ध तथा कोयल की मधुर कुहू-कुहू ध्वनि को दूर-दूर तक पहुँचा देता है। पर्वत की ऊँची-ऊँची चोटियाँ पल्लवित और पुष्पित वृक्षों के कारण दर्शकों का मन दूर से ही मोहने लगती हैं। सूर्य की किरणों में कुछ उष्णता आ जाने से हिम-पर्वतों पर जमी हुई वर्फ कुछ पिघलने लगती है और झरने बहकर एक मधुर कलकल ध्वनि उत्पन्न करने लगते हैं। इसके कारण मंद गति से बहने वाली नदियाँ भी अपने भीतर एक नया उत्साह अनुभव करने लगती हैं।

यह सत्य है कि वसन्त-ऋतु का यह मादक सौंदर्य देखकर एकाकी व्यक्तियों के हृदय में मधुर-वेदना सी होती है और ऐसे व्यक्ति इस सौदर्य को अपने भीतर समेट नहीं पाते। किन्तु सामान्य व्यक्तियों के लिए यह ऋतु आनन्द और उल्लास का अजस्र स्रोत है। इसी से प्राप्त उत्साह-शक्ति के द्वारा लोग आने वाले लू के थपेड़ों, बाढ़ की विभीषिकाओं और शीत -हरों का धैर्य पूर्वक सामना कर पाते हैं, क्योंकि इस बसन्त-ऋतु के पुनः आगमन की आशा रहती है। निश्चयतः अन्य ऋतुओं में तो व्यक्ति व्यस्त तथा धूप, वर्षा एवं शीत से पीड़ित सा रहता है, किन्तु इस बसन्त-ऋतु में बहुत कुछ कार्य मुक्त रहता है और साथ ही तेज धूप आदि का सामना भी नहीं करना पडता है। यह ऋतु तो जैसे लोगों के आनन्द मनाने की है। यही कारण है कि लोग होली के त्यौहार में सर्वाधिक आनन्द लाभ करते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में ऋतुएँ तो सभी उपयोगी और लाभदायक हैं किन्तु वसन्त-ऋतु इनमें सर्वोपरि है। इसीलिए इसे ऋतुराज कहा जाता है।

६. देश-प्रेम

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—स्वदेश-प्रेम की भावना की व्याख्या और महत्व, (२) स्वदेश-प्रेम व्यक्ति का प्राथमिक कर्त्तव्य, (३) स्वदेश-प्रेम से देश की उन्नति, (४) स्वदेश-प्रेमियों के उदाहरण और उनका अनुकरण और (५) उपसंहार।

"जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं।
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।"

उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्वदेश-प्रेम से शून्य मनुष्य जीता हुआ भी मरे के समान है। स्वदेश-प्रेम मानव स्वभाव की एक अनिवार्य विशेषता या गुण है। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, जिसके अन्न-जल से हमारा भरण-पोषण होता है, जिसकी मिट्टी में खेलकूद कर हम बड़े होते हैं, वही हमारा स्वदेश है। वही हमारी मातृभूमि और वही जन्मभूमि है। जब कीट-पतंगों और पशु-पक्षियों तक को अपने जन्म स्थान से अनुराग होता है तो मनुष्य का जन्मभूमि से प्रेम होना बहुत स्वाभाविक है। संस्कृत की एक उक्ति के अनुसार 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।' अर्थात् जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक गौरवशाली होती है। इसलिए स्वदेश-प्रेम का भाव जन्मजात एवं स्वाभाविक होता है।

स्वदेश-प्रेम एक पवित्र भाव है। स्वदेश-प्रेम की व्यंजना देश-भक्तों के चरित्र में होती है। स्वदेश-प्रेम मनुष्य का न केवल स्वाभाविक गुण है, वरन् वह एक प्राथमिक कर्त्तव्य भी है। इस कर्त्तव्य की पूर्ति देश के लिए अपना तन, मन, धन सभी समर्पित करने पर भी नहीं होती है। महान् से महान् त्याग करके भी व्यक्ति जननी और जन्मभूमि से ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्योंकि व्यक्ति को जो सर्वस्व प्राप्त होता है, जननी और जन्मभूमि द्वारा ही उसे प्रदत्त है। उसका प्रतिदान करके मनुष्य देश के प्रति केवल समर्पण भाव का ही प्रदर्शन करता है। देश भक्ति के लिए यह समर्पण-भाव ही वस्तुतः महत्वपूर्ण है।

देश की सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश-प्रेम का होना परम आवश्यक है। जिस देश के निवासी देश के कल्याण में

अपना कल्याण और हित मानते हैं वही देश उन्नतिशील होता है। जिस देश के जीवन में स्वार्थी लोगों की अधिकता हो जाती है, वह पतन के गर्त में पड़ जाता है। देश-प्रेम वह पूत भाव है जो मनुष्य को अन्य लोगों अर्थात् देशवासियों की हित साधना में निरत रखता है। आज संसार के उन्नतिशील राष्ट्रों; जैसे—रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि का इतिहास देखें तो हमें उनके देशवासियों के चरित्र में स्वदेश-प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई मिलेगी। एशिया और अफ्रीका के अनेक नव-स्वतन्त्र राष्ट्रों के इतिहास में स्वदेश-प्रेम की अपूर्व गाथाएँ भरी पड़ी हैं। विश्व का इतिहास असंख्य देशभक्तों की त्यागमयी गौरव-गाथाओं से परिपूर्ण है।

हम अपने देश के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि हमारे देश में देश-भक्तों की परम्परा बड़ी उज्ज्वल रही है। गुप्त काल से लेकर सन् १९४७ तक समय-समय पर असंख्य देश-भक्तों ने अपना सर्वस्व समर्पण करके स्वदेश-प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है। चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, गुरु गोविन्दसिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, लोकमान्य तिलक, मालवीयजी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, गांधीजी, नेहरूजी, शास्त्रीजी आदि अनेक नाम भारतीय देश-भक्तों की गौरव पूर्ण परम्परा के कीर्ति-मान हैं। सन् १८५७ की क्रांति और तदनन्तर राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन से सन् १९४७ तक स्वदेश-प्रेम की एक गौरवपूर्ण परम्परा हमें अपने देश के इतिहास में मिलती है। स्वदेश-प्रेम की भावना से पूरित होकर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री आदि असंख्य नेताओं ने देश-हित के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जेल यात्राएँ कीं, अनेक विपदाएँ सहीं किन्तु अटूट देश-भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित रखा। हाल ही में चीन और पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमणों के समय हमें पुनः स्वदेश-प्रेम की अमर ज्योति भारतीय जन-जीवन में प्रदीप्त दिखाई दी। स्वदेश-प्रेम ने ही देशवासियों में ऐसे महान् समर्पण भाव का उदय किया कि उन्होंने तन, मन, धन, सर्वस्व अर्पित कर दिया। बालक-वृद्ध, धनी-निर्धन, सभी ने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सुरक्षा-कोष में योगदान किया। लोगों ने खून दिया। अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, देश के लिए क्या नहीं दिया गया।

असंख्य नवयुवकों ने प्राणदान दिया। इसी स्वदेश-प्रेम ने हमारी स्वतन्त्रता और प्रभुता की रक्षा की।

हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम देश-भक्तों के पद-चिह्नों पर चलते हुए स्वदेश-प्रेम की गौरवपूर्ण परम्पराओं को निरन्तर जीवन्त बनाए रहें। किन्तु यह खेद का विषय है कि हमारे देशवासियों में स्वदेश-प्रेम के उद्गार राष्ट्रीय संकट की वेला में ही ज्वार-भाटे की तरह आते हैं और संकट मुक्ति पर पुनः हम स्वार्थ-सिद्धि में लिप्त हो जाते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के हित में राष्ट्रीय-हित हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। परिणामस्वरूप देश में विघटनकारी, प्रतिक्रियावादी और पतनशील प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं। आज प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता, भाषा-विवाद जैसी अनेक समस्याओं से देश का जीवन ग्रस्त और संत्रस्त है। इन सबके मूल में स्वदेश-प्रेम का अभाव है। यदि हम में स्वदेश-प्रेम की भावनाएँ आन्दोलित हो रही हों, तो इन जटिल विवादों का स्वतः समाहार हो सकता है।

राष्ट्रीय जीवन में स्वदेश-प्रेम के भावोदय के लिए यह आवश्यक है कि देश में प्रचार-प्रसार के साधनों द्वारा एक वातावरण तैयार किया जाय। इसके लिए देशवासियों के समक्ष देशभक्ति के उच्च आदर्श और कार्य क्षेत्र प्रस्तुत किये जाँय। प्रौढ़ शिक्षा, श्रमदान, समाज सेवा, जन-कल्याण आदि असंख्य कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर हम देश-प्रेम का परिचय दे सकते हैं। देश-प्रेम मात्र भाव जगत् का विषय ही नहीं है। देश-प्रेम के लिए देश-सेवा का विस्तृत कार्य-क्षेत्र सदैव उपस्थित रहता है। सच्चा देश-प्रेमी काम करके ही स्वदेश-प्रेम का परिचय देता है।

स्वदेश-प्रेम की भावना को अन्त ... जाता
कभी उस पर कट्टरता एवं संकीर्णता का ...
भी कहा जाता है कि उत्कट देश-प्रेम का ... बन
होता है और यहाँ वह मानवता के मार्ग ...
किन्तु इस प्रकार के तर्कों में बहुत दम नहीं

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि स्वदेश-प्रेम एक महान् शक्ति है। ऐसी शक्ति जिससे राष्ट्रीय जीवन का उत्थान होता है। व्यक्ति और समाज के हित संवर्द्धन के लिए भी देश-प्रेम आवश्यक है। देश-प्रेम मानव की संकीर्ण वृत्तियों का दमन कर उसे परमार्थी और उदारचेता बनाता है। देश-प्रेमियों को इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। सच्चे देश-भक्त मानवता की अक्षय विभूति कहलाते हैं। इसके विपरीत जिनमें इस भाव का अभाव होता है, उन्हें मृतक समान कहा जाता है। जैसे—

"जिसमें न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वर नर कहां, नर पशु निरा और मृतक समान है॥"

अस्तु, प्रत्येक देशवासी को स्वदेश-प्रेम के पुनीत भाव को एक आवश्यक कर्त्तव्य मानकर पवित्र संकल्प के रूप में धारण करना चाहिये।

---

१०. यदि मैं परीक्षक होता

आप सच मानिये, यदि मैं परीक्षक होता तो परीक्षाफल इतना नहीं बिगड़ता, जितना आजकल बिगड़ता है। मेरे इस कथन का आप यह अर्थ न लगायें, कि मैं आंख बन्द करके सबको इतने अंक दे देता कि सब उत्तीर्ण हो जाते। इस कथन का आशय यही है कि मैं परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिका बड़े ध्यान देखता। जो परीक्षार्थी परिश्रमी हैं तथा सही उत्तर देने म समर्थ हैं वे तो परीक्षक की मुट्ठी से अंक छीन ही लेते हैं। परीक्षक की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वह उन्हें पूरे अंक न दे। परीक्षक के कोप-भाजन तो बनते हैं जिनके उत्तर सही नहीं होते। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि उत्तर सही है अथवा गलत है, इसका निर्णय करने के लिए कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जहां तक मेरा अपना विचार है परीक्षक इसी प्रक्रिया में चूकते हैं। चूक उनकी और हत्या परीक्षार्थी की होती है।

परीक्षार्थी प्रायः गणित और अंग्रेजी में अधिक अनुत्तीर्ण होते देखे गये हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि अन्य विषयों में प्रथम श्रेणी के अंक

असंख्य नवयुवकों ने प्राणदान दिया। इसी स्वदेश-प्रेम ने हमारी स्वतन्त्रता और प्रभुता की रक्षा की।

हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम देश-भक्तों के पद-चिह्नों पर चलते हुए स्वदेश-प्रेम की गौरवपूर्ण परम्पराओं को निरन्तर जीवन्त बनाए रहें। किन्तु यह खेद का विषय है कि हमारे देशवासियों में स्वदेश-प्रेम के उद्गार राष्ट्रीय संकट की वेला में ही ज्वार-भाटे की तरह आते हैं और संकट मुक्ति पर पुनः हम स्वार्थ-सिद्धि में लिप्त हो जाते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के हित में राष्ट्रीय-हित हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। परिणामस्वरूप देश में विघटनकारी, प्रतिक्रियावादी और पतनशील प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं। आज प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता, भाषा-विवाद जैसी अनेक समस्याओं से देश का जीवन ग्रस्त और संत्रस्त है। इन सबके मूल में स्वदेश-प्रेम का अभाव है। यदि हम में स्वदेश-प्रेम की भावनाएँ आन्दोलित हो रही हों, तो इन जटिल विवादों का स्वतः समाहार हो सकता है।

राष्ट्रीय जीवन में स्वदेश-प्रेम के भावोदय के लिए यह आवश्यक है कि देश में प्रचार-प्रसार के साधनों द्वारा एक वातावरण तैयार किया जाय। इसके लिए देशवासियों के समक्ष देशभक्ति के उच्च आदर्श और कार्य क्षेत्र प्रस्तुत किये जाँय। प्रौढ़ शिक्षा, श्रमदान, समाज सेवा, जन-कल्याण आदि असंख्य कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर हम देश-प्रेम का परिचय दे सकते हैं। देश-प्रेम मात्र भाव जगत् का विषय ही नहीं है। देश-प्रेम के लिए देश-सेवा का विस्तृत कार्य-क्षेत्र सदैव उपस्थित रहता है। सच्चा देश-प्रेमी काम करके ही स्वदेश-प्रेम का परिचय देता है।

स्वदेश-प्रेम की भावना को अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोधी मानकर कभी-कभी उस पर कट्टरता एवं संकीर्णता का आरोप भी लगाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उत्कट देश-प्रेम का पर्यवसान कट्टर राष्ट्रवाद के रूप में होता है और वहां वह मानवता के मार्ग का अवरोधक भी बन जाता है किन्तु इस प्रकार के तर्कों में बहुत दम नहीं है। वस्तुतः उग्र राष्ट्रवाद स्वदेश-प्रेम के कारण नहीं वरन् जब वह साम्राज्यवादी लिप्सा के कारण जन्म लेता है तभी घातक सिद्ध होता है। स्वदेश-प्रेम तो एक दिव्य एवं पवित्र भाव है जिसे धारण करना प्रत्येक देशवासी के लिए न केवल वांछनीय अपितु नितांत अनिवार्य है।

अच्छे अंक देकर ऐसे परीक्षकों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता । मेरी सर्वत्र सराहना होती और परीक्षार्थियों की हिम्मत बढ़ती । वे प्रगति के पथ पर बढते तथा सुनागरिक बनते ।

---

११. मनोरंजन के साधन

रूपरेखा—(१) परिभाषा, (२) मनोरंजन का जीवन में महत्व, (३) मनोरंजन के प्राचीन तरीके, (४) मनोरंजन का आधुनिक स्वरूप, (५) खेल-कूद से मनोरंजन, (६) गोष्ठी, उत्सव, क्लब एवं तमाशा आदि से मनोरंजन, और (७) निष्कर्ष ।

मनोरंजन का अर्थ है, मन को प्रसन्न करना । जब व्यक्ति किसी काम से ऊब जाता है अर्थात् काम में मन नहीं लगता तो मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है । मनोरंजन के बाद व्यक्ति एक नवीन उत्साह का अनुभव करता है और परित्यक्त कार्य पूरा करने के लिए जुट जाता है ।

आज के वैज्ञानिक युग में यांत्रिकता बढ़ गई है । इससे मानव स्वयं को भी इस प्रकार का यंत्र समझने लगा है । प्रकृति से उसका सीधा सम्पर्क नही रह गया है । मानव और मानव के बीच का सम्बन्ध जैसे टूटता जा रहा है । युद्धों, वर्ग संघर्षों तथा अभावों का दुष्प्रभाव मानव—मन पर बढ़ गया है । सत्य ही आज मानव एक विचित्र तनाव में गुजर रहा है । इन परिस्थितियों में मानव के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है यह कहने की आवश्यकता नहीं है । बिना मनोरंजन के वह तनाव से मुक्ति पाने में असमर्थ ही रहेगा ।

प्राचीन काल में भी, जबकि मानव जीवन बहुत सहज और सरल था मनोरंजन की आवश्यकता अनुभव की जाती थी । प्राचीन काल में लोगों के पास समय की कमी नही थी, अतः समय काटने के लिए भी वे मनोरंजन की तलाश में रहते थे । इस दृष्टि से उनके मनोरंजन ऐसे होते थे, जिसमें

होते हैं और उपर्युक्त दोनों विषयों में से किसी एक विषय में पचास में पांच अंक ही आते हैं। इसलिये परीक्षार्थी के हाथ में जब अंक-सूची आती है तो उसकी आत्मा कराह उठती है मानों ग्रास मुंह तक आकर हाथ से फिसल गया। आप जरा सोचिये, जो विद्यार्थी अन्य विषयों में इतना प्रखर-बुद्धि, एक विषय में इतना मन्द-बुद्धि कैसे हो सकता है? अवश्य उसकी उत्तर-पुस्तिका जांचने की अपनाई गई प्रक्रियां में कोई त्रुटि रही है। उदाहरण स्वरूप उसे कोई सवाल विशेष हल करना था। उसने इस सवाल को हल तो किया मगर उसका उत्तर गलत लिख गया। ऐसी दशा में उसका सवाल गलत मानकर उसे अंक न देना अनुचित है।

मेरे विचार से परीक्षक को अंक देने की ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे प्रश्न के उत्तर का सही अंश और गलत अंश अलग-अलग छांटा जा सके। ऐसा करने में परीक्षक को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परीक्षार्थी को लाभ होगा। परीक्षक परीक्षार्थी का भाग्य विधाता होता है। उसका यह कर्त्तव्य होता है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करे। दूध को पानी से अलग छांटने की क्षमता परीक्षक में होनी चाहिए। सही अंश के अंक अवश्य दिये जाने चाहिए। मैं परीक्षक होता तो ऐसा ही करता। ऐसा करने का एक सुफल तो यह होता है कि परीक्षार्थी को लाभ होता तथा दूसरा फल यह होता कि परीक्षा परिणाम नहीं बिगड़ता, जिससे बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ती।

मैं यदि परीक्षक होता तो डूबते को उबार लेता क्योंकि मैं बहुत ध्यान से उत्तर-पुस्तकें जांचता। मेरा उद्देश्य परीक्षक बन कर धन अर्जित करना ही नहीं होता, प्रत्युत विद्यार्थी को उसकी मेहनत का समुचित पुरस्कार देना होता। मैं अंक देने में कृपणता नहीं करता जैसा प्रायः परीक्षकगण करते हैं। कुछ परीक्षक तो परीक्षार्थी को कम से कम अंक देकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण करना अपनी शान समझते हैं, जिससे लोग उन्हें अंक देने में कठोरता बरतने वाला कह सकें। वे कुयश कमाने में ही अपनी शान समझते हैं। परीक्षक को झूठी शान-शौकत का भूत कभी नहीं होना चाहिए। मैं परीक्षार्थी को

अच्छे अंक देकर ऐसे परीक्षकों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता। मेरी सर्वत्र सराहना होती और परीक्षार्थियों की हिम्मत बढ़ती। वे प्रगति के पथ पर बढ़ते तथा सुनागरिक बनते।

---

११. मनोरंजन के साधन

रूपरेखा—(१) परिभाषा, (२) मनोरंजन का जीवन में महत्व, (३) मनोरंजन के प्राचीन तरीके, (४) मनोरंजन का आधुनिक स्वरूप, (५) खेल-कूद से मनोरंजन, (६) गोष्ठी, उत्सव, क्लब एवं तमाशा आदि से मनोरंजन, और (७) निष्कर्ष।

मनोरंजन का अर्थ है, मन को प्रसन्न करना। जब व्यक्ति किसी काम से ऊब जाता है अर्थात् काम में मन नहीं लगता तो मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है। मनोरंजन के बाद व्यक्ति एक नवीन उत्साह का अनुभव करता है और परित्यक्त कार्य पूरा करने के लिए जुट जाता है।

आज के वैज्ञानिक युग में यांत्रिकता बढ़ गई है। इससे मानव स्वयं को भी इस प्रकार का यंत्र समझने लगा है। प्रकृति से उसका सीधा सम्पर्क नहीं रह गया है। मानव और मानव के बीच का सम्बन्ध जैसे टूटता जा रहा है। युद्धों, वर्ग संघर्षों तथा अभावों का दुष्प्रभाव मानव–मन पर बढ़ गया है। सत्य ही आज मानव एक विचित्र तनाव में गुजर रहा है। इन परिस्थितियों में मानव के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। बिना मनोरंजन के वह तनाव से मुक्ति पाने में असमर्थ ही रहेगा।

प्राचीन काल में भी, जबकि मानव जीवन बहुत सहज और सरल था मनोरंजन की आवश्यकता अनुभव की जाती थी। प्राचीन काल में लोगों के पास समय की कमी नहीं थी, अतः समय काटने के लिए भी वे मनोरंजन की तलाश में रहते थे। इस दृष्टि से उनके मनोरंजन ऐसे होते थे, जिसमें

अधिक से अधिक समय कट सके। उस समय के नाटक प्रायः सम्पूर्ण रात्रि तक चलते थे। शिकार पर जाने के लिए भी लम्बे समय की आवश्यकता पड़ती थी। कहानी सुनाने वाला एक ही कहानी को कई रातों तक सुना सकता था। एक-एक सप्ताह तक पुराणों का पाठ करवाया जाता था। घण्टों तक चलने वाले शतरंज और चौपड़ वाले खेलों का आविष्कार भी समय काटने के लिया गया गया था। कठपुतली के खेल और प्रतिदिन के मेले त्यौहार आदि भी प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन के रूप में गिने जा सकते हैं। इन सबमें समय अच्छी तरह व्यतीत हो जाता था।

किन्तु आज के युग में यदि किसी वस्तु का सर्वाधिक अभाव है तो समय का अभाव है। आज का मानव तो हर समय भागता सा ही नजर आता है। व्यस्तता ने जैसे उसे दबोच लिया है। परिचितों और अपरिचितों आदि में मुँह से हर समय व्यस्त होने की बातें सुनाई देती हैं। पड़ोसी के हाल-चाल जानने की तो बात ही क्या, उससे परिचय प्राप्त करने के लिए भी किसी को समय नहीं मिल पाता। रात-रात भर चलने वाला नाटक तथा नौटंकी आदि का प्रचलन तेजी से उठता जा रहा है क्योंकि दर्शकों को इतनी देर बैठने का समय ही नही मिलता। मेलों और त्यौहारों में बच्चे या स्त्रियाँ भले ही पहुँचे, पुरुषों को इनके लिए न समय रह गया है न ही इच्छा। सिनेमा भी जाते हैं तो भागते से। हिन्दी फिल्मों की तुलना में अंग्रेजी फिल्मों की कम लम्बाई उन्हें अधिक पसन्द आती है। ५-६ दिनों तक चलने वाले क्रिकेट जैसे खेल में भी यदि कोई टैस्ट मैच न हो तो अधिक दर्शकों का आना एक कठिन बात ही है। सत्य ही ऐसा लगता है कि आज के मानव के लिए समय का अकाल पड़ गया है। अतः ऐसे मनोरंजन की आवश्यकता है, जिसमें अधिक समय न लगता हो।

इस समय के मनोरंजन के रूप में रेडियो और टेलिविजन आदि का महत्त्व बहुत अधिक है। रेडियो से १०–१५ मिनट की खबरें सुनना या आधा-पौन घण्टे तक मनपसन्द फिल्मी गाने सुनना व्यस्त व्यक्तियों के लिए भी कठिन कार्य नहीं है। सिनेमा चाहे न जा पायें, किन्तु टेलिविजन पर तो आधा घण्टे का नाटक देखा ही जा सकता है। क्लब जाना भी मनोरंजन का महत्त्वपूर्ण

आधुनिक साधन है। यद्यपि क्लबों में समय कुछ अधिक लगता है, किन्तु वहाँ विभिन्न व्यक्तियों से लाभदायक सम्पर्क स्थापित करने अथवा व्यावसायिक चर्चा करने के लिए भी अवसर रहता है। इससे मनोरंजन तो होता ही है और किन्हीं अर्थों में समय का सदुपयोग भी होता है। कुछ लोग तो क्लबों में मनोरंजन के साधनों से पैसे भी कमाते हैं। उनके लिए क्लब जाना मनोरंजन तो है ही, व्यवसाय भी है।

कुछ लोगों की अपनी हाबी (मनपसंद कार्य) से भी मनोरंजन हो जाता है। हॉबी में डाक-टिकट एकत्र करना, बागवानी, चित्रकला, फोटोग्राफी तथा भ्रमण आदि सम्मिलित है। इससे मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान वृद्धि भी होती है।

आज के युग में मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सिनेमा है। गरीब हों चाहे अमीर, प्रायः हर व्यक्ति महीने में दो बार तो सिनेमा देखता ही है। गरीब लोग तो सिनेमा देखकर ही मनोरंजन किया करते हैं, क्योंकि यह बहुत सस्ता साधन है। सुदूर गाँवों, नगरों, पर्वतों और देश-विदेश के मोहक दृश्यों को देखकर दर्शक कुछ घण्टों के लिए अपने अभावों को भूल से जाते हैं। यह बात जरूर है कि दर्शक पर सिनेमा के अच्छे या बुरे होने का प्रभाव भी वैसा ही पड़ता है। बच्चों पर तो इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ते देखा गया है। कई बच्चे दोपहर में स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाते हैं। इसे मनोरंजन नहीं कहा जा सकता।

मनोरंजन के आधुनिक साधनों में खेलों का भी बड़ा महत्त्व है। आज कल फुटबाल और हॉकी के साथ-साथ क्रिकेट खेलने, देखने या उसकी कमेंट्री सुनने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। टेबिल-टेनिस और बैडमिंटन में भी लोगों की रुचि बढ़ी है। एक दो साल से भारतीय शैली की कुश्ती भी लोकप्रिय होती जा रही है।

इससे स्पष्ट है कि आजकल मनोरंजन के साधन संख्या की दृष्टि से बढ़ते जा रहे हैं। यह आज के व्यस्त मानव के लिए लाभदायक है। इससे आधुनिक मानव के थके हुए मन और मस्तिष्क को आराम मिल सकेगा जो कि यांत्रिकता प्रधान जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय के सदुपयोग से न केवल व्यक्ति का हित-साधन होता है वरन् समाज और राष्ट्र की भी उन्नति होती है।

समय का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलसी व्यक्ति समय के महत्त्व को नहीं समझता, वह समय का दुरुपयोग करता है। समय के दुरुपयोग से जीवन में निराशा, असफलता और असन्तोष ही हाथ लगते हैं। आलसी व्यक्ति का समय व्यर्थ की बात बनाने, पर-निन्दा करने, निरुद्देश्य घूमने, तथा हीन-स्तर की पुस्तकें पढने में व्यतीत होता है। प्रायः आलसी लोग यह कहते सुने जाते हैं कि—"क्या करें समय काटे नहीं कटता।" इसलिए कहा गया है कि मानव का महान् रिपु आलस्य है—

"आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः।"

समय जाते देर नहीं लगती है। इसलिए तनिक-सा भी आलस्य जीवन की सबसे बड़ी असफलता का कारण बन सकता है। यदि आलस्यवश समय पर कार्य न किया जाय तो पीछे पछताना ही पड़ता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में—

"का वर्षा जब कृषि सुखाने,
समय चूकि पुनि का पछताने।"

इसी भाव को एक अन्य लोकोक्ति में भी प्रकट किया गया है—"अब पछताये होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।"

हम भारतीय समय को लेकर आजकल बड़े बदनाम हैं। यद्यपि यह आरोप पूर्ण तो नहीं किन्तु आंशिक रूप के सत्य अवश्य है। कहीं कोई आयोजन-उत्सव हो तो प्रायः लोग पूछते देखे गये हैं कि—"भाई ! आपने जो समय कार्यक्रम का दिया है वह इंडियन टाइम है या इंगलिश।" ऐसे कथनों से पता लगता है कि वर्तमान भारतीय जीवन और समाज में समय की कितनी उपेक्षा की जाती है और अंग्रेजों के लिए समय का कितना महत्त्व है। अस्तु, हमें यह संकल्प लेना चाहिये कि हम समय के पाबन्द रह कर, यह आदर्श उपस्थित करें कि लोग भारतीय समय को ही सुनिश्चित समय मानें। समय

के दुरुपयोग से न केवल व्यक्ति की हानि होती है वरन् उस समाज और राष्ट्र की भी अपार क्षति होती है।

अन्ततोगत्वा हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समय का व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के जीवन में अपार महत्व है और व्यक्ति को अपने एक-एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। अपने दैनिक जीवन की योजना के अतिरिक्त समय के सदुपयोग के लिए वाचनालय, पुस्तकालय, समाज-सेवा, श्रमदान आदि विभिन्न क्षेत्र है। स्वतन्त्र देश के नागरिक के रूप में देश के प्रति भी हमारा कर्त्तव्य और दायित्व है। आज हम अपने देश के पिछड़ेपन को देखें तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें मनमाने ढंग से अपना समय बिताने का अधिकार नही है। प्रायः गांवो और नगरों में सर्वत्र ही अधिकांश लोग सांयकाल का समय व्यर्थ की गपशप, ताश तथा सिनेमा में बिताते हैं। क्या इसी समय का उपयोग प्रौढ़ शिक्षण या समाज सेवा के किसी आयोजन में भाग लेकर नहीं किया जा सकता। सड़कों पर कोई दुर्घटना हो जाए अथवा कोई मदारी मजमा लगाले तो सैकड़ों की संख्या में लोग अकारण जमा हो जाते हैं और घण्टों खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास कोई काम ही नहीं है। वे समय का महत्व ही नहीं जानते हैं। इसीलिए हम विदेशों की तुलना आज पिछड़े हुए हैं। समय का सदुपयोग ही हमारी प्रगति का मूल मन्त्र है, इस तथ्य को समझकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। तभी हमारा वैयक्तिक, सामाजिक, जातीय तथा राष्ट्रीय जीवन उन्नतिशील एवं समृद्धिशाली बनेगा।

---

१३. यदि मैं शिक्षा मन्त्री होता

किसी विषय की कल्पना करना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कल्पना के बाद ही कार्य की स्थिति का आभास होता है। मैं भी कभी-कभी कल्पना जगत् को कार्य रूप में परिणत करना चाहता हूं। चूंकि मैं विद्यार्थी हूँ और शिक्षा

जगत् का एक तुच्छ प्राणी हूँ। इस कारण शिक्षा जगत् के क्रिया-कलापों को देखकर उसके दोषों को दूर करने की सोचकर मैं कल्पना करता हूँ कि यदि मैं शिक्षा मन्त्री होता तो क्या ही अच्छा होता ! उस स्थिति में मैं क्या करता यदि आप इस बात को जानना चाहते हैं तो सुनिए !

चाहे मैं राज्य का शिक्षा मन्त्री होता अथवा केन्द्र का शिक्षा मन्त्री। केन्द्र का शिक्षा मंत्री होता तो यह अत्युत्तम रहता, क्योंकि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का प्रभाव पूरे देश पर रहता है, वह पूरे राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति का निर्धारण करता है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री होने पर मैं सर्वप्रथम देश के लिए नयी शिक्षा-नीति का निर्माण करवा कर शिक्षा व्यवस्था म आमूल-चूल परिवर्तन कराता। स्वतन्त्रता प्राप्त हुए आज हमें तीस वर्ष बीत चुके है, परन्तु अभी तक शिक्षा-क्षेत्र में वही पुरानी रट है जिससे आज का शिक्षा ग्रहण करने वाला समाज स्वावलम्बन से पंगु दिखाई दे रहा है। शिक्षा संस्कारों की जननी होती है। जिस प्रकार की शिक्षा समाज को दी जायेगी, उसी प्रकार से संस्कारों का जन्म समाज में होगा। आज की शिक्षा केवल संस्कार-हीन बाबुओं को जन्म दे रही है। इन दोषों को दूर करने के लिए मैं एक योजना बनाता और तदनुसार समूचे राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था का संचालन करता।

कई विद्वान् हमारी वर्तमान शिक्षा-नीति की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि समष्टि तथा व्यष्टि दोनों ही रूपों में सामाजिक-विकास के लिए हमारी शिक्षा नीति प्रभावी नहीं है। यह एकांगी है न कि सर्वांगी। देश का विकास बिना शिक्षा के असंभव है। इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार नीति-निर्धारण तो करती है, परन्तु शिक्षा पर होने वाले व्यय के अधिक भार को स्वयं वहन न कर राज्य सरकारों पर छोड़ देती है। इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार समाज का विकास तो चाहती है, पर तदनुसार उतना व्यय नही करना चाहती। यदि मैं शिक्षा-मन्त्री होता तो इस प्रकार की कमियों को अवश्य ही दूर करता।

यदि मैं शिक्षा-मन्त्री होता तो सर्वप्रथम अध्यापकों की स्थिति को सुधारता। क्योंकि शिक्षा का विकास बहुत कुछ शिक्षक पर निर्भर है। जब तक शिक्षक को उचित वेतन नहीं मिले, समाज में उचित आदर प्राप्त न हो,

तब तक उससे सफल शिक्षण की आकांक्षा करना व्यर्थ सा है। इसलिए मैं शिक्षकों के वेतनमानों में पर्याप्त सुधार करता। लेकिन इसके साथ ही शिक्षक समुदाय के दोषों को भी दूर करता। आजकल शिक्षक का पद सर्व साधारण का पद हो गया। जिसको कहीं भी नौकरी न मिले वह शिक्षक वन जाता है चाहे उसका अमुक विपय पर पूर्ण अधिकार हो या न हो। शिक्षक वनना एक सरल व्यवसाय सा हो गया है। मैं इस प्रकार से गलत नियमों को परिमार्जित करता।

आजकल प्राथमिक शालाओं की व्यवस्था अपूर्ण है। मैं यदि शिक्षा मन्त्री होता तो प्राथमिक शालाओं की व्यवस्था में परिवर्तन करवाता। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, परन्तु उनकी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। उच्च अधिकारी केवल कागजी कार्यवाही के पीछे शिक्षा विभाग की फाइलों को भरने में अपने पद का गौरव समझते हैं। शिक्षा मन्त्री होते ही मैं इस प्रकार की कार्यवाही को समाप्त कर प्राथमिक शालाओं के शिक्षा स्तर को ठीक करता। *क्योंकि आधार की कमजोरी से माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं का* स्तर भी गिरता जा रहा है। बुनियादी शिक्षा को महत्व देकर मैं इस सम्बन्ध में सुधार के पूर्ण उपाय करता। इस कार्य के लिए मैं केन्द्रीय अन्य मन्त्रियों तथा राज्य के शिक्षा मन्त्रियों से भी ठोस रचनात्मक कदम उठाने के लिए कहता।

आज का छात्र अध्ययनशील कम और अनुशासनहीन अधिक हो गया है। वह तिल का ताड़ वनाकर गुड़ को गोवर कर रहा है। जो कार्य उसे नहीं करने चाहिए, उस ओर वह उन्मुख हो रहा है और जिन कार्यों को करना चाहिए, उनकी ओर से वह निश्चिन्त है। अनुशासनहीनता के कारण छात्र आजकल हड़ताल आदि का सहारा लेकर सामाजिक वातावरण को दूपित कर रहे हैं। यहां तक कि गुरु का गुरुत्व भी उनकी अनुशासनहीनता की चपेट में आ चुका है। यदि मैं शिक्षा मन्त्री होता तो अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए नये-नये उपाय करता तथा छात्रों के मस्तिष्क में शिष्य-गुरु की पवित्र परम्परा को वनाये रखने के लिए सम्भावित दोपों को दूर करता। सुशिक्षा के

जगत् का एक तुच्छ प्राणी हूँ। इस कारण शिक्षा जगत् के क्रिया-कलापों को देखकर उसके दोषों को दूर करने की सोचकर मैं कल्पना करता हूँ कि यदि मैं शिक्षा मन्त्री होता तो क्या ही अच्छा होता ! उस स्थिति में मैं क्या करता यदि आप इस बात को जानना चाहते हैं तो सुनिए !

चाहे मैं राज्य का शिक्षा मन्त्री होता अथवा केन्द्र का शिक्षा मन्त्री। केन्द्र का शिक्षा मंत्री होता तो यह अत्युत्तम रहता, क्योंकि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का प्रभाव पूरे देश पर रहता है, वह पूरे राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति का निर्धारण करता है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री होने पर मैं सर्वप्रथम देश के लिए नयी शिक्षा-नीति का निर्माण करवा कर शिक्षा व्यवस्था म आमूल-चूल परिवर्तन कराता। स्वतन्त्रता प्राप्त हुए आज हमें तीस वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु अभी तक शिक्षा-क्षेत्र में वही पुरानी रट है जिससे आज का शिक्षा ग्रहण करने वाला समाज स्वावलम्बन से पंगु दिखाई दे रहा है। शिक्षा संस्कारों की जननी होती है। जिस प्रकार की शिक्षा समाज को दी जायेगी, उसी प्रकार से संस्कारों का जन्म समाज में होगा। आज की शिक्षा केवल संस्कार-हीन बाबुओं को जन्म दे रही है। इन दोषों को दूर करने के लिए मैं एक योजना बनाता और तदनुसार समूचे राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था का संचालन करता।

कई विद्वान् हमारी वर्तमान शिक्षा-नीति की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि समष्टि तथा व्यष्टि दोनों ही रूपों में सामाजिक-विकास के लिए हमारी शिक्षा नीति प्रभावी नहीं है। यह एकांगी है न कि सर्वांगी। देश का विकास बिना शिक्षा के असंभव है। इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार नीति-निर्धारण तो करती है, परन्तु शिक्षा पर होने वाले व्यय के अधिक भार को स्वयं वहन न कर राज्य सरकारों पर छोड़ देती है। इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार समाज का विकास तो चाहती है, पर तदनुसार उतना व्यय नहीं करना चाहती। यदि मैं शिक्षा-मन्त्री होता तो इस प्रकार की कमियों को अवश्य ही दूर करता।

यदि मैं शिक्षा-मन्त्री होता तो सर्वप्रथम अध्यापकों की स्थिति को सुधारता। क्योंकि शिक्षा का विकास बहुत कुछ शिक्षक पर निर्भर है। जब तक शिक्षक को उचित वेतन नहीं मिले, समाज में उचित आदर प्राप्त न हो,

तब तक उससे सफल शिक्षण की आकांक्षा करना व्यर्थ सा है। इसलिए मैं शिक्षकों के वेतनमानों में पर्याप्त सुधार करता। लेकिन इसके साथ ही शिक्षक समुदाय के दोषों को भी दूर करता। आजकल शिक्षक का पद सर्व साधारण का पद हो गया। जिसको कहीं भी नौकरी न मिले वह शिक्षक बन जाता है चाहे उसका अमुक विषय पर पूर्ण अधिकार हो या न हो। शिक्षक बनना एक सरल व्यवसाय सा हो गया है। मैं इस प्रकार से गलत नियमों को परिमार्जित करता।

आजकल प्राथमिक शालाओं की व्यवस्था अपूर्ण है। मैं यदि शिक्षा मन्त्री होता तो प्राथमिक शालाओं की व्यवस्था में परिवर्तन करवाता। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, परन्तु उनकी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। उच्च अधिकारी केवल कागजी कार्यवाही के पीछे शिक्षा विभाग की फाइलों को भरने में अपने पद का गौरव समझते हैं। शिक्षा मन्त्री होते ही मैं इस प्रकार की कार्यवाही को समाप्त कर प्राथमिक शालाओं के शिक्षा स्तर को ठीक करता। क्योंकि आधार की कमजोरी से माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं का स्तर भी गिरता जा रहा है। बुनियादी शिक्षा को महत्व देकर मैं इस सम्बन्ध में सुधार के पूर्ण उपाय करता। इस कार्य के लिए मैं केन्द्रीय अन्य मन्त्रियों तथा राज्य के शिक्षा मन्त्रियों से भी ठोस रचनात्मक कदम उठाने के लिए कहता।

आज का छात्र अध्ययनशील कम और अनुशासनहीन अधिक हो गया है। वह तिल का ताड़ बनाकर गुड़ को गोबर कर रहा है। जो कार्य उसे नहीं करने चाहिए, उस ओर वह उन्मुख हो रहा है और जिन कार्यों को करना चाहिए, उनकी ओर से वह निश्चिन्त है। अनुशासनहीनता के कारण छात्र आजकल हड़ताल आदि का सहारा लेकर सामाजिक वातावरण को दूषित कर रहे हैं। यहां तक कि गुरु का गुरुत्व भी उनकी अनुशासनहीनता की चपेट में आ चुका है। यदि मैं शिक्षा मन्त्री होता तो अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए नये-नये उपाय करता तथा छात्रों के मस्तिष्क में शिष्य-गुरु की पवित्र परम्परा को बनाये रखने के लिए सम्भावित दोषों को दूर करता। सुशिक्षा के

द्वारा ही सुनागरिक बनते हैं और सुनागरिकों द्वारा विकसित समाज तथा राष्ट्र का अभ्युदय होता है—इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मैं शिक्षा पद्धति में आवश्यक परिवर्तन-परिवर्द्धन करता।

यदि मैं शिक्षा-मंत्री होता, तो विद्यार्थियों को शिक्षा की धर्मशाला का रूप देकर छात्रों की पाठ्यक्रमगत पेचीदगियों को दूर करवाता। बालक या बालिकाओं की बुद्धि सुकोमल होती है, उन्हें केवल रटवा देने से ही विद्या नहीं आ सकती। इसलिए मैं मनोवैज्ञानिक आधार पर सुरुचिपूर्ण पाठन-व्यवस्था को प्रोत्साहन देता। स्थान-स्थान पर विद्यालयों का निर्माण करवाकर उच्च मध्यमिक स्तर तक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करवाता। इन सब बातों के साथ ही छात्रों के हृदय में समाज के प्रति मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु सभी उपाय करता। इन क्रिया-कलापों से जहाँ एक ओर समाज प्रबुद्ध हो जाता, वहाँ दूसरी ओर सदाचार आदि सद्गुणों से राष्ट्र का हित होता।

---

१४. विद्यार्थी और अनुशासन

रूपरेखा—(१) विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, (२) अनुशासन के प्रकार, (३) अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, और (४) उपसंहार—अनुशासन जीवन के लिए संजीवनी बूटी।

विद्यार्थी में अनुशासन होना उतना ही अनिवार्य है जितना कि शरीर के लिए पुष्टिकारक भोजन का। बिना अनुशासन के जीवन का मूल्य खोटे सिक्के के समान है—वह सिक्का तो रहता है पर उसकी कोई कीमत नहीं। अनुशासन दो तरह के होते हैं—(१) आंतरिक अनुशासन, (२) बाह्य अनुशासन। बाह्य अनुशासन के भीतर हमारा आचरण, व्यवहार, बोलचाल आदि का समावेश होता है। भीतरी अनुशासन से त्याग भावना, आत्मसंयम, परिश्रम आदि गुण जीवन में पनपते हैं। अतः यह आवश्यक है कि विद्यार्थी के जीवन में दोनों प्रकार के अनुशासन पनपने चाहिये।

साहित्य में अनुशासन शब्द का निर्माण दो शब्द—अनु और शासन से हुआ है, 'अनु' का प्रयोग पीछे के अर्थ में किया जाता है। शासन का अर्थ अत्यन्त विस्तृत है। इसका कार्य क्षेत्र पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन है तथा इसमें अनुशासन की अत्यन्त आवश्यकता है। अनुशासन का अर्थ नियन्त्रण में रहना, नियमबद्ध कार्य करना है। अंग्रेजी में इसे 'Discipline' कहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है बुद्धि एवं चरित्र को सुसंस्कृत बनाना।

अनुशासन का महत्व जीवन में उसी तरह है जिस प्रकार भोजन एवं पानी का। अनुशासन बढ़ने पर ही किसी राष्ट्र की उन्नति सम्भव है, अन्यथा नहीं। अनुशासन से कई लाभ हैं। अनुशासन द्वारा मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। मनुष्य की सरलता एवं सौम्यता इसी गुण पर आधारित है। मनुष्य अपनी जीवनोन्नति के लिए उच्चादर्शों का निर्माण तथा उन पर चलने के अपूर्व साधन अनुशासन द्वारा ही प्राप्त करता है। अनुशासनशील व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अमूल्य समझने लगता है। वह सदैव ज्ञान-प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है। नियमित जीवन व्यतीत करने से उसका हृदय, मस्तिष्क तथा स्वास्थ्य सदैव शुद्ध, विकसित तथा सबल रहता है और बुद्धि निर्मल तथा तीक्ष्ण हो जाती है।

चरित्र-निर्माण भी अनुशासन के द्वारा ही होता है। जब तक अनुशासन की भावना का उदय नहीं होता तब तक मनुष्य असभ्य-सा रहता है। स्वार्थपरता अनुशासन से दूर भागती है, भ्रातृ-भाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का पुजारी बनकर वास्तविक अर्थ में नागरिक कहलाने का अधिकारी बन जाता है। अनुशासन से मनुष्य के हृदय में सत्यता, कर्त्तव्यपरायणता, देश-भक्ति, परोपकार आदि गुण आते हैं।

आज विश्व के समस्त कार्य अनुशासन से ही चल रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस, एन. सी. सी. (N. C C.) और सेना संगठन का तो प्राण ही अनुशासन समझा जाता है। अनुशासन के बिना जीवन में एक क्षण भी काम नहो चल सकता। क्या शारीरिक,, क्या मानसिक और क्या आत्मिक सब प्रकार की उन्नति की आधारशिला अनुशासन है। वास्तव में इसके बिना मनुष्य बिना नाथ के बैल के समान है।

द्वारा ही सुनागरिक बनते हैं और सुनागरिकों द्वारा विकसित समाज तथा राष्ट्र का अभ्युदय होता है—इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मैं शिक्षा पद्धति में आवश्यक परिवर्तन-परिवर्द्धन करता।

यदि मैं शिक्षा-मंत्री होता, तो विद्यार्थियों को शिक्षा की कर्मशाला का रूप देकर छात्रों की पाठ्यक्रमगत पेचीदगियों को दूर करवाता। बालक या बालिकाओं की बुद्धि सुकोमल होती है, उन्हें केवल रटवा देने से ही विद्या नहीं आ सकती। इसलिए मैं मनोवैज्ञानिक आधार पर सुरुचिपूर्ण पाठन-व्यवस्था को प्रोत्साहन देता। स्थान-स्थान पर विद्यालयों का निर्माण करवाकर उच्च मध्यमिक स्तर तक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करवाता। इन सब बातों के साथ ही छात्रों के हृदय में समाज के प्रति मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु सभी उपाय करता। इन क्रिया-कलापों से जहाँ एक ओर समाज प्रबुद्ध हो जाता, वहाँ दूसरी ओर सदाचार आदि सद्गुणों से राष्ट्र का हित होता।

---

१४. विद्यार्थी और अनुशासन

रूपरेखा—(१) विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, (२) अनुशासन के प्रकार, (३) अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, और (४) उपसंहार—अनुशासन जीवन के लिए संजीवनी बूंटी।

विद्यार्थी में अनुशासन होना उतना ही अनिवार्य है जितना कि शरीर के लिए पुष्टिकारक भोजन का। बिना अनुशासन के जीवन का मूल्य खोटे सिक्के के समान है—वह सिक्का तो रहता है पर उसकी कोई कीमत नहीं। अनुशासन दो तरह के होते हैं—(१) आंतरिक अनुशासन, (२) बाह्य अनुशासन। बाह्य अनुशासन के भीतर हमारा आचरण, व्यवहार, बोलचाल आदि का समावेश होता है। भीतरी अनुशासन से त्याग भावना, आत्मसंयम, चरित्रबल आदि गुण जीवन में पनपते हैं। अतः यह आवश्यक है कि विद्यार्थी के जीवन में दोनों प्रकार के अनुशासन पनपने चाहिये।

साहित्य में अनुशासन शब्द का निर्माण दो शब्द—अनु और शासन से हुआ है, 'अनु' का प्रयोग पीछे के अर्थ में किया जाता है। शासन का अर्थ अत्यन्त विस्तृत है। इसका कार्य क्षेत्र पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन है तथा इसमें अनुशासन की अत्यन्त आवश्यकता है। अनुशासन का अर्थ नियन्त्रण में रहना, नियमवद्ध कार्य करना है। अंग्रेजी में इसे 'Discipline' कहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है वुद्धि एवं चरित्र को सुसंस्कृत वनाना।

अनुशासन का महत्व जीवन में उसी तरह है ि स प्रकार भोजन एवं पानी का। अनुशासन वढ़ने पर ही किसी राष्ट्र की उन्नति सम्भव है, अन्यथा नहीं। अनुशासन से कई लाभ हैं। अनुशासन द्वारा मानसिक एवं वौद्धिक विकास होता है। मनुष्य की सरलता एवं सौम्यता इसी गुण पर आधारित हैं। मनुष्य अपनी जीवनोन्नति के लिए उच्चादर्शों का निर्माण तथा उन पर चलने के अपूर्व साधन अनुशासन द्वारा ही प्राप्त करता है। अनुशासनशील व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अमूल्य समझने लगता है। वह सदैव ज्ञान-प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है। नियमित जीवन व्यतीत करने से उसका हृदय, मस्तिष्क तथा स्वास्थ्य सदैव शुद्ध, विकसित तथा सवल रहता है और वुद्धि निर्मल तथा तीक्ष्ण हो जाती है।

चरित्र-निर्माण भी अनुशासन के द्वारा ही होता है। जब तक अनु-शासन की भावना का उदय नहीं होता तव तक मनुष्य असभ्य-सा रहता है। स्वार्थपरता अनुशासन से दूर भागती है, भ्रातृ-भाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का पुजारी वनकर वास्तविक अर्थ में नागरिक कहलाने का अधिकारी बन जाता है। अनुशासन से मनुष्य के हृदय में सत्यता, कर्त्तव्यपरायणता, देश-भक्ति, परोपकार आदि गुण आते हैं।

आज विश्व के समस्त कार्य अनुशासन से ही चल रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस, एन. सी. सी. (N. C C.) और सेना संगठन का तो प्राण ही अनुशासन समझा जाता है। अनुशासन के बिना जीवन में एक क्षण भी काम नहीं चल सकता। क्या शारीरिक,, क्या मानसिक और क्या आत्मिक सब प्रकार की उन्नति की आधारशिला अनुशासन है। वास्तव में इसके बिना मनुष्य बिना नाथ के बैल के समान है।

अनुशासन भावना के विकसित करने के अनेक साधन हैं। अनुशासन का प्रसार करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। वास्तविक अनुशासन इच्छा पर ही आधारित है। आत्मसम्मान एवं ज्ञान द्वारा भी अनुशासन का प्रचार एवं प्रसार होता है। उत्तरदायित्व, स्वदेश-प्रेम, राष्ट्रीयता आदि की भावनाओं को प्रोत्साहन देना भी अनुशासन पैदा करने के साधन हैं। आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में सुधार होना चाहिये। आज्ञापालन, नियमित जीवन तथा शिष्टाचार भी अनुशासन को प्रोत्साहित करते हैं।

मानवीय जीवन को चिरंजीव करने वाला, संजीवनी का सा प्रभाव रखने वाला अनुशासन आज केवल एक व्यक्ति एवं देश तथा राष्ट्र की सीमा के अन्दर ही आवश्यक नहीं, बल्कि हम जहाँ तक इस अमरत्वमयी शक्ति का क्षेत्र विस्तृत करें वहीं तक यह मानव एवं उसके देश की उन्नति के लिए उपयोगी है। वास्तव में अनुशासन उस दीपक के समान है जो भूले भटकों को मार्ग दिखाता है। इसके प्रकाश में सादगी, सदाचार, विनय, साहस आदि मनुष्य के गुणों के चार-चांद लग जाते हैं। अनुशासनपूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन है।

---

15. विज्ञान से लाभ और हानियाँ

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना-ज्ञान और विज्ञान का स्वरूप, (२) आधुनिक युग में विज्ञान का महत्व, (३) विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का चमत्कार, (४) विज्ञान से हानियां, (५) विज्ञान के सदुपयोग की आवश्यकता, और (६) निष्कर्ष।

मानव ज्यों-ज्यों सभ्य होता गया, उसने ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति लिए प्रयत्नशील होना प्रारम्भ कर दिया। संसार क्या है अथवा इसका मूल क्या है, इस बारे में किये गये प्रयत्न तो ज्ञान की परिधि में आते हैं। संसार की रचना कैसे और किन-किन तत्वों के द्वारा हुई अथवा संसार की सक्रियता के क्या-क्या कारण हैं, इन बातों को जानने का प्रयास विज्ञान का क्षेत्र माना

जाता है। संक्षेप में कहें तो संसार के मूल तथा विकास का जानना ही क्रमशः ज्ञान और विज्ञान कहलाता है।

यों तो प्राचीन काल से ज्ञान-प्राप्ति के साथ-साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी विभिन्न कार्य किये जाते रहे हैं। उदाहरणतया प्राचीन भारत के वैज्ञानिक विमान बनाना जानते थे, जैसा कि रामायण आदि के उल्लेखों से पता चलता है। महाभारत में संजय द्वारा युद्ध का वर्णन, दूरवीक्षण यन्त्र अर्थात् टेलिविजन के अस्तित्व का सकेत देता है। ब्रह्माण्ड में ग्रहों की गति आदि का ज्ञान प्राप्त करके तैयार किया गया भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथा गणित शास्त्र आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रामाणिक माना जाता है। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी भारतीयों ने सहस्रों वर्ष पूर्व पारस द्वारा किसी भी धातु को स्वर्ण में परिवर्तित करने की कला ज्ञात कर ली थी। दर्शन में अणु-परमाणु सम्बन्धी स्थापनायें विज्ञान जगत् की सूक्ष्मताओं का संकेत करती है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भी ज्ञान के साथ-साथ विज्ञान को भी महत्त्व दिया जाता था, किन्तु यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि उस युग में ज्ञान अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञान का ही प्रभुत्व था और विज्ञान को अधिक महत्ता नही दी जाती थी।

पर आधुनिक युग तो विज्ञान का ही युग है। अब अध्यात्म-चर्चा को पलायनवादी प्रवृत्ति माना जाता है, क्योंकि इससे लोगों को रोटी-कपड़ा तथा चिकित्सा आदि प्राप्त करने में कोई सहायता नही मिलती। कहा जाता है कि भारत की दरिद्रता तथा विकास-हीनता का मूल कारण अत्यधिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति ही है। यदि यहाँ के लोग आत्मा की मुक्ति के साथ-साथ दैहिक सुविधाओं की ओर भी ध्यान देते तो आज के सम्पन्न देशों के सम्मुख भारत को सहायतार्थ हाथ न फैलाना पड़ता। अब इस कटु तथ्य को भारत ने जान लिया है और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत लगातार प्रगति करता जा रहा है।

किन्तु यूरोपीय, अमेरिका तथा जापान आदि पूर्वी-विकसित देशों ने विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की है, वह वर्णनातीत है। वहाँ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणि शास्त्र तथा अन्तरिक्ष शास्त्र आदि के क्षेत्र में अकथनीय सफलतायें प्राप्त की हैं। वहाँ आवागमन तथा दूर सम्पर्क आदि के साधन भी

इतने विकसित हैं कि सुन कर आश्चर्य होता है। इन वैज्ञानिक उपलब्धियों को सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) आवागमन, (२) दूर-संचार, (३) मनोरंजन, (४) भौतिकशास्त्र (५) रसायन शास्त्र, (६) प्राणि शास्त्र, (७) मुद्रण (८) फोटोग्राफी और (९) मिश्रित।

सर्वप्रथम आवागमन के साधनों पर विचार किया जाए। यह सभी जानते हैं कि आज से १०० वर्ष पहले तक लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या ऊँट, घोड़े तथा खच्चर आदि पर बैठकर जाते थे। बैल-गाड़ियों, तांगों तथा रथों का भी उपयोग किया जाता था, किन्तु इन्हें खींचने के लिए घोड़े आदि की सहायता लेनी पड़ती थी। यह सर्वविदित तथ्य है कि पैदल या उपर्युक्त सवारियों से यात्रा करने में बड़ा समय लगता था और चोर–डाकुओं का भय भी बना रहता था। इसलिए लोग यात्रा पर जाते समय सकुशल लौट आने की कम ही आशा रखते थे। इसकी तुलना में आजकल स्कूटर, मोटर, रेल, वायुयान, हेलिकोप्टर, जलयान तथा पनडुब्बियों के द्वारा यात्रा करना न केवल आरामदेह हो गया है बल्कि इसके कारण यात्रा में बहुत ही कम समय लगता है। चोर–डाकुओं के आक्रमण का तो प्रायः नाम भी नहीं सुना जाता है। सैकड़ों हजारों मील की दूरी का आज कोई महत्त्व नहीं रह गया है। आज के सामान्य वायुयानों की गति भी ६०० मील प्रति घण्टा से कम नहीं है। १५० किलोमीटर प्रति घण्टा चलने वाली रेल–गाड़ियाँ तो भारत में ही देखी जा सकती हैं। मोटर कार की गति का विश्व रेकार्ड २५०–३०० मील प्रति घण्टा तक पहुँच गया है। कम दूरी की यात्रा के लिए स्कूटर और साइकिलों से ही काम चल जाता है। यातायात के इन सामान्य साधनों के अतिरिक्त अन्तरिक्ष यान भी बनने लगे हैं। रूस ने मानव–रहित स्पुतनिक को अन्तरिक्ष में भेज कर ऐसे यानों का प्रारम्भ किया था। बाद में अमेरिका भी उसकी होड़ करने लगा और अब तो अमेरिका मनुष्य को चन्द्रमा के धरातल पर भी उतार चुका है। आज के पन्द्रह वर्ष पूर्व यातायात के ऐसे अकल्पनीय साधनों की चर्चा भी कठिनाई से की जाती थी। अब तो मानव रहित अन्तरिक्ष यान शुक्र तथा मंगल ग्रहों की भी परिक्रमा कर चुके हैं। इससे बड़ी आभास

होता है कि आगामी चालीस-पचास वर्षों में सामान्य व्यक्ति भी मनोरंजनार्थ अन्तरिक्ष यात्रा करने लगेगा।

दूर-संचार के क्षेत्रों में भी कम उपलब्धियां नहीं हुई हैं। टेलीफोन के द्वारा तो सैकड़ों-हजारो मीलों की दूरी पर भी परस्पर वार्ता कर सकते हैं। थोड़े ही दिनों पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति ने लाखों मील दूर चन्द्रमा पर उतरे हुए अमेरिकी यात्रियों से टेलीफोन पर बात की थी। रेडियो के द्वारा दूर-दूर तक समाचार भेजे जाने से लोगों को संसार के किसी भी स्थान की ताजा से ताजा खबर मिनटों में प्राप्त होने लगी है। टेलिविजन पर समाचार-प्राप्ति के साथ-साथ चित्र भी देखे जा सकते है। इससे दूर-स्थित गायकों, नर्तकों तथा वक्ताओं को गाते, नाचते तथा बोलते हुए देखकर ऐसा लगता है कि दर्शक या श्रोता उनके सम्मुख ही बैठा है। आजकल मनोरजन के तो साधन बहुत ही बढ गये हैं। इनमें सिनेमा का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। सिनेमाओं के प्रचार-प्रसार के कारण प्राचीन काल के नाटको और नौटंकी आदि का नाम भी कठिनाई से सुनने को मिलता है। ग्रामोफोन और रेडियो पर मनपसन्द फिल्मी गाने सुनकर मनोरंजन करने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। इससे शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता घटने लग गई है। कई बार खेलों को देखने लिए व्यक्ति के पास समय नही होता, किन्तु उसके बारे में रेडियो पर कमेंट्री सुनकर आँखों देखा हाल जान लिया जाता है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो जाती है।

भौतिक शास्त्र के अन्तर्गत बिजली का आविष्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिजली के कारण न केवल प्रकाश की सुविधा हो सकी है, बल्कि पंखे, हीटर तथा अन्य संयत्रों को चलाने के लिए उर्जा का भी साधन प्राप्त हो गया। इससे तार भेजने, टेलीफोन पर बात करने तथा रेल आदि चलाने का कार्य सम्भव हो सका है। प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए भी बिजली बहुत आवश्यक है। इसकी सहायता से हमें दूर-दूर के समाचार शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। एक्स-रे यन्त्र तथा अन्य छोटे-बड़ संयंत्रों को चलाने के लिए भी बिजली से ही काम लिया जाता है। बड़े-बड़े कारखाने बिजली से ही चलते है। रेडियो और टेलिविजन का कार्य बिजली के बिना नही चल सकता है।

अणुशक्ति की प्रक्रिया भी विद्युत शक्ति के आविष्कार के बाद ही ढूंढी जा सकी है। बड़े-बड़े गणकों (कन्प्यूटर्स) का निर्माण तथा संचालन विद्युत सिद्धान्त पर आधारित है। इससे स्पष्ट है कि आज की अधिकांश भौतिक प्रगति का मूल विद्युत के आविष्कार में ही है।

रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रगति हुई। इसके द्वारा संसार की रचना में सहायक मूल तत्त्वों की संख्या निर्धारित कर दी गई है और प्राण-शक्ति के निर्माणक तत्व आक्सीजन आदि का पता लगाकर इसके निर्माण की विधि जान ली गई है। एक धातु से दूसरी धातु बनाया जाना अब मामूली बात हो गई है। समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना बहुत ही आसान कार्य है। औषधि-विज्ञान की दृष्टि से रसायन शास्त्रीय अन्वेषणों का बहुत महत्व है। प्रायः प्रत्येक रासायनिक औषधि और इन्जेक्शन का निर्माण रसायन शास्त्र विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इससे मानवीय जीवन में बहुत वृद्धि होने लगी है।

जीव विज्ञान के दो विभागों अर्थात् जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान (बोटोनी) के क्षेत्र में भी बहुत शोधकार्य हुआ है। जीव-विज्ञान में मानव-शरीर के छोटे बड़े सभी अंगों में निर्माण-और कार्य-पद्धति से बारे में सूक्ष्मतम जानकारी प्राप्त करली गई है। शारीरिक रोगों का निदान करके उनकी चिकित्सा के अधिकांश उपाय भी ढूंढ लिए गए हैं, और तो और मृत व्यक्ति को पुनः जीवित किया जाने लगा है। नवीन हृदय-रोपण जैसी शल्य चिकित्सा तो अविश्वसनीय को विश्वसनीय सिद्ध कर चुकी है। वनस्पति शास्त्र में पेड़-पौधों में प्राणवत्ता की खोज महत्वपूर्ण है। इसने सिद्ध कर दिया है कि वनस्पति में भी कोष-समूह का निर्माण और कार्य-पद्धति मानव शरीर के कोष समूह के सर्वथा समान है।

मुद्रण यन्त्रों के कारण न केवल विभिन्न विषयों की पुस्तकें छापी जा रही हैं. बल्कि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक समाचार-पत्र तथा पत्रिकायें आदि भी प्रकाशित की जाती हैं। बड़े-बड़े कोष तथा विश्वकोषों का प्रकाशन होने के कारण ज्ञान को संचित करना सम्भव हो गया है।

कैमरों के आविष्कार ने व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के चित्र सुरक्षित रखने में बड़ी सहायता की है। पहले तो चित्रकारों द्वारा व्यक्तियों आदि के चित्र तैयार किए जाते थे, किन्तु उनमें कई बार वास्तविकता नहीं आ पाती थी। इसके अतिरिक्त इसमें समय और धन भी अधिक लगता था। अब कैमरा के कारण आकृतियों तथा स्थानों के चित्र बिल्कुल उसी रूप से खींचे जा सकते हैं और इस कार्य में न तो अधिक समय लगता है और न ही अधिक पैसा व्यय करना पड़ता है।

इसी प्रकार अन्य कई वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार भी किया गया है, जो दैनिक जीवन तथा व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। कपड़े धोने, खाना बनाने, सफाई करने तथा हजामत करने आदि के लिए जो स्वचालित मशीनें तैयार की गई है, वे घरेलू कार्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसी प्रकार अणुवीक्षण यन्त्र, दूरवीक्षण यन्त्र और राडार आदि का आविष्कार सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों के लिए बहुत आवश्यक है। ऊंचे मकानों में लाने ले जाने के लिए लिफ्टों का आविष्कार भी कम महत्व-पूर्ण नहीं है। इस तरह अन्य सैंकडों उपयोगी आविष्कार प्रतिदिन किए जा रहे हैं जो कि मानव-जाति के लिए बहुत उपयोगी हैं।

जहाँ विज्ञान ने मानव समाज का इतना हित किया है, वहां इसने कुछ हानि भी पहुंचाई है। एक तो यन्त्रों का उपयोग बढ़ जाने से मानव में मानवता के स्थान पर यांत्रिकता सी आती जा रही है। ऐसा लगता है, मानो मानव बड़े-बड़े यन्त्रों का एक पुर्जा मात्र है। इससे मानव-मानव के मध्य सप्राण सम्बन्ध समाप्त होते जा रहे हैं और जैसे दोनों के मध्य एक यान्त्रिक औपचारिकता ही शेष रही है।

इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे अस्त्र-शस्त्र बनाने प्रारम्भ कर दिए हैं, जो न केवल मानव-समाज के बल्कि सम्पूर्ण चराचर के अस्तित्व को मिटा सकते हैं। बड़े देशों के मध्य आणविक अस्त्र–शस्त्रों की होड़ इसी खतरे का संकेत देती है। सन् १९४५ में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर दो अणुबम गिराये थे, जिनसे लाखों लोग मारे गए थे और उसका दुष्प्रभाव आज तक पूरी तरह नहीं मिटा है। इससे आणविक अस्त्र-शस्त्रों की भयानकता का अनुमान हो सकता है। उक्त दुर्घटना के बाद तो और भी

अधिक शक्ति के परमाणु-बम तथा हाइड्रोजन-बम बनाए जा चुके हैं। इनकी सम्मिलित शक्ति इतनी अधिक है कि इन बमों से सम्पूर्ण विश्व अर्थात् चराचर जगत् को कई बार नष्ट किया जा सकता है। इन बमों का निर्माण आज प्रतिद्वन्द्विता के साथ किया जा रहा है और पता नहीं अणु-राष्ट्रों में से किसी एक की जरा सी असावधानी विश्व को कब समाप्त कर दे। यह सच है कि भारत अणु-शस्त्र बनाने की क्षमता रखता है, किन्तु वह इस प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं होना चाहता। उसने सदा ही अणु-शस्त्रों के निर्माण का विरोध किया है।

अणु-शस्त्रों के अतिरिक्त नापाम-बम और कीटाणु-बम जैसे अस्त्रों का निर्माण भी प्राणि-समाज के लिए अहितकर है। कई प्रकार के अन्य अस्त्र-शस्त्र भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हें हानिकारक समझा जाता है। अच्छा तो यह होता कि इन भयानक अस्त्र-शस्त्रों पर किया गया असीमित व्यय मानव-कल्याण कार्यों के हित में किया जाता। वैसे अच्छे वैज्ञानिक का तो कर्त्तव्य ही यह है कि वह मानव-कल्याण के कामों में ही अपना योग दे।

---

१६. समाचार-पत्रों से लाभ

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना-समाचार पत्रों की आवश्यकता, (२) समाचार-पत्र का प्रारम्भ और विकास, (३) समाचार-पत्रों का व्यापक प्रसार, (४) समाचार पत्रों के विभिन्न उपयोग, (५) समाचार-पत्रों से नुकसान, (६) समाचार-पत्रों से विशेष अवसरों पर लाभ, और (७) निष्कर्ष।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है। अतः उसे समाज के हित-अहित का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः समाज तथा विश्व, जो कि समाज का वृहद् रूप है, की दैनिक घटनाओं से परिचित रहना उसके लिए आवश्यक है। किन्तु प्रत्येक मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है कि वह दूर-दूर तक फैले हुए समाज की प्रत्येक घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं यात्रा करे। अतः उसे किसी

अन्य व्यक्ति, पद्धति या माध्यम से काम लेना पड़ता है। पत्र-व्यवहार द्वारा वह अपने यहां की घटनाओं की सूचना मित्रों, परिचित्रों तथा सुहृज्जनों को भेज सकता है। इसी प्रकार उसके मित्र, परिचित तथा सुहृज्जन पत्र द्वारा अपने यहाँ की सूचनायें उसे भेज सकते हैं। प्राचीन काल में केवल मनुष्य ही सन्देश-वाहक नही होते थे। हंस, कबूतर या शुक आदि भी संदेश लाने या ले जाने का कार्य करते रहे हैं। इस विषय में नल-दमयन्ती की कथा में हंस द्वारा तथा सन् १६१४-१६१६ के प्रथम महायुद्ध में कबूतरो के द्वारा संदेश भेजने के उदाहरण द्रष्टव्य हैं। किन्तु ये सन्देश तो कुछ ही व्यक्तियों से सम्बन्धित होते थे। संदेश ग्रहण करने वाले भी चुने व्यक्ति थे। उस समय सम्पूर्ण संसार की खबरें एकत्र करना तथा संसार के सुदूरतम स्थानो में भी पहुँचाना सम्भव नही था। वैसे इसकी आवश्यकता को सभी लोग अनुभव करते थे।

सर्वप्रथम इंग्लैण्ड ने इस आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न किया। सोलहवी शताब्दी में वहाँ समाचार-पत्र छपना प्रारम्भ हुआ। इसमें विभिन्न देशों की विभिन्न खबरें छपने लगीं। उस समय मुद्रण-कला अधिक विकसित नहीं हुई थी, किन्तु इंग्लैण्ड की देखा-देखी अन्य देशों में भी समाचार-पत्र छपने का कार्य शुरू हो गया। भारत में भी मुगल-शासन के समय समाचार-पत्र छपने लगे थे। सर्वप्रथम सरकारी समाचार पत्र वारेन हेस्टिंग्स के समय में छपना प्रारम्भ हुआ था। इसके बाद छपने वाले प्राचीन समाचार-पत्रों में "कौमुदी" और "केसरी" के नाम उल्लेखनीय हैं। "कौमुदी" का प्रकाशन राजा राजमोहन राय के द्वारा और "केसरी" का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था। सन् १६०१ में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा "सरस्वती" पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। आजकल प्रताप, वीर अर्जुन, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान और आर्यावर्त आदि हिन्दी के दैनिक समाचार-पत्र बहुत लोकप्रिय हैं। ये प्रतिदिन लाखों की संख्या में छपते हैं। भारत के दैनिक अंग्रेजी अखबारो में हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, स्टेट्समैन, हिन्दू, इण्डियन एक्सप्रेस और फ्री प्रेस जर्नरल आदि उल्लेखनीय हैं। हिन्दी दैनिक-पत्रो की तुलना में ये अखबार अधिक संख्या में छपते हैं। इनके

अधिक शक्ति के परमाणु-बम तथा हाइड्रोजन-बम बनाए जा चुके हैं। इनकी सम्मिलित शक्ति इतनी अधिक है कि इन बमों से सम्पूर्ण विश्व अर्थात् चराचर जगत् को कई बार नष्ट किया जा सकता है। इन बमों का निर्माण आज प्रतिद्वन्द्विता के साथ किया जा रहा है और पता नहीं अणु-राष्ट्रों में से किसी एक की जरा सी असावधानी विश्व को कब समाप्त कर दे। यह सच है कि भारत अणु-शस्त्र बनाने की क्षमता रखता है, किन्तु वह इस प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं होना चाहता। उसने सदा ही अणु-शस्त्रों के निर्माण का विरोध किया है।

अणु-शस्त्रों के अतिरिक्त नापाम-बम और कीटाणु-बम जैसे अस्त्रों का निर्माण भी प्राणि-समाज के लिए अहितकर हैं। कई प्रकार के अन्य अस्त्र-शस्त्र भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हें हानिकारक समझा जाता है। अच्छा तो यह होता कि इन भयानक अस्त्र-शस्त्रों पर किया गया असीमित व्यय मानव-कल्याण कार्यों के हित में किया जाता। वैसे अच्छे वैज्ञानिक का तो कर्त्तव्य ही यह है कि वह मानव-कल्याण के कामों में ही अपना योग दे।

---

१६. समाचार-पत्रों से लाभ

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—समाचार पत्रों की आवश्यकता, (२) समाचार-पत्र का प्रारम्भ और विकास, (३) समाचार-पत्रों का व्यापक प्रसार, (४) समाचार पत्रों के विभिन्न उपयोग, (५) समाचार-पत्रों से नुकसान, (६) समाचार-पत्रों से विशेष अवसरों पर लाभ, और (७) निष्कर्ष।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है। अतः उसे समाज के हित-अहित का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः समाज तथा विश्व, जो कि समाज का वृहद् रूप है, की दैनिक घटनाओं से परिचित रहना उसके लिए आवश्यक है। किन्तु प्रत्येक मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है कि वह दूर-दूर तक फैले हुए समाज की प्रत्येक घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं यात्रा करे। अतः उसे किसी

के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें जनता का मनोबल ऊंचा रखने का भी प्रयत्न करना पड़ता है। अफवाहें जनता तक न पहुँचे, इसके लिए समाचार पत्रों को सचेष्ट रहना होता है। उदाहरणतया, सन् १९६२ के भारत-चीन संघर्ष तथा सन् १९६५ के भारत-पाक संघर्ष के समय भारतीय समाचार-पत्रों ने जो योगदान दिया था, वह बहुत प्रशंसनीय तथा महत्वपूर्ण था। उस समय समाचार-पत्रों ने जन-मानस में जादू फूंक दिया था। संघर्ष में विजय प्राप्त होने तक प्रत्येक भारतीय हर प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार हो गया था। स्त्रियों ने रक्षा कार्य के लिए स्वर्ण-आभूषणों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं का दान करना एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य समझ लिया था। क्या जवान और क्या बूढे, सभी मोर्चे पर जाने को कटिबद्ध हो गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा-कोष में सर्वस्व दान करने वालो की सख्या भी कम नही थी। बड़े-बड़े समाचार-पत्रों ने अपने कार्यालयों के आगे विभिन्न मोर्चों पर होने वाली प्रगति की ताजा सूचना देने की व्यवस्था भी की थी। इससे जनता और समाचार-पत्रों के मध्य एक अनन्य प्रकार का सौहार्द-सम्बन्ध स्थापित हो गया था।

ये तो हुए समाचार-पत्रों से लाभ। किन्तु इनसे कई बार हानियां भी होती हैं। कई बार सम्पादक या प्रकाशक अपने पवित्र दायित्व का निर्वाह नही करते। इससे गलत खबरें तथा अफवाहें जनता में फैल जाती हैं। इससे समाचार-पत्र की साख भी मारी जाती है। खबरों को चटपटा बनाने के चक्कर में कई बार जनता में अनावश्यक उत्तेजना फैल जाती है। इसी प्रकार नकली दवाओं या गन्दे सिनेमा आदि भड़कीले और उत्तेजक विज्ञापन जनता के लिए हानिकारक तो होते ही हैं, साथ ही जनता की रुचि को भी विकृत करते हैं। कुछ समाचार-पत्र किसी नेता विशेष को नीचा दिखाने के लिए एक अभियान सा प्रारम्भ कर देते हैं और प्रतिदिन उसके खिलाफ झूठी सच्ची खबरें अतिरंजना के साथ छापने लगते हैं। कई बार उन्हें सफलता भी मिलती है कभी-कभी उन्हें मान-हानि के मुकदमों में फंस कर दण्ड भी भुगतना पड़ता है। इस प्रकार के कार्य समाचार-पत्रों के लिए चाहे वे छोटे हों या बड़े, शोभा नही देते।

अतिरिक्त साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकायें भी सैकड़ों की संख्या में छपती हैं। इनमें सरस्वती, कल्याण, नवनीत, कादम्बिनी, सरिता, सारिका, ज्ञानोदय, नई कहानियाँ और मनोरमा आदि उल्लेखनीय हैं। राजस्थान के दैनिक पत्रों में राष्ट्रदूत, राजस्थान पत्रिका तथा नवज्योति की गणना की जा सकती है। यहाँ की मासिक पत्र-पत्रिकाओं में मधुमती, लहर और वातायन प्रमुख हैं। साप्ताहिक पत्र के रूप में "सेनानी" और "प्रजा-सेवक" उल्लेखनीय हैं। अन्य भाषाओं में छप रहे पत्र-पत्रिकाओं का नामोल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है।

इससे पता चलता है कि पिछले चार सौ वर्षों से समाचार-पत्रों का कितना अधिक विस्तार हो गया है। आज मानव प्रातः आँख खोलते ही अखबार अपने सामने देखना चाहता है, ताकि उसे विश्व की मुख्य-मुख्य घटनाओं का पता चल सके। वह पता लगाना चाहता है कि कहीं विश्व-युद्ध तो प्रारम्भ नहीं हो गया अथवा कहीं बाढ़ तो नहीं आ गई। व्यापारी पाठक यह भी जानना चाहता है कि किस मंडी में किस वस्तु के क्या भाव रहे? खेल के शौकीनों को अखबार से यह जानकारी मिलनी चाहिए कि अमुक टैस्ट-मैच में किस टीम ने कितने रन बनाए और कितने विकेट गिर गए। सिनेमा देखने वालों को भी अखबार पर छपे विज्ञापनों से पता चल जायगा कि किस सिनेमा घर में कौनसा सिनेमा चल रहा है और उसमें कौन-कौन से अभिनेता कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन की राजनैतिक गतिविधियों की सूचना तो प्रत्येक अखबार के मुख्य पृष्ठ पर होती है।

इस प्रकार समाचार-पत्र के विभिन्न पृष्ठों पर छपी खबरों के पाठक भी अलग-अलग रुचि के होते हैं। समाचार-पत्रों के सम्पादक उनकी रुचि का न केवल आदर करते हैं बल्कि ध्यान भी रखते हैं। कई बार वे जन-रुचि को प्रभावित तथा परिवर्तित करने का भी प्रयत्न करते हैं। सम्पादक के नाम पाठकों के पत्रों से जन-प्रतिक्रिया का भी उन्हें पता चल जाता है।

जब किसी राष्ट्र का अन्य राष्ट्र के साथ युद्ध या अन्य कोई संघर्ष चल रहा होता है तो उस समाचार-पत्रों का कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। वे ,ता के सम्मुख उन कारणों को प्रस्तुत करते हैं, जो कि युद्ध अथवा संघर्ष

रामगोपाल ने हम चार-पांच लड़कों को बारात में चलने के लिए मजबूर किया और हमें जाना पड़ा।

बारात के लिए एक बस और एक कार की व्यवस्था की। बस में सब बड़े-बूढ़े थे और कार में हम चार-पांच लंगोटिया दोस्त थे। हम लोगों ने भावी कार्यक्रम बनाना आरम्भ किया। आगरा में ताजमहल देखेंगे। लाल किले में घूमेंगे और जामा मस्जिद मे जायेंगे। मोहन ने अपना कैमरा ठीक करवाया। महेन्द्र ने ताश की एक नयी जोडी खरीदी। बारात का आनन्द लेने का पूरा कार्यक्रम बन गया। लड़की वाले ने कहलवाया था कि बारात शाम को पांच बजे से पहले आगरा पहुँच जानी चाहिये। अतः हमें नौ-दस बजे जयपुर से प्रस्थान करना था। दूल्हा और हम लोग लगभग सवा नौ बजे कार में बैठ गये। लेकिन हम लोगों को रवाना होने का आदेश नहीं मिला। छोटे बच्चों ने हमारी कार घेर रखी थी और दूल्हा से भांति-भांति की फरमाइश कर रहे थे। इसी प्रकार आधा घण्टा व्यतीत हो गया, जी घुटने सा लगा। कार को खिडकियां खोलकर हम बाहर चहल-कदमी करने लगे। पूछताछ करने पर पता लगा कि अभी दो-तीन रिश्तेदार नहीं आये हैं, इसलिए विलम्ब हो रहा है। घड़ी की सूई अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। दस बजे; ग्यारह बजे और साढे ग्यारह बजे होने को आये। जो बस में बैठे थे वे सभी तंग हो गये। खैर बारह बजे तक सब बाराती आ गये और हम लोग रवाना हुए।

समय कम रह गया था था इसलिए कार और बस दोनों ही तेज रफ्तार से आगरा की ओर दौड़ रही थी। अभी दौसा भी पार नही कर पाये थे कि हमारी कार में पंचर हो गया। दुर्भाग्य से स्टेपनी नहीं थी। इसलिए कार की सारी सवारियां बस में बैठीं। अब तो हम लोगों के मुँह बन्द हो गये। हमने आंखों ही आंखों में बातें की कि कोई बात नहीं, आगरा में कसर निकालेंगे। साढ़े पांच बजते-बजते हम आगरा पहुँच गये। धर्मशाला में उतरे। हाथ-मुँह धोया। कपड़े बदले और गाजेबाजे से तोरण मारने के लिए चलने की तैयारी में लगे। समधी का घर धर्मशाला के पास ही था। लेकिन बारात को बाजार का चक्कर लगाकर वहाँ पहुँचना था। लेकिन अभी तक बाजे वाले नहीं आये थे।

वस्तुत. समाचार-पत्रों से यह आशा की जाती है कि वे खबरों का चुनाव उचित रीति से करें और इसके बाद इनको उपयुक्त ढंग से छापें। इनमें असत्यता तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए और जहां तक हो सके, अतिरंजना से भी काम नहीं लिया जाना चाहिये। हां, किसी घटना या स्थिति से वे असहमत हों तो स्वतन्त्र मत प्रगट कर सकते हैं। किन्तु इस मत के साथ उन्हें उपयुक्त तर्क भी प्रस्तुत करने चाहिये, ताकि पाठक को घटना या स्थिति के मूल रूप को समझने में सहायता मिले।

भारत में अभी तक समाचार-पत्रों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। किन्तु इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। वरना सम्भव है कि सरकार विवश होकर इनका राष्ट्रीयकरण कर डाले। यदि ऐसा हुआ तो इसे लोकतान्त्रिक विचार से गणतन्त्र पर एक प्रकार अंकुश ही कहा जायगा। अतः समाचार-पत्रों को इस ओर जागरूक रहना पड़ेगा, तभी उन्हें जनता का पूर्ण समर्थन मिलता रहेगा और सरकार भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगी।

---

१७. याद एक बारात की

बहुत दिनों से किसी ऐसी बारात में जाने की इच्छा थी जिसमें मित्र-मण्डली के साथ एक दो दिन घर से बाहर रहकर घूम फिर सकें। संयोग से हमें ऐसा अवसर उस समय प्राप्त हुआ जब हमारे ही कक्षा के रामगोपाल का विवाह एकाएक निश्चित हो गया। बात यों हुई कि रामगोपाल की मां बहुत लम्बे समय से बीमार चली आ रही थी। उसको किसी ज्योतिषी ने यह कह दिया कि आगे आने वाले छह महीने तुम्हारे लिए बहुत खराब हैं। रामगोपाल इस समय दसवीं कक्षा में ही पढ़ रहा था। अभी अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा भी नहीं हुई थी कि उसकी मां ने जिद पकड़ सी कि एक दो महीनों में ही इसका विवाह होना चाहिये। सम्पन्न परिवार था। लड़का सुन्दर था। शीघ्र ही आगरा के लाला रामभजन की लड़की से सम्बन्ध तय हो गया।

विस्तार, (४) पंचवर्षीय योजनाओं की सफलतायें और असफलतायें, (५) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ और आशायें, (६) निष्कर्ष।

कार्य आरम्भ करने से पूर्व उसकी योजना बनाना न केवल उचित है, बल्कि आवश्यक भी। सत्य ही बिना पूर्व योजना के कोई कार्य सम्पन्न होना या उसमें सफलता मिलना कठिन है। पूर्व-योजना के द्वारा ही कार्य की पूर्ति और उसके लिए साधन जुटाने के मध्य तालमेल बैठ सकता है। यदि योजना न बनाकर कार्य किया जाये तो सम्भव है कि हम वांछित उद्देश्य प्राप्त न कर सकें और समय, धन तथा श्रम का अपव्यय हो। वस्तुतः योजना पर ही कार्य की सफलता-असफलता निर्भर करती है।

भारत के स्वतन्त्र होने पर देश के विकास की बात सोची गई। यह तो सभी को ज्ञात है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। उस समय अशिक्षा, वस्त्राभाव, उद्योगों की कमी, आयात का आधिक्य और निर्यात की कमी आदि सर्वथा प्रत्यक्ष थीं। उन्हें दूर करने के लिए सुदीर्घ योजनाओं की आवश्यकता अनुभव की गई। इस सम्बन्ध में रूस की पंचवर्षीय योजनाओं से, जो कि आशातीत रूप से सफल रही थीं, प्रेरणा ली गई।

सर्व प्रथम तो एक योजना-आयोग बैठाया गया जिसके सदस्य बड़े-बड़े अर्थ शास्त्री, शिक्षा विशेषज्ञ तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालक थे। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारीलाल नन्दा थे। इसके बाद स्व० लालबहादुर शास्त्री ने इसकी अध्यक्षता की और अशोक मेहता इसके उपाध्यक्ष रहे। इस आयोग का कार्य योजना को तैयार करना है। यह योजना की समाप्ति से पूर्व ही दूसरी योजना प्रस्तुत कर देता है, जिससे इस पर विस्तृत विचार किया जाना संभव होता है। योजना का प्रारूप संसद् में प्रस्तुत करके उसकी अनुमति भी ले ली जाती है।

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना १ अप्रेल, १६५१ से ३१ मार्च, १६५६ तक के लिए थी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कुल २३५६ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था, किन्तु वास्तव में योजना के अन्तर्गत १८६०

देखते क्या हैं कि कुछ लोग एक तरफ से भागे चले आ रहे हैं। पूछ-ताछ करने पर पता लगा कि समीप ही श्रमिकों और पुलिस में झड़प हो गई है। अश्रु गैस की धुँआ उठती दिखाई दी और कुछ ही मिनटों के बाद धारा १४४ लागू हो गई। अब बारात का जलूस नहीं निकल सकता था। हम मन मार कर रह गये। केवल दूल्हा और दो बड़े आदमी समधी के घर चले गये। हमारे भोजन का प्रबन्ध धर्मशाला में ही हो गया। हमने सोचा एक-एक, दो-दो करके बाद में पाणिग्रहण समारोह के समय दूल्हा के पास चले चलेंगे। लेकिन आधा घण्टा भी नही होने पाया था कि दंगाग्रस्त क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस घटना से तो हमारी सारी आशाएँ मिट्टी में मिल गईं। अब तो हम धर्मशाला के बाहर तक कहीं निकल सकते थे। अब किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। ताश भी जैसे काटने को दौड़ रही थी। सोहन के कैमरे की तस्वीर ही हमारी आँखों के सामने थी। ताजमहल, लालकिला और जामा मस्जिद देखने का स्वप्न भी चूर-चूर हो गया।

दूसरे दिन दो बजे बाद थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। हम लोगों को इसी समय विदा कर दिया गया। पूरे रास्ते भर हमारे चेहरे उदास रहे। दूल्हे के साथ रहकर अपना रंग जमाने की योजना भी विफल हो गई। रंग में भंग हो गया। आज भी जब उस घटना का स्मरण होता है तो सहसा मन में विचार उठता है कि हम बाराती बनकर भी आनन्द नहीं ले सके। न कुछ देख ही सके और न मौज ही उड़ा सके।

---

१८. पंचवर्षीय योजनाएँ

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—योजना का महत्व, (२) भारत में पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश, (३) भारत में पंचवर्षीय योजनाओं क

विस्तार, (४) पंचवर्षीय योजनाओं की सफलतायें और असफलतायें, (५) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ और आशायें, (६) निष्कर्ष ।

कार्य आरम्भ करने से पूर्व उसकी योजना बनाना न केवल उचित है, बल्कि आवश्यक भी । सत्य ही बिना पूर्व योजना के कोई कार्य सम्पन्न होना या उसमें सफलता मिलना कठिन है । पूर्व-योजना के द्वारा ही कार्य की पूर्ति और उसके लिए साधन जुटाने के मध्य तालमेल बैठ सकता है । यदि योजना न बनाकर कार्य किया जाये तो सम्भव है कि हम वांछित उद्देश्य प्राप्त न कर सकें और समय, धन तथा श्रम का अपव्यय हो । वस्तुतः योजना पर ही कार्य की सफलता-असफलता निर्भर करती है ।

भारत के स्वतन्त्र होने पर देश के विकास की बात सोची गई । यह तो सभी को ज्ञात है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ था । उस समय अशिक्षा, वस्त्राभाव, उद्योगों की कमी, आयात का आधिक्य और निर्यात की कमी आदि सर्वथा प्रत्यक्ष थी । उन्हें दूर करने के लिए सुदीर्घ योजनाओं की आवश्यकता अनुभव की गई । इस सम्बन्ध में रूस की पंचवर्षीय योजनाओं से, जो कि आशातीत रूप से सफल रही थीं, प्रेरणा ली गई ।

सर्व प्रथम तो एक योजना-आयोग बैठाया गया जिसके सदस्य बड़े-बड़े अर्थ शास्त्री, शिक्षा विशेषज्ञ तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालक थे । प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारीलाल नन्दा थे । इसके बाद स्व० लालबहादुर शास्त्री ने इसकी अध्यक्षता की और अशोक मेहता इसके उपाध्यक्ष रहे । इस आयोग का कार्य योजना को तैयार करना है । यह योजना की समाप्ति से पूर्व ही दूसरी योजना प्रस्तुत कर देता है, जिससे इस पर विस्तृत विचार किया जाना संभव होता है । योजना का प्रारूप संसद् में प्रस्तुत करके उसकी अनुमति भी ले ली जाती है ।

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना १ अप्रैल, १९५१ से ३१ मार्च, १९५६ तक के लिए थी । इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कुल २३५६ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था, किन्तु वास्तव में योजना के अन्तर्गत १९६०

करोड़ रुपये ही व्यय किये जा सके। इस योजना के द्वारा कृषि उत्पादन में २८%, अन्नोत्पादन में ३१%, जूट में २२% और कपास में ४% वृद्धि हो सकी थी। विद्युत-उत्पादन के क्षेत्र में २१ लाख किलोवाट अधिक बिजली उत्पन्न की गई और वस्त्र उत्पादन में २·२४% अरब गज की वृद्धि हो पाई। कुल राष्ट्रीय आय में १३·४% वृद्धि हो सकी। प्रति व्यक्ति आमदनी २६४ रुपये वार्षिक तक जा पहुंची। इससे अनुमान होता है कि जितनी राशि व्यय की गई, उसके अनुपात में राष्ट्रीय उत्पादन तथा आय से कम ही वृद्धि हुई। इसका कारण अनुभवहीनता, ईमानदारी का अभाव और जनता का असहयोग कहा जा सकता है।

सन् १९५६ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू कर दी गई। जहाँ प्रथम योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी, वहां इस योजना में उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की गई। इस योजना में व्यय का अनुमान ४८०० करोड़ रुपये था, जिसमें कृषि विकास पर ५६८ करोड़, उद्योग और खनिज पर ८९० करोड़ और सामाजिक सेवाओं पर ९४५ करोड़ रुपये की राशि व्यय की जानी थी। खाद्यान्न-उत्पादन का लक्ष्य ८ करोड़ ४० लाख टन, तथा गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य ८० लाख टन था। वस्त्र उत्पादन का २४% तथा चीनी उत्पादन में २५% वृद्धि का लक्ष्य था। ३०० रेलवे इंजन भी बनाए जाने थे। इन अनुमानों के विपरीत योजना के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन ७६० लाख टन ही हो पाया। बिजली का उत्पादन ५७ लाख किलोवाट तक पहुंच गया। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुरा में इस्पात-कारखाने स्थापित किए गए। ६६ लाख लोगों को रोजगार मिला। १४०००० हायर सैकण्डरी स्कूल खोले गए। इससे पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति तो पर्याप्त हुई किन्तु लक्ष्य-पूर्ति नहीं हो पाई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना सन् १९६१ में प्रारम्भ हुई। इसमें ११६०० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था। इसमें से सामाजिक सेवाओं पर २३७५ करोड़ तथा सामुदायिक कृषि पर १८६७ करोड़ रुपये व्यय किये जाने थे। राष्ट्रीय आय का लक्ष्य १९०० करोड़ रुपये था। प्रति व्यक्ति आमदनी भी ३८५ रुपये होनी चाहिए थी। खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य १०००० लाख टन

श्रौर सिंचाई सुविधा का लक्ष्य ६०० लाख एकड़ भूमि था। इसी प्रकार विद्युत उत्पादन १२७ लाख किलोवाट तक होना था। १४० लाख लोगों को रोजगार दिलाया जाना था। इन अनुमानों की तुलना में उपलब्धियाँ निश्चित कम रही हैं श्रौर लक्ष्यों तक पहुँचा नहीं जा सका है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सन् १९६६ से प्रारम्भ होना चाहिए थी, परन्तु तीसरी योजना की असफलता, विदेशी सहायता का पर्याप्त न मिल पाना, सूखे की गम्भीर स्थिति श्रौर पाकिस्तानी आक्रमणादि कारणों से इसे स्थगित करके तीन वार्षिक योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। इनके वाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित किया गया। इसमें २४ सौ करोड रुपये व्यय का अनुमान था। इस योजना में विकास कार्य-क्रम, बिजली उत्पादन, कृषि-विकास, परिवार नियोजन तथा परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय आय में ५५% वृद्धि का लक्ष्य था। परन्तु योजनाकाल की समाप्ति पर इसके परिणाम कोरे आशावादी रहे। लागतों का अनुमान कम लगाने से इसे व्यावहारिक आकार नहीं दिया गया।

इसके पश्चात् योजना आयोग ने सन् १९७४ से प्रारम्भ होने वाली पाँचवी पंचवर्षीय योजना का जो स्वरूप एवं प्रारूप तैयार किया, उसके अनुसार इसमें ५३४११ करोड़ रुपये व्यय का अनुमान था। इसमें से ३७२५० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के लिए श्रौर १६१५१ करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किये गये। इसमें प्रतिवर्ष ५½% विकास की दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। अभी इसके परिणाम सामने नहीं आ पाये हैं, फिर भी कुछ क्षेत्रों में पिछली योजनाओं के मुकाबले इस योजना के सफल रह पाने की आशा है। अब षष्ठ पंचवर्षीय योजना को भी अन्तिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

यहाँ पर स्मरणीय है कि योजनाओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाना भारत के वस की बात नहीं थी। इसके लिए उसे कई विकसित देशों से सहायता श्रौर ऋण लेने पड़े। इन देशों में अमरीका, रूस, ब्रिटेन तथा जापान प्रमुख हैं। विश्व बैंक, अमरीकी निर्यात-आयात बैंक, अमरीका प्राविधिक सहयोग करार, अमरीकी पी. एल. ४८०, भारत सहायता कल्ब, तथा अन्त-

राष्ट्रीय विकास संघ ने इन सभी योजनाओं में समय-समय पर सहायता तथा ऋण प्रदान किए हैं।

यह सत्य है कि इन विदेशी सहायता के बिना भारत की योजनाओं में आंशिक सफलता मिलनी कठिन थी, किन्तु यह भी निश्चित है कि इससे भारत का ऋण-भार भी बढ़ गया है। कई बार तो इन ऋणों को चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। इससे न केवल विदेशों में भारत की साख घटी है बल्कि देश में भी मूल्य स्थिर नहीं रह पाए हैं। भारत की मुद्रा का भी अवमूल्यन करना पड़ा है और बाजार में रुपये की क्रय शक्ति लगाकर घटती जा रही है।

इससे अनुमान होता है कि इन योजनाओं की तैयारी तथा पूर्ति ठीक से नहीं हो रही है। पूर्ति के माध्यम भी ईमानदार नहीं दीखते। जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिए परिवार-नियोजन चालू किया गया है, किन्तु इसका तात्कालिक प्रभाव तो होने से रहा। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर ही यदि योजनायें तैयार की जायें, अच्छा हो और उसके प्रयोग के उचित अवसर प्रदान किये जाने चाहिये। इस पर उचित नियन्त्रण जरूरी है पर अनधिकृत हस्तक्षेप नहीं। ऐसा होने पर ही यह योजना आयोग अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेगा। जहाँ तक बेकारी का प्रश्न है, सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति ही इसके लिए जिम्मेदार है।

इससे स्पष्ट है कि योजना आयोग के द्वारा तैयार योजनाओं में कहीं मूलभूत कमी है और इन कमियों को तुरन्त दूर किया जाना न केवल आवश्यक है कि बल्कि उचित भी। योजना आयोग का गठन पूर्णतः व्यावहारिक दृष्टि से होना चाहिए। उसमें योग्य व अनुभवी व्यक्ति ही रखे जायें। राजनीति की दखलंदाजी वहाँ नहीं होनी चाहिए। इसे समुचित साधन प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे यह अपने उद्देश्य में सफल हो सके।

१६. अकाल की समस्या

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—अकाल के कारण, (२) अकाल के दुष्परिणाम, (३) भारत में अकाल का रूप, (४) अकाल रोकने के उपाय, (५) अकाल सहायता पर व्यय, और (६) निष्कर्ष।

जब किसी देश या प्रदेश में समय पर वर्षा नहीं होती या जहां आवश्यकता से बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो वहां या तो फसल उगती ही नहीं और यदि उगती भी है तो नष्ट हो जाती है। नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण भी जब दूर तक के खेतों में पानी भर जाता है तो फसल खराब हो जाती है। टिड्डी-फाडके भी खेतों को चाट डालते हैं और कई बार पकी हुई फसलें तेज हवा लगने के कारण नष्ट हो जाती हैं, इस प्रकार फसल का न उगना अथवा उगने के बाद कभी भी नष्ट हो जाना, अकाल का कारण समझा जाता है।

अकाल पड़ने से वहां के खेतों में अन्न पैदा नहीं होता और अन्न पैदा न होने से लोग भूखों मरने लगते हैं। वर्षा बिल्कुल ही न हो तो वहां घास भी नहीं उग पाती और इसके फलस्वरूप पशु धन भी नष्ट होने लगता है। इससे पेय दुग्ध की कमी पड़ जाती है। कई स्थानों पर तो कई-कई वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती और वहां के ताल-तालाब तथा कुए सूख जाते हैं। इससे पेय जल की बड़ी कठिनाई होती है। यों तो लोग एक या दो दिन बिना अन्न के भी रह सकते हैं, किन्तु जल के अभाव में उनका जीवित रहना कठिन होता है। खाने को अन्न न मिलने से तथा दूध-दही, सब्जी आदि के अभाव में अकाल-ग्रस्त क्षेत्र के लोग दुर्बल होने लगते हैं। उनके शरीर में निरोध शक्ति कम हो जाती है और विभिन्न रोगों का उन पर आक्रमण होने लगता है। सत्य ही अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दृश्य बड़ा करुणोत्पादक होता है। वहां एक-एक दाने के लिए लोग तड़पते हैं। उन्हें घास या पेड़ की छाल भी खाने में एतराज नहीं होता। कई बार तो वे जहरीली वस्तुओं को भी जानबूझ कर खा जाते हैं। वस्तुतः उन्हें जो भी खाद्य-अखाद्य वस्तु मिलती है, उसी का भक्षण करने लगते हैं। भयंकर दुर्भिक्ष होने पर परायों की तो बात ही क्या, लोग अपनों का भी ख़याल नहीं करते। माँ-बाप, भाई-बहिन, पिता-पुत्र का कोई विचार नहीं किया जाता, क्योंकि सबको अपने प्राणों की रक्षा प्राथमिक कर्त्तव्य दिखाई देता है।

भारत में अकाल पड़ना मामूली बात हो गई है। यह एक ऐसा देश है, जहां मौसम का कोई भरोसा नहीं। यहां पर कई प्रदेश ऐसे हैं, जहां वर्षा

ऋतु में कभी-कभी एक भी बूंद नहीं पड़ेगी और कड़कड़ाती सर्दी के दिनों मूसलाधार वर्षा होने लगेगी। राजस्थान का पश्चिमोत्तर प्रदेश इसी गणना में आता है। इसके विपरीत विहार, बंगाल जैसे प्रान्तों में अनाप-शनाप वर्षा हो जाने के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या बनी रहती है। बम्बई जैसे तटवर्ती स्थानों पर जब वर्षा होने लगती है तो एक-एक सप्ताह तक थमने में ही नहीं आती। इससे पता चलता है कि इस विशाल देश में मौसम बहुत ही अनिश्चित रहता है। इसके फलस्वरूप यहां की फसलों को बहुत हानि पहुँचती है। समय पर वर्षा न होने से या तो फसल बोई ही नहीं जा सकती या बोई भी जाये तो बाद में वर्षा न होने पर सूख जाती है। अतः आवश्यकता तो यह रहती है कि खेती के लिए आरम्भ में अच्छी वर्षा हो जाये। ऐसा न होने पर प्रायः अकाल पड़ जाता है और अन्न तथा घास आदि की कमी हो जाती है।

भारत में अकाल पड़ने का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन वैदिक काल में दुर्भिक्ष पड़ने पर नर-मेघ यज्ञ किये जाने का उल्लेख मिलता है। कई अन्य रचनाओं में १२-१२ वर्ष तक दुर्भिक्ष पड़ने की बात कही गई है। सम्वत् १९५६ के अकाल की भीषणता बताने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। इस समय अन्न की कमी तो नहीं थी, किन्तु सम्भवतः अन्न खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। यह दुर्भिक्ष देश-व्यापी था। इसमें लाखों लोगों को मरने का अनुमान लगाया गया था। सन् १९४२ में बंगाल का दुर्भिक्ष भी बहुत भयंकर था। इसमें करीब ३० लाख लोग भूख से मर गये थे। सत्य ही उस समय अंग्रेज सरकार ने लोगों की प्राण-रक्षा के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया। आठ वर्ष पूर्व बिहार का अकाल भी बड़ा भयंकर था। यहां के कुएं तक सूख गये थे और धरती पर दरारें पड़ गई थीं। राजस्थान में तो प्रायः अकाल पड़ते रहते हैं। आठ वर्ष पूर्व का अकाल तो राज्य-व्यापी था। इसमें बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर तथा बीकानेर जिले सर्वाधिक दुर्भिक्ष-ग्रस्त थे। यहां वर्ष में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा था। जैसलमेर में तो ७-८ साल से वर्षा का नाम ही नहीं था। इस भयंकर अकाल में पीड़ितों लोगों की सहायता के लिए राजस्थान सरकार को ५०-६० करोड़ रुपये व्यय करने पड़े थे। केन्द्र ने भी सहायता की थी।

इससे पता चलता है कि भारत में प्रायः भीषण अकाल पड़ते रहते हैं और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद केन्द्र तथा राज्य सरकारें अकाल सहायता के कार्य चलाती रहती हैं। किन्तु इतना व्यय करने के बाद भी मूल समस्या जहां की तहां है। कहीं बिलकुल सूखा पड़ जाता है और कही पर भयंकर बाढ़ आ जाती है। इन दोनों समस्याओं का समाधान एक दूसरे पर निर्भर है। यदि सूखा रोकने के उपाय ढूंढ लिये जायें तो बाढ़ की समस्या भी स्वतः हल हो जायगी। वस्तुतः यदि बाढ़-ग्रस्त इलाकों का फालतू पानी सूखा-ग्रस्त इलाकों में पहुंचा दिया जाये तो दोनों समस्याओं का हल निकल आएगा। यह सही है कि इन समाधानों के लिए करोड़ों रुपयों की योजना बनानी पड़ेगी, किन्तु करोड़ों लोगों और पशुओं की प्राण-रक्षा के लिए यह व्यय कुछ भी महत्व नहीं रखता। वैसे भी अकाल और बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहायता के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपये व्यय करने पड़ते ही हैं। फिर योजनाबद्ध कार्य पर व्यय करने में हिचक कैसी?

भारत का सबसे सूखा इलाका राजस्थान का पश्चिमोत्तर प्रदेश है। यहां खेती के लिए तथा पीने योग्य पानी पहुंचाना बहुत आवश्यक है। राजस्थान नहर की मूल योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी किन्तु जिस मन्द गति से इस नहर को बनाया जा रहा है, उससे तो योजना की पूर्ति में ५० वर्ष लग जाते दीखते हैं। सत्य ही राज्य सरकार के पास इसकी पूर्ति के लिए वांछित धन नहीं है, क्योंकि प्रति वर्ष के भयंकर सूखे के कारण राज्य-सरकार का आय-स्रोत समाप्त सा है। केन्द्रीय सरकार भी इस योजना की पूर्ति के लिए अतिरिक्त धन देने में असमर्थता प्रकट कर रही है तो फिर यह योजना कैसे पूरी हो पाएगी?

इससे पता चलता है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें अकाल की भयंकर समस्या के दुष्परिणामों से अपरिचित हैं अन्यथा इसके समाधान के लिए दोनों के मध्य सहमति क्यों नहीं हो पा रही है? यह स्पष्ट है कि यदि अकाल रोकने के स्थायी उपाय शीघ्र ही नहीं अपनाए गए तो अनेक प्रदेशों के लाखों करोड़ों व्यक्तियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा और उपयुक्त पौष्टिक आहार के अभाव में आगामी पीढ़ी भी कमजोर ही रहेगी। अतः आवश्यक है कि इस भयंकर समस्या का उपयुक्त समाधान शीघ्र ही ढूंढ

निकाला जाए, ताकि लोग प्रतिवर्ष की विभीषिका से बच सकें। प्रसन्नता की बात है कि सरकार अकाल से जूझने के लिए प्रयत्नरत है, अब वह दिन दूर नहीं है जबकि मानव खुशहाली और समृद्धि सर्वत्र होगी।

२०. बैंकों का राष्ट्रीयकरण

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—मुद्रा और क्रय-विक्रय, (२) मुद्रा और व्यापारी, (३) मुद्रा-कोष के रूप में बैंकों का महत्त्व, (४) भारत में बैंकों की सामान्य कार्य-प्रणाली, (५) बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता और महत्त्व, (६) बैंकों के राष्ट्रीयकरण का देश में स्वागत, और (७) निष्कर्ष।

प्राचीनकाल में लोग यदि किसी वस्तु को खरीदना चाहते तो उन्हें उस वस्तु के बदले में कोई अन्य वस्तु देनी पड़ती थी, इसे वस्तु-विनिमय (Barter-system) कहते थे। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मुद्रा का प्रचलन नहीं हो गया। वैसे मुद्रा का प्रचलन प्राचीनकाल में ही हो गया था। वैदिक साहित्य तथा बाद के सूत्र-साहित्य एवं स्मृति-साहित्य में पण तथा निष्क आदि का नाम स्पष्टतः प्राप्त होता है। ये सिक्के सोने और चांदी आदि के बनाये जाते थे। इसके बाद तो मुद्रा के आधार पर ही क्रय-विक्रय होने लगा। अपवाद के रूप में वस्तु-विनिमय का सिद्धांत आज भी कहीं-कहीं देखने को मिल जाता है।

व्यापारी के लिए मुद्रा का महत्व है। वह मुद्रा में वृद्धि करने के लिए उसका वस्तु से विनियोग करता है। फिर जब वस्तु का विक्रय करने से उसे लाभ होता है तो उसकी मुद्रा मूल से अधिक हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यापारी का यही ध्येय रहता है कि वह अपनी मुद्रा का वस्तु में विनियोग करके लाभ कमाए और इस प्रकार अपनी मुद्रा में लगातार वृद्धि करता रहे। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए यही मूल मन्त्र है, किन्तु हर व्यापारी की अपनी सीमा होती है। सबके पास अधिक मुद्रा नहीं होती। छोटे व्यापारियों के पास तो बहुत ही कम मुद्रा होती है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हर व्यापारी अपनी हैसियत के अनुसार ही छोटा या बड़ा व्यापार कर सकता है।

बड़ा या बहुत बड़ा व्यापार करने की क्षमता बहुत ही कम व्यापारियों में होती है। लखपति या करोड़पति व्यापारी भी अधिक से अधिक लाखों का व्यापार कर सकते हैं। किन्तु यदि उन्हें करोड़ों के व्यापार के लिए कहा जाए तो निश्चयतः वे अपनी असमर्थता प्रकट कर देंगे। सत्य ही करोड़ों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो सकता। इसके लिऐ तो वृहद् मुद्रा-कोष की आवश्यकता है और यह मुद्राकोष ही बैंक कहलाता है। सामान्यतः बैंक लिमिटेड कम्पनी के रूप में कार्य चालू करते हैं। बैंक का कार्य चलाने के लिए निदेशक मण्डल होता है और निदेशकों में से एक को चेयरमैन या अध्यक्ष चुना जाता है। बैंक की एक सुरक्षित पूंजी होती है, फिर शेयर बेचकर कुछ और धन एकत्र कर लिया जाता है। इस धन से लेन देन का कार्य चालू किया जाता है। बैंक की प्रत्येक शाखा का कार्यभार प्रबन्धक या मैनेजर पर रहता है। प्रबन्धक की सहायता के लिए कई अन्य छोटे अधिकारी, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी नियुक्त किये जाते हैं।

बैंक को चलाने तथा लाभ कमाने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि लोग अपनी बचत की रकम ब्याज कमाने के लिए बैंक में जमा कराते जायें और दूसरे यह व्यापारी लोग बैंक से ब्याज पर रकम उधार लें। यह स्पष्ट है कि इन दोनों मामलों में बैंक की ब्याज दर एक जैसी नहीं होती। वस्तुतः बैंक जमा हुई रकम पर जो ब्याज देता है, उससे अधिक ब्याज व्यापारियों को ऋण देते समय भी वसूल करता है। यदि बैंक ऐसा न करें तो शीघ्र ही उसका दिवाला निकल जाय, क्योंकि उसकी कमाई का और कोई साधन ही क्या है? यह सच है कि बैंक अपनी सुरक्षित राशि सरकारी सिक्योरिटी आदि में नियोजित करता है और उससे ब्याज भी कमाता है, किन्तु इस ब्याज का प्रतिशत बहुत कम होता है। उसे अधिक ब्याज तो छोटे बड़े व्यापारियों से ही मिल सकता है। कई व्यापारी तो विशिष्ट अवसरों पर मुंह मांगा ब्याज देने को भी तैयार हो जाते हैं। कई व्यापारी ऐसे समय धन बटोरने की ओर ही सचेष्ट रहते हैं। यहाँ पर स्मरणीय है कि प्रायः हर बैंक बड़ी या छोटी रकम उधार देते समय व्यापारी की हैसियत को देखते ही हैं, साथ ही उसे जमानत देने के लिए बाध्य भी करते हैं। जमानत न दे सकने पर बैंक

निकाला जाए, ताकि लोग प्रतिवर्ष की विभीषिका से बच सकें। प्रसन्नता की बात है कि सरकार अकाल से जूझने के लिए प्रयत्नरत है, अब वह दिन दूर नहीं है जबकि मानव खुशहाली और समृद्धि सर्वत्र होगी।

२०. बैंकों का राष्ट्रीयकरण

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—मुद्रा और क्रय-विक्रय, (२) मुद्रा और व्यापारी, (३) मुद्रा-कोष के रूप में बैंकों का महत्त्व, (४) भारत में बैंकों की सामान्य कार्य-प्रणाली, (५) बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता और महत्त्व, (६) बैंकों के राष्ट्रीयकरण का देश में स्वागत, और (७) निष्कर्ष।

प्राचीनकाल में लोग यदि किसी वस्तु को खरीदना चाहते तो उन्हें उस वस्तु के बदले में कोई अन्य वस्तु देनी पड़ती थी, इसे वस्तु-विनिमय (Barter-system) कहते थे। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मुद्रा का प्रचलन नहीं हो गया। वैसे मुद्रा का प्रचलन प्राचीनकाल में ही हो गया था। वैदिक साहित्य तथा बाद के सूत्र-साहित्य एवं स्मृति-साहित्य में पण तथा निष्क आदि का नाम स्पष्टतः प्राप्त होता है। ये सिक्के सोने और चाँदी आदि के बनाये जाते थे। इसके बाद तो मुद्रा के आधार पर ही क्रय-विक्रय होने लगा। अपवाद के रूप में वस्तु-विनिमय का सिद्धांत आज भी कहीं-कहीं देखने को मिल जाता है।

व्यापारी के लिए मुद्रा का महत्व है। वह मुद्रा में वृद्धि करने के लिए उसका वस्तु से विनियोग करता है। फिर जब वस्तु का विक्रय करने से उसे लाभ होता है तो उसकी मुद्रा मूल से अधिक हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यापारी का यही ध्येय रहता है कि वह अपनी मुद्रा का वस्तु में विनियोग करके लाभ कमाए और इस प्रकार अपनी मुद्रा में लगातार वृद्धि करता रहे। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए यही मूल मन्त्र है, किन्तु हर व्यापारी की अपनी सीमा होती है। सबके पास अधिक मुद्रा नहीं होती। छोटे व्यापारियों के पास तो बहुत ही कम मुद्रा होती है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हर व्यापारी अपनी हैसियत के अनुसार ही छोटा या बड़ा व्यापार कर सकता है।

बड़ा या बहुत बड़ी व्यापार करने की क्षमता बहुत ही कम व्यापारियों में होती है। लखपति या करोड़पति व्यापारी भी अधिक से अधिक लाखों का व्यापार कर सकते हैं। किन्तु यदि उन्हें करोड़ों के व्यापार के लिए कहा जाए तो निश्चयतः वे अपनी असमर्थता प्रकट कर देंगे। सत्य ही करोड़ों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो सकता। इसके लिऐ तो वृहद् मुद्रा-कोप की आवश्यकता है और यह मुद्राकोप ही बैंक कहलाता है। सामान्यतः बैंक लिमिटेड कम्पनी के रूप में कार्य चालू करते हैं। बैंक का कार्य चलाने के लिए निदेशक मण्डल होता है और निदेशकों में से एक को चेयरमैन या अध्यक्ष चुना जाता है। बैंक की एक सुरक्षित पूंजी होती है, फिर शेयर बेचकर कुछ और धन एकत्र कर लिया जाता है। इस धन से लेन देन का कार्य चालू किया जाता है। बैंक की प्रत्येक शाखा का कार्यभार प्रबन्धक या मैनेजर पर रहता है। प्रबन्धक की सहायता के लिए कई अन्य छोटे अधिकारी, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी नियुक्त किये जाते हैं।

बैंक को चलाने तथा लाभ कमाने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि लोग अपनी बचत की रकम ब्याज कमाने के लिए बैंक में जमा कराते जायें और दूसरे यह व्यापारी लोग बैंक से ब्याज पर रकम उधार लें। यह स्पष्ट है कि इन दोनों मामलों में बैंक की ब्याज दर एक जैसी नहीं होती। वस्तुतः बैंक जमा हुई रकम पर जो ब्याज देता है, उससे अधिक ब्याज व्यापारियों को ऋण देते समय भी वसूल करता है। यदि बैंक ऐसा न करे तो शीघ्र ही उसका दिवाला निकल जाय, क्योंकि उसकी कमाई का और कोई साधन ही क्या है? यह सच है कि बैंक अपनी सुरक्षित राशि सरकारी सिक्योरिटी आदि में नियोजित करता है और उससे ब्याज भी कमाता है, किन्तु इस ब्याज का प्रतिशत बहुत कम होता है। उसे अधिक ब्याज तो छोटे बड़े व्यापारियों से ही मिल सकता है। कई व्यापारी तो विशिष्ट अवसरों पर मुंह मांगा ब्याज देने को भी तैयार हो जाते हैं। कई व्यापारी ऐसे समय धन बटोरने की ओर ही सचेष्ट रहते है। यहाँ पर स्मरणीय है कि प्रायः हर बैंक बड़ी या छोटी रकम उधार देते समय व्यापारी की हैसियत को देखते ही हैं, साथ ही उसे जमानत देने के लिए बाध्य भी करते हैं। जमानत न दे सकने पर बैंक

द्वारा व्यापारी के माल से भरे गोदाम को गिरवी रख लिया जाता है और व्यापारी को ब्याज पर रकम दे दी जाती है। इससे बैंक का धन प्रायः सुरक्षित रहता है। बैंक ऑडिटरों की रिपोर्ट से ही पता चलता है कि "बैंक ने इस तरह की सुरक्षा बरती या नहीं।"

किन्तु इतनी सुरक्षा तभी तक रह पाती है, जब तक बैंक के प्रबन्धक तथा निदेशक-मण्डल ईमानदारी से काम करें और बैंक सम्बन्धी नियमों का पूरी तरह पालन भी करें। भारत सरकार और रिजर्व बैंक हर बैंक के कार्य-कलाप पर दृष्टि रखता है। इससे प्रायः पता रहता है कि कौन सा बैंक मुनाफा कमा रहा है और कौनसा नहीं। मुनाफे के बारे में भी रिजर्व बैंक यह देखता है कि कहीं यह मुनाफा आशा से कम तो नहीं और यदि कम है तो इसका जिम्मेवार कौन है।

थोड़े दिनों पूर्व तक, अर्थात् बैंक के राष्ट्रीयकरण न होने तक सभी को यह पता था कि बैंकों, विशेषतः कई बड़े-बड़े बैंकों के निदेशक-मण्डल तथा प्रबन्धक ईमानदारी से कार्य नहीं करते थे। कई बार यह स्पष्ट हो गया कि कुछ बैंक काला बाजार करने में बड़े व्यापारियों को सहायता देते हैं और सामान्यतः ये बड़े व्यापारी निदेशक-मण्डल से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध भी होते हैं। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। मान लीजिए 'अ' को एक लाख रुपये की जरूरत है। यदि बाजार से इतनी बड़ी रकम उधार ले तो संभवतः उसे रकम मिले या नहीं भी मिले। मिलने पर भी उसे सम्भवतः १५ या २० प्रतिशत ब्याज देना पड़े और कुछ न कुछ गिरवी भी रखना पड़े। इस स्थिति में वह बैंक से ऋण प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। यदि वह बैंक के निदेशक-मण्डल का सदस्य हो तो अपने प्रभाव के कारण उक्त रकम प्राप्त कर सकने में उसे विशेष कठिनाई नहीं होगी और ब्याज की सम्भवतः ८ या १० प्रतिशत ही तय करवा ले और गिरवी तो शायद कुछ भी न रखना पड़े। इससे घाटा हुआ तो बैंक को। एक तो उसे ब्याज कम मिला और दूसरे बैंक की रकम भी सुरक्षित नहीं रही।

सत्य ही ऐसी तथा अन्य कई स्थितियाँ अनेक बार देखी गई और रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन भी किये, किन्तु

केन्द्रीय सरकार के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि वह बैंकों की इस गलत कार्यवाही को रोक सके। इस बारे में केन्द्रीय मन्त्री मण्डल में कई बार विचार किया गया, किन्तु कोई निर्णय नहीं किया जा सका। इसके पीछे प्रमुख कारण यही था कि कई वरिष्ठ मन्त्री बड़े-बड़े निदेशक-मण्डलों के प्रभाव में थे और ये किसी भी बड़े कदम को उठाने के पक्ष में नहीं थे।

जब ११ जुलाई, १९६९ को बंगलोर में कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड की मिटिंग हुई तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने आर्थिक प्रश्नो के बारे में एक रुक्का प्रस्तुत किया। कुछ सदस्यों ने इसका थोड़ा बहुत विरोध किया, किन्तु अन्त में इस पर सहमति व्यक्त कर दी गई। पर तब तक किसी को भी अनुमान नहीं था कि प्रधान मन्त्री द्वारा मात्र इतने से आधार पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा।

किन्तु श्रीमती गाँधी ने ऐसा कदम उठाया कि लोग स्तब्ध रह गये। उन्होंने पहले १६ जुलाई को श्री मोरारजी देसाई से वित्त विभाग अपने हाथ में ले लिया। इस पर श्री मोरारजी देसाई ने मन्त्री-पद से त्याग-पत्र दे दिया। प्रधान मन्त्री ने १९ जुलाई की सन्ध्या को उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया। श्री देसाई को मन्त्री-पद से मुक्त करते समय उन्होंने खेद तो प्रकट किया, किन्तु साथ ही उन्हें मन्त्री-पद पर बनाये रखने में आवश्यक उत्सुकता भी नहीं दिखाई। स्पष्टतः इससे मन्त्री-मण्डल में एक तूफान आ सकता था। किन्तु इससे पहले कि विरोधियों को सम्हलने का मौका मिले, श्रीमती गाँधी ने १९ जुलाई, १९६९ की रात्रि को राष्ट्रपति द्वारा १४ बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश जारी करवा दिया। इस घोषणा से सम्पूर्ण राष्ट्र आश्चर्यचकित रह गया। श्रीमती गाँधी को साम्यवादी, अवसरवादी तथा सत्ता लोलुप आदि की उपलब्धियां देने लगे।

पर इस घोषणा से प्रसन्न होने वालों की संख्या करोड़ों में थी। सर्वप्रथम तो बैंकों के लाखों कर्मचारियों ने इस घोषणा का सहर्ष स्वागत किया। बैंकों के भागीदार भी जिनकी संख्या लाखों में थी, इससे बहुत प्रसन्न हुए और

उन्होंने श्रीमती गांधी को कृतज्ञता-सूचक बधाई भेजी। वस्तुतः अब उन्हें आशा हो गई कि उनके शेयरों का धन अधिक सुरक्षित तथा अधिक सुनियोजित रह सकेगा। कांग्रेस की कुछ विरोधी पार्टियों ने इस घोषणा को एक लोकतांत्रिक कदम बताया, परन्तु जनसंघ तथा स्वतन्त्र पार्टी ने इसके लिए श्रीमती गांधी की बुराई करना शुरू कर दिया। इसका कारण यही था कि इन दोनों पार्टियों की दृष्टि में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सामान्य जनता के लिए उतना लाभप्रद नहीं था।

श्रीमती गांधी ने इन विरोधी स्वरों की कतई परवाह नहीं की, क्योंकि प्रतिदिन कोई न कोई जन-समूह उनके निवास-स्थान पर उन्हें बधाई देने आ रहा था। जनता की इस आवाज के सामने वे विरोधियों की क्या परवाह करतीं?

इस घोषणा के बाद श्रीमती गांधी ने इस विषय का बिल संसद् में प्रस्तुत कर दिया और शीघ्र ही वह बहुमत से पारित हो गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कानून बन गया। अब आशा की जाती है कि बैंकों के धन का सही उपयोग होगा और जरूरतमन्द को उचित ब्याज पर ऋण मिल सकेगा। बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं के लिए भी बैंकों में जमा धन से लाभ उठाया जा सकेगा।

---

२१. बाढ़ से भगवान बचाये

प्रकृति की लीला अपरम्पार है। इसके रहस्य को कभी कोई नहीं समझ पाया। जब-जब मानव ने प्रकृति से संघर्ष किया, उसको मुँह की खानी पड़ी। प्रकृति एक ओर तो निर्माण करती है और दूसरी ओर संहार। अद्भुत है इसकी लीला।

हमारा गांव बनास से थोड़ी दूर पर बसा हुआ है। नदी के किनारे की भूमि उपजाऊ होती है। इसलिए कई बार हानि होने पर भी हम अपने गांव

को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा पाए। मानव लोभ का संवरण नहीं कर पाता। यही कारण है कि वह कष्ट उठाता है। ऐसी ही स्थिति हमारे गाँव वालों की भी थी। लेकिन मानों वे कष्ट सहन करते-करते आदी हो गये थे। अतः जब कभी नदी का पानी गाँव में आ जाता सोचते अभी सब ठीक-ठाक हो जायेगा। यही सोचकर सब सुख की सांस लेते और दुःख को ऐसे भूल जाते मानो वह आया ही न हो।

उस दिन १८ अगस्त की रात्रि थी। शनिवार था। सारा गाँव थककर प्रकृति की गोद में विश्राम करने की तैयारी कर रहा था। रात के लगभग आठ बजे थे। इतने में जोरदार वर्षा की झड़ी लग गई। बादल इस तरह उमड़-घुमड़ कर आये कि चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। फिर भी लोगों को कोई डर नहीं लग रहा था। सोचते थे कि एकाध घण्टे में सब ठीक-ठाक हो जायगा। किन्तु वर्षा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। संकट अधिकाधिक बढ़ ही रहा था। इधर झोंपड़ियां चू रही थीं तो उधर नदी का पानी बढ़ रहा था। किसे मालूम था कि वह आज अपना प्रलयंकारी रूप दिखाएगी।

लोगों को सन्देह तो हो गया था इसलिए थोड़े सावधान भी थे। लेकिन जल की विनाश लीला के आगे किसका वश चल सकता है? लगभग रात्रि के दस बजे नदी का पानी गांव की ओर बढ़ता प्रतीत हुआ। पानी एकदम बढ़ता चला आ रहा था। सारे गांव में शोरगुल मच गया। कुछ समझदार थे। उन्होंने अपने बच्चों व स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का यत्न किया। किन्तु इस कार्य में कुछ को सफलता मिली और कुछ तो चपेट में आ ही गये। कुछ ऊँचे पेड़ों पर चढ़ गये। कुछ मकानों पर चढ़ गये। इस प्रकार देखते ही देखते सारा गाँव जल मग्न हो गया। जिधर देखो उधर चिल्लाहट, चीत्कार, हाहाकार, घबराहट व कंपकंपी का अद्भुत नाटक हो रहा था। कोई किसी को बचाये तो कैसे? कोई बहा जा रहा था तो कोई मरा जा रहा था। कहीं पेड़ गिर रहे थे तो कहीं मकान गिर रहे थे। मैं भी एक ऊँचे पेड़ पर चढ़ा-चढ़ा कांपता-कांपता प्रकृति की इस विनाश-लीला को देख रहा था। यों तो मैं ईश्वर को कम याद करता हूँ लेकिन उस दिन तो रह-रहकर ईश्वर याद आ रहा था। इस प्रकार तीन चार घण्टे अपनी

तप्त शरीर पर वर्षा की पहली बूँदें पड़ी तो भीतर की गर्मी से छन-छन करके भाप बन गई। धरती पर बूँदों का भी यही हाल था। गर्मी और बूँद एक-दूसरे को चुनौती दे रही थी। बूँदों का जैसे जोर बढ़ा, गर्मी परास्त होती गई। अब पानी तेज हो गया था और धरती में से गरम साँसें उठनी बन्द हो गई थी। घरों की नालियों में जल आने लगा था।

इस समय सब ओर आनन्द-लहरी व्याप्त थी। बच्चे घरों और बाहर मैदान में उछल-उछल कर नहा रहे थे। पशु भी पानी में भीगकर दुरछुरी प्रकट कर रहे थे। अब पानी मूसलाधार बरस रहा था और बच्चे पानी में छप-छप करते हुए इधर से उधर दौड़ने लगे। बड़े-बड़े भी वर्षा में नहा कर अपनी तपन मिटाने लगे। उन्हें विश्वास था कि इससे उनके शरीर की छोटी-छोटी फुन्सियाँ मिट जायेंगी।

किसानों ने हल और बैलों पर नजर डालनी शुरू कर दी। कल से उन्हें खेतों की ओर चल देना है। उन्हें अच्छे बीज और खाद की व्यवस्था भी करनी है। ज्यों-ज्यों पानी बरस रहा था, उन्हें अच्छी फसल का भरोसा बढ़ रहा था।

पर गृहणियों को कुछ परेशानी भी हो गई थी। जलाने की लकड़ियाँ अचानक भीग गई थी और जलने में नहीं आ रही थी। धुएँ से उनकी आँखें लाल हो आई थी। अब सारी बरसात में यही कष्ट भोगना पड़ेगा।

तब तक बच्चे खबर ले आये कि तालाब में केवल दो सीढ़ियाँ पानी में डूबनी शेष हैं। बाकी तालाब तो मिनटों में भर गया था। अनुमान था कि थोड़ी ही देर में यह तालाब भर जायेगा। ७-८ महीनों के लिए पेय-जल की कठिनाइयाँ नहीं होंगी।

घण्टे भर की मूसलाधार वर्षा के बाद रिमझिम-सी होने लगी और फिर बादल छंटने लगे। वर्षा बन्द हो गई थी और शीतल, मन्द और सुगन्धित-सी हवा चलने लगी थी। इस हवा से महीनों की तपन क्षण भर में मिट गई थी। लोग-बाग चौराहों पर खड़े होकर फसल के परिणाम पर विचार करने लगे थे। बच्चे गीली मिट्टी से घरोंदे बना रहे थे और मिटा रहे थे। मिट्टी की खुदाई से लोग यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहे थे कि वर्षा

कितनी हुई होगी । सबका अनुमान था कि कम से कम २५–३० अंगुल अर्थात् २॥–३ इंच वर्षा अवश्य हो गई थी।

थोड़ी देर में टर्र-टर्र आवाज शुरू हो गई । बरसात होते ही मेंढक जीवित हो उठे थे और उन्होंने वर्षा के स्वागत में सह-गान प्रारम्भ कर दिया था । अब ३–४ महीनों तक रात्रि के समय इस संगीत का लाभ चाहे-अनचाहे मिलता ही रहेगा । सत्य ही, वर्षा का स्वागत जितनी प्रसन्नता और आह्लाद से मेंढक करते हैं, उतना और कोई नहीं ।

तालाब की ओर से बच्चे नहाकर आ रहे थे । भीगे कपड़ों की उन्हें परवाह नहीं थी । उनके शरीर पर सफेदी सी पुती थी, क्योंकि तालाब का जल अभी गंदला हो रहा होगा । इस समय वहां साबुन लगाना तो बेकार ही था । उत्साही बच्चे और बड़े तो वहाँ अब भी स्नान करते हुए शोर मचा रहे थे । इस समय किसी को ऐतराज करने की आवश्यकता नहीं थी, कल से तालाब में नहाने की मनाही कर दी जाएगी, क्योंकि इससे पेय जल को स्वच्छ रख पाना कठिन होता है ।

इस प्रकार वर्षा के प्रथम दिन सब ओर उल्लास छाया था । हृदयों में नई आशा का संचार हुआ था । पर एक दो दुर्घटनाएं भी उस दिन हो गई थीं । एक छोटा बच्चा तालाब में डूब गया था । उसे निकाल तो लिया गया था, पर वह अभी होश में नहीं आया था । उधर एक बिजली के खम्भे में करंट आ जाने से एक भैंस उससे चिपक गई थी । उसे खम्भे से छुड़ाना खतरा मोल लेना था । अतः ५–१० मिनट तड़फकर वह भैंस निश्चेष्ट हो गई थी । सत्य ही, भैंस के इस प्राणांत से लोगों को, विशेषतः उसके मालिक को बड़ा दुःख हुआ था, पर किया ही क्या जाय ?

इस प्रकार वर्षा का यह पहला दिन बिलकुल अविस्मरणीय रहा ।

२३ : अविस्मरणीय यात्रा

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—यात्रा और उसका उद्देश्य, स्थान, (२) यात्रा के लिए प्रबन्ध और तैयारी, (३) यात्रा का आरम्भ, (४) यात्रा के

साधन व मार्ग की घटनाएँ, (५) यात्रा के रमणीय दृश्य, (६) निर्दिष्ट स्थान व वहाँ के दृश्य, तथा (७) उपसंहार—जीवन में यात्रा का महत्व।

यों तो मनुष्य घूमने फिरने का शौकीन होता ही है पर हर समय उसे विशेष आनन्द प्राप्त नहीं होता। कभी-कभार ही ऐसे प्रसंग होते हैं जिनसे कि वह यात्रा उसके लिए सदैव स्मरणीय बन जाती है।

यात्रा का अभिप्राय है—एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, परन्तु निरुद्देश्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना यात्रा नहीं है। यात्रा में स्थान परिवर्तन के साथ कोई निश्चित उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। नवीन स्थानों तथा ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन, ज्ञान—वृद्धि के लिए भ्रमण अथवा व्यापार विकास आदि के लिए की गई यात्रा ही वास्तविक यात्रा है। बिना उद्देश्य के कोई यात्रा नहीं होती है।

यात्रा से पूर्व उसके लिए प्रबन्ध व पूर्ण तैयारी करनी पड़ती है। हमारी कक्षा के छात्रों ने भी एक बार उदयपुर की यात्रा का विचार किया। प्रधानाध्यापक महोदय की स्वीकृति ली गई और हम एक अध्यापक महोदय की संरक्षकता में यात्रा की तैयारी करने लगे। सर्वप्रथम रेल का कन्सेशन बनवाया। बिस्तर, खाने का थोड़ा सामान, प्रारम्भिक चिकित्सा की कुछ दवाएँ, मार्ग में पढ़ने को एक दो मनोरंजक व शिक्षाप्रद पुस्तकें आदि लेकर हम यात्रा के लिए तैयार हो गये।

सब विद्यार्थी निश्चित समय पर स्टेशन पहुँच गये। वहाँ बड़ी भीड़ थी। रेल अभी आई नहीं थी। लाल साफा व नीली कमीज पहने कुली भार को लादे हुए इधर-उधर भाग रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति रेल में बैठने को उत्सुक व आतुर था। हम थोड़े इधर-उधर टहल पाये थे कि भीमकाय गाड़ी सीटी लगाती हुई तथा छक-छक करती हुई सामने आ खड़ी हुई। उस समय हम सभी विद्यार्थियों को यह चिन्ता थी कि इतनी भीड़ में गाड़ी में कैसे बैठा जावे ? परन्तु दूरदर्शी व चतुर अध्यापक महोदय ने हमारा रिजर्वेशन करा

लिया था, अतः सारी परेशानी से हम बच गये और हमें बड़ी सुविधा से रेल में स्थान मिल गया। दो-चार अन्य यात्री भी हमारे डिब्बे में आकर बैठ गये। पहले तो हमने उनको डिब्बे में न आने दिया, परन्तु अध्यापक महोदय ने कहा कि यदि यात्रा में तुमने अपना दृष्टिकोण संकुचित रखा और अपने ही स्वार्थ की चिन्ता की तो यात्रा आनन्द रहित हो जावेगी।

जब हम रेल में बैठ कर जयपुर से उदयपुर जा रहे थे तो मार्ग में अजमेर और चित्तौड़ गाड़ी बदलनी पड़ी, क्योंकि मारवाड़ जंक्शन होकर हमारा वापिस आने का विचार था। गाड़ी में हमारे पास जयपुर से दो-चार व्यक्ति बैठे, उनमें से एक ग्रामीण वृद्ध कहने लगा, "बाबूजी मूं तो टिकस ही कोनी लियो।" ग्रामीण की इस बात से हम खिलखिला पड़े। मार्ग में अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता करते करते अजमेर पहुँचे। अजमेर में एक दूसरी रेल में बैठे तो वहाँ एक सामान नीलाम करने वाला व्यक्ति हमारे डिब्बे में आ गया। वह अपनी रोचक भाषा शैली में नीलाम की वस्तुओं को बेचकर हमें ठगने की कोशिश में था। परन्तु हमारे अध्यापक महोदय ने उसे खूब छकाया, जब वह चला गया तब उन्होंने नीलाम से सम्बन्धित दो-चार मनोरंजक कहानियाँ सुनाई। रेल के चित्तौड़ के समीप पहुँचने पर हमारे अध्यापक महोदय ने चित्तौड़गढ़ की कहानियाँ सुनाई। वीरता और बलिदान की कहानियाँ सुनकर, हम चित्तौड़ का किला देखने गए—जयस्तम्भ, मानस्तम्भ, मीराँ का मन्दिर, सरोवर व पद्मिनी के महल वहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। दूसरे दिन रेल में बैठ कर हम उदयपुर की ओर रवाना हुए। मार्ग में पहाड़ों को काटकर बनाई गई सुरंगों में प्रवेश करने से पूर्व रेल ने सीटी लगाई, तो हम सब सचेत हो गये। इतनी लम्बी सुरंगों अर्थात् घोर अंधकार से पूर्ण मार्गों को देखकर हम आश्चर्यचकित रह गये।

उदयपुर की स्थिति सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण है। चारों ओर से ऊँची-ऊँची पर्वतमालाओं से घिरा यह नगर राजस्थान का कश्मीर है। यहाँ के उद्यान, सरोवर, राजमहल, राजमार्ग व यशो-गाथायें किसके मन को आकर्षित नहीं करते। राजमहल के समीप पिछोला नामक विशाल झील की सैर हमने नाव में बैठकर की—उस नाव में इंजन लगा हुआ था, अतः नाव

और जलपोत का हमने एक ही साथ आनन्द लिया। जगमन्दिर, जगनिवास, सहेलियों की बाड़ी की शोभा देखकर हम दंग रह गए। सरोवर में स्थित सुन्दर भव्य भवन कारीगरी व सौन्दर्य में बेजोड़ हैं। उदयपुर तो वास्तव में झीलों व पहाड़ों का ही नगर है। राजमहल के सूरजपोल का दृश्य तो बड़ा भव्य था। उदयपुर की शिक्षण-संस्थाओं को भी देखने का हमें अवसर मिला।

तीन दिन उदयपुर रहकर चौथे दिन हमने वापिस आने का विचार किया। अध्यापक महोदय की सम्मत्ति से अब की बार हमने मोटर से यात्रा की। मार्ग में एकलिंगजी, हल्दीघाटी, चेतक की समाधि, कांकरोली व राजसमन्द को देखने का अवसर मिला। हल्दीघाटी की वीरभूमि को हम सबने प्रणाम किया—चेतक को श्रद्धा से शीश नवाया और एकलिंगजी की पुष्पों से ढकी मूर्ति को साष्टांग दण्डवत्-प्रणाम किया। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की आरती व भक्तजनों की भक्ति-विह्वल हृदयों की उमंग देखकर हमने भक्ति के महत्त्व को भी समझा। कांकरोली के राजसमन्द में हम खूब तैरे, परन्तु मगर आदि भयानक जन्तुओं का भय होने से हम अधिक दूर नहीं गये। कांकरोली के जैन–मन्दिरों की शोभा का वर्णन तो शब्दों के बाहर की वस्तु है। पहाड़ों के शिखरों और सरोवरों के किनारों पर स्थित ये मन्दिर स्थापत्य-कला के तो आदर्श हैं ही, परन्तु इनकी मूर्तियों में जड़े हुए चमचमाते हीरे और पहाड़ों पर ही वर्षा के जल को एकत्रित कर बनाये गए टांके हमारे लिए सर्वथा नये थे। मार्ग में ब्यावर, अजमेर व पुष्कर देखते हुए हम वापिस जयपुर पहुँचे।

इस यात्रा में हमें बहुत आनन्द मिला। ज्ञान-वृद्धि के साथ-साथ प्राचीन राजपूत वीरों के पद-चिह्नों व त्याग द्वारा पवित्र की गई भूमि के दर्शनों से सुप्त-शौर्य जाग्रत हो गया। पद्मिनी व पन्ना धाय के जौहर और बलिदान की कथाओं से वीर माताओं के प्रति श्रद्धा जाग्रत हुई। धार्मिक भक्ति भावना का रहस्य समझ में आया। राजस्थान प्रान्त का ज्ञान हुआ। उदयपुर (मेवाड़) के रीति-रिवाज, वेशभूषा, बोली, रहन-सहन आदि का परिचय हुआ। मेवाड़ी बाँकी पगड़ी और एकलिंगजी का सिंहासन व पद्मिनी के महल, हल्दीघाटी, ख्वाजा साहब की दरगाह व पुष्कर के ब्रह्माजी व रंगनाथ जी के मन्दिर तो स्मृति में स्थायी हो गए, परन्तु कुछ रहस्यपूर्ण बातें अब तक स्पष्ट नहीं हुई हैं, जैसे–बूढ़े पुष्कर

का पानी बादलों की गर्जना से ऊपर उठता है। "ढाई दिन का झोंपड़ा" ढाई दिन में बनाया गया या ख्वाजा साहब ने बड़ी भारी शिला को मन्त्र-बल से ठहरा दिया था। इसलिए अब भी बार-बार उस अविस्मरणीय यात्रा की स्मृति आती है और इच्छा होती है कि इन रहस्यपूर्ण वस्तुओं को समझने के लिए फिर यात्रा की जावे।

२४. जब हमारी टीम हारने लगी

छात्रों के विकास के लिए जितना आवश्यक पढना है, उतना ही आवश्यक खेलना भी। इससे शारीरिक शक्ति की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही मानसिक शक्ति का विकास भी होता है, उनमें दृढता, संगठन की क्षमता और अनुशासन की भावना बढ़ती है। विद्यालयों में इन्ही बातों का ध्यान रखकर खेलों का आयोजन किया जाता है। छात्रों की खेलों में उत्तरोत्तर अभिरुचि उत्पन्न की जाती है। फुटबाल, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबाल आदि खेलों में विद्यार्थी अपनी-अपनी अभिरुचि के अनुसार भाग लेते हैं।

मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था, वहां पर खेल-कूद की पूर्ण व्यवस्था थी। हमारे प्रधानाध्यापक जी खेल-प्रिय थे। उनकी ही सद्-प्रेरणा से हमारे विद्यालय की फुटबाल टीम मण्डल-स्तर की फुटबाल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ रह चुकी थी। प्रधानाध्यापक महोदय के अलावा हमारे खेल-कूद प्रशिक्षक भी बहुत परिश्रमी तथा लगनशील व्यक्ति थे। एक दिन दिसम्बर के महीने के प्रथम सप्ताह हमें सूचना दी गई कि हमारे विद्यालय की फुटबाल टीम अखिल राजस्थान विद्यालयीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होगी। यह प्रतियोगिता उदयपुर में हो रही है। वहां जाने की बात सुनकर हमारे सहपाठियों के हर्ष की सीमा न रही। मेरे लिए तो यह हर्ष का विषय था

ही, क्योंकि मैं अपने विद्यालय की-टीम का कैप्टिन था। वहाँ जाने से पूर्व हमने अपनी तैयारी पूर्ण कर डाली। निश्चित दिन हम उदयपुर के लिए रवाना हुए। हमारे साथ हमारे खेल-कूद प्रशिक्षक भी भेजे गए थे। प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व हम उदयपुर पहुँच गए। पहले दिन हमारा मैच कोटा की टीम से था। हमने आसानी से उन्हें तीन गोलों से हरा दिया। अब हमारी टीम सेमी फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। एक दिन के विश्राम के बाद जोधपुर की टीम के साथ हमारा मैच था।....

विश्राम का दिन बिता और दूसरे दिन हमारी टीम और जोधपुर की टीम का मैच प्रारम्भ हुआ। मैदान में उतरने से पूर्व हमारे प्रशिक्षक महोदय ने कैप्टिन होने के नाते मुझे समझाकर कह दिया था कि खेल को खेल की भावना से खेलना तथा विजयश्री अवश्य प्राप्त करना। मैदान में उतरकर मैंने व्यूह बनाकर अपने साथी खिलाड़ी खड़े किये और मैच प्रारम्भ हुआ। कुछ ही समय पश्चात् खेल जोरों से खेला जाने लगा। पक्ष तथा विपक्ष के खिलाड़ी तेजी से धावे बोलने लगे। प्रतिक्षण संघर्षमय वातावरण उपस्थित हो रहा था। एक बार तो मेरे द्वारा फेंकी गई गेंद विपक्षियों के गोल में घुसते-घुसते बच गई। विपक्षी खिलाड़ी भी इस समय हतोत्साह हो गए थे, यदि उनका गोलरक्षक सावधानी न बरतता। इस प्रकार के संघर्षमय वातावरण में मध्यान्तर तक किसी पर भी गोल नहीं हुआ।

मध्यान्तर के बाद विपक्षी टीम ने हमारी टीम को दबाना प्रारम्भ कर दिया और अवसर पाकर उसका सेण्टर फारवर्ड गेंद लेकर हमारी गोल चौकी में घुसा। उस आक्रमण को तो हमारा गोल रक्षक रोकने में समर्थ हो गया, परन्तु कुछ ही क्षणों पश्चात् विपक्षी टीम के कैप्टिन के लम्बे शाट को वह रोक नहीं सका। बस, फिर क्या था? रेफरी ने सीटी बजाई। दर्शकों ने चारों ओर से आवाज कसी और तालियों की गड़गड़ाहट की। कहने का मतलब यह है कि हमारी टीम पर एक गोल हो गया। अब हमारे साथी कुछ उदास हो गये। मैंने उनको धीरज बँधाया तथा आक्रमणकारी खेल खे[illegible] लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। इस प[illegible] के लि[illegible] शक्ति लगाकर खेलने लगे। थोड़ी देर बाद [illegible]

कभी उस ओर चली जाती। इतने में हमारे सेन्टर फारवर्ड खिलाड़ी ने गेंद पर एक ऐसा करारा शाट मारा कि वह विपक्षी टीम की गोल चौकी के सामने जा गिरी और जैसे ही वह उछली कि तब तक मैंने जाकर हैड करके गेंद को उनके गोल में डाल दिया। चारों ओर से तालियाँ बजने लगी। हमारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। विपक्षी टीम अब कुछ सुस्त हो गई। उनके गोल को हम उतार चुके थे।

अब दोनों पक्षों में बराबर जोश बढने लगा। विपक्षी टीम के खिलाड़ी कुछ गलत खेल खेलने लग गए। वे हमारे खिलाड़ियों को टाँगे मारने लगे, जिससे रेफरी महोदय बार-बार सीटी बजाकर उन्हें दण्ड देते थे। परन्तु इसी बीच हमारी टीम के सेन्टर फारवर्ड की टाँग पर चोट लग गई, चोट कुछ गम्भीर थी, इसलिए उसे मैदान से हटना पड़ा। अब मुझे अपनी टीम के हारने के लक्षण दिखाई देने लगे। विपक्षी टीम हमारी गोल चौकी पर आक्रमण कर रही थी, उनके इस तेज खेल को देखकर हमारे खिलाड़ी घबराने लग गए। यह देखकर मुझे बहुत आघात लगा। परन्तु मैंने फिर भी अपना साहस नहीं खोया। कुछ समय के लिए तो मैं अकेला ही उन सबसे जूझने लगा। मेरी आक्रमण की तेज गति देखकर मेरे अन्य साथी भी आक्रमण पर उतर पड़े। कुछ समय संघर्ष के पश्चात् हमें इसका सुफल मिल गया, जबकि अपने एक सहयोगी द्वारा मेरे पास फेंकी गई गेंद पर मैंने करारा शाट दे मारा और गेंद विपक्षियों के गोल में जा घुसी।

बस अब क्या था! हमारी टीम अब एक गोल से आगे थी। फिर भी मैंने सावधानी से खेलना जारी रखा और आक्रमण के साथ-साथ क्षेत्र रक्षण को संतुलित बनाये रखा। समय समाप्त होने वाला ही था, मैंने अपने साथियों को फिर सचेत कर दिया था। इस कारण हम अन्त समय तक पूरे उत्साह के साथ खेलते रहे। विपक्षी टीम इस बीच हम पर कोई भी गोल नहीं कर सकी। उनका मनोबल टूट गया था, वे कुछ न कर पा रहे थे। रेफरी महोदय ने लम्बी सीटी बजाई और खेल समाप्त हुआ। हम एक गोल से विजयी रहे।

आज जब कभी भी मुझे उस मैच की याद आ जाती है तो मन तरोताजा हो जाता है। उस दिन यदि मैंने सावधानी न बरती होती और

ही, क्योंकि मैं अपने विद्यालय की टीम का कैप्टिन था। वहाँ जाने से पूर्व हमने अपनी तैयारी पूर्ण कर डाली। निश्चित दिन हम उदयपुर के लिए रवाना हुए। हमारे साथ हमारे खेल-कूद प्रशिक्षक भी भेजे गए थे। प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व हम उदयपुर पहुँच गए। पहले दिन हमारा मैच कोटा की टीम से था। हमने आसानी से उन्हें तीन गोलों से हरा दिया। अब हमारी टीम सेमी फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। एक दिन के विश्राम के बाद जोधपुर की टीम के साथ हमारा मैच था। ...

विश्राम का दिन बिता और दूसरे दिन हमारी टीम और जोधपुर की टीम का मैच प्रारम्भ हुआ। मैदान में उतरने से पूर्व हमारे प्रशिक्षक महोदय ने कैप्टिन होने के नाते मुझे समझाकर कह दिया था कि खेल को खेल की भावना से खेलना तथा विजयश्री अवश्य प्राप्त करना। मैदान में उतरकर मैंने व्यूह बनाकर अपने साथी खिलाड़ी खड़े किये और मैच प्रारम्भ हुआ। कुछ ही समय पश्चात् खेल जोरों से खेला जाने लगा। पक्ष तथा विपक्ष के खिलाड़ी तेजी से धावे बोलने लगे। प्रतिक्षण संघर्षमय वातावरण उपस्थित हो रहा था। एक बार तो मेरे द्वारा फेंकी गई गेंद विपक्षियों के गोल में घुसते-घुसते बच गई। विपक्षी खिलाड़ी भी इस समय हतोत्साह हो गए थे, यदि उनका गोलरक्षक सावधानी न वरतता। इस प्रकार के संघर्षमय वातावरण में मध्यान्तर तक किसी पर भी गोल नहीं हुआ।

मध्यान्तर के बाद विपक्षी टीम ने हमारी टीम को दबाना प्रारम्भ कर दिया और अवसर पाकर उसका सेण्टर फारवर्ड गेंद लेकर हमारी गोल चौकी में घुसा। उस आक्रमण को तो हमारा गोल रक्षक रोकने में समर्थ हो गया, परन्तु कुछ ही क्षणों पश्चात् विपक्षी टीम के कैप्टिन के लम्बे शाट को वह रोक नहीं सका। बस, फिर क्या था? रेफरी ने सीटी बजाई। दर्शकों ने चारों ओर से आवाज कसी और तालियों की गड़गड़ाहट की। कहने का मतलब यह है कि हमारी टीम पर एक गोल हो गया। अब हमारे साथी कुछ उदास हो गये। मैंने उनको धीरज बँधाया तथा आक्रमणकारी खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। इस पर हमारी टीम के खिलाड़ी पूरी शक्ति लगाकर खेलने लगे। थोड़ी देर बाद गेंद कभी इस ओर आ जाती और

कभी उस ओर चली जाती। इतने में हमारे सेन्टर फारवर्ड खिलाड़ी ने गेंद पर एक ऐसा करारा शाट मारा कि वह विपक्षी टीम की गोल चौकी के सामने जा गिरी और जैसे ही वह उछली कि तब तक मैंने जाकर हैड करके गेंद को उनके गोल में डाल दिया। चारों ओर से तालियाँ बजने लगीं। हमारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। विपक्षी टीम अब कुछ सुस्त हो गई। उनके गोल को हम उतार चुके थे।

अब दोनों पक्षों में बराबर जोश बढने लगा। विपक्षी टीम के खिलाड़ी कुछ गलत खेल खेलने लग गए। वे हमारे खिलाड़ियों को टाँगे मारने लगे, जिससे रेफरी महोदय बार-बार सीटी बजाकर उन्हें दण्ड देते थे। परन्तु इसी बीच हमारी टीम के सेन्टर फारवर्ड की टाँग पर चोट लग गई, चोट कुछ गम्भीर थी, इसलिए उसे मैदान से हटना पड़ा। अब मुझे अपनी टीम के हारने के लक्षण दिखाई देने लगे। विपक्षी टीम हमारी गोल चौकी पर आक्रमण कर रही थी, उनके इस तेज खेल को देखकर हमारे खिलाड़ी घबराने लग गए। यह देखकर मुझे बहुत आघात लगा। परन्तु मैंने फिर भी अपना साहस नहीं खोया। कुछ समय के लिए तो मैं अकेला ही उन सबसे जूझने लगा। मेरी आक्रमण की तेज गति देखकर मेरे अन्य साथी भी आक्रमण पर उतर पड़े। कुछ समय संघर्ष के पश्चात् हमें इसका सुफल मिल गया, जबकि अपने एक सहयोगी द्वारा मेरे पास फेंकी गई गेंद पर मैंने करारा शाट दे मारा और गेंद विपक्षियों के गोल में जा घुसी।

बस अब क्या था! हमारी टीम अब एक गोल से आगे थी। फिर भी मैंने सावधानी से खेलना जारी रखा और आक्रमण के साथ-साथ क्षेत्र रक्षण को संतुलित बनाये रखा। समय समाप्त होने वाला ही था, मैंने अपने साथियों को फिर सचेत कर दिया था। इस कारण हम अन्त समय तक पूरे उत्साह के साथ खेलते रहे। विपक्षी टीम इस बीच हम पर कोई भी गोल नहीं कर सकी। उनका मनोबल टूट गया था, वे कुछ न कर पा रहे थे। रेफरी महोदय ने लम्बी सीटी बजाई और खेल समाप्त हुआ। हम एक गोल से विजयी रहे।

आज जब कभी भी मुझे उस मैच की याद आ जाती है तो मन तरोताजा हो जाता है। उस दिन यदि मैंने सावधानी न बरती होती और

अपने उत्साह को खो बैठता, तो निश्चय ही हमें पराजय का सामना करना पडता। मेरे उत्साह का हमारी टीम के खिलाड़ियों ने पूरा अनुकरण किया और 'संगठन मे ही शक्ति है' का अच्छा परिचय देकर टीम को हारने से बचाया।

---

२५. ग्रामीण उद्योग-धन्धे

रूपरेखा —(१) प्रस्तावना–ग्रामों का महत्त्व, (२) ग्रामों का पिछड़ापन और दयनीय स्थिति, (३) ग्रामों के विकास की योजनायें, (४) ग्रामीण उद्योग-धन्धों का विकास, (५) ग्रामीण उद्योग-धन्धों के विकास से ग्रामों में समृद्धि, और (६) उपसंहार।

ग्राम्य-जीवन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए किसी विद्वान् ने ठीक ही कहा है–"यदि शिक्षा का अभाव न होता तो हमारे ग्राम स्वर्ग बन जाते।" नगर की अपेक्षा ग्रामों को स्वच्छ वायु, शुद्ध घी, दूध और प्रचुर अन्न की उपलब्धि एव परिश्रमशील प्रकृत-जीवन आदि उत्तम स्वास्थ्य के लिए वांछनीय सभी साधन वहाँ सुलभ हैं। किन्तु शिक्षा के अभाव में बेचारे ग्रामवासी उन सुख के साधनों का पूर्ण लाभ उठाने से वंचित रह जाते है। शारीरिक विज्ञान और स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों से अनभिज्ञ रहने के कारण, वे नगरों से भी अधिक रोगों और अकाल मृत्यु के शिकार बने हुए हैं और विद्या के अभाव से रूढ़ियों में फँसकर सामाजिक हानि उठा रहे हैं। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् राष्ट्र-पिता महात्मा गाँधी से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर हमारी सरकार का ध्यान ग्रामों की इस दशा की ओर गया है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता गाँवों में बसी हुई है। इन ग्रामों के विकास पर ही सारे देश की उन्नति निर्भर है। ग्रामों के उत्थान की योजना में शिक्षा के साथ-साथ आर्थिक उन्नति के लिए ग्रामीण

उद्योगों का विकास आवश्यक था। ग्रामीणों की दशा मे परिवर्तन लाने के लिए महात्मा गाँधी ने उन्हें स्वावलम्बी बनाने की शिक्षा पर बल दिया और आधुनिक यन्त्रों द्वारा खेती करना, पशु-पालन तथा कुटीर उद्योग-धन्धों के विकास से सम्बन्धित नई-नई योजनाएँ बनाकर ग्रामीण जनता के हृदय में एक नवीन चेतना तथा स्वावलम्बन को उत्पन्न किया, जिससे ग्रामीणों के जीवन में आत्म-विश्वास और आत्मनिर्भरता जैसी उपयुक्त भावनाओं का उदय होने लगा।

सन् १९४८ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रामीणों को स्वावलम्बी बनाने की शिक्षा देने के लिए विकास योजना का श्रीगणेश किया, जिसमें आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए रचनात्मक कार्यों में ग्रामीणों की रुचि उत्पन्न करके आधुनिक यन्त्रों के द्वारा कृषि करने तथा पशु-पालन आदि में लगाकर सामाजिक वैषम्य को समाप्त करने के प्रयत्न किये गये। भारत सरकार की प्राविधिक (तकनीकी) सहायता के लिए अमेरिकी सरकार से करोड़ों डॉलर की राशि प्राप्त हुई, जिससे ५५ सामुदायिक योजनायें पूर्ण हो सकीं। इन योजनाओं की सहायता से अन्न की समस्या दूर होने में अत्यधिक योग मिला।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से कृषि को प्रधानता दी गई। इसके फलस्वरूप बहुत सी अनुर्वर भूमि को उर्वर बनाया गया और अनेक प्रकार की रासायनिक खाद तैयार की गई। खेती की उपज बढ़ाने के लिये अनेक आविष्कार किए गए, जिन्हें किसानों ने प्रसन्नता से स्वीकार भी किया।

राष्ट्रीय सरकार ने कृषकों को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधायें भी प्रदान कीं। गाँवों-गाँवों मे ट्यूब-वेल लगवा दिये गये और कुँओं, तालाबों तथा नहरों के अतिरिक्त झीलों और नदियों का पानी भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। खेती में पशुओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये पशु चिकित्सालय भी खोले गये।

खेती और पशु-पालन के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योग-धन्धों में धुलाई, रंगाई, कलाई, बुनाई तथा साधारण कच्चे माल से नित्य उपभोग की वस्तुयें, टोकरी, चटाइयाँ, बांस की झाड़, चिकें और साबुन आदि तैयार करना मुख्य हैं।

ग्राम-विकास योजनाओं के अन्तर्गत कार्य करने वाली स्वयं सेविकायें ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोगी-चर्या एवं बच्चों का पालन-पोषण आदि कार्यों में दक्ष बनाने के अतिरिक्त उन्हें विभिन्न प्रकार के उद्योग धन्धे भी सिखाती हैं।

कृषि-कार्य में दक्षता प्राप्त करके गाँवों में "अधिक अन्न उपजाओ" योजना को सफल बनाने के साथ-साथ जनता के लिये पुष्टिदायक अन्न, फल, साग-सब्जी आदि भी प्राप्त हो सकते हैं। अच्छे बीज, खाद और औजारों के उपयोग से कृषि-अभ्यास करना, रसोई-उद्यान में व्यर्थ रहने वाले पानी का उपयोग करके सब्जी तैयार करना और ऋतु-अनुसार पुष्प-पौधे लगाकर कलात्मक रुचि को बढ़ाना आदि बातें जीवन निर्वाह का आवश्यक अंग हैं, जिनके बिना हमारा जीवन परावलम्बी बनकर शुद्ध भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार शुद्ध दूध, दही और घी की पूर्ति निमित्त गो-पालन के उत्तम ढंगों को जानना और गो-पालन में रुचि होना आवश्यक है। इस प्रकार के सभी प्रशिक्षण ग्राम-विकास योजनाओं के अंग हैं।

समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारने में ग्राम-उद्योगों का विशेष महत्त्व है। भारत के ग्रामों में शिक्षा का प्रचार होने के पश्चात् शिक्षित समाज की रुचि उद्योगों से हटकर नगरों में नौकरी करने की ओर अधिक होने लगी है। इससे कृषि, पशु-पालन तथा अनेक प्रकार के ग्रामोद्योगों को आघात पहुँचा है। इसलिए हमारे देश में अन्न, वस्त्र और जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। हाथ के श्रम से बचने की मनोवृत्ति ने ग्रामोद्योगों को समाप्त प्राय: कर दिया है। अत: देशवासियों का कर्त्तव्य है कि नगर में रहने वाले ग्रामीणों को भी हस्तकला उद्योग अपनाकर पशु-पालन तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देते हुए अपने ग्रामवासियों को पुन: अपने प्रकृत-धन्धों से संलग्न होने के लिए प्रेरित करें।

वस्तुत: ग्रामीण जीवन में जहाँ असुविधायें हैं, वहाँ कई प्रकार के लाभ भी हैं। उनसे लाभान्वित होकर कार्यकर्त्ता भी उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। स्नेहपूर्ण हृदय से ग्रामीण जनता के कल्याण में योग देने पर गाँव के लोगों का शुद्ध निश्छल प्रेम भी मिल सकेगा। ग्रामीणों के इस आत्मीयतापूर्ण

प्रेम-भाव को प्राप्त करके जिस आत्मतुष्टि और आनन्द का अनुभव होगा, उसके समक्ष नगरों में सुलभ भौतिक आडम्बरों से युक्त सुविधाओं का कोई मूल्य नहीं होगा।

अतः आवश्यकता है तो यही कि गाँवों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये। ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है। इससे न केवल ग्रामीण जनता को लाभ पहुँचेगा, बल्कि नगर भी लाभान्वित होंगे।

---

२६. पंचायती-राज अथवा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—पंचायती-राज की व्याख्या और आवश्यकता, (२) प्राचीन भारत में पंचायती-राज्य का अस्तित्व, (३) राज्य में पंचायती-राज का प्रारम्भ, (४) पंचायती-राज द्वारा लोकतन्त्रीय शासन की ट्रेनिंग, (५) पंचायती-राज की असफलता के सम्भावित कारण, तथा (६) निष्कर्ष।

शासन की व्यवस्था राज्य के आकार पर निर्भर करती है। यदि राज्य बड़ा होगा तो शासन-सत्ता का केन्द्रीकरण हो जाएगा। भारत में सत्ता का केन्द्रीकरण इसलिए है कि यह देश बहुत विशाल है और यहाँ राज्यों की संख्या भी बहुत बड़ी है। सत्ता के यों केन्द्रीभूत हो जाने के कारण गाँवों की उपेक्षा होने लगती है। न तो इनका विकास हो पाता है और न ही शासन में इनका कोई प्रत्यक्ष योगदान हो पाता है। भारत जैसे देश में, जहाँ आज भी अधिकांश जनता गाँवों में ही रहती है। यह स्थिति शुभ नहीं है। इस कटु सत्य को गाँधीजी ने पहचाना था और उन्होंने गाँवों को आत्म-निर्भर बनाने और आंशिक सत्ता सौंपने अर्थात् सत्ता के विकेन्द्रीकरण का परामर्श दिया था। पंचायती-राज या लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की चर्चा तभी से चली है।

इसमें एक या एकाधिक गाँवों के लिये एक पंचायत बनाई जाती है जिसके लिए पंचों का चुनाव स्वयं गाँव वाले करते हैं। हाँ ! चुनाव की निष्पक्षता तथा वैधानिकता के लिए सरकार की ओर से चुनाव अधिकारी अवश्य भेज दिया जाता है। पंच चुने जाने पर उन्ही मे से सरपंच का चुनाव किया जाता है। चुनाव पूरा होने के बाद तथा सरकार की स्वीकृति मिलने पर यह पचायत सम्बन्धित गाँव या गाँवों के विभिन्न विकास कार्यों आदि का दायित्व सम्हाल लेती है। चुने हुए सरपंच ही तहसील पंचायत का चुनाव करते हैं।

प्राचीन भारत मे तो गाँवों का बहुत महत्त्व था। ग्राम ही शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का मुखिया जो सम्भवत: एक परिवार या कई परिवारो का मुखिया भी होता था, ग्रामणी कहलाता था। ग्रामों के ऊपर जन तथा जन के ऊपर राज्य होता था। इस व्यवस्था से स्पष्ट अनुमान लगता है कि ग्राम की शासन-व्यवस्था प्राय: ग्रामणी के हाथ में होती थी। उस समय के ग्रामणी तथा आज के सरपंच में पर्याप्त समानता है। यह दूसरी बात है कि उस समय का ग्रामणी सभा और समिति का भी सदस्य होता था। स्मरणीय है कि तत्कालीन समिति आज के मन्त्रि-मण्डल के समान होती थी।

भारत मे पचायती-राज का श्रीगणेश राजस्थान ने ही किया है। २ अक्तूबर, सन् १९५९ को पं० जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन किया था। उस समय उन्होंने कहा था—

"जब तक ग्रामीण जनता अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक बड़ी से बड़ी योजनायें सरकारी दफ्तरों की चाहरदीवारी मे ही पड़ी रहेंगी। भारतीय योजनाओं की सफलता के लिए ग्रामों की प्रशासन इकाइयाँ (पंचायत) काफी हद तक सहायक हो सकती हैं।"

इससे स्पष्ट है कि गाँवों पर योजनाओं की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व रहता है। पंचायत-योजना के अन्तर्गत जितनी सामुदायिक योजना तैयार की जाती है, उनमे से अधिकांश का सम्बन्ध गाँवों से होता है। ये योजनायें पचायतों, विशेषत: तहसील पंचायतों एवं ग्राम-पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। जिला परिषद, जिनका चुनाव तहसील पंचायत

के सदस्य द्वारा किया जाता है तथा सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों द्वारा इन्हें निर्देशन दिया जाता है।

ग्राम-विकास के जो कार्य ग्राम-पचायत करती है उनमे शिक्षा सर्व-प्रथम है। जब तक गाँवों के अधिकांश लोग शिक्षित नही हो जाते, तब तक न तो ग्राम-पंचायत को सफलता मिलेगी और न ही भारतीय लोकतन्त्र उद्देश्य की पूर्ति कर पायेगा। वस्तुनः स्वतन्त्रता प्राप्ति के ३० वर्षों के बाद भी अधिकांश ग्रामीण जनता अशिक्षित है अतः उन्हें शिक्षित करना ग्राम विकास की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योजना होनी चाहिए। यह सत्य है कि अधिकांश देहातों में प्राथमिक विद्यालय मौजूद है, किन्तु इनमें पढ़ने वाले छात्रों की सख्या कम होती है। इसका कारण यही है कि बच्चो के माता-पिता को शिक्षा का महत्त्व ज्ञात नहीं होता। वे बच्चों को घर पर रखना या खेतो पर भेजना अधिक अच्छा समझते है। माँ-बापो को यह आशंका भी रहती है कि पढ़-लिखकर बच्चे बिगड़ जायेंगे। उनकी आशका सर्वथा निर्मूल भी नहीं है। आजकल के नौजवान पढ़-लिखकर सत्य ही पैतृक धधों से घृणा करने लगते हैं और गाँवों में तो उन्हें रहना ही पसन्द नहीं होता। इस स्थिति मे ग्राम-पंचायतों का कर्त्तव्य है कि बच्चों के माँ-बापो को शिक्षा का महत्त्व एवं उद्देश्य समझायें और विद्यालय के शिक्षकों पर यह दायित्व है कि वे बच्चों को शिक्षा देते समय यह भी समझाते रहे कि पैतृक धधा कभी बुरा नही होता और यह भी बतायें कि गाँवों से शहरो की ओर भागने की प्रवृत्ति बहुत ही गलत है। अब तो राजस्थान सरकार ने ग्राम विद्यालय का शासन ही ग्राम-पंचायतों को सौंप रखा है अतः पंचायतों को इस दायित्व का निर्वाह और भी अधिक निष्ठा से करना चाहिये।

गाँवों के लिए आर्थिक विकास का प्रश्न भी शिक्षा की तरह महत्त्वपूर्ण है। जब तक गाँव आत्म-निर्भर नही होंगे, तब तक उनका विकास नहीं हो पाएगा। गाँवों को अन्न तो स्वयं ही उत्पन्न करना चाहिये। इसके लिए ग्राम-पंचायत को चाहिए कि कृषकों को अच्छे बीज, खाद, कृषि-सम्बन्धी नवीनतम जानकारी तथा उपकरण उपलब्ध कराती रहे। वस्त्र-सम्बन्धी आवश्यकता के लिए रूई का उत्पादन भी गाँव वालों को करना चाहिए। रूई

की पिनाई, कताई और बुनाई का धन्धा तो गाँव वाले ही करते आये हैं। आवश्यकता है तो यही कि इस बारे में उन्हें पुनः सचेष्ट किया जाय।

राजस्थान के पीने के पानी की समस्या बड़ी जटिल है। अनेक गाँवों में मीठा पानी होता ही नहीं। मीठे पानी के लिए कई गाँव वालों को प्रतिदिन मीलों की यात्रा करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अत्यधिक सहायता आवश्यक है। सरकार कई जगह ट्यूब-वेल खुदवा रही है। किन्तु इस समस्या का पूर्ण समाधान तो तभी हो पायगा, जबकि राजस्थान नहर योजना पूरी हो जाएगी। इसके द्वारा ही जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर जैसे मरुस्थलों के निवासियों की पेय जल समस्या सुलझ सकेगी। किन्तु जिन गाँवों में मीठा पानी है, वहाँ जल प्रदाय योजना का कार्य ग्राम-पंचायत द्वारा हाथ में लिया जा सकता है और सरकारी सहायता से इसे पूरा करना भी सम्भव है। जहाँ तालाब या जोहड़ बने हुए हैं, इन्हें बरसात से पूर्व खुदाई व सफाई करवा कर अधिक तथा स्वच्छ पानी एकत्र किया जा सकता है। जहाँ पर्याप्त कुँए हों, वहाँ खेतों की सिंचाई के लिये लघु-योजना बनाई जानी चाहिए।

स्वास्थ्य-सेवाओं का पूर्ण दायित्व ग्राम-पंचायत पर ही होता है। पंचायत को चाहिये कि लोगों को अपने घरों तथा गलियों की सफाई के बारे में समय-समय पर प्रशिक्षण देती रहे। पंचायत के डाक्टर अथवा वैद्य रोगों की चिकित्सा के साथ-साथ रोगों से बचने के उपाय भी बताते रहें तो अच्छा हो।

ग्राम-वासियों के लिए मनोरंजन बहुत आवश्यक है। नगरों की तरह अनेक विध मनोरंजन तो वहाँ उपलब्ध हो नहीं सकते। अतः ग्राम-पंचायत से आशा की जाती है कि रेडियो के द्वारा उन्हें दैनिक समाचार सुनाएँ तथा हल्के फुल्के या फिल्मी गाने भी सुनाएँ। देहातों के लिए जो विशेष कार्यक्रम रेडियो द्वारा प्रसारित किये जाते हैं, उन्हें भी गाँव वाले सुन सकते हैं। गाँवों में कुश्ती और कबड्डी का अधिक प्रचार किया जाना आवश्यक है। चौपाल

में बैठकर उन्हें गीति-कथायें अथवा हास्य चुटकले सुनाकर भी ग्रामवासियों का मनोरंजन किया जा सकता है।

इस प्रकार ग्राम-पंचायतों पर अनेक दायित्व हैं और धीरे-धीरे ये पंचायतें अपना दायित्व समझने भी लगी है। किन्तु इनके कार्य की प्रगति आशा के अनुकूल नहीं हो पा रही है। इसका कारण यही है कि गाँवों की जनता प्रायः अशिक्षित होने के कारण योग्य पंच-सरपंच का चुनाव नही कर पाती और गलत व्यक्तियों के हाथ में पंचायत का शासन चला जाता है तो प्रगति होने का प्रश्न ही नही उठता। यही कारण है कि अनेक पचायतों में पक्षपात, पारस्परिक विद्वेष तथा निषेधाकार प्रवृत्तियों का जोर रहता है। कई गाँवों में विद्यालयों के अध्यापक कुचक्रों के संचालक होते हैं।

उस स्थिति में आवश्यक यही है कि ग्राम-वासी पंचायत के माध्यम से अपने उत्तरदायित्व को निभायें।

---

२७. आर्यभट्ट

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना, (२) भारत मे अन्तरिक्ष अनुसधान तथा विकास, (३) आर्यभट्ट का नामकरण, निर्माण, प्रक्षेपण, उद्देश्य आदि, (४) लाभ तथा (५) उपसंहार।

आज के वैज्ञानिक युग मे मानव ऐसे साधनों से सम्पन्न होता जा रहा है, जिनके बल पर वह नित्य नये आविष्कारों से युक्त होकर चमत्कारिक प्रगति कर रहा है। आज विश्व के सम्पन्न राष्ट्रों की गिनती उनकी वैज्ञानिक

सम्बन्धी भविष्यवाणी करने में सहायता पहुँचाते हैं। दूर-संचार तथा दूर-दर्शन के क्षेत्र में इन कृत्रिम उपग्रहों का अत्यधिक महत्त्व है और इनके बल पर आज विश्व में टेलीफोन, रेडियोग्राफी तथा टेलीविजन सेवा का विस्तार हो रहा है। कुछ उपग्रह खोजी होते है और ये अपने नियामक केन्द्र को धरती पर घटने वाली युद्ध आदि की गुप्त सूचना भेजते हैं। इस समय रूस और अमेरिका द्वारा प्रक्षिप्त ऐसे कृत्रिम उपग्रह अन्तरिक्ष में मौजूद हैं। उक्त विभिन्न उद्देश्यों की सम्पूर्ति के लिए विकसित देश उपग्रह-तकनीक में नवीन प्रयोग करते जा रहे हैं। इस दृष्टि से आर्यभट्ट उपग्रह के अन्तरिक्ष में प्रक्षेपण के मुख्य उद्देश्य है—(१) हल्की शक्ति की एक्सरे का अध्ययन करना, (२) न्यूट्रॉन्स तथा गामा किरणों की जाँच करना तथा (३) इलेक्ट्रॉन्स और अल्ट्रा-वायलेट किरणों का पता लगाना एवं उनका अध्ययन करना।

आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण से भारतीय वैज्ञानिकों को अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत लाभ हुए हैं। अब वे योग्य उपग्रह बनाने की संरचनात्मक विधि, उसके नियन्त्रण, संचालन व प्रक्षेपण की प्रक्रिया विकसित कर सके हैं; उपग्रह से सूचनाएँ प्राप्त करने तथा उन्हें समझने की तकनीक का विकास हुआ है तथा उपग्रह द्वारा शिक्षात्मक कार्यक्रमों के प्रसारण तथा दूर-संचार को अधिक प्रभावी बनाने का ज्ञान प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र मे भारत का यह पहला प्रयास है। आशा है कि इससे निकट भविष्य में भारत ग्रामीण विकास के लिए अधिकतर दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना कर सकेगा। ग्रामीण विकास के लिए अधिकतर दूरसंचार व्यवस्था के लिए अमेरिका ने इण्टल सैट कार्यक्रम का श्रीगणेश सन् १९७२ में किया था। ३० मई, १९७४ को उसने एक शक्तिशाली उपग्रह छोड़ा। उसके माध्यम से विश्व के ८० राष्ट्र दूर संचार प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं। भारत मे सन् १९७५ से इसके द्वारा दूरदर्शन पर शिक्षात्मक कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है और २५०० गाँवों में टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध की गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश के कई [illegible] पर टेलीविजन सैट लगाये गये हैं। मा[illegible] देहरादून के [illegible] पहाड़ी पर शक्तिशाली दूर प्रसारण के[illegible] गई है। इ[illegible]

कृत्रिम भू-उपग्रह के द्वारा शिक्षात्मक कार्यक्रमों से ग्रामीणों के स्वास्थ्य, बीमारी से बचाव, कृषि कार्यक्रम, परिवार नियोजन तथा अन्य बातों का सफल प्रयोग हो रहा है। इस दृष्टि से आर्यभट्ट उपग्रह की सफलता से उत्साहित होकर भारतीय वैज्ञानिक और इन्जीनियर 'रोहिणी' नामक एक और भू-उपग्रह बनाने में संलग्न हैं। यह उपग्रह संरचना की दृष्टि से पहले से अधिक शक्तिशाली एवं विकसित होगा तथा इसके द्वारा भू-सर्वेक्षण किया जायेगा।

आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण से भारत और भारतीय वैज्ञानिकों के गौरव में वृद्धि हुई है। इस परीक्षण से यह सिद्ध हो गया है कि अब भारत वैज्ञानिक उपलब्धियों में विकासशील देशों में अग्रणी है। इस समय एक ओर परमाणु शक्ति का मानव कल्याण के लिए अनुसंधान चल रहा है तो दूसरी ओर अन्तरिक्ष अनुसंधान के द्वारा भारत दूर-संचार के क्षेत्र मे प्रगति-पथ पर है। आशा है कि भारतीय वैज्ञानिकों का यह अध्यवसाय निकट भविष्य में जन-कल्याणकारी कार्यों की वृद्धि तथा राष्ट्रीय प्रगति में सहायक होगा और इससे राष्ट्र को कई लाभ होंगे।

---

२८. अणु-परीक्षण

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना, (२) भारत में अणु-परीक्षण, (३) अणु-परीक्षण से लाभ, (४) विश्व के अन्य राष्ट्रों पर अणु-परीक्षण की प्रतिक्रिया, (५) उपसंहार।

आज का युग विज्ञान का युग है। आज मानव ने वैज्ञानिक विकास के सहारे ही प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है। विश्व की प्रमुख पाँच शक्तियाँ (ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, और चीन) ने वैज्ञानिक विकास के अनेकों सोपान पार कर लिये हैं। इन्हीं राष्ट्रों ने परमाणु-परीक्षण में सफलता भी प्राप्त की है। विश्व के प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों में भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः १८ मई, १९७४ को शान्ति-स्थापक राष्ट्र भारत ने भी परमाणु परीक्षण द्वारा विश्व की इन महान् शक्तियों के बीच अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। उक्त विस्फोट जोधपुर व जैसलमेर के मध्य फैली मरुस्थलीय भूमि पोकरण में किया गया, जिसके समाचार को सुनकर अन्य राष्ट्र-निवासियों के मुँह खुले के खुले रह गये।

एक शान्ति-स्थापक राष्ट्र होने से भारत ने आरम्भ से ही विश्व शांति-स्थापना पर बल दिया है। अतः जब भारत में परमाणु परीक्षण का समाचार अन्य राष्ट्रों ने सुना तो वे आश्चर्य-चकित हो गये। अमेरिका जैसे कई राष्ट्रों ने तो इसका खुलकर विरोध किया।

परमाणु परीक्षण से भारत को अनेक लाभ हुए। इसकी उन्नति में बाधक समस्त तत्त्व उसकी राह से हट गये। अनेकों शक्ति स्रोत उसे प्राप्त हुए, राष्ट्र में विद्यमान अन्य धात्विक शक्तियों का प्रयोग इसी के कारण संभव हुआ। यूरेनियम और थोरियम जैसी अनमोल धातुएँ जो देश में अब तक विद्यमान थी किन्तु वैज्ञानिक-विकास के अभाव से जिनका प्रयोग नहीं होता था, अब उपयोग में आने लगी। इन सभी शक्तिशाली वैज्ञानिक वस्तुओं का निर्माण भारत शान्ति व विकास के लिए ही कर रहा है। वह इन हिंसक उपकरणों का निर्माण कर विश्व में हिंसक भावनाएँ नहीं उत्पन्न करना चाहता। इस परीक्षण से भारत में अन्य कई शक्तिशाली वस्तुओं के मिलने की सम्भावना हो गई है। इससे मशीनें, तेल, उद्योग आदि का निर्माण अत्यधिक मात्रा में सम्भव हुआ है। कई ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक उद्योगों के विकास में सहायक हैं। परमाणु-परीक्षण के कारण कृषि एवं तकनीकी क्षेत्र में अद्भुत विकास होने की सम्भावना व्यक्त

हुई है। इस प्रकार सर्वाङ्गीण विकास होने से भारत एक धनवान राष्ट्र बन जायेगा। वैज्ञानिक विकास में आने वाली समस्त बाधायें दूर हो जायेंगी। सब कार्य यन्त्रों के माध्यम से सम्पन्न किये जायेंगे, परमाणु शक्ति के उपलब्ध होने के कारण कृषि-विकास भी तेजी से होगा।

भारत में परमाणु-परीक्षण की विश्व के अन्य राष्ट्रों पर अत्यन्त तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कुछ राष्ट्रों ने इसका खुलकर विरोध किया तो कुछ ने भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा को सराहा। पाकिस्तान ने इसका प्रयोग अपने अहित में बताया और कहा कि अब भारत की ओर से खतरा है। विश्व के साथ साथ देश मे भी इस परीक्षण की कटु आलोचना की गई। कुछ रूढ़िवादी नेताओ ने कहा कि भारत एक निर्धन देश है अतः उसे इन परीक्षणों में धन का अपव्यय नहीं करना चाहिये। उसका मत था कि जो विशाल धनराशि इस परीक्षण में सफलता प्राप्त करने हेतु व्यय की गई उससे जनहित के कार्य भी किये जा सकते थे। इसके विपरीत कुछ प्रगतिशील विचार वाले नेताओं ने देश में इस परीक्षण को सराहते हुए कहा कि भारत के लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि उसने इस परीक्षण से विश्व की महत्त्वपूर्ण शक्तियों में अपना स्थान बना लिया है। अब उसकी बाधाओं के समस्त बादल छट गये हैं। रूस व अमेरिका आदि ने तो न केवल इस सफलता को सराहा वरन् इसे प्राप्त करने में भी सहयोग दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि विश्व भर में भारत के इस परीक्षण की प्रतिक्रिया तीव्रतम रूप में हुई। भारत इसके माध्यम से विश्वशान्ति-स्थापना के अपने अभियान को सफलीभूत करना चाहता है। भारत के प्रधान मन्त्री एवं विदेश मन्त्री ने परमाणु-निर्माण की अपनी नीतियों को प्रस्तुत करते हुए शान्ति-स्थापना पर विशेष बल दिया है। उनका मत है कि भारत परमाणु-प्रयोग युद्ध के लिए नहीं करेगा। वह तो उसकी सहायता से अन्य शक्ति-स्रोतों को ज्ञात कर वैज्ञानिक मार्ग पर अग्रसर होगा। इसके अतिरिक्त जब भारत के लिए समस्त शक्तियों के मार्ग खुल जायेंगे तो वह पूर्णतः आत्म-निर्भर हो जायेगा। वास्तव में भारतीय वैज्ञानिक प्रगति के मूल में किसी भी प्रकार की हिंसक भावना न होकर आत्म-निर्भरता और

प्रगतिशीलता की सद्भावना है। इससे समस्त देश में खुशहाली की लहर दौड़ जायेगी। विशाल प्राकृतिक सम्पदा का सरलता से प्रयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार परमाणु परीक्षण भारत के लिए हिंसक न होकर अहिंसक सिद्ध हुआ है। इससे देश के नेताओं ने बड़ी-बड़ी आशायें संजो रखी हैं।

आज युद्ध की भीषण ज्वाला ने तथा वैज्ञानिक उपकरणों के हिंसक प्रयोगों ने मानव को मानव से ही भयभीत कर दिया है। वह स्वयं जिस वस्तु का निर्माण करता है उसी से डरने भी लगता है। ऐसी स्थिति में विश्व को *शान्ति की शीतल-धारा की तीव्रतम आवश्यकता* है। निश्चय ही शान्ति-दूत भारत विश्व को शान्ति प्रदान कर इस समस्या का निदान करेगा।

---

२९. राजस्थान के दर्शनीय स्थल

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना–भारतीय संस्कृति की गौरवपूर्ण परम्पराएँ और राजस्थान। राजस्थान वीरों की भूमि–यहाँ की संस्कृति के गौरवपूर्ण प्रतीक। राजस्थान की 'वीर भोग्या वसुन्धरा' का गौरव, (२) राजस्थान: पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र, (३) दर्शनीय स्थल–जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और आबू में, (४) उपसंहार—दर्शनीय स्थलों के उचित संरक्षण, विकास एवं प्रसार की आवश्यकता।

राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसमें हमारे देश की गौरवपूर्ण परम्पराएँ सुरक्षित हैं। 'वीर भोग्या वसुन्धरा' के आदर्श को चरितार्थ करने

वाली पुण्य भूमि राजस्थान है। शौर्य, पराक्रम, अद्‌भुत साहस एवं देश-प्रेम के असंख्य प्रतीक राजस्थान के विभिन्न नगरों में विद्यमान हैं। यहाँ के वीरों ने मरण को महोत्सव मानकर देश के लिए समद-समय पर सर्वस्व समर्पण किया है। देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण के अनेक केन्द्र राजस्थान के नगरों में आज भी विद्यमान हैं। यहाँ के अजायबघरों, पुरातत्व-संग्रहालयों, प्राचीन ग्रंथागारों, पर्वों, त्यौहारों, जातीय जीवन के संस्कारों एवं साहित्य में राजस्थानी संस्कृति का अद्‌भुत एक जीवन्त रूप देखा जा सकता है। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान की मरुधरा अपनी शुष्कता के बावजूद भी अनेक आकर्षण सजोये हुए है।

राजस्थान के मुख्य दर्शनीय केन्द्रों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, आबू आदि की गणना की जाती है।

जयपुर—जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। जयपुर को गुलाबी नगर (Pink City) भी कहा जाता है। इस नगर का आकार-प्रकार, भवन निर्माण एवं स्थापत्य कला का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। जयपुर नगर में आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, जन्तर-मन्तर, राजमहल, रामनिवास बाग, संग्रहालय दर्शनीय है। नगर के बीचों-बीच हवामहल तथा चन्द्रमहल है। हवामहल की इमारत अत्यन्त आकर्षक है। प्रत्येक पर्यटक मंत्रमुग्ध होकर इसे देखता है। विदेशी पर्यटक रोज असंख्य चित्र हवामहल के खींचते हैं। हवामहल स्थापत्य कला का अद्‌भुत नमूना है।

जोधपुर—जोधपुर के दर्शनीय स्थानों में 'राजमहल' और 'छीतर पैलेस' उल्लेखनीय हैं। महलों में दस्तकारी, पच्चीकारी एवं चित्रकला के उच्च कोटि के नमूने देखने को मिलते हैं। जोधपुर के लोगों के जीवन में राजस्थान की गौरवपूर्ण परम्पराओं की झलक आज भी देखी जा सकती है। यहाँ के लोगों की वेशभूषा अत्यन्त आकर्षक है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है।

बीकानेर—राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरों में बीकानेर एक है। बीकानेर नगर में प्राचीन वास्तुकला के आकर्षक प्रतीक अब भी विद्यमान हैं। यहां का पुराना किला तथा लालगढ़ पैलेस, पब्लिक पार्क, म्युजियम

आदि देखने लायक हैं। बीकानेर के समीपस्थ कोडमदेसर एवं कोलायतजी नामक स्थान भी दर्शनीय हैं। राजस्थान पुरातत्व विभाग, संग्रहालय और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य कार्यालय भी बीकानेर में है।

उदयपुर—उदयपुर का महाराणा प्रताप से सम्बन्ध होने के कारण यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। उदयपुर में पिछोला झील, उदयसागर, राजमहल, जगमन्दिर, सहेलियों की वाड़ी, शिवमन्दिर आदि दर्शनीय स्थान हैं।

उदयपुर के निकट ही हल्दीघाटी का मैदान भी महाराणा प्रताप के शौर्य तथा चेतक की स्वामिभक्ति के संस्मरण के रूप में दृष्टव्य है। उदयपुर के मार्ग में चित्तौड़ का प्रसिद्ध दुर्ग दर्शनीय है। यह महारानी पद्मिनी के जौहर, जयमल पत्ता के पराक्रम एवं महाराणाओं के शौर्य का प्रतीक है। उदयपुर से बस द्वारा नाथद्वारा नामक स्थान पर दर्शक श्रीनाथजी के दर्शन करने भी जाते हैं। वैष्णव भक्तों के लिए यह जहाँ पुण्य-क्षेत्र है, वहीं पर्यटकों के आकर्षण का भी प्रमुख केन्द्र है।

अजमेर—पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर भी इतिहास में प्रसिद्ध है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में 'आनासागर झील,' तारागढ़ का किला तथा संग्रहालय के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ मुसलमानों का पवित्र स्थान ख्वाजा साहब की दरगाह तथा हिन्दुओं का पुण्यक्षेत्र पुष्कर दर्शनीय स्थल हैं। दरगाह में उर्स का एक विशाल मेला प्रतिवर्ष लगता है जिसमें विदेशों से मुसलमान आते हैं। पुष्कर में ब्रह्माजी व रंगनाथजी के प्रसिद्ध मन्दिर भी हैं। पुष्कर को तीर्थराज कहा जाता है और इसलिए एक तीर्थ स्थान भी है।

कोटा—कोटा और बूंदी इतिहास प्रसिद्ध नगर हैं। बूंदी को सैनिकों के कारण यश प्राप्त है। यहाँ का किला दर्शनीय है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक महत्त्व के अनेक प्रतिष्ठान कोटा में स्थापित हो गये हैं। इनमें अणुशक्ति केन्द्र, श्रीराम फर्टीलाइजर तथा रेयन के कारखाने दर्शनीय हैं।

आबू—एक सुरम्य पहाड़ी स्थान है। ग्रीष्मावकाश में लोग शिमला, मसूरी और कश्मीर की भांति आबू पहाड़ पर आकर रहते हैं। यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ, घाटियाँ, फल-फूल एवं द्रुमलताएँ बड़ा आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। आबू से दो मील की दूरी पर देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मन्दिर हैं। ये मन्दिर ११वी शताब्दी के माने जाते हैं जिनके निर्माण में उस समय तीन करोड़ से अधिक रुपये खर्च हुए थे। देलवाड़ा के दोनों जैन मन्दिर मध्यकालीन शिल्पकला के भव्य प्रतीक हैं। देलवाड़ा के दक्षिण में प्राचीन हिन्दू मन्दिरों मे खण्डित प्रतिमाएँ हैं। आबू मे पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र है। अनेक प्राचीन रियासतों के सुन्दर भवन भी यहाँ बने हुए हैं।

उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य नगरों में भी दर्शनीय स्थान है। उदाहरण के लिए, सवाईमाधोपुर से आगे रणथम्भोर का किला बाड़मेर-जैसलमेर के किले, रणकपुर के जैन मन्दिर, अलवर के पास 'सिलीसेड' पाण्डुपोल व भर्तृहरि तथा सरिस्का अभयारण्य आदि अन्य आकर्षक एवं महत्त्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। राजस्थान के सभी प्रसिद्ध नगरों में छोटे-मोटे किले एवं ऐतिहासिक महत्त्व के खण्डहर प्राचीन इमारतें, शिलालेख आदि प्राप्य हैं। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के इन स्थलों की समुचित देखभाल की जाय। राजस्थान के पुरातत्व एवं देवस्थान विभागों द्वारा इस दिशा में उचित कार्यवाही की जा रही है। पर्यटकों के लिए अधिकाधिक सुविधाएँ भी प्रदान की जा रही हैं। राजस्थान की गौरवपूर्ण परम्पराओं के अमर प्रतीक ये दर्शनीय स्थल भारतवर्ष की बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हैं। राजस्थान राणा प्रताप, दुर्गादास, जयमल-पत्ता, पन्ना धाय, महारानी पद्मिनी और मीराबाई—जैसी महान् विभूतियों की वीर भूमि है। इसके दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भारत के गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाकर, स्वदेश-प्रेम के पवित्र भाव से हमारे मन मस्तिष्क को आन्दोलित करता है। राजस्थान के दर्शनीय स्थल राष्ट्रीय गौरव के अमर प्रतीक हैं।

—०—

३०. प्रिय कवि : तुलसीदास

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना—तुलसीदास ही प्रिय कवि क्यों ? (२) जन्मकालीन परिस्थितियाँ, जन्म और बाल्यकाल व जीवन चरित्र, (३) रचनायें, (४) रचनाओं का काव्य-सौष्ठव, तथा (५) उपसंहार—तुलसी का महत्त्व व सर्वप्रियता।

तुलसीदास के जन्म के समय भारत में मुसलमानों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो चुका था और हिन्दुओं के हृदय से गौरव और आत्माभिमान के भाव लुप्तप्राय हो गये थे। कट्टर और धार्मिक अन्धश्रद्धा से युक्त कुछ मुसलमान हिन्दुओं के धर्म पर आक्षेप करते थे और पराधीन हिन्दू मौन होकर सब कुछ सहन करते थे। वस्तुतः हिन्दुओं का जीवन निराशामय था। हिन्दुओं की ऐसी दुर्दशा के समय गोस्वामीजी का आविर्भाव हुआ। उन्होंने भगवान के शक्तिशाली और सौंदर्य युक्त अवतार श्रीराम का वर्णन करके हिन्दू जनता के नैराश्य को दूर किया और साथ ही अपनी अलौकिक शक्ति से हिन्दी साहित्य को प्रौढ़ता की चरम सीमा पर पहुँचा दिया। गोस्वामीजी का जन्म समय व स्थल अभी तक विवादग्रस्त विषय बना हुआ है। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। कहावत है कि अशुभ मूल नक्षत्र में इनका जन्म होने के कारण इनके माता-पिता ने इनका त्याग कर दिया था।

हिन्दी में जितने कवि हुए हैं उनमें तुलसीदास का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने यों तो अनेक रचनाएं लिखी हैं, किन्तु उनमें एक रामचरितमानस ही इतनी लोकप्रिय रचना रही है कि इसने तुलसीदास को विश्व साहित्य में अमर कर दिया। रामचरितमानस में समाज के लिए आदर्शों की स्थापना की गई है, जोकि विश्व के किसी भी देश के लिए अनुकरणीय कहे जा सकते हैं। वैसे इनमें सामंजस्य भावना का भी पर्याप्त चित्रण हुआ है। काव्य कला की दृष्टि से भी यह रचना उत्तम कोटि की है। यही कारण है कि पिछले ४०० वर्षों से भारतीय जनता इसे धर्मग्रन्थ की तरह मस्तक पर धारण किए हुए है। वस्तुतः आज भी तुलसीदास से अधिक लोकप्रिय कवि और कोई नहीं है।

भरत की आत्मग्लानि, लक्ष्मण-शक्ति आदि में गोस्वामीजी ने सर्वत्र प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है । रसों के अनुकूल कोमल और कठोर भाषा की योजना रूढ़ि के अनुसार की है । इसके अतिरिक्त गोस्वामीजी ने यह भी ध्यान रखा है कि किस स्थान पर विद्वानों व शिक्षितों की मिश्रित संस्कृत रखनी चाहिये और किस स्थान पर प्रचलित बोली । घरेलू प्रसंगों में, [illegible] मंथरा-कैकेयी संवाद में उन्होंने स्त्रियों में विशेष प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया ।

शृंगार रस का शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही [illegible] किया गया है । तुलसीदास ने अपनी उपासना के अनुकूल [illegible] भी आभास यह कह कर दिया है—

'सियाराम मय सब जग जानी,
करो प्रणाम जोरि जुग पानी ।'

तुलसी ने अपनी रचनाओं में शांत रस और [illegible] प्रथम स्थान दिया है, तथापि इनकी रचनाओं में [illegible] मिलते हैं । शांत रस के अन्दर विनयपूर्ण भक्ति-[illegible] का समावेश हुआ है । शृंगार रस में संयोग और वि[illegible] सुन्दर काव्य की रचना की है । राम-सीता के प्रेम को [illegible] करके सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया गया है । मानस में वीर [illegible] भावना और बीभत्स आदि रसों का भी प्रयोग किया है [illegible] से शिव-विवाह आदि प्रसंग विशेष सुन्दर बने हैं ।

तुलसी ने अपने काव्य में लोक-साधना को [illegible] *भरत-लक्ष्मण, हनुमान जैसे अनेक आदर्शों की स्थापना* [illegible] पिता, धर्मपत्नी, भातृ-प्रेम, हनुमान की रामभक्ति [illegible] के प्रति आदर्श विचार को उपस्थित करके लोक-धर्म [illegible] है । सात्विक भावों वाले पात्रों के अतिरिक्त राक्षसी [illegible] वृत्ति वाले व्यक्तियों के चरित्रों [illegible] काव्य में [illegible] अपने काव्य में प्रकृति के [illegible]

आलम्बन, उद्दीपन, आलंकारिक तथा उपदेशात्मक आदि अनेक रूप उपलब्ध होते हैं। उनके चित्र हृदय का स्पर्श कर उसके भावों को जाग्रत करने में पूर्णतः समर्थ हैं। उन्होंने प्रकृति का मानव जगत् से सहज सम्बन्ध स्थापित किया है और प्रकृति के माध्यम द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक संकेत उपस्थित किये हैं।

तुलसी ने अपने काव्य की रचना दोनों रूपों में अर्थात् प्रबन्ध एवं मुक्तक रूपों में की है। प्रबन्ध-काव्य मानस, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल आदि की रचना अवधी भाषा में की और शेष कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं। व्याकरण की दृष्टि से उनकी भाषा शुद्ध है तथा भाषा को स्वाभाविक, रमणीय, प्रौढ़ एवं भावों को अनुकूल बनाने का सदैव ध्यान रखा है। उसमें मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी प्रचुर प्रयोग किया है। उनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुण विद्यमान हैं। गोस्वामीजी की रचनाओं में वीरगाथा काल की छप्पय शैली, विद्यापति और सूरदास की पद शैली, गंग की कवित्त सवैया पद्धति, जायसी के दोहे-चौपाई की प्रबन्ध पद्धति, समास शैली, उद्बोधन शैली आदि अनेक शैलियों को पर्याप्त स्थान मिला है।

गोस्वामीजी ने अलंकारों को भी अपने काव्य में पर्याप्त स्थान दिया है। उन्होंने 'शब्दालंकार', 'अर्थालंकार' दोनों का सफल प्रयोग किया है। उनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक, यमक और अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छन्दों की दृष्टि से दोहे, सोरठा, छप्पय, चौपाई आदि विविध प्रकार के छन्दों को अपनाया है। छन्द-रचना के अवयव यति, विराम, तुक आदि की ओर उनका ध्यान था।

संक्षेप में तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रियता का कारण यही है कि उन्होंने सामाजिक आदर्शों की स्थापना की है और विभिन्न धर्मों तथा देवी-देवताओं के प्रति समान आदर प्रदर्शित करके सामंजस्य-भावना का परिचय दिया है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताकर उन्होंने लोक मर्यादा की रक्षा को आवश्यक बताया है। साथ ही इन सभी क्षेत्रों में तुलसीदास द्वारा बताया गया मार्ग सबके लिए अनुकरणीय है।

---

३१. हिन्दी कविता में प्रकृति-वर्णन

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना, (२) प्रकृति और मानव का सम्बन्ध, (३) हिन्दी कविता में प्रकृति-चित्रण, (४) निष्कर्ष।

प्रारम्भिक काल से ही मनुष्य प्रकृति से सम्बद्ध रहा है। जब वह शिशु रूप में पृथ्वी पर आता है तो प्रकृति ही उसे शरण देती है और उसी के सहयोग से वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। प्रकृति की सौन्दर्यपूर्ण गोद में रहकर मनुष्य सौन्दर्य और आनन्द का अर्थ समझता है। वह जब कभी प्रकृति को प्रसन्न और हरी-भरी देखता है तभी उसे सन्तोष और आनन्द प्राप्त होता है। प्रकृति भी उसका पूरा साथ निभाती है। वह मनुष्य के सुख में सुखी और दुःख में दुखी होती है। प्रकृति का सौन्दर्य और उसके तत्त्व मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं और वह उनसे नई शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त करता है। आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, समुद्र, नदियाँ, सरोवर, बाग, बादल, बिजली, इन्द्रधनुष, हरियाली, ओस-बिन्दु, लहलहाते खेत, वन-वृक्षों की पंक्ति, लता, पादप, पशु-पक्षी और झरने आदि सभी के स्वच्छन्द और सौन्दर्यपूर्ण दृश्य संघर्ष से लुंज-पुंज मानव को राहत पहुँचाते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रकृति मानव की सच्ची सहचरी और अनुगामिनी है। प्रात:कालीन उषा की लालिमा से लेकर ओस बिन्दुओं से जड़ी हरियाली पर टहलते समय वृक्षों की शाखाओं पर बोलते पक्षियों का कलरव, आकाश में उड़ती हुई बगुलों की पंक्ति और शीतल हवा के स्पर्श से मनुष्य का मन-मयूर नृत्य करने लगता है।

प्रकृति और मानव का गहन सम्बन्ध है। प्रकृति मनुष्य के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालती है और यह प्रभाव सौन्दर्य का होता है। प्रकृति मनुष्य को आनन्दित करती है और मनुष्य प्रकृति की अभिनव सुषमा से अभिभूत होकर जीवन से नई ताजगी का अनुभव करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक

आलम्बन, उद्दीपन, आलंकारिक तथा उपदेशात्मक आदि अनेक रूप उपलब्ध होते हैं। उनके चित्र हृदय का स्पर्श कर उसके भावों को जाग्रत करने में पूर्णतः समर्थ हैं। उन्होंने प्रकृति का मानव जगत् से सहज सम्बन्ध स्थापित किया है और प्रकृति के माध्यम द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक संकेत उपस्थित किये हैं।

तुलसी ने अपने काव्य की रचना दोनों रूपों में अर्थात् प्रबन्ध एवं मुक्तक रूपों में की है। प्रबन्ध-काव्य मानस, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल आदि की रचना अवधी भाषा में की और शेष कृतियाँ व्रज भाषा में हैं। व्याकरण की दृष्टि से उनकी भाषा शुद्ध है तथा भाषा को स्वाभाविक, रमणीय, प्रौढ़ एवं भावों को अनुकूल बनाने का सदैव ध्यान रक्खा है। उसमें मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी प्रचुर प्रयोग किया है। उनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुण विद्यमान हैं। गोस्वामीजी की रचनाओं में वीरगाथा काल की छप्पय शैली, विद्यापति और सूरदास की पद शैली, गंग की कवित्त सवैया पद्धति, जायसी के दोहे-चौपाई की प्रबन्ध पद्धति, समास शैली, उद्‌बोधन शैली आदि अनेक शैलियों को पर्याप्त स्थान मिला है।

गोस्वामीजी ने अलंकारों को भी अपने काव्य में पर्याप्त स्थान दिया है। उन्होंने 'शब्दालंकार', 'अर्थालंकार' दोनों का सफल प्रयोग किया है। उनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक, य क और अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छन्दों की दृष्टि से दोहे, सोरठा, छप्पय, चौपाई आदि विविध प्रकार के छन्दों को अपनाया है। छन्द-रचना के अवयव यति, विराम, तुक आदि की ओर उनका ध्यान था।

संक्षेप मे तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रियता का कारण यही है कि उन्होंने सामाजिक आदर्शों की स्थापना की है और विभिन्न धर्मों तथा देवी-देवताओं के प्रति समान आदर प्रदर्शित करके सामंजस्य-भावना का परिचय दिया है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताकर उन्होंने लोक मर्यादा की रक्षा को आवश्यक बताया है। साथ ही इन सभी क्षेत्रों में तुलसीदास द्वारा बताया गया मार्ग सबके लिए अनुकरणीय है।

---

३१. हिन्दी कविता में प्रकृति-वर्णन

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना, (२) प्रकृति और मानव का सम्बन्ध, (३) हिन्दी कविता में प्रकृति-चित्रण, (४) निष्कर्ष ।

प्रारम्भिक काल से ही मनुष्य प्रकृति से सम्बद्ध रहा है । जब वह शिशु रूप में पृथ्वी पर आता है तो प्रकृति ही उसे शरण देती है और उसी के सहयोग से वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है । प्रकृति की सौन्दर्यपूर्ण गोद में रहकर मनुष्य सौन्दर्य और आनन्द का अर्थ समझता है । वह जब कभी प्रकृति को प्रसन्न और हरी-भरी देखता है तभी उसे सन्तोष और आनन्द प्राप्त होता है । प्रकृति भी उसका पूरा साथ निभाती है । वह मनुष्य के सुख में सुखी और दुःख में दुखी होती है । प्रकृति का सौन्दर्य और उसके तत्त्व मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं और वह उनसे नई शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त करता है । आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, समुद्र, नदियाँ, सरोवर, बाग, बादल, बिजली, इन्द्रधनुष, हरियाली, ओस-बिन्दु, लहलहाते खेत, वन-वृक्षों की पंक्ति, लता, पादप, पशु-पक्षी और झरने आदि सभी के स्वच्छन्द और सौन्दर्यपूर्ण दृश्य संघर्ष से लुज-पुंज मानव को राहत पहुँचाते हैं । अतः स्पष्ट है कि प्रकृति मानव की सच्ची सहचरी और अनुगामिनी है । प्रातःकालीन उषा की लालिमा से लेकर ओस बिन्दुओं से जड़ी हरियाली पर टहलते समय वृक्षों की शाखाओं पर बोलते पक्षियों का कलरव, आकाश में उड़ती हुई बगुलों की पंक्ति और शीतल हवा के स्पर्श से मनुष्य का मन-मयूर नृत्य करने लगता है ।

प्रकृति और मानव का गहन सम्बन्ध है । प्रकृति मनुष्य के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालती है और यह प्रभाव सौन्दर्य का होता है । प्रकृति मनुष्य को आनान्दन करती है और मनुष्य प्रकृति की अभिनव सुषमा से अभिभूत होकर जीवन से नई ताजगी का अनुभव करता है । जन्म से लेकर मृत्यु तक

प्रकृति मनुष्य को अपनी गोद मे रखती है और मनुष्य के सारे कार्य-कलाप भी उसी की गोद में होते है। अतः प्रकृति को मनुष्य की सहचरी कहने के साथ-साथ मानव की प्रेरिका शक्ति भी कहा जा सकता है। फिर सहृदय कवियों के मानस में तो प्रकृति बहुत गहराई से व्याप्त है। आदि कवि वाल्मीकि के काव्य का निर्माण प्रकृति की मधुर गोद में ही हुआ। संस्कृत के कालिदास और भवभूति, हिन्दी के पन्त, प्रसाद, निराला और तुलसी, सूर, मीरा, बिहारी और पद्माकर आदि का काव्य भी प्रकृति के वर्णनो से भरा हुआ है।

प्रकृति और मानव का अटूट सम्बन्ध धर्म, दर्शन, साहित्य और कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता रहता है। प्रकृति से अलग साहित्य का कोई महत्त्व नही है, वैसे ही जैसे मानव से अलग प्रकृति और साहित्य का कोई महत्त्व नहीं है। प्रकृति और मनुष्य के सम्बन्ध इतने हैं कि प्रकृति कई बार अपने व्यापारों से उपदेश भी देती रहती है। वह कभी सुख देती है तो कभी दुःख देकर उद्दीप्त करती है। कहना यही है कि प्रकृति से मानव का कोई भी कार्यकलाप और उसका अस्तित्व अलग नहीं है। स्पष्ट है कि प्रकृति और मानव का सम्बन्ध अटूट है।

विश्व के अन्य साहित्यों की भांति हिन्दी साहित्य मे भी प्रकृति वर्णन को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिन्दी के आदि काल से लेकर अब तक के कवियो ने प्रकृति का किसी न किसी रूप मे वर्णन अवश्य किया है। चन्दबरदाई हरिऔध, पन्त, निराला आदि ने प्रकृति के साथ अभेद-सम्बन्ध स्थापित करके प्रकृति के मधुर वर्णन से अपनी कविता को सरस बनाया है।

यह पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी कविता में प्रकृति का वर्णन विभिन्न रूपों में किया गया है। वीरगाथा काल में प्रकृति का अलंकार विधान एवं उद्दीपन रूप सामने आया है। प्रायः सूर, तुलसी, पन्त, प्रसाद, निराला और दिनकर के काव्यों में प्रकृति का आलंकारिक रूप मिलता है। प्रकृति सुख

के समय हर्षित और दुःख के समय दुःखी होती दिखाई देती है। यह उद्दीपन सूरदास की इन पंक्तियों में प्रकट होता है—

"बिनु गोपाल बैरन भई कुंजें।
तब ये लता लगती अति शीतल।
अब भई विषम ज्वाला की पुंजें।"

इसी प्रकार विद्यापति, प्रसाद, जायसी आदि ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही वर्णन किया है। इन सभी मे सूरदास का उद्दीपन रूप में प्रकृति का वर्णन अद्वितीय है।

तुलसीदास ने अपनी कविता को अलंकार रूप व उद्दीपन रूप के साथ ही आलम्बन तथा उपदेश रूप से सजाया-संवारा है। प्रकृति से उपदेश ग्रहण करने-कराने का उनका जैसा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। वर्षा और शरद् के वर्णन में बहुत सी नीति की बातें कहते हुए उन्होंने प्रकृति से उपदेश ग्रहण करवाये हैं—

'दामिन दमकि रही घन माँही। खल की प्रीति जथा थिर नाहीं।
बूंद अघात सहैं गिरि कैसे। खल के वचन सन्त सह जैसे।'

प्रकृति की सुषमा भरी गोद में मानव जन्म लेता है, पलता है और जीवन सागर को पार करता है। तब यदि वह प्रकृति के सौन्दर्य के उग्र, कर्कश और कोमल रूपों का वर्णन करता है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। प्रकृति से अभेद की स्थिति पा लेने पर उसके कार्य व्यापारों को अपने ही कार्य-व्यापार समझ बैठता है। इसी कारण हिन्दी जगत् के कवि भी प्रकृति को चेतनशील मान कर उसमें मानवी भावों का आरोप करें तो यह कोई नई बात नहीं है।

हिन्दी कविता में प्रकृति के मानवीकरण की प्रतिष्ठा यद्यपि जायसी ने कर दी थी, परन्तु उसका निखरा हुआ स्वरूप हमें पं० रामनरेश मिश्र की

३२. सूर-सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना; (२) सूर और तुलसी की समानतायें, (३) केशव की पृथक स्थिति, (४) असमानताएँ एवं अन्तर—(क) विषय की दृष्टि से, (ख) शैली की दृष्टि से, (५) निष्कर्ष।

मध्यकालीन काव्य में सूर और तुलसी को लेकर पर्याप्त विवाद हुआ। विवाद को तूल देने में 'सूर-सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास' जैसी उक्ति ने और सहयोग दिया है। यह तो निर्विवाद है कि सूर, तुलसी और केशव तीनों ही मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। तीनों ने अपनी-अपनी सीमा में रहकर अपनी काव्य-प्रतिभा का परिचय दिया है। सूर ने वात्सल्य और शृंगार का वर्णन करके अपने परिमित, किन्तु प्रातिभिक ज्ञान का परिचय दिया है और तुलसी ने राम को अपना आराध्य मानकर जिस काव्य-ग्रन्थ-मानस की रचना की है, उसमें मानव-जीवन की विविध परिस्थितियों का सांगोपांग चित्रण किया है। 'केशव' के आराध्य श्री राम ही रहे हैं और 'रामचन्द्र की चन्द्रिका' को बहुछंदों में वर्णित किया है। सूर-सूर तुलसी ससी.........वाली उक्ति का तात्पर्य यह है कि हिन्दी साहित्य में अपने ज्ञान और प्रतिभा-प्रसाद के कारण 'सूर' तो सूर्य की तरह सबको प्रकाश देते है और 'तुलसी' चन्द्रमा की सी शीतलता से समस्त पाठकों का मनोरंजन करते हैं। रहे 'केशव' उनकी प्रतिभा इन दोनों कवियों की तुलना में कम है। वे चमत्कारवादी हैं और पाण्डित्य प्रदर्शन ही उनका लक्ष्य रहा है। अतः उनको उपर्युक्त उक्ति में 'उडुगन' कहा गया है जो यत्र-तत्र प्रकाश करता है।

अब यदि इस उक्ति की सत्यता पर विचार करें तो दो बातें स्पष्ट होती हैं—

१. पहली तो यह कि यह दोहा किसी ने 'यमक' अलंकार के लोभ में आकर कहा है। सूर-सूर.........।

२. दूसरी बात यह है कि तुलसी की तुलना में सूर का क्षेत्र कम है। अतः कम क्षेत्र का वर्णन करने वाला कवि सूर्य कैसे हो सकता है? वह तो दूसरे नम्बर का चन्द्रमा ही हो सकता है। अतः यह बात दोहा या उक्ति उलट कर यह होता तो ज्यादा ठीक था—

'सूर ससी तुलसी रवि..........

तर्क की दृष्टि से भी देखें तो यही प्रमाणित होता है कि सूरदास चन्द्रमा ही हैं क्योंकि उनका क्षेत्र सीमित है और चन्द्रमा शीतल है। ठीक उसी प्रकार सूर भी शृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि होने के कारण चन्द्रमा की तरह शीतल हैं। यों भी शृंगार का सम्बन्ध चन्द्रमा से ही बैठता है। केशव के लिए जो स्थान इस उक्ति में रखा गया है, वह सर्वथा न्याय युक्त है।

सूर तुलसी और केशव तीनों में कतिपय समानताएँ हैं। तीनों ही मध्यकाल के कवि हैं, और तीनों के ही कोई न कोई आराध्य हैं। आराध्य कोई भी हो पर प्रेम की भावना तीनों में है। तीनों ही महाकवि प्रायः समकालीन हैं और तीनों ही अपनी-अपनी रीति से सगुणोपासक भक्त हैं। त्यागी, महात्मा और भक्त होने के नाते तो सूर और तुलसी में विशेष समानता है और राम-भक्त और प्रबन्ध काव्यकार होने के नाते तुलसी और केशव का विशेष सम्बन्ध है। सूर और तुलसी दोनों की समानता भक्ति के क्षेत्र में है। भक्ति भावना में जो त्याग, दूसरे का महत्त्व स्वीकार और अपनी लघुता और दीनता की जो भावना होती है, वह दोनों में समान है। इसके साथ ही दोनों के प्रेम में अनन्यता और एक-निष्ठता की भावना भी समान है। प्रेम का आदर्श भिन्न भले ही हो, किन्तु उसके लिए जिस रागात्मकता की आवश्यकता होती है वह दोनों में मिलती है। उद्देश्य की दृष्टि से भी दोनों में समानता मिलती है—दोनों ही आराध्य के प्रति समर्पित हैं। केशव में ये समानता वाले गुण उतनी

मात्रा में नहीं मिलते। वास्तव में तुलना तो सूर और तुलसी की ही है, केशव तो दोनों से ही पीछे छूट जाते हैं।

सूर और तुलसी दोनों से केशव की स्थिति पृथक है। केशव जैसा कि कहा गया है चमत्कारवादी थे। वे पाण्डित्य प्रदर्शन के फेर में पड़े रहते थे। साथ ही काव्य को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वे कविता कर रहे हैं। कारण उनकी भावुकता उनके काव्य से लक्षित नहीं होती है। भावुक और मार्मिक प्रसंगों में भी वहक गये हैं। प्रकृति निरीक्षण की क्षमता तो जैसे उनमें थी ही नहीं। यही कारण है कि वे हृदयहीन कहलाये, अलंकारवादी कहलाये। इस लिए उन्हें 'उडुगन' कहना तो सार्थक और उचित प्रतीत लगता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि केशव की स्थिति पृथक है। वे इस त्रिकोण में कथन के आधार पर भले ही आ जायें, साहित्यिक प्रतिभा के आधार पर नहीं आ सकते हैं।

सूर और तुलसी के काव्य में अन्तर है और वह अन्तर वर्ण्य-विषय और शैलीगत तो है ही, कतिपय मूल सिद्धान्तों को लेकर भी है। सूर और तुलसी दोनों ही स्वान्तः सुखाय लिखते थे। अपने इष्टदेव के गुणगान में तल्लीन हो जाते थे। केशवदास जी राजाश्रय में रहे। अतः उनकी कविता आश्रयदाता की रुचि के अनुकूल होती थी। वे पण्डित और आचार्य थे। अतः उनकी स्थिति अलग ही ठहरती है। सूर और तुलसी में मूल अन्तर ये हैं—

१. सूरदास व्रजविहारी कृष्ण के उपासक हैं और उनकी भक्ति सरल भाव की है। इसके विपरीत तुलसीदास जी धनुर्धारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उपासक हैं।

२. तुलसी की भक्ति दास भाव की थी और सूरदास की भक्ति सख्य भाव की थी। अतः सूरदास अपने कृष्ण को खरी-खोटी सुना सकते थे और तुलसी ऐसी धृष्टता नहीं कर सकते थे।

३. बाल-लीला वर्णन में सूरदास जी 'अति-अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे हैं कुछ गैया' तक कह देते हैं जबकि तुलसी के राम बाल-लीला में भी अवधेश के ही बालक रहते है। तुलसी अपने इप्ट को नीचा नहीं दिखाते या दिखाना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने 'लव-कुश काण्ड' नहीं लिखा। केशव भी अपने इप्टदेव का इतना भय नहीं करते थे। 'सूर' और 'केशव' में सीधी खरी बात कहने का अवश्य आनन्द आ जाता है, सूरदासजी मुँह लगे दास की भांति इप्टदेव से अकड़ भी जाते है।

४. 'सूरदास' के काव्य के विषय में बाललीला और शृंगारलीला ही रहे हैं, जबकि 'तुलसी' के काव्य का विषय विस्तृत है जिसमें जीवन के सभी पक्षों को लिया गया है। जहाँ तक शृंगार और वात्सल्य वर्णन की उत्कृष्टता का प्रश्न है 'सूर' इस क्षेत्र में 'तुलसी' से आगे हैं। उन्होंने शृंगार और वात्सल्य रस का प्रत्येक कोना अच्छी तरह देखा और उसकी अच्छी तस्वीर प्रस्तुत की है। 'तुलसी' ने शृंगार और वात्सल्य का वर्णन किया है, उसमें बराबर एक मर्यादा बनी रही है। अतः वह उतनी सहृदयता और विशिप्टता नही रखता जितना कि सूरदास का वर्णन रखता है।

५. 'तुलसीदास' के वर्णन में प्रत्येक स्थल पर लोक-रक्षक और लोक-मंगल का भाव है जबकि 'सूरदास' के काव्य में लोकरंजन तत्त्व की मात्रा अधिक है। तुलसी शिवम् और सुन्दरम् के कवि हैं और 'सूरदास' सिर्फ सुन्दरम् के।

६. बाललीला प्रसंग भी 'सूर' का उत्कृप्ट है। 'तुलसीदास' ने भी 'गीतावली' में बाललीला का सुन्दर वर्णन किया है, किन्तु उसमें थोड़ा सा राजसी भाव आ गया। इससे माधुर्य की क्षति पहुँची है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'सूरदास' जी का क्षेत्र संकुचित जरूर है, किन्तु उसमें कलात्मकता है। 'तुलसी' अपना क्षेत्र व्यापक रखते हैं और मानव-जीवन के सम्पूर्ण दृश्यों को सुन्दर और सम्बद्ध बताते हैं। अतः सूर आगे हैं

तो केवल शृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में, जबकि तुलसी सभी क्षेत्र में समान भाव से आगे हैं। इससे सिद्ध है कि 'सूर' शशि ही हैं, सूर्य तो तुलसीदास' ही है।

७. भाषाएँ दोनों की अलग-अलग हैं। 'सूर' ब्रजभाषा' के श्रेष्ठ कवि हैं और 'तुलसी' 'अवधी' के श्रेष्ठ कवि हैं। अलंकारों की दृष्टि से दोनों ही स्वभाविकता की रक्षा करते हैं।

८. सूर की भाषा ब्रजभाषा ही है जबकि 'तुलसी' ने अवधि और ब्रज पर समान अधिकार के साथ कविता की है। अतः तुलसी का स्थान सर्वोपरि है।

९. तुलसी पहले भक्त रहे है, फिर कवि। सूर और केशव दोनों ही पहले कवि रहे, फिर भक्त।

१०. 'केशव' चमत्कारी थे। वे भक्त नहीं थे। उतने सरल भी नहीं जितने सूर और तुलमी। सूर और तुलसी के काव्य में उनका हृदय बोलता है और केशव के काव्य में उनका मस्तिष्क बोलता है।

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि सूरदास और तुलसी में कतिपय समानताएँ जरूर हैं, किन्तु असमानताएँ इतनी है कि दोनों मे 'तुलसीदास' ही श्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। वे मानव जीवन के विविध संदर्भों के संतुलित और मर्यादावादी कवि हैं। सूर का दृष्टिकोण एकांगी है। वह सीमित परिवेश को चित्रित करता है। फिर भाषा और भाव के एकाधिकार की दृष्टि से भी 'तुलसीदास' 'सूर' से आगे हैं। अतः 'सूर-सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास' कथन में पूर्ण सत्यांश नहीं है। तुलसीदास सूर्य हैं जो समस्त मानव जीवन को प्रकाश प्रदान करते हैं, और सूरदास शशि हैं जो शृंगार और वात्सल्य के वर्णन से चन्द्रवत् शीतलता प्रदान करते हैं। रहे 'केशव' वे वस्तुतः 'उडुगन' ही हैं। काव्यात्मकता के और सहृदयता के अभाव में वे कोरे चमत्कारवादी और पाण्डित्य के प्रदर्शनकर्त्ता ही सिद्ध हुए है।

---

३३. समाज सुधारक कबीर

रूपरेखा—(१) प्रस्तावना, (२) कबीर का परिचय, (३) कबीर युग प्रतिनिधि कवि, (४) समाज सुधारक रूप, (५) निष्कर्ष ।

सन्त कबीर का जन्म ऐसे समय हुआ था, जबकि भारतवर्ष में सर्वत्र अशान्ति और अव्यवस्था का साम्राज्य था । राजनीतिक दृष्टि से मुसलमानों के आंतक से पीड़ित हिन्दू जनता हताश थी और उसने अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया था ।

धार्मिक दृष्टि से नाथ-पंथी और सिद्धों ने जनता को धर्म के मार्ग से च्युत कर दिया था, वे हठयोग तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति का उपदेश दे रहे थे । सामाजिक दृष्टि से भी हिन्दू मुसलमानों का आपसी द्वेष समाज को दूषित कर रहा था । विचार संकीर्णता दोनों ओर छाई हुई थी । निम्न जाति की अवस्था अत्यन्त दयनीय थी । मुसलमानों में तो वे लोग हिन्दू होने के नाते दुत्कारे जाते थे लेकिन हिन्दुओं में भी वे तिरस्कृत समझे जाते थे । ऐसे समय में एक पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता थी जो विचलित समाज को नवीन मार्ग-प्रदर्शन करे । महात्मा कबीर ऐसे ही महापुरुष थे । उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों में सद्-भावना और प्रेम उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न किए । साथ ही विकृत समाज को स्वस्थ रूप प्रदान करने में कोई कमी नही रख छोड़ी ।

कबीर की जन्म तिथि के बारे में भी विवाद है । इनके जन्म और मरण के सम्बन्ध में जो तिथियाँ मान्य हैं उनके आधार पर उनकी आयु १२० वर्ष की होती है । कबीर-पंथियों के आधार पर उनका जन्म संवत् १४५५ और स्वर्गवास संवत् १५७५ में हुआ । कबीर ने रामानन्द से दीक्षा ली । उनके शिष्य धरमदास का भी कहना है—

('काशी में प्रगटे दास कहाए नीरू के गृह आए ।
रामानन्द के शिष्य भए, भवसागर पंथ चलाए ।।')

कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था और उसके एक पुत्र व पुत्री उत्पन्न हुई थी । कमाल-कमाली उनके नाम थे । कबीर के सिद्धान्त दो प्रकार के—धार्मिक व दार्शनिक और दूसरे सामाजिक थे । कबीर के सभी सिद्धान्त समन्वय की भूमि पर खड़े हैं । उन्होने सभी धर्मों और दर्शनों से सारतत्त्व को ग्रहण किया और उसी की स्थापना और प्रचारणा की । सामान्यत: तो वे ज्ञानी और सुधारक ही थे फिर भी उन्होंने भक्ति को अपनाया । ज्ञान और भक्ति के अतिरिक्त कबीर ने प्राणायाम और हठयोग की क्रियाओं को भी मन की शुद्धि के लिए साधन रूप में माना है । अत: कबीर मुसलमान भले ही हो, किन्तु वे हिन्दू संस्कृति मे रंगे हुए थे ।

कबीर अपने समय के युग-प्रतिनिधि कवि थे । उन्होने अपने समय में प्रचलित सभी धर्मों, दर्शनों और मान्यताओं को समझा और परखा, फिर जो ठीक लगा, उसे माना और जो ठीक नहीं लगा उसे अस्वीकार तो किया ही, उसकी कड़ी आलोचना भी की । ऐसा इसलिए किया कि कबीर एक ओर तो सभी धर्मों, दर्शनों और मतमतान्तरों को देख परख कर उनमें से अच्छी-अच्छी बातें ग्रहण करके नई मानवता की प्रतिष्ठा करना चाहते थे और दूसरी ओर समाज का सुधार करके, उसमें व्याप्त बुराइयों को निकालकर सभी सोये व्यक्तियों को जगाना चाहते थे । कबीर युग के सच्चे प्रतिनिधि और सच्चे समाज सुधारक थे । समाज में ऊँच-नीच, जाति-पांति, छोटे बड़े, मूर्ति-पूजा, तीर्थ-यात्रा, रोजा-नमाज, ब्राह्मण शूद्र और धर्म-अधर्म के विचार प्रचलित थे । कबीर सुधारक थे । अत: वे सभी बुराइयों का सुधार करना चाहते थे । इसी कारण वे समाज सुधारक कहलाये ।

कबीर समाज को जिस स्थिति में देख रहे थे, वह स्थिति भयप्रद थी । उसमें कही कोई समता न थी । सभी अपनी-अपनी चलाते हुए अपना स्वार्थ

पूर्ण करने लगे थे । समाज में अन्ध-विश्वास, परम्पराओं का विषैला रूप और मान्यताओं के इतने जड़ रूप प्रचलित थे कि कोई भी सुधारक यह सर्व सहन नहीं कर सकता था, फिर कबीर जैसा जागरूक कलाकार चुप कैसे रह सकता था ।

जिस कवि ने यह तय कर लिया कि मुझे समाज और सामाजिकों को सही रास्ता दिखाना है वह अपने संकल्प को पीछे कैसे लौटा सकता था। कबीर ने भी ऐसा ही किया । युग प्रतिनिधि कवि होने के नाते कबीर ने समाज को खुली आँखों से देखा और समाज में होने वाले पाखण्डों और अन्धविश्वासों को देखकर उनकी आलोचना की थी । कबीर के रूप में तत्कालीन जनता ने एक ऐसी प्रकाश किरण पायी जो सभी के जीवन में फैले अन्धकार को दूर कर सके । कबीर के समय में हिन्दू और मुसलमानों में जो संघर्ष चल रहा था वह कबीर की आँखों से नहीं बचा । वे भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे । वे यह नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को ही श्रेष्ठ सिद्ध किया जाय । वे दोनों को समान भाव से मानते थे । डॉ० हजारीप्रसाद जी ने ठीक ही लिखा है कि 'वे एक ऐसे मिलन बिन्दु पर खड़े थे, जहाँ से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व ।" वे हिन्दू और मुसलमान दोनों में से किसी के भी पाखण्ड को सहन नहीं करते थे । अतः कहते थे—

'न जाने तेरा साहिव कैसा है ?
मसजिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिव तेरा बहिरा है ?
चिउंटी के पग नेउर बाजे सो साहिब सुनता है ।
पंडित होइ कैं आसन मारै, लम्बी माला जपता है ।'

× × ×

'अन्दर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लखता है ।'

मुसलमानों के समान ही उन्होंने हिन्दुओं के पाखण्ड और ढोंग को भी ललकारा । उन्होने पत्थर पूजा और मूर्ति पूजा दोनों का विरोध किया ।

उनका विश्वास था कि इस प्रकार की पूजा से समाज का सुधार सम्भव नहीं है। उन्होंने लिखा—

('हम भी पाहन पूजते, होते वन के रोझ।
सतगुरु की किरपा भई, उतारा सिर ते बोझ॥')

× × ×

'पाहन पूजैं हरि मिले तो मैं पूजूं पहार।'
इसी प्रकार मुसलमानों की अज्ञानता को लक्ष्य करके कबीर ने कहा—
'कांकर पाथर जोड़ि के मस्जिद लई बनाय।
ता पर मुल्ला बाँग दे बहिरा हुआ खुदाय॥'

कबीर जैसा समाज सुधारक भ्रष्टाचार और पाखण्ड को अपनी आँखों से नहीं देख सकता था। अतः उन्होंने भ्रष्ट और अधम लोगों का सुधार किया।

कबीर भ्रष्टाचार के निवारण के लिये जो व्यंग्योक्तियाँ कहते थे, उससे साफ जाहिर है कि वे समाज के भ्रष्टाचार के विरोधी थे। वे वस्तुतः सारग्राही थे। ब्राह्मण जन्म के आधार पर अपनी उच्चता बताते हैं और दूसरे को नीचा, तब कबीर ने कहा—

'जो तू बामन बमनी जाया।
तो आन बाट ह्वै क्यों नहीं आया॥'

ब्राह्मणों में जो छुआछूत के नियम प्रचलित थे, कबीर ने उन्हें उखाड़ फेंकने में पूरी शक्ति लगा दी। इस प्रकार के कथनों में कबीर का समाज सुधारक रूप प्रकट होता है—

('माता झूँठी पिता झूँठा, झूँठे फल खिन लागे।
जूठा आवत जूठा जावत, चेतहु क्यों न अभागे॥')

अन्न जूठा, पानी पुनि जूठा, जूठे बैठि पकाया ।
जूठी करछी अन्न परोस्या, जूठे जूठा खाया ।।
चौका जूठा, गोवर जूठ्या, जूठी का ठीकारा ।
कहत कबीर तेई जन सांचे जे हरि भजै तजि विकारा ।।'

अतः यह कहा जा सकता है कि कबीर ने धर्म के मिथ्याडम्वर और पाखण्ड का डटकर विरोध किया। धर्म के इन ठेकेदारों को कसाई कहकर इनकी पोल खोलना आरम्भ किया तथा उनके कुकर्मो, नीच करतूतों, मिथ्या कृत्यों आदि का उल्लेख करके उन्हें जनता का कट्टर शत्रु घोषित किया। कबीर ने मन को नियन्त्रित करने की ओर विशेष ध्यान दिया। धर्म के क्षेत्र में भी कबीर ने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया। विविध धर्मों और बाह्याडम्वरों के पचड़े में पड़े समाज को मानवता का पाठ पढ़ाया। सारत्व के ग्रहीता कबीर ने सभी धर्मों और मतों का सुधार किया और उनका निचोड़ लेकर मानव धर्म की प्रतिष्ठा की।

इस विवेचन के उपरान्त यह बात आसानी से कही जा सकती है कि कबीर समाज सुधारक थे, सच्चे सारग्रही थे और अपने मतों के आधार पर मानवतावाद को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। स्पष्ट ही कबीर ने सम्पूर्ण समाज में व्याप्त वैषम्य का विरोध करके उसमें साम्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है। परोपकार, सेवा, क्षमा, दान, धैर्य, अहिंसा आदि का प्रचार करके जन-जीवन में शुद्ध आचर और सात्विक भावों के प्रसार पर बल दिया। इन सभी बातों के आधार पर हम कबीर को समाज सुधारक या सारग्राही कह सकते हैं। कबीर की वाणी में जो भ्रष्टाचार का विरोध, पाखण्डों का निषेध और ऊँच-नीच का बहिष्कार है, वह कबीर को समाज सुधारक की संज्ञा दिलाता है।

कुछ निबन्धों की विस्तृत रूपरेखाएँ—

३४. हमारे देश की खाद्य समस्या

१. प्रस्तावना—देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या वृद्धि, छुआ-छूत, राजनीतिक अस्थिरता जैसी अनेक समस्याएँ और खाद्य समस्या। खाद्य समस्या का कृषि प्रधान भारत देश में रूप।

२. खाद्य समस्या का पूर्व इतिहास—प्राकृतिक आपदाएँ, अंग्रेजी शासन काल में अन्न संकट और समस्या की उपेक्षा।

३. खाद्य समस्या का मूलभूत कारण—जनसंख्या में अपरिमित वृद्धि, भारत के विभाजन के कुपरिणाम, प्रवासी भारतीयों का निरन्तर आगमन, कृषि के तरीकों का पिछड़ापन, भूकम्प, सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप, साधनों के अभाव में बेकार भूमि, पूंजीपतियों द्वारा संग्रह और कृत्रिम रूप में अन्न संकट, भूमि वितरण, सहकारिता आदि का प्रसार।

४. खाद्य समस्या के निराकरण के उपाय—जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कृषि के नवीन साधनों का विकास, सहकारिता एवं भूमि सम्बन्धी कानूनों को अधिकाधिक लागू किया जाय, अन्न के दुरुपयोग पर रोक, पूंजीपतियों द्वारा संग्रह पर रोक, "अधिक अन्न उपजाओ" जैसे आन्दोलनों को प्रभावशाली बनाना, कृषि व्यवसाय को महत्त्व।

५. खाद्य समस्या के निराकरण में सरकारी योगदान—कृषि सम्बन्धी नये कानून, कृषि के यन्त्र, रासायनिक खाद, बीज, ऋण आदि की व्यवस्था, सहकारिता आन्दोलन का प्रसार, विदेशों से अन्न मंगा कर खाद्य संकट का निवारण, वितरण व्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता, कृषि कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना।

६. उपसंहार—कृषि उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता।

---

३५. दीपावली

१. प्रस्तावना—भारतीय जन-जीवन में पर्वों एवं उत्सवों का महत्त्व। पर्वों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्व। भारत के विभिन्न पर्वों एवं उत्सवों के समायोजन का आधार, ऋतु परिवर्तन, मनोरंजन, प्राचीन

परम्पराएँ और सांस्कृतिक धरोहर। आलोक का पर्व : दीपावली—सबसे महान् एवं गरिमामय पर्व।

२. दीपावली पर्व का इतिहास—रावण पर राम की विजय, महर्षि दयानन्द जी की पुण्य-तिथि, जैन-धर्म के श्री महावीर स्वामी की निर्वाण तिथि, फसल पकने का समय और ऋतु परिवर्तन आदि अनेक कारणों से दीपमालिका पर्व का आयोजन। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है।

३. दीपावली उत्सव की शोभा—भारत का सबसे बड़ा त्यौहार, सप्ताह पूर्व से तैयारियाँ, घरों की सफाई, सजावट, अमावस्या से पूर्व धन-तेरस और छोटी दीपावली मनाना। दीपावली के दिन सर्वत्र आनन्दमय वातावरण, घरों मे रोशनी, आतिशबाजी, फुलझड़ियाँ-पटाखे छोड़ना, रात्रि में लक्ष्मी-पूजन। अगले दिन गोवर्धन-पूजन और फिर भैया-दूज। सप्ताह भर उत्सव।

४. दीपावली—उत्सव से हानियाँ—पटाखों से बच्चों का जलना, जुआ खेलने की कुप्रथा आदि।

५. उपसंहार—दीपावली राष्ट्रीय जीवन के उल्लास का पर्व और प्रेरणा स्रोत।

---

३६. सहशिक्षा

१. प्रस्तावना—सहशिक्षा क्या है ? भारतीय समाज में नारी जाति की दशा सुधार के लिए शिक्षा की आवश्यकता और सहशिक्षा का दृष्टिकोण—वर्तमान युग की देन।

२. सहशिक्षा की आवश्यकता—नारी जगत् में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने वाले साधन के रूप में, निर्धन देश में आर्थिक अभावों के कारण स्त्री शिक्षा के लिए पृथक शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की कमी, वर्तमान युग में नारी और पुरुष की समानता का दृष्टिकोण।

३. सहशिक्षा से लाभ—कम खर्च द्वारा शिक्षा का नारी जगत् में व्यापक प्रसार, छात्र-छात्राओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का भाव, शिष्टाचार और सौमनस्य का वातावरण, स्त्रियों को वैज्ञानिक तकनीकी एवं प्रत्येक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा, संविधान की मूल भावना (समानता) की

रक्षा, नारी जागरण में योग, सामाजिक जीवन-स्तर का विकास। जीवन-साथी चुनने का सुअवसर।

४. सहशिक्षा से हानियाँ—स्त्री-पुरुष के स्वभाव, व्यक्तित्व और कार्य-क्षेत्र की भिन्नता और सहशिक्षा, चारित्रिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सह-शिक्षा का कुप्रभाव, फैशनपरस्ती में वृद्धि नारी में स्त्रियोचित गुणों (यथा-लज्जा, शील, नम्रता) का अभाव, भारतीय सामाजिक जीवन एवं वातावरण के प्रतिकूल, छात्रों में उद्दण्डता और अनुशासनहीनता।

५. उपसंहार—सहशिक्षा एक आयु सीमा तक ही दी जाय। सहशिक्षा के लिए शिक्षण-संस्थाओं में समुचित वातावरण की आवश्यकता।

---

३७. जब मैं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ

१. प्रस्तावना—जीवन के अनेक प्रसंग और अविस्मरणीय घटनायें।

२. परीक्षा की तैयारी के समय कठोर परिश्रम और साधनामय जीवन का वर्णन।

३. परीक्षा परिणाम के घोषित होने की प्रतीक्षा और घर वालों द्वारा उपहार देने का आश्वासन।

४. परीक्षा परिणाम की घोषणा—मित्र-मण्डली के साथियों के अप्रत्याशित परिणाम, आशा-निराशा का अन्त

५. परीक्षा परिणाम में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर अपार प्रसन्नता। मित्रों द्वारा बधाई स्वीकार करते हुए पहुँचना। मार्ग में मिलने वाले लोगों को परिणाम सुनाकर उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ प्राप्त करना।

६. घर पर माता-पिता और बहन-भाइयों की अपार प्रसन्नता का वर्णन।

७. पिताजी द्वारा उपहार में नयी एच. एम. टी. घड़ी दिलाने का वचन देना। माताजी द्वारा प्रसाद बाँटना, सायंकाल पार्टी का आयोजन।

८. उपसंहार—इस अवसर पर आगामी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए संकल्प करना।

---

३८. जब मेले में मूसलाधार वर्षा होने लगी

१. भूमिका—भारतीय जन-जीवन में मेलों का महत्त्व।

२. मेला देखने का उत्साह और तैयारियाँ, मित्रों के साथ प्रस्थान।

३. वर्णन—मेले का स्थान, मार्ग का दृश्य भीड़-भाड़ और लोगों का उत्साह, मेला-स्थल पर पहुँचना। मेले की दुकानें, होटल, झूले, मदारी, खोमचे वाले और अन्य विक्रेता।

४. वर्षा का प्रारम्भ—आकाश मे घनघोर काले मेघों का घुमड़ना। बूँदाबांदी और तीव्रगति से वर्षा। सम्पूर्ण वातावरण मे कोलाहल और भाग-दौड़। दुकानदारों द्वारा सामान समेटते हुए भी बहुत सा बह जाना। लोगों द्वारा आश्रय के स्थल की खोज। मनचले युवको की मण्डली का मस्ती में राग अलापना।

५ उपसंहार—पानी में घिरे अशक्त लोगों, स्त्रियों व बच्चों की सेवाभावी और उत्साही युवकों द्वारा सहायता। पानी के रुकने पर सबका घरों को प्रस्थान। अधिकांश लोग रंग में भंग पड़ने से उत्साहहीन लौटे।

---

३९. मेरे विचित्र पड़ोसी

१. भूमिका—निवास स्थान का विवरण और संसार में विविध प्रकृति वाले लोगों का वर्णन।

२. मनुष्य का सामाजिक प्राणी के नाते सभी से सम्बन्ध और उचित व्यवहार का महत्त्व।

३. प्रथम पड़ोसी संगीतकार—उनके प्रातः संगीत के अभ्यास से मेरे अध्ययन में बाधा और संगीत के प्रति अरुचि।

४. दूसरे पड़ोसी भगवान के परम भक्त—उनका कीर्तन करना, प्रसाद बाँटना और हर समय मिलते ही सदाचार का उपदेश देना।

५. तीसरे पड़ोसी खिलाड़ी और मिलनसार—उनके यहाँ चैस, कैरम, ताश आदि की मण्डली और दिन-रात हा-हू तथा ठहाके वाली हंसी।

६. चौथे पड़ोसी हस्तरेखा देखने वाले ज्योतिषी महाराज—उनके व्यक्तित्व और स्वभाव की विशेषताएँ।

७. उपसंहार—विचित्र पड़ोसियों का मेरे अध्ययन के अतिरिक्त आचार व्यवहार पर प्रभाव।

---

४०. जब मैं राशन लेने गया

१. भूमिका—वर्तमान सामाजिक जीवन, उत्पादन की समस्या और राशन-व्यवस्था के गुण-दोषों का विवेचन।

२. राशन कार्ड व थैला लेकर राशन की दूकान पर पहुँचा। भारी भीड़ देखकर घबराहट।

३. राशन की दुकान पर लगी भीड़ में स्त्रियों को गाली-गलौज भरी आवाजें, वृद्धों का अपनी बेबसी पर रोना। कुछ मनचले युवकों का ठहाके लगाकर हँसना और इसी बीच भीड़ में से दो में गुत्थमगुत्थी।

४. लड़ाई के कारण भगदड़ में एक के थैले की चीनी बिखर गई, गेहूँ मिट्टी में मिल गया, एक के सिर पर चोट। लोगों का सरकार को कोसना। किसी का भाग्य को दोष देना।

५. कुछ लोगों की सहायता से लाइन बनी। मेरा नम्बर आया। जैसे-तैसे राशन की चीनी लेकर घर पहुँचा। अपनी बहादुरी का बखान।

६. उपसंहार—माताजी से राशन की बजाय बाजार से ही चीनी खरीदने को कहना।

१२
अपठित संचय

'अपठित' का अर्थ है—'नहीं पढ़ा हुआ'। छात्रों के सामान्य ज्ञान, भावाभिव्यक्ति, ग्रहण क्षमता और प्रश्नोत्तर शैली की परख के लिए सामान्य हिन्दी के प्रश्न-पत्र मे पाठ्य पुस्तकों के इतर 'अपठित-अवतरण' दिये जाते हैं। 'अपठित-अवतरण' ऐसे गद्यांश और पद्यांश होते हैं जो अपने आप में सम्पूर्ण अर्थ रखते है। अपठित अवतरणों से सम्बन्धित प्रश्न निम्नांकित प्रकार के होते हैं—

१—व्याख्या सम्बन्धी।

२—भावार्थ या सार लेखन सम्बन्धी।

३—रेखांकित वाक्यों के स्पष्टीकरण सम्बन्धी।

४—अवतरणों से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर।

५—शीर्षक सम्बन्धी।

अपठित अवतरण से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—

१. **व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नोत्तर**—अपठित अवतरणों की व्याख्या करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मात्र कठिन शब्दों का शब्दार्थ ही प्रस्तुत न कर दिया जाय। इस प्रकार से व्याख्या की जाय कि सम्पूर्ण अवतरण का मूल भाव स्पष्ट हो जाय। व्याख्या स्पष्ट, पूर्ण, सुबोध एवं सुसम्बद्ध होनी चाहिए। व्याख्या करते समय सरल भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है।

२. **सार लेखन सम्बन्धी प्रश्नोत्तर**—सार या भावार्थ का आकार मूल अवतरण से एक तिहाई होना चाहिए। आकार का निर्धारण अवतरण की शब्द संख्या गिन कर किया जा सकता है। सार-लेखन में मूल अवतरण के प्रमुख विचार और भाव पूर्णतः सार रूप में आ जाने चाहिए। सार-लेखन से पूर्व मूल अवतरण को दो तीन बार पढ़कर समझ लेना चाहिए। तत्पश्चात् अवतरण के आधार पर कुछ विचार

विन्दु लिख लेने चाहिए और उन विचार विन्दुओं को वाक्यों के में लिख देना चाहिए।

३. रेखांकित वाक्यांश सम्बन्धी प्रश्न—अपठित अवतरण के रेखांकित वाक्य या वाक्यांश गूढ़ एवं महत्वपूर्ण होते हैं। वाक्यांशों में मात्र शब्दार्थ ही न करना चाहिए वरन् उन्हें विधिवत् समझकर पूरे अवतरण के सन्दर्भ के अनुसार उत्तर देना चाहिए।

४. प्रश्नोत्तर—पूछे गए प्रश्नो का उत्तर सामान्यतः अवतरण में ही निहित रहता है। अतः अवतरण के आधार पर संक्षेप में प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। प्रश्नोत्तर मे व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए तथापि उन्हें विस्तार देना आवश्यक है।

५. शीर्षक सम्बन्धी प्रश्न—शीर्षक आकर्षक, संक्षिप्त और अवतरण के केन्द्रीय भाव का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। अवतरण को एकाधिक बार पढ़ने से अवतरण निश्चित करने सहायता मिलती है। नीचे कुछ गद्य और पद्य अवतरण सोदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

१. गद्य अवतरण :

मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियाँ (अन्तर्निहित रहती हैं, शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही सम्पन्न होता है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है, उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा ही होता है। विना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु-तुल्य रहता है। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। इसीलिए भारतीय मनीषियों ने कहा है—'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान के बन्धन से मुक्त करती है।

उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

१. शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता किस प्रकार प्रदान करती है?

२. "बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु-तुल्य होता है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।

३. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों का अर्थ लिखिये।

४. प्रस्तुत अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।

उत्तर—

१. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस नाते उसके अनेक सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और कर्त्तव्यों (उत्तरदायित्वों) के प्रति सचेत मनुष्य का व्यक्तित्व पूर्ण कहलाता है। दूसरे शब्दों में मात्र अपना ही हित सोचने वाला व्यक्ति स्वार्थी और एकांगी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों का समुचित ज्ञान होता है। इसकी मानसिक शक्तियों का विकास भी शिक्षा द्वारा होता है। व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए ये सब बातें आवश्यक हैं। इसलिए यह कहना सर्वथा उचित है कि शिक्षा मानवीय व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है।

२. खाना-पीना, सोना-जागना आदि विभिन्न जीवन-क्रियाएँ मनुष्य और पशुओं में समान ही होती हैं। केवल बुद्धि शक्ति ही मनुष्यों में अधिक होती है। इस बुद्धि शक्ति का विकास शिक्षा द्वारा होता है। जो मनुष्य अशिक्षित होता है उसमें बुद्धि चेतना का विकास न होने के कारण उसमें और पशु में कोई अन्तर नहीं होता। इसलिए यह कहा गया है कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु-तुल्य होता है।

३. सर्वतोमुखी विकास—मानव जीवन में शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी प्रकार की उन्नति को सर्वतोमुखी विकास कहते हैं।

अन्तर्निहित—छिपी हुई।

ज्ञान चेतना—बुद्धि की शक्ति, चिन्तनशीलता।

दिव्य आलोक—पवित्र प्रकाश अर्थात् बौद्धिक जागृति।

४. अवतरण का शीर्षक—शिक्षा का उद्देश्य

अथवा

शिक्षा और मानव जीवन

२. गद्य अवतरण :

राष्ट्र वह भू-खण्ड है जिसके निवासियों का उस भू-खण्ड की भाषा और संस्कृति से प्रेम हो। राष्ट्र के निवासियों में पारस्परिक प्रेम के साथ-साथ राष्ट्र के हित की भावना होनी चाहिए। जिस राष्ट्र के निवासियों में राष्ट्र के लिए उत्सर्ग करने की भावना जितनी बलवती होगी, वह राष्ट्र उतना ही प्रगतिशील व शक्तिशाली होगा। राष्ट्र के उत्थान में प्रत्येक राष्ट्रवासी का हाथ रहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना काम सुचारू रूप से पूर्ण करके अप्रत्यक्ष में राष्ट्र का विकास करता है। राष्ट्र के निवासियों में राष्ट्रोत्थान का उत्तरदायित्व अधिकांशतः विद्यार्थियों पर ही रहता है, क्योंकि आज के विद्यार्थी ही भावी नागरिक, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आदि कर्त्तव्यों का भलीभांति पालन कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्र के विद्यार्थी ही उसकी भविष्य की आशा व विश्वास हैं।

उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

१. अवतरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।

२. अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।

उत्तर—

सारांश

राष्ट्र के निवासियों में पारस्परिक प्रेम व राष्ट्रहित की भावना अपेक्षित है, इससे वह राष्ट्र प्रगतिशील व शक्तिशाली बनेगा। राष्ट्रीय विकास में प्रत्येक नागरिक का हाथ रहता है, परन्तु इस कार्य में विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व अधिकतर है। आज का विद्यार्थी भविष्य का राष्ट्रनेता बनेगा, इसलिए राष्ट्र का भविष्य विद्यार्थियो के कन्धों पर टिका हुआ है।

शीर्षक

राष्ट्र और विद्यार्थी अथवा राष्ट्रोत्थान में विद्यार्थियों का योगदान।

३. अपठित पद्यांश

ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं,
देखा माता का ऐसा रक्तिम शृंगार नहीं।
कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ की वन्दन के।
कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के अर्चन के।
शीश शीश मे भाव उमड़ते माँ पर अर्पण के।
प्राण-प्राण में भाव उमड़ते शोणित तर्पण के।

जीवन की धारा मे देखी ऐसी धार नहीं
सत्य अहिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं।
विश्व मैत्री का वृत भी कोई अभिशाप नहीं,
जयी सत्य है सदा असत की टिकती चाप नही,
सावधान हिंसक ! प्रतिहिंसा की कोई माप नहीं।
कोई भी प्रस्ताव पराजय का स्वीकार नहीं !
ऐसा ही आवेश, देश मे जिसका पार नहीं।

प्रश्न— १. उपर्युक्त पद्यांश में किस आवेश का उल्लेख हुआ है ?
२. सत्य की विजय होती है, किस प्रकार ? बताइये।
३. मोटे अक्षरों मे मुद्रित शब्दों का अर्थ लिखिए।
४. प्रस्तुत पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।
५. इस पद्यांश में आपको कौनसा रस लगता है ?
६. मैत्री, अभिशाप, पराजय, शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।

उत्तर—

१. प्रस्तुत पद्यांश में भारतीय जनता के आवेश का चित्रण किया गया है। भारत-भूमि पर विदेशी आक्रमण होते ही जन-मानम के कंठ-कंठ में स्वदेश प्रेम का गान और समर्पण का भाव भर गया। जन-मानस के अदम्य उत्साह को ही आवेश की संज्ञा दी गई है।

२. प्रस्तुत पद्यांश में भारतीय परम्परा के 'सत्यमेव जयते' अर्थात् सत्य की जय होती है, सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। कवि के मतानुसार असत्य अस्थायी होता है, अतः उसकी विजय कभी नही हो सकती।

३. रक्तिमश्रृंगार—रक्त रंजित श्रृंगार अर्थात् भारत माँ की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना।

शोणित तर्पण—खून बहाकर आक्रमणकारी के पितरों का श्राद्ध करना।

आवेश—जोश या अदम्य उत्साह।

४. शीर्षक—विजयी भारत अथवा 'सत्यमेव जयते'।

५. प्रस्तुत पद्यांश में वीर रस है।

६. मैत्री—शत्रुता, अभिशाप—वरदान, पराजय—विजय।

अभ्यास हेतु अवतरण

(१)

स्वतंत्र भारत के विद्यार्थियों के कन्धों पर समाज का भारी बोझ है। आज जो विद्यार्थी है, कल वही समाज का कर्णधार बनेगा। आज के समाज में चोरी, रिश्वतखोरी, कपट, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, जुआ-शराब आदि असंख्य कुरीतियाँ और बुराइयाँ फैली हुई हैं, उनको रोकने तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में वह अपना सहयोग दे। समाज के जीवन में व्याप्त दूषित तत्त्वों को निकाल फेंके। स्वतंत्र देश के गौरव के अनुकूल ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो ईमानदार, कर्त्तव्यपरायण और परिश्रमी हों। इस समय हमारे देश का जन-जीवन परिवर्तन के संधि-स्थल पर है। आज के विद्यार्थी को निरन्तर जागरूक रहकर सामाजिक जीवन के परिवर्तनों और प्रगति में योगदान करना चाहिए।

प्रश्न—१. उपर्युक्त गद्यांश में मोटे टाइप में छपे अक्षरों का अर्थ लिखिए।
२. स्वतंत्र भारत के विद्यार्थियों का क्या उत्तरदायित्व है?
३. 'हमारे देश का जीवन परिवर्तन के संधि-स्थल पर है।' इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
४. उपर्युक्त गद्य-अवतरण का शीर्षक लिखिए।

(२)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह एक दूसरे के सहयोग से अपना काम चलाता है। यह सहकारिता है। सहकारिता के कारण ही आज चारों ओर देश में इतनी प्रगति दिखाई देती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज सहकारिता की विशेषताएँ व्याप्त हैं। सहकारिता का मूल उद्देश्य ही यह है—*'एक सबके लिए और सब एक के लिए'*। इसी आदर्श को सामने रखकर जब समाज जन-कल्याण के लिए आगे बढ़ता है, तब सभी अंग पुष्ट हो जाते हैं और फिर कोई अंग पिछड़ा हुआ नहीं रह सकता। उसके जैसे हम परिवार में किसी को भूखा, नंगा या दुखी नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार समाज के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण सहकारिता के कारण बदल जाता है और हम किसी को भी निराश, असहाय और पिछड़ा हुआ नहीं देख सकते

है। सहकारिता का उद्देश्य ही यह है कि व्यक्ति परस्पर सहयोग से समाज की उन्नति करे।

प्रश्न—१. सहकारिता का अर्थ क्या है? संक्षेप में लिखिए।
२. उपर्युक्त अवतरण का सारांश लिखिए।
३. अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
४. 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।' इस पंक्ति की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए।

(३)

इतिहास का अनुभव बताता है कि जब भी कठिनाइयाँ आती हैं, दुःख आते हैं, हमारे धैर्य की, हमारी सहनशीलता की और हमारी शक्ति की परख हो जाती है। क्षुधा, अस्वस्थता, प्रियजन का निधन, प्रेम मे असफलता अथवा ऐसी ही घटनाएँ हमारी शक्ति को गति देती हैं। कभी-कभी तो ऐसा देखने में आया है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति ने इन असुविधाओं एवं आपत्तियों के समय विशेष साहस का परिचय दिया है। जब तक आपत्तियाँ नही आतीं, हमें अपनी सहनशीलता का पता ही नहीं चलता है। आपत्तियों से लड़ते समय ही हम उनसे विशेष परिचित होते हैं। सोना आग में तपकर खरा होता है, हमारा चरित्र भी आपत्तियों मे पड़कर निखरता है। इतिहास के पृष्ठों पर अंकित घटनाएँ इस तथ्य की पुष्टि करती हैं।

प्रश्न—१. प्रस्तुत अवतरण का सारांश लिखिए।
२. प्रस्तुत अवतरण का शीर्षक दीजिए।
३. हमारी शक्ति की परख कब और कैसे होती है?
४. इतिहास की घटनाएँ किस तथ्य की पुष्टि करती हैं?

(४)

माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। उनमें ऊँच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद-पुर और गाँव, जगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन

अनेक प्रकार की भाषाएँ बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द्र भाव अखण्ड है। सभ्यता और रहन-सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं किन्तु इस कारण मातृभूमि के साथ उनका जो सम्बन्ध है उसमें कोई भेद-भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र के प्रत्येक अंग को सुविधा हमें देनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अन्धकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र का स्वास्थ्य उतने अंग में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए।

प्रश्न— १. पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन लेखक की दृष्टि में समान किस प्रकार हैं ?

२. समन्वय का मार्ग क्या है ? वह किस प्रकार प्रगति में सहायक है ?

३. काले और मोटे टाइप में छपे शब्दों का अर्थ लिखिए।

४. प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।

(५)

कुटियों में थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान,
वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान,
नाना धुन्धू पन्त पेशवा जुटा रहा था सब सामान,
बहिन छबीली ने रण-चण्डी का कर दिया प्रकट आह्वान,
हुआ यज्ञ प्रारम्भ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।

प्रश्न—१. झांसी की रानी को 'रण-चण्डी' क्यों कहा गया है ?

२. 'कुटियों की विषम वेदना' और 'महलों में आहत अपमान' से क्या आशय है ?

३. प्रस्तुत पद्यांश की तीन विशेषताएँ बताइये।

(६)

चाह नहीं है सुरबाला के,
गहनों में गूँथा जाऊँ।

चाह नहीं प्रेमी माला में,
विंध प्यारी को ललचाऊँ ।
चाह नहीं सम्राटों के शव पर,
हे हरि ! डाला जाऊँ ।
चाह नहीं देवों के सिर पर,
चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ ।
मुझे तोड़ लेना वनमाली,,
उस पथ पर तुम देना फेंक ।
मातृ-भूमि पर शीश चढ़ाने,
जिस पथ जावें वीर अनेक ।

प्रश्न—

१. फूल की चाह (कामना) को अपने शब्दों में लिखिये ।
२. इस कविता में कवयित्री ने क्या भाव व्यक्त किए हैं ?
३. प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखिये ।

(७)

जागो ज्वालामुखी राष्ट्र के, जागो-जागो अंगारो ।
करो देश की रक्षा का आवाहान खूनी हथियारो ।
आजादी उनकी है जो नर बलि से तर्पण करते हैं ।
चामुण्डा-सी खप्पर खोले बढ़े तुम्हारी टोली फिर ।
धंस जाओ हत्यारों की छाती में बन कर संगीनें ।
क्षुब्ध सिन्धु से निकल पड़ो तुम वैरी का शोणित पीने ।
लौट न पाये कोई जीवित शत्रु तुम्हारी सीमा से ।
रक्त-लिप्त हिम के शिखरों से उठे विजय की टोली फिर ।।

प्रश्न—

१. राष्ट्र के जागरण और प्रगति के लिए क्या बातें आवश्यक हैं ?
२. उपर्युक्त अवतरण का सारांश लिखिये ।
३. अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए ।

(८)

गाँधीवाद हमें देता जीवन पर अन्तर्गत विश्वास,
मानव की निस्सीम शक्ति का मिलता उससे चिर आभास।
व्यक्ति पूर्ण बन, जग जीवन में भर सकता है नूतन प्राण,
विकसित मनुष्यत्व कर सकता पशुता से जन कल्याण।
मनुष्यत्व का सत्य सिखाता निश्चय हमको गाँधीवाद,
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद ॥

प्रश्न—

१. 'गाँधीवाद' की विशेषताएँ क्या हैं ?
२. काले और मोटे टाइप में छपे शब्दों का अर्थ लिखिये।
३. प्रस्तुत गद्यांश की अन्तिम पंक्ति की व्याख्या कीजिए।
४. पद्यांश का भावार्थ लिखिए।

(९)

भारत है भावना दाह जग-जीवन की हरने की;
भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की।
जहाँ कहीं एकता अखण्डित, जहाँ प्रेम का स्वर है,
देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है।
भारत जहाँ वहाँ जीवन साधना, नहीं है भ्रम में,
धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में।
जहाँ त्याग माधुर्य पूर्ण हो जहाँ भोग निष्काम,
समरस हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम ॥

प्रश्न—

१. मोटे और काले टाइप में छपे शब्दों का अर्थ लिखिए।
२. 'राग-मुक्त' और 'माधुर्यपूर्ण' शब्दों में कौनसा समास है ?
३. कवि ने 'भारत' को भावना और कल्पना की संज्ञा क्यों दी है ?
४. प्रस्तुत पद्यावतरण का भावार्थ लिखिए।

(१०)

अब विदा दे, देश की धरती बुलाती है।
अब विदा दे, मरण मंगल-प्रात आती है।

आज बड़भागण जवानी, देख तू राणी,
देश मांगी आज म्हारी शीश कुरवाणी।
प्यार खातर जिन्दगी लम्बी पड़ी सारी,
पण घड़ी आ मुड़ न आसी, सोच लै राणी।
चानणों दे; देश की गरिमा जगावै है।
अब विदा दे, मरण मंगल प्रात आवै है।।

प्रश्न—

१. मोटे काले टाइप में मुद्रित शब्दों का अर्थ लिखिये।
२. 'मरण-मंगल-प्रात' से कवि का क्या आशय है?
३. प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ सरल शब्दों में लिखिये।

(११)

जग पीड़ित है अति दुख से,
जग पीड़ित है अति सुख से,
मानव जग में बँट जावे,
दुख सुख से औ सुख दुख से।
अविरत दुख है उत्पीड़न,
अविरत सुख भी उत्पीड़न,
सुख दुख की निशा दिवा में,
सोता जगता जग-जीवन ।।

प्रश्न—

१. मोटे काले टाइप मे छपे शब्दों का अर्थ लिखिये।
२. कवि ने जग को दुख और सुख दोनों से पीड़ित क्यों कहा है?
३. प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखो।
४. इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है?

(१२)

कोटि-कोटि कंठों से निकली,
आज यही स्वर-धारा है,
भारतवर्ष हमारा है,
यह हिन्दुस्तान हमारा है।

यहाँ प्रथम मानव ने खोले,
निंदियारे लोचन अपने,
इसके नभ तल उसने देखे,
शत-शत नवल-सृजन-सपने,
यहाँ उठे स्वाहा के स्वर औ,
यहाँ सुधा के मंत्र बने,
ऐसा प्यारा देश पुरातन,
ज्ञान निधान हमारा है ।
भारतवर्ष हमारा है,
यह हिन्दुस्तान हमारा है ।।

प्रश्न—

१. 'नवल-सृजन-सपने' से कवि का क्या आशय है ?
२. प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारत के गौरव का वर्णन किस प्रकार किया है ?
३. मोटे काले टाइप में छपे शब्दों का अर्थ लिखिये ।
४. इस पद्यांश का सारगर्भित शीर्षक लिखिये ।

(१३)

नगाधिराज शृंग पर खड़ी हुई,
समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई,
स्वदेश में सभी जगह गड़ी हुई,
अटल ध्वजा, हरी, सफेद, केसरी ।

न साम-दाम के समक्ष यह रुकी,
न दण्ड-भेद के समक्ष यह झुकी,
सगर्व आज शत्रु-शीश पर ठुकी,
विजय ध्वजा, हरी, सफेद, [illegible]

चलो उसे [illegible]

चलो उसे प्रणाम आज सब करें,
अजर सदा, इसे लिए हुए जिएँ,
अमर सदा इसे लिए हुए मरें ।
अजय ध्वजा, हरी, सफेद, केसरी ।।

प्रश्न—

१. प्रस्तुत पद्यांश में तिरंगे की किन विशेषताओं की ओर कवि ने संकेत किया है ?
२. मोटे काले अक्षरों में मुद्रित शब्दों का अर्थ लिखिये ।
३. पद्यांश का भावार्थ लिखिये ।

१३

संक्षिप्तीकरण

वर्तमान मशीनी युग के व्यस्त मानव के पास समय का अत्यधिक अभाव है । आज मानव सदैव ऐसे साधनों की खोज करता है कि वह कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सके । तात्पर्य यह भी है कि कम परिश्रम से अधिक कार्य भी हो जाय । इसके लिए मनुष्य संक्षिप्त मार्ग अपनाता है । किसी विस्तृत पत्र या निबन्ध या कहानी अथवा उपन्यास को पूरा पढ़ने का समय मनुष्य के पास नहीं है । अतः हमें अपनी बात किसी को समझाने के लिए भाषा के संक्षिप्त मार्ग की आवश्यकता होती है। इस संक्षिप्त मार्ग से हम कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में, अपना मन्तव्य दूसरे के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं । लेख और पत्रों में भी हमने यही ढंग अपनाया है । समय की बचत के कारण वर्तमान युग में संक्षिप्तीकरण का महत्त्व प्रतिदिन बढता ही जा रहा है । आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों के केवल

शीर्षक पढ़ कर ही उसका पूरा अर्थ समझ लेते हैं और उससे हमारा काम चल जाता है।

संक्षिप्तीकरण की परिभाषा : किसी विस्तृत विवरण या अनुच्छेद में प्रकट प्रमुख भावों को सार रूप में प्रस्तुत करने को संक्षिप्तीकरण कहते हैं।

दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि—

"दिये हुए अवतरण को संक्षेप में लिखना, ताकि कुछ ही शब्दों में हम सम्पूर्ण भाव को समझ सकें, सार लेखन या संक्षिप्तीकरण कहलाता है।"

संक्षिप्तीकरण सम्बन्धी नियम—

१. दिये हुए अवतरण को कई बार (कम से कम तीन या चार बार) पढ़कर, उसका प्रमुख भाव बुद्धि में जमा लेना चाहिए। यदि तीन बार पढ़ने से भी मूल-भाव पकड़ में नहीं आता है तो अनुच्छेद को एक-दो बार और पढ़ना चाहिए।
२. अवतरण को समझने के पश्चात् मुख्य बातों को या तो रेखांकित कर लेना चाहिए अथवा उन्हें कागज पर क्रमबद्ध लिख लेना चाहिए।
३. संक्षेप सदैव अपनी ओर से अपने ही शब्दों में लिखा जाना चाहिए। उस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपको केवल मूल विचारों को सामने रख देना है। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को इस बात का सदैव ध्यान रहे कि अनुच्छेद का तात्पर्य अथवा आशय ज्यों का त्यों बना रहे।
४. मूल अनुच्छेद की तुलना में एक तिहाई अथवा एक चौथाई शब्दों में सार लिखना चाहिए।
५. संक्षेपण को अन्तिम रूप देने से पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। फिर उसमें उचित एवं आवश्यक संशोधन करने चाहिए।
६. संक्षेपण प्रवाहपूर्ण होने चाहिए। सम्बन्धित समस्त विचारों एवं भावों को एक साथ माला की तरह गूँथा जाना चाहिए ताकि विचारों अथवा भावों का तारतम्य बना रहे।

७. रेखांकित शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने से पूर्व उसे एक-दो बार पढ़ा जाना चाहिये।

८. संक्षेप की भाषा एवं शैली व्याकरण के नियमों अनुसार होनी चाहिए।

९. मूल अवतरण का संक्षिप्तीकरण करने के पश्चात् उसका उचित शीर्षक अवश्य देना चाहिए। शीर्षक छोटा, आकर्षक यथा अवतरण के मूल भाव का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए।

१०. (अ) संक्षिप्तीकरण लिखते समय मूल अनुच्छेद के मुहावरे, अलंकार, उदाहरण तथा दृष्टान्त आदि को छोड़ देना चाहिए।
   (ब) विशेषण उप-वाक्यों को विशेषण वाक्यांश (Phrase) अथवा विशेषण पद में ही बदल लेना चाहिए।
   (स) जो वाक्य अथवा उप-वाक्य एक शब्द या वाक्यांश में समा सके, उन्हें उसी मे परिवर्तित कर देना चाहिए।

११. संक्षिप्तता के साथ-साथ स्पष्टता, संक्षिप्तीकरण का प्रथम गुण होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी अवतरण की ही कुछ पंक्तियों का चुनकर सार संक्षेप के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि मूल या केन्द्रीय भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है। अवतरण के शब्दों का प्रयोग करना बुरा नही है, किन्तु अनुच्छेद की पंक्तियों को ज्यों का त्यों लिख देना ठीक नहीं है।

१२. जहाँ तक सम्भव हो, संक्षिप्तीकरण की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। अगर अवतरण के कुछ शब्द या वाक्यांश कठिन हों तो उन्हें यथा सम्भव सरल एवं सुबोध बना लेना चाहिए।

१३. संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में काफी संयम एवं कृपणता से काम लेना चाहिए। कोई भी शब्द बेकार और बेजान नही होना चाहिए।

१४. संक्षेपण में से समानार्थी शब्दों को हटा देना चाहिए।

१५. संक्षिप्तीकरण की भाषा में साहित्यिकता का समावेश करना उचित नहीं है।

५. शीर्षक इतना आकर्षक हो कि एक बार पढ़ने मात्र से सम्पूर्ण अवतरण का भाव दर्पण के समान प्रतिबिम्बित हो जाय ।

६. सामान्यतया शीर्षक के अवतरण की प्रथम दो पंक्तियों में ही उपलब्ध हो जाया करता है; किन्तु यह नियम प्रत्येक अवतरण पर लागू नहीं हो सकता है ।

संक्षिप्तीकरण के भेद

संक्षिप्तीकरण को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है—

१. तारों का संक्षिप्तीकरण : तार को संक्षिप्त करते समय संक्षेपक को मूल भाव सदैव ध्यान में रखना चाहिए । तार में सूचना एवं समाचार के भाव को सांकेतिक शब्दावली में लिखना आवश्यक होता है । तार के लिए हुए पते के अनावश्यक अंशों को समाप्त कर देना चाहिए । तार का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसका मूल भाव तो खण्डित न हो और कम से कम शब्दों में सम्पूर्ण आशय दूसरे की समझ में आ जाय ।

२. पत्रों का संक्षिप्तीकरण : विस्तृत पत्रों में छोटी सी बात को बहुत लम्बा करके लिखा जाता है । जबकि सत्य यह है कि पत्र जितना छोटा और सारगर्भित होगा उतना ही अधिक प्रभावक भी होगा । पत्र को संक्षिप्त करते समय हमारा ध्यान पत्र में लिखे गये तथ्यों की मूल भावना पर रहना चाहिए । जिस स्थान पर तथ्यों की पुनरावृत्ति हो, उस अंश को तुरन्त ही निकाल देना चाहिए । प्रत्येक अनुच्छेद में लिखी गई बात को एक वाक्य में लिखना बड़ी चतुरता एवं बुद्धि तथा अभ्यास का कार्य है । पत्र-व्यवहार सम्बन्धी संक्षेपण दो प्रकार का होता है—

(अ) प्रवाह संक्षेप (Running Precies)
(ब) तालिक संक्षेप (Tabular Precies)

तालिका संक्षेप में प्रत्येक पत्र के लिए पाँच स्तम्भ तैयार किये जाते है । उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित तालिका को प्रस्तुत किया जा सकता है—

क्रम संख्या	पत्र संख्या	तिथि	भेजने वाला और पाने वाला	विषय
१	२	३	४	५

३. **कथा-साहित्य का संक्षिप्तीकरण** : कहानी और उपन्यास कथा-साहित्य के अन्तर्गत आते है । इनके संक्षिप्तीकरण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है—

(अ) मूल अथवा प्रधान कथा के सूत्र अखण्डित रहे ।

(ब) नायक एवं अन्य प्रमुख पात्रों के चरित्र की रूपरेखा प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

(स) कथा में चित्रित समस्त वातावरण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।

(द) कथा में निहित उद्देश्य को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना चाहिए ।

४. **भाषण-लेख का संक्षिप्तीकरण** : लेख या भाषण अथवा निबन्ध का संक्षिप्तीकरण करते समय मूल बिन्दु या केन्द्रीय भाव का सदैव स्मरण रखना चाहिए । भाषण, लेख अथवा निबन्ध में दिये गये आंकड़ों एवं वैज्ञानिक तथ्यों तथा नामों को यथावत् रखना अनिवार्य है ।

५. **वक्तव्य, समाचार, सम्पादकीय, विज्ञापन का संक्षिप्तीकरण** : वक्तव्य, समाचार, सम्पादकीय तथा विज्ञापन लिखना एक कला है । विस्तृत सम्पादकीय को पढ़ते-पढ़ते पाठक ऊब जाता है । विज्ञापन विस्तृत होने पर बहुत महँगे पड़ते हैं । समाचार एवं वक्तव्य भी कलेवर-विस्तार के कारण नीरस हो जाते हैं । यदि संक्षिप्त रूप में इन सब विधाओं को प्रस्तुत किया जाय तो निश्चित ही इसका प्रभाव विस्तृत की अपेक्षा किसी प्रकार भी कम नहीं होता है । अतः संक्षेपक को चाहिए कि इन सभी को प्रस्तुत करते समय कम से कम किन्तु अधिकाधिक प्रभावी शब्दों का उपयोग करे । मूल बिन्दु का इन सब में भी ध्यान रखना अनिवार्य है अन्यथा जो हम कहना चाहेंगे पाठक समझ ही न पायेगा ।

पत्र लेखन के अतिरिक्त स्वतन्त्र सम्बद्ध विषय (Continuous matter) का संक्षिप्तीकरण उदाहरण के रूप में नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है—

सर्वनाम—मैं, हम, तुम, मुझे, हमें, तुम्हें आदि को अन्य पुरुष—वह, वे, उन्हें, उनको में बदल देना चाहिए । जहाँ प्रश्न और उत्तर हों, वहाँ इस प्रकार लिखना चाहिए—

जहां कोई व्यक्ति न हो	निर्जन
दूसरों का पोषण करने वाला	परपोषक

संक्षिप्तीकरण के उदाहरण

(१)

मूल अवतरण

आज देश स्वतन्त्र है। हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी है जिससे हमारी नवीन स्वतन्त्रता की रक्षा हो सके। आये दिन ऐसे सकट हमको चुनौती देते रहते हैं, जिनसे निपटने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। यदि विद्यालयों मे देश-सेवा की यह भावना दृढ़ हो जाय तो भविष्य के लिए बड़ी तैयारी हो सकेगी। प्राचीन काल में आश्रमों मे वेदशास्त्रों के साथ अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पाण्डवों को सैनिक शिक्षा दी थी। सैनिक शिक्षा से शारीरिक शिक्षा के साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। सेवा, तत्परता, परिश्रमशीलता एवं निर्भयता आदि गुण इस शिक्षा में अपने आप आ जाते हैं। जीवन भी तो एक युद्ध-क्षेत्र ही है। इस क्षेत्र मे रहने के लिए भी उपर्युक्त गुणों की आवश्यकता पड़ती हैं। हमारे देश की संस्कृति शान्ति-प्रधान है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं की हम अपनी शक्ति में वृद्धि न करें। आज सम्पूर्ण संसार सैनिक शिक्षा पर जो ध्यान दे रहा है, उसे देखते हुए हमारे लिए भी इस ओर कदम बढ़ाना आवश्यक हो जाता है।

संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया

(क) मुख्य बिन्दु

१–अपने स्वतन्त्र देश की रक्षा के लिए शक्ति-वृद्धि।
२–हमको चुनौती और शक्तिशाली सेना की आवश्यकता।
३–विद्यालयों में देश-सेवा की भावना।
४–प्राचीन काल के आश्रमों में अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा।
५–सैनिक शिक्षा से मानवीय गुणों का विकास।
६–हमारी शान्ति-प्रधान संस्कृति।
७—संसार का सैनिक-शिक्षा पर ध्यान और हमारा कर्त्तव्य।

(ख) शीर्षक—सैनिक शिक्षा का महत्त्व

(ग) संक्षेपण—अपने स्वतंत्र देश की सुरक्षा, शान्ति स्थापना तथा अन्य देशों की चुनौती स्वीकार करने के लिए शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। प्राचीन गुरुकुलों की भाति यदि आज भी विद्यालयों में सैनिक शिक्षा दी जाय तो छात्रों में मानवीय गुणों की वृद्धि के साथ-साथ देश रक्षा भी आसानी से हो सकती है। शातिप्रिय होते हुए भी देश को सैनिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

(२)

मूल अवतरण

मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती और प्रभावशाली होती है कि उसके सामने क्या मातृ-भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं केवल आचार की मौन भाषा ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी में सुन्दरता पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। चन्द्रमा की मद हंसी का तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्या का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त के पश्चात् श्री केशवचन्द्र सैन और महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी, यह तो कल की बात है, कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है।

(क) संकेत बिन्दु

१—व्याख्यानों से अधिक मौन आचरण का प्रभाव।

२—मौन आचरण हृदय पर प्रभाव डालता है।

३—मौन आचरण का प्रभाव चन्द्रमा एवं नक्षत्रावलि के सौन्दर्य के समान होता है।

(ख) शीर्षक चयन

१—मौन आचरण

२—आचरण की मौन भाषा।

(ग) संक्षिप्तीकरण

व्याख्यानों की अपेक्षा व्यक्ति का आचरण अधिक प्रभाव डालता है मौन आचरण हमारे हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है और चन्द्र-नक्षत्रों की किरणों के सौन्दर्य के समान हमारे हृदय में आचरण की सुन्दरता के संस्कार भर जाते है।

(३)

मूल अवतरण

ईश्वर भी सहायक और अनुकूल उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। अपने आप अपनी सहायता की भावना आदमी मे सच्ची तरक्की की बुनियाद है। अपने सुप्रसिद्ध पुरुषों की जीवनी इसका उदाहरण तो है ही, वरन् प्रत्येक जाति के लोगों में बल और ओज तथा गौरव एव महत्त्व के आने का आत्म-निर्भरता सच्चा द्वार है। बहुधा देखने में आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नही पहुँचा सकती जितनी आत्म-निर्भरता। समाज के बन्धनों में भी देखिए तो बहुत तरह के सशोधन सरकारी कानूनों के द्वारा वैसे नही हो सकते, जैसे समाज के एक-एक मनुष्य का अपने संशोधन, अपने अलग-अलग करने से हो सकते है। "कड़े से कड़ा समाज आलसी को परिश्रमी, अपव्ययी या फिजूल खर्च को किफायतदार या परिमित व्ययशील, शराबी को परहेजगार, क्रोधी को शात या सहृदयशील, सूम को उदार, लोभी को सतोषी, मूर्ख को विद्वान्, दर्पान्ध को नम्र, दुराचारी को सदाचारी, कदर्य को उन्नतमना, दरिद्र भिखारी को आढय, भीरू डरपोक को वीर धुरीण, झूठे गपोड़िये को सच्चा, चोर को शाह, व्यभिचारी को एक पत्नी व्रतधारी इत्यादि नहीं बना सकता, किन्तु ये बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने मे ला सकते हैं।"

शीर्षक—आत्म-निर्भरता

संक्षिप्तीकरण—आत्म-निर्भरता से मानसिक शान्ति प्राप्त होती है। वही आत्मिक शान्ति मनुष्य को उन्नति की ओर अग्रसर करती है। सरकार या कड़ा समाज भी स्वाभाविक दोषों को दूर नहीं कर सकता, किन्तु आत्म-निर्भरता से यह सम्भव है।

(४)

मूल अवतरण—(संवाद शैली)

अपरा—कुछ गुनगुना रही है।

द्रोणाचार्य—ठहरो, तुम्हारी इस स्वर-माधुरी ने मेरी सारी शाँति हर ली। कौन हो तुम सुन्दरी ?

अपरा—कोई भी हूँ। आप अपना तात्पर्य प्रकट करें।

द्रोणाचार्य—यही तो [कलश की ओर बढ़ता है।]

अपरा—यह क्या करते हैं आप ? मेरा कलश किसी की छाया पड़ने से भी निन्दित हो जायगा। इसमें पूजा का प्रतिष्ठान है।

द्रोणाचार्य—इन भीलों के गाँव में भी क्या तुम किसी देव-मन्दिर की पुजारिन हो ?

अपरा—अच्छा पहचाना आपने मुझे।

द्रोणाचार्य—और तुमने भी तो ! धनुष-बाण धारी होने पर क्यों व्याध समझ लिया ? मेरे माथे पर त्रिपुण्ड यदि पुँछ भी गया तो कंधे पर का यज्ञोपवीत साक्षी है।

अपरा—मैं आपकी श्रेष्ठता को प्रणाम करती हूँ। (जाने लगती है)

द्रोणाचार्य—सुनो तो सही सुन्दरी !

अपरा—पूजा की वेला ढलने लगी है।

द्रोणाचार्य—पत्थर के देवता से हाड़-चाम के मानव का मूल्य अधिक हो सकता है।

अपरा—कहिये न तब।

द्रोणाचार्य—बात ऐसी है, मैं बड़ी शीघ्रता में हस्तिनापुर से दौड़ा दौड़ा यहाँ आया, अतिरिक्त श्रम के कारण मुझे जो प्यास लगी थी, वह तुम्हारे इस सूर्य की किरणों में प्रकाशित कलश को देखकर तीव्र हो उठी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा जल न पिला दोगी ?

अपरा—आप मुझे नहीं पहचान सके, कदाचित् मेरे वंश के बढ़ जाने से या आपकी स्मृति को किसी गहरी चिंता ने घेर लिया है ? कोई बात नहीं। मैं फिर आपको अपना परिचय दे देती हूँ। सुनिये ! मैं

उसी भील के गाँव की हूँ जिसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट-कर आपको समर्पित किया था।

द्रोणाचार्य—(ओह, दीर्घ सांस छोड़कर, दोनों हाथों से अपना मुँह ढक कर पीछे हट जाता है।)

अपरा—उसने रक्त की धारा से आपकी पिपासा शांत की, तो क्या मैं जल की धारा न दे सकूँगी।

द्रोणाचार्य—नहीं, अब नहीं! मेरी प्यास बुझ गई। (दाहिने हाथ से धारण करते हुए फिर पूर्ववत् शिला पर बैठ जाते हैं।)

शीर्षक द्रोणाचार्य और अपरा

संक्षिप्तीकरण—हस्तिनापुर से शीघ्रता में आने से अतिरिक्त श्रम के कारण द्रोणाचार्य को प्यास लगी। सामने जल का कलश लेकर जाती हुई अपरा से उन्होंने जल की प्रार्थना की। अपरा द्रोणाचार्य को पहचान कर जल पिलाने के लिए तैयार हो गई, किन्तु परिचय प्राप्त होने पर द्रोणाचार्य ने उस शूद्रा के हाथ का जल पीने से इनकार कर दिया और बिना जल पिये ही अपनी प्यास बुझाकर शिला पर बैठ गये।

अभ्यास के लिए अवतरण

(१)

भारत की सभ्यता, सौन्दर्य और दर्शन पर विदेशी सदैव मुग्ध रहे हैं पर आज न भौतिक समृद्धि में और न ज्ञान के क्षेत्र में हमारा कोई महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिसके आँगन में मानवता खेली, जहाँ उसने संस्कार प्राप्त किया, जहाँ प्रथम ज्ञानोदय हुआ, जहाँ का प्रकाश पाकर दुनिया प्रकाशित हुई, उसी देश में हम नंगे, मूर्ख, निरक्षर और परमुखापेक्षी अधिवासी हैं। हमने अपने को, पूर्वजों के गौरव को हास्यास्पद बनाया। हमने एक महती सम्पदा प्राप्त करके भी उसे नष्ट कर दिया—उसका उपयोग न जाना। हमने दुनिया में अपनी और अपने देश की उपेक्षा देखी न सुनी। क्या देश को हम पर अभिमान होगा? देवता भी इसी भूमि के लिए तरसते थे—वे भी इसका गौरव गान करते थे और हम हैं कि आज अपना सिर ऊँचा करके दुनिया की ओर

देख नहीं सकते। क्या यह अपमान हम अनुभव करते हैं ? हममें से प्रत्येक यदि अपने पूर्व गौरव का योग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न यदि आज ही प्रारम्भ कर दें। यदि हममें से प्रत्येक जिस क्षेत्र में भी हो वहाँ की स्थिति ठीक करने में जी-जान से लग जाय तो निश्चित है कि हम देश की महत्ता के अनुरूप अपने को बना सकते हैं। हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने देश की महान् परम्परा को कायम रखेंगे और अपने को उसके गौरव के अनुकूल बनायेंगे।

(२)

आँसुओं का अर्थ वेदना की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। किसी वस्तु के सौंदर्य को देखकर भी आँसू निकल पड़ते हैं। अतिशय हर्ष के क्षणों में भी आँसू अनायास ढुलक जाते हैं और बहुधा किसी गहरी चिन्ता से सहसा मुक्ति मिलने पर आँसू नहीं रुक पाते। ऐसी परिस्थितियों में आँसू का निकलना युक्तिसंगत अथवा उचित नहीं प्रतीत होता। किन्तु, आधुनिक मनोविज्ञान का यह एक महत्त्वपूर्ण पाठ है कि ये प्रत्याशित आँसू हमारे हृदय की गुप्त, किन्तु अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अतः अकारण एवं अनायास ही निकलने वाले आँसुओं के द्वारा जहाँ हमें अपने मन की अन्तः झलक मिलती है, वहाँ व्यक्तिगत शिक्षा और कभी-कभी गहरा आनन्द भी प्राप्त होता है।

(३)

विश्व शान्ति का सबसे बड़ा प्रचारक और पोषक होने पर भी हमारा देश सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता का इस युग में अनुभव कर रहा है। कारण यह है कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान ही हमारे सिर पर खड़ा होकर हमें अनेक प्रकार की धमकियाँ दे रहा है। वह अमेरिका जैसे पूंजीवादी राष्ट्र से अनेक प्रकार की सहायता लेकर अपनी सैन्य-शक्ति का सुदृढ संगठन कर रहा है। पाकिस्तान के अतिरिक्त उत्तरी सीमा पर खड़ा हुआ चीन हमारे देश को आतंकवादी दृष्टि से देख रहा है। तात्पर्य यह है कि अनेक राष्ट्र चारों तरफ से हमारी सैकड़ों वर्ष की पराधीनता के पश्चात् प्राप्त हुई स्वतन्त्रता को हड़पने के लिए ताक रहे हैं।

देखने मे शहरी, अंग्रेजी वेश-भूषा धारण किए, गाँव की कच्ची सड़क पर बढ़ा आ रहा था। समीप पहुँचते ही बालकों ने कबड्डी बन्द कर दी और उसे घे घूर-घूर कर देखने लगे।

"ऐ छोकरे !" अजनबी ने एक बालक को सम्बोधित करते हुए कहा।

"क्यों क्या बात है ?"

"देखो, तुम्हारे गाँव में कोई डाक बंगला है ?"

"आपका मतलब डाक बाबू..............।"

"नहीं डाक बंगला, महमानों के ठहरने की जगह।

"तो सराय बोलो न साहब।"

"साहब लोग तो रामदास की कोठी में रहते हैं। सामने दीपक बाबू आ रहे हैं, उनसे बात करलें।"

"क्यों क्या बात है रामू श्यामू ?" दीपक ने समीप आते ही पूछा। "यह बाबू रहने की जगह माँगे हैं।

"जाओ तुम सब लोग अपने घरों को। संध्या हो गई है।"

"देखिए साहब, हम लोग बम्बई जा रहे थे। हमारी गाड़ी में खराबी हो गई। रात होने को है। इन पहाड़ियों में रात के समय यात्रा करना खतरे से खाली नहीं। रात बिताने को जगह चाहिए। पैसों की आप चिन्ता न करें, मुँह माँगा दिला दूँगा।" अजनबी ने कहा।

"तुम्हारे साथ और कौन है ?"

"मेरे मालिक सेठ श्यामसुन्दर बम्बई के रईस उनका सैक्रेटरी और मैं उनका ड्राइवर श्यामू।"

"गाड़ी कहाँ है ?"

"सामने सड़क पर।" दीपक और श्यामू दोनों सड़क की ओर चल दिये।

—०—